द्वादश माला, खंड 5, अंक 31

मंगलवार, 28 जुलाई, 1998
6 श्रावण, 1920 (शक)

F. C

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)] Missing No 35, 38

अंक 31, मंगलवार, 28 जुलाई, 1998/6 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 582 से 584 .	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 585 से 601	24-46
अतारांकित प्रश्न संख्या 5863 से 6092 .	46-357
सभा पटल पर रखे गये पत्र.	357-365
राज्य सभा से संदेश	365-366
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन . .	366-367
याचिका का प्रस्तुतीकरण	367
कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	367
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	368
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	. 390-392,441-447
(एक) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कतिपय लोगों का निर्वासन	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	390-392
(दो) अमरीकी सरकार द्वारा कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को अमरीका छोड़ने के लिए नोटिस जारी करने की कार्यवाही किया जाना	
डा॰ मुरली मनोहर जोशी	441-444
(तीन) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किया जाना	
श्री दलित एज़िलमलाई .	445-447
नियम 377 के अधीन मामले	392-397
(एक) अनु[illegible] जनजातियों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामेश्वर पाटीदार	392-393
(दो) 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सैनानियों के वंशजों की पहचान करने तथा उनकी सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	394
(तीन) उत्तरी गुजरात में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश कनोडिया	394
(चार) सागर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बमहेड़ी बीका फील्ड फायरिंग रेंज द्वारा अधिकृत कृषि भूमि को किसानों को वापस दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार .	394-395

विषय — कालम

(पांच) सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 395-396

(छः) बिहार में नुनिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 396-397

(सात) रामगुंडम, आंध्र प्रदेश में भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता

डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला 396-397

(आठ) सड़क परिवहन यानों की लदाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1939 में यथोचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 397

नियम 193 के अधीन चर्चा 399-435

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार

श्रीमती कमल रानी 399-401

श्री प्रभुनाथ सिंह 401-405

श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल 405-407

श्री रामदास अठावले 407-410

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 410-412

श्री अमर राय प्रधान 412-415

श्री मधुकर सरपोतदार 415-419

श्री रवि प्रकाश वर्मा 419-422

श्री एन॰टी॰ षणमुगम 422-424

श्री जोवाकिम बखला 424-426

श्री रामानन्द सिंह 426-428

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 428-435

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक . . . 436-441, 447-464

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सिकंदर बख्त 436

श्री सत्यपाल जैन 436-441

श्री मनोरंजन भक्त 447-448

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य 448-450

श्री वारकला राधाकृष्णन 450-452

कुमारी ममता बनर्जी 452-454

श्री मित्रसेन यादव 454-456

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 456

श्री प्रथ्वीराज दा॰ चव्हाण 456-460

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटील 460-461

श्री अजय चक्रवर्ती 461-462

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज 462-464

प्रो॰ एस॰ मल्लिकार्जुनय्या 464

लोक सभा

मंगलवार, 28 जुलाई, 1998/6 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*582. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में अपहरण, बलात्कारण हत्या की कितनी घटनाएं हुई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कार चोरी की घटनाओं की संख्या दुगुनी हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अप्रैल से जून, 1996, 1997 और 1998 के दौरान जघन्य अपराधों और कार चोरी के मामलों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(छ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 1998 के पिछले 4 महीनों की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सूचित किए गए जघन्य अपराधों के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	1997	1998
मार्च	258	200
अप्रैल	226	214
मई	201	237
जून	218	276

(ग) मार्च-जून, 1998 की अवधि के दौरान, अपहरण के 447 मामले (फिरौती के लिए किए गए अपहरण के 7 मामलों सहित), बलात्कार के 148 मामले और हत्या के 224 मामले सूचित किए गए।

(घ) और (ङ) मार्च-जून, 1998 की अवधि के दौरान 1519 कारें चोरी हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान चुराई गयी कारों की संख्या 1346 है।

(च) अप्रैल से जून, 1996, 1997 और 1998 के दौरान हुए जघन्य अपराधों और कार चोरी के तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं :—

अप्रैल से जून	1996	1997	1998
डकैती	8	7	12
हत्या	140	154	178
हत्या का प्रयास	164	122	153
लूटपाट	139	155	221
दंगे	59	61	45
बलात्कार	148	148	119
फिरोती के लिए अपहरण	6	2	5
कार-चोरी	601	1033	1153

(छ) स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित है :—बीट गश्त को गहन करना, विशेष रूप से अपराह्न 6 बजे से 10 बजे तक, ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी, आसूचना के संग्रहण में सुधार, बदनाम स्थानों और अपराधियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारना, संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की अधिक मौजूदगी और अपराधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों का एक क्षेत्रीय समन्वय ग्रुप गठित करना।

अध्यक्ष महोदय : केवल दिल्ली के माननीय सदस्यों को ही अनुपूरक प्रश्न रखने का अवसर दिया जायेगा।

श्री के॰ येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह देश की राजधानी है, इसलिए सभी सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं।

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री जी इस सत्य को ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति असंतोषजनक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस स्वीकारोक्ति का आशय है दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की असफलता को स्वीकार करना जो दिल्ली में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। यदि हां, तो माननीय मंत्री जी द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है जो इसके लिए जिम्मेदार है? इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस विवरण

के भाग (छ) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो उन्होंने सभापटल पर रखा है। उन्होंने बताया है :

> "स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित है बीट गश्त को गहन करना, विशेष रूप से अपराह्न 6 बजे से 10 बजे तक।"

महोदय, मेरे पास आज के **दि स्टेट्समैन** की एक प्रति है जिसमें कहा गया है कि "रात्रि गश्त डकैतों से सुरक्षित दूरी बनाये रखती है।" मेरे विचार से गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि वे स्थिति में सुधार लाने के लिए, दिल्ली पुलिस को अनुशासित करने के लिए और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं कई वर्षों से संसद सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि जब मुझे इससे पहले कई अवसरों पर विपक्ष की ओर से इस विषय पर बोलने का मौका मिला, तो मैंने हमेशा यह दावे से कहा है कि दिल्ली जैसी राजधानी में विभिन्न सहज समस्याओं के कारण पुलिस दिल्ली में बढ़ती जन-संख्या और समस्याओं का सामना करने में समर्थ नहीं है। इसलिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्यतः असंतोषजनक रही है।

मेरे पास ऐसे आंकड़े भी हैं जो इसे सिद्ध कर सकते हैं। मैं इन सभी आंकड़ों से सभा को बोर नहीं करूंगा। मैं केवल इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इन चार महीनों में जबसे यह सरकार सत्ता में आई है, पिछले वर्ष में व्याप्त जघन्य अपराध का तुलनात्मक अनुपात इस वर्ष भी लगभग बराबर है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि स्थिति बदतर हो गई है बल्कि मैंने कहा है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मुझे इस बात से कुछ संतुष्टि मिलती है कि अपराधियों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस को कुछ हद तक सफलता मिली है। वास्तव में यह आश्चर्यजनक बात है इन आंकड़ों पर विचार करने के बाद ही मुझे पता चला कि वर्ष 1998 के दौरान, 67 प्रतिशत जघन्य अपराधों के मामलों का पता लगाया गया है। शीर्षवार, दिल्ली पुलिस डकैती के 59 प्रतिशत मामलों, हत्या के 54 प्रतिशत मामलों, हत्या के प्रयास के 80 प्रतिशत मामलों, लूटपाट के 59 प्रतिशत मामलों दंगों के 76 प्रतिशत मामलों, फिरौती हेतु अपहरण के 63 प्रतिशत मामलों और बलात्कार के 82 प्रतिशत मामलों का पता लगा पाई है।

ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि कानून और व्यवस्था की स्थिति असंतोषजनक है, फिर भी, इन समस्याओं के प्रति दिल्ली पुलिस का दृष्टिकोण प्रशंसनीय है। यह पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। मैं शहर में ऐसी स्थिति देखना चाहता हूं जिससे औसत नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। आज शहर में एक बड़ा अपराध हुआ है, जहां दो वृद्धाओं को मार दिया गया है, उनकी घर में ही निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है और वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसलिए मैं सभा की चिंता से सहमत हूं।

जहां तक उन कदमों का संबंध है जिनका मैंने उल्लेख किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से यह देख रहा हूं कि इन कदमों का न केवल अनुसरण किया जाये, अपितु मैं यह सुनिश्चित करने का भी इच्छुक हूं कि यदि किसी क्षेत्र में इन कदमों का अनुसरण नहीं किया जाता है तो प्रभारी पुलिस अधिकारी को जवाबदेह बनाया जाये और हितकर कार्यवाही की जाये।

श्री मुकुल वासनिक : ऐसी अनेक विवादास्पद रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि स्थिति काफी बिगड़ गई है। पुलिस प्रमुख यह वक्तव्य देते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त, मैं अपने अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहता था कि उन जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और उस प्रश्न का उत्तर देने की बजाय माननीय गृह मंत्री जी पिछले वर्षों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए स्थिति का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण करते समय मैंने यह पाया है कि आज दिल्ली में लोग इतने असुरक्षित हैं कि इस प्रकार की असुरक्षा की भावना पिछले वर्षों में व्याप्त नहीं थी। हर रोज यहां बलात्कार लूटपाट, डकैती और अन्य जघन्य अपराध, हत्यायें तथा अनेक अन्य बातें घटित हो रही हैं। ये घटनाएं ऐसी जगहों पर हो रही हैं जो काफी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ऐसी बातें हो रही हैं और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस सच को स्वीकार किया है लेकिन अब माननीय मंत्री भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाये, कुछ कार्यवाही करने की बजाय उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास जो वायरलैस उपकरण हैं, वह आज इतना पुराना हो चुका है कि वायरलैस उपकरण पर दिए गए अति महत्वपूर्ण संदेश टी वी सेटों पर सुने जा सकते हैं। आतंकवादियों और विशिष्ट व्यक्तियों की गतिविधियों को वायरलैस सेटों पर सुना जाता है। ऐसा भारत की राजधानी में हो रहा है हमारे पास अद्यतन, अत्याधुनिक उपकरण नहीं हैं, चाहे वह वायरलैस हो अथवा कोई अन्य उपकरण। वाहन भी बिल्कुल सही नहीं हैं और दिल्ली पुलिस के पास जो हथियार हैं वे भी पर्याप्त रूप से आधुनिक नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या दिल्ली पुलिस को बाजार में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरण वाहन और शस्त्रास्त्र प्रदान किये जायेंगे।

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित कदम उठाये जाने की संभावना है।

माननीय मंत्री जी ने इन प्रश्नों का उत्तर देने से बचने का प्रयास किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य ने दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। अभी हाल ही में हमने दिल्ली पुलिस को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा और विचार विमर्श किया था और मोड्यूलर डिजाइन वाले अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल ट्रंक रेडियो सिस्टम की खरीद करने का निर्णय लिया गया है जो भविष्य में विस्तार करने में सक्षम होंगे और जिनमें पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा पी सी आर वैन के बीच कम्प्यूटर संपर्क की भी सुविधाएं होंगी। जहां तक इसका संबंध है, इस विशेष उपकरण से हम स्वचालित चैनल आबंटन, फ्लैक्सिबल टांक ग्रुप्स, गोपनीयता, डाक एवं तार नेटवर्क तक पहुंच और ऐसी अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करेगी।

काफी समय पूर्व इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया था कि दिल्ली पुलिस की कितनी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि प्रत्येक एक लाख जनसंख्या के लिए हमारे पास काफी कम पुलिस स्टेशन हैं और कई और पुलिस स्टेशनों की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया है कि हमें 17 और पुलिस थाने शीघ्र खोलने होंगे।

हमने ये विशिष्ट कदम उठाये हैं। इस समस्या के संबंध में पुलिस की गुणकारिता की सतत निगरानी करना हमारे नजरिये का एक भाग है।

मैंने यह नहीं कहा है कि स्थिति बिगड़ गई है। इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ है जिससे सुरक्षा की भावना पैदा हो सके।...*(व्यवधान)* मैंने कहा था कि यह असंतोषजनक है।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक : दिल्ली में हर रोज बलात्कार की घटना हो रही है। हर रोज एक से ज्यादा लोग मारे जाते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के आधार पर मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। वस्तुतः एक दिन पुलिस आयुक्त ने दिल्ली के संसद सदस्यों, दिल्ली विधानसभा में मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता को वे आंकड़े प्रस्तुत किये कि शहर में अपराधों में किस प्रकार कमी आई है, मैंने स्वयं कहा था कि ये आंकड़े जनता को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। लोगों की धारणा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक धारणा नहीं बदलेगी, तब तक असुरक्षा व्याप्त रहेगी। हमारा उद्देश्य केवल अपराध की प्रतिशतता को कम करना नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण दिल्ली के आम नागरिक में सुरक्षा की भावना पैदा करना होना चाहिए जोकि हमारा वायदा हैं हम उस दिशा की ओर अग्रसर हैं जब मैंने यह कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति असंतोषजनक है, तो मेरे कई सहयोगियों ने कहा : "आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह मुख्य समाचार बन जायेगा।" मैंने कहा कि मुझे मुख्य समाचारों की चिंता नहीं है। मैं केवल आंकड़ों के आधार पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं दिल्ली के नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहता हूं। उसके लिए अगर मैं कुछ स्वीकार करता हूं, तो यह कोई गलत नहीं है।

माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि मंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है, बिल्कुल सच है। मैंने यह नहीं कहा कि स्थिति बदतर हो रही है अथवा यह कि स्थिति बिगड़ रही है। ये शब्द मैंने कभी प्रयुक्त नहीं किये हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली के प्रतिनिधि हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यहां दिल्ली में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपने वक्तव्य दिया था कि रात्रि गश्त में सुधार किया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाचारपत्रों में कुछ और प्रकाशित हो रहा है। शहर में कुछ और हो रहा है... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अभी हाल ही में, दिल्ली पुलिस को चलती-फिरती गश्त हेतु 300 मोटर साईकिलें उपलब्ध करायी गई हैं। मैंने यह भी कहा है कि अगले कुछ महीनों में की जाने वाली निगरानी के आधार पर हम यह देखेंगे कि यदि किसी प्रकार की असफलता मिलती है तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार पुलिस उपायुक्त और महत्वपूर्ण अधिकारियों की खबर ली जायेगी... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। यह सही नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल शर्मा : कांग्रेस आज कानून तोड़ रही है। वे आज रैली आयोजित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप मुझे कानून मत सिखाइये। मैं कानून जानता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए जो तत्व जिम्मेदार हैं, जैसे अभी-अभी बस स्टैंड पर आर॰डी॰एक्स॰ का बम विस्फोट हुआ, इसमें आई॰एस॰आई॰ का हाथ है। दिल्ली में आतंकवाद से संबंध रखने वाले पंजाब के कश्मीर और यहां तक कि कुछ बंगलादेश के लोग भी हैं।

दिल्ली के अंदर तीसरा तत्व असामाजिक तत्व हैं।...*(व्यवधान)* दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्व हैं, मेरे हिसाब से उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मेरे सवाल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो वर्स्ट टाइप आफ हिनियस क्राइम 1984 में हुआ...*(व्यवधान)* उस पर एक्शन न लेने से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृष्ण लाल शर्मा जी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न रखें। आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मेरा सवाल यह है कि क्या इन तीनों तत्वों में कोई नेक्सेज है और क्या ये तीनों तत्व मिलकर आपरेट कर रहे हैं? क्या आई॰एस॰आई॰, आतंकवादी तत्व और असामाजिक तत्व का नेक्सेज होने के कारण यह प्राब्लम है? मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी एक मर्डर केस हुआ है। जिसमें दो बच्चे, 15 साल और 19 साल के, चाकुओं से मारे गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अपना अनुपूरक प्रश्न रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मर्डर केसेज की कोई मानेटरिंग होती है या नहीं और क्या टाइम बाउंड सोल्युशन निकालने का कोई प्रोग्राम है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, समयबद्ध कार्यक्रम क्या है? आप इसकी किस प्रकार निगरानी कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि दो चीजों के बीच में अंतर किया जाए-एक तो बम विस्फोट की घटनाएं हैं, जिनमें कोई साधारण अपराधी नहीं है। जिनमें प्रायः ऐसे तत्व हैं जिनका विदेश से कभी सम्बन्ध हो सकता है और दूसरा है कि जहां पर हत्या हो गई, अपहरण हो गया, डकैती हो गई-इन दोनों में भेद करना चाहिए। विगत दोनों में, परसों ही, एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और चार लोग घायल हुए। पिछले डेढ़ साल में दिल्ली में 40 बम विस्फोट हुए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि 40 में से 36 बम विस्फोट जिन्होंने किए, ऐसे अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने ढूंढ़ निकाला है।...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि हम बम विस्फोट रोक नहीं सके, लेकिन पिछले चार महीनों में एक बम विस्फोट हुआ है, उसके पहले 39 हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता। यह समस्या देश के आंतरिक सुरक्षा के सवाल से जुड़ी है। कल मैंने राजेश पायलट जी के कथन पर स्वीकार किया कि देश भर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करेंगे, जिसमें आई॰एस॰आई॰ का सवाल भी आएगा। जहां तक सामान्य अपराध का सवाल है, बलात्कार है, हत्या है, डकैती है, चोरी है, अपहरण है, उसके बारे में हमें पुलिस को अधिक चुस्त करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो ऐसे गिरोह हैं, उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में हमने जो कदम उठाए हैं, उनमें यह भी एक भाग है। मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हमारा देश लोकतंत्रीय देश है। उसमें प्रदर्शन होंगे।

प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। विपक्ष में बैठे हुए लोगों का अधिक अधिकार है। हम जब विपक्ष में थे तो हम भी करते थे। लेकिन मैं संसद से यह भी अनुरोध करूंगा कि दिल्ली पुलिस के सामने जो समस्याएं हैं, जैसा उन्होंने लिखकर दिया कि क्या-क्या समस्याएं हैं, उनमें से एक यह भी है कि हर साल लगभग पांच लाख की आबादी दिल्ली की बढ़ती है।

दिल्ली चालीस प्रतिशत आबादी स्लम्स में रहती है। तीसरी चीज उन्होंने लिखी है :—

[अनुवाद]

> "देश के सभी भागों से लोग प्रदर्शन, विरोध, धरना आदि के लिए दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। इससे दिल्ली पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।"

[हिन्दी]

ये सारे पहलू ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखकर, मुझे विश्वास है. ..*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि इन कारणों से दिल्ली पुलिस के ऊपर बोझ बहुत है और इस बोझ के बावजूद भी दिल्ली पुलिस योग्य काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मीरा कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ईमानदारी के साथ यह बात स्वीकार की थी कि दिल्ली में विधि और व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है लेकिन आज इस सदन में आकर ठीक उसी बात पर एक ही वाक्य के अंदर उन्होंने दो विभिन्न वक्तव्य दे दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था भंग हो चुकी है और यह भी कहा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और संतुष्ट हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने एक ही वाक्य में कह दिया है। खासकर उन्होंने गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों का नाम लिया है। यह क्या इशारा कर रहे थे?...*(व्यवधान)* क्या वह यही इशारा कर रहे थे कि जो गरीब बस्तियों में रहते हैं, वे कानून भंग करते हैं?...*(व्यवधान)* यह बहुत ही गलत बात है।...*(व्यवधान)* आपने अपने शासनकाल में पुलिस को बहुत डीमोरेलाइज करके छोड़ दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, अपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार : मैं सप्लीमेंटरी पूछ रही हूं कि इन्होंने पुलिस का मनोबल इतना गिरा दिया है कि आज वह असहाय महसूस कर रही है।...*(व्यवधान)* मैं यह पूछना चाहती हूं इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं ताकि दिल्ली की पुलिस दिल्लीवासियों को सुरक्षा दे सके? आपने पुलिस को पूरी तरह से डीमोरेलाइज कर दिया है। ...*(व्यवधान)* आप हमें कोई टाइम बाउन्ड डेट बताएं कि इस समय तक दिल्ली में हम दिल्लीवासियों के मन में पूरी तरह से सुरक्षा की भावना दे सकेंगे।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आपके टाइम में तो झुग्गी-झोंपड़ी वालों के राशन कार्ड बंद हो गए थे।...*(व्यवधान)* अब झुग्गी-झोंपड़ियां आपके पास नहीं हैं, हमारे पास हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने पिछले दिनों दिल्ली की कानून और स्थिति के बारे में जो भी बयान दिए हैं, वे चाहे बाहर दिए हों या चाहे संसद के भीतर दिए हों, उनमें एक ही बात समान है कि आम जनता में जो असुरक्षा का भाव है, उसके कारण गृह मंत्री के नाते मैं स्वीकार करता हूं कि आज की कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि पिछले पचास सालों में संतोषजनक थी और आज खराब हुई है।...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम : लेकिन, महोदय, कल आपने 'बिगड़ना' शब्द प्रयुक्त किया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने यह भी नहीं कहा कि पहले 39 बम विस्फोट हुए थे, अब चार महीनों में केवल एक हुआ है। मैं इन आंकड़ों को महत्वपूर्ण नहीं मानता। मैं लगातार कहता हूं कि कोई भी सरकार आए, उस सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा का आभास दे।

उस दिशा में यह सरकार कृतसंकल्प है। आपने टाइम-बाउन्ड कार्यवाही के लिए कहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो आप पिछले पचास सालों में नहीं कर सके, मैं पांच महीनों में करके दिखा दूंगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि यह सरकार इस दिशा में जितने भी आवश्यक कदम है, जो इन चार महीने में उठाए गए हैं और आगे भी लगातार उठाती रहेगी। जो अपराधी यहां इधर-उधर घूमते हैं, उन अपराधियों को थोड़े ही दिनों में यह बात समझ में आएगी कि इस शासन में अपराध अधिक दिनों तक नहीं चलता और उनको इसका दंड अवश्य मिलेगा।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने यह बात जरूर सही कही है कि बृहत्तर भारत में आतंकवादी गतिविधियां हैं और जो सामान्यता एक राज्य के भीतर कानून व्यवस्था की समस्या है—ये दोनों दो चीजें हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां असुरक्षा की भावना पैदा हो जाने से गलत संदेश पूरे देश में जाता है। आप भय खत्म करने के नाम पर आए थे और आपने जो चार महीने के आंकड़े हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार भय का वातावरण समाप्त होने की दिशा में पहल करने के बजाए, वह दिशा और आगे की ओर बढ़ रही है। यह बात इन आंकड़ों से सिद्ध हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ठीक कानून व्यवस्था ठीक के नाम पर जो हत्या, बलात्कार, राहजनी, गाड़ियों की लूट आदि घटनायें हो रही हैं, इन घटनाओं में संगठित माफिया गिरोह जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, संगठित माफिया गिरोह जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, संगठित माफिया गिरोह जो दिल्ली स्तर के हैं, आपने इन गतिविधियों में लिप्त कितने ऐसे माफिया गिरोहों को चिहिनत किया है? इसके साथ ही वे किस स्तर के हैं और उनके विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? दिल्ली पुलिस इस बात को लगातार कह रही है कि 40 लाख लोग यहां झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, लेकिन जो अपराधी पकड़े जाते हैं, वे पॉश कालोनियों में पकड़े जाते हैं। इस बात को हम अखबारों में भी पढ़ते हैं। ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटनाओं में किस स्तर के गिरोह लिप्त पाए गए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कार्यवाही करने की बात कही है, मुझे इसमें भी आंकड़े ही देने पड़ेंगे। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं।

यद्यपि जो आंकड़े मेरे सामने दिल्ली पुलिस ने रखे हैं, उनके अनुसार 1997 में इसी काल में 4015 लोग सैक्शन 107, 109 और 110 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो प्रिवैंटिव धारायें हैं, उनके अन्दर गिरफ्तार किए गए, इस बार 4117 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एन एस ए-नेशनल सिक्योरिटी एक्ट-के अधीन 1997 में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन इस बार 14 ऐसे गुंडे या अपराधी गिरफ्तार किए गए, उसी प्रकार जिन लोगों को ऐसी गतिविधियों के कारण एक्सटर्न किया गया, उनकी संख्या 90 के बजाए 144 हुई। लेकिन मैं इतनी देर से बात पर बल दे रहा हूं कि मेरा सहारा ये आंकड़े नहीं है। आंकड़े केवल मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह धारणा जो कहीं-कहीं पैदा होती है और चार महीने का उल्लेख करके कहा जाता है कि स्थिति बिगड़ रही है, स्थिति बिगड़ नहीं रही है। स्थिति न बिगड़ रही होते हुए भी संतोषजनक नहीं है। इसको संतोषजनक करने के लिए...*(व्यवधान)* उन्होंने आंकड़े पूछे हैं, मैंने की गई कार्यवाही के संबंध में ये आंकड़े दिये हैं।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था पर सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। मैंने पिछली दफा संयुक्त मोर्चे की सरकार के समय भी यह प्रश्न किया था और यही प्रश्न मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जो डैरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज एंड लैक ऑफ सुपरीन्टैंडैंस पुलिस की होती है, एसएचओ थाने में जा रहे हैं या नहीं जा रहा है, थाने में काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, एडिशनल कमिश्नर या डीसीपी अपने नीचे कामों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामलों में एक्शन लिया गया है और उनके खिलाफ कदम उठाए गए हैं।

दूसरी बात, गृह मंत्री जी के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके पास सिर्फ अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस काफी नहीं है और उन्हें वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। अतिविशिष्ट लोगों को सिक्योरिटी देना भी एक बहुत बड़ी समस्या है।

मैं जानता हूं कि हमारे यहां तीन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, जिनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है, वे अब संसद के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, परन्तु उनके ऊपर बहुत सारी फोर्स लगी हुई है। ऐसे अति विशिष्ट व्यक्तियों पर आपने जो सिक्युरिटी लगा रखी है, उनकी अगर आप सिक्युरिटी कम नहीं करेंगे तो पुलिस फ्री कैसे होगी। पुलिस जनता सेवा करे या हैंडफुल वीआईपीज की सेवा करे। मुझे बताने की जरुरत नहीं है कि ये तीनों पहले दिल्ली के एम॰पी॰ रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं बड़ी फेरयली बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यहां कई विशिष्ट लोग हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विजय गोयल जी, आधा घंटा पहले ही बीत चुका है। कृपया अपनाा अनुपूरक प्रश्न पूछिये। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें, न कि सदस्यों को।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब यू॰एफ॰ और कांग्रेस के टाइम में क्राइम्स होते थे तब मैं उधर बैठ कर बोलता था कि क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि स्थिति संतोषजनक नहीं है तो उधर से तालियां बजती हैं।...*(व्यवधान)* क्राइम आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हो रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विजय गोयल जी, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मेरा पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के कारण पुलिस पर्सनल पर कितने एक्शन किए गए? आपने जो अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सिक्युरिटी दे रखी है और जिन पर मुकदमें चल रहे हैं, वहां से दिल्ली पुलिस तथा दूसरी व्यवस्था हटाने के लिए गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* मैं सब लोगों की बात कर रहा हूं। उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, मैं रिव्यू करने की बात कर रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय का काम संभालने के बाद जिन विषयों पर मेरी अधिकारियों से चर्चा सतत होती रही है वे है कि वीआईपीज की सुरक्षा करने के लिए हमारी पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा लगती है, जिसके कारण कानून-व्यवस्था की सामान्य स्थिति और नागरिकों की सामान्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें ऐसी जनरल इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन साथ-साथ मैं यह भी जानता हूं कि उग्रवादी जब सोफ्ट टारगेट चुन कर कहीं पर बम विस्फोट करके छः लोगों को मार देते हैं तो उससे उनको इतना संतोष नहीं मिलताा जितना कि किसी प्रमुख व्यक्ति को निशाना बना करके और उसको मारने के बाद जितनी पब्लिसिटी उससे मिलती है। इसलिए आतंकवाद की स्थिति में सरकार का यह भी दायित्व होता है कि जो प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति है, जिनके ऊपर कोई दायित्व है और जो सांसद हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। जहां पर भी इस प्रकार का संकट हो उसकी व्यवस्था की जाए, यह भी सरकार का दायित्व है। इन दोनों चीजों का मेल बिठाने का दायित्व मैं स्वयं नहीं कर सकता बल्कि अधिकारियों की एक समिति बनी हुई है जो थ्रेट

परसैप्शन का इवेल्यूशन करके, उसके आधार पर निर्णय करती रहती है। हमारे सांसद भी कभी-कभी स्पीकर साहब से कहते हैं कि हमने सिक्युरिटी मांगी थी लेकिन हमें नहीं मिली। फिर मुझे कहा जाता है और मैं वापस उसी समिति को देता हूं। साधारणतया मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि अगर किसी सांसद को असुरक्षा का आभास हो तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, यह मैंने उन्हें कहा है लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व संभालते हुए भी सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की ओर उदासीन नहीं हुआ जा सकता, उनके प्रति भी सजग रहना मैं सरकार का कर्तव्य मानता हूं।

श्री शिवराज वी॰ पाटील : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से दिल्ली की कानून-व्यवस्था का सवाल सामने आया है, मगर इसी प्रश्न से यह भी सिद्ध होता है कि देश की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत और दूरदृष्टि से कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि हम ज्यादा पुलिस को इस शहर में घूमने-फिरने के लिए कह रहे हैं और आजू-बाजू के स्टेट्स से हम इनफोरमेशन मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विल्लेंस कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी दी गई है।

यह काम तो जरूरी है ही, करना ही चाहिए, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि पुलिस कितनी संख्या में हमारे पास होनी चाहिए। क्या लोगों की संख्या के अनुपात में हमारे पास पुलिस पर्याप्त है और जो साधन हैं, चाहे कम्युनिकेशन के हों, इन्फोर्मेशन इकट्ठा करने के हों, ट्रांसपोर्ट के हों या इन्फोर्मेशन इनालाइज करने के साधन हों, क्या वे पर्याप्त हैं? अगर वे पर्याप्त नहीं हैं तो इस बारे में सरकार क्या कर रही है जिससे भारत की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था अच्छी बने, उसकी स्थिति और भी अच्छी बने।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय शिवराज जी ने जो प्रश्न पूछा है वह दिल्ली के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज से आठ साल पहले 1990 में दिल्ली की एक लाख जनसंख्या के ऊपर 452 पुलिस पर्सनल थे लेकिन आज वह संख्या घटकर 351 हो गयी है, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गयी है और पुलिस पर्सनल उस हिसाब से नहीं बढ़ पाए हैं। पुलिस पर्सनल को बढ़ाने की जितनी रिकमैंडेशन होती हैं उन्हें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण हम नहीं कर पाते हैं। यहां एक समस्या और भी है कि रैपिड ट्रांपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, जैसे कि मुम्बई में मैट्रो है या और स्थानों पर है।

[अनुवाद]

सड़कों पर यातायात काफी अधिक है। यह असामान्य है। ये सारे एडीशनल प्रोग्राम हैं। उसी को ध्यान में रखकर 17 पुलिस स्टेशन और खोलने की हमने योजना बनाई है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी मॉनिटिरिंग की जाए ताकि जितनी इंस्ट्रक्शन्स उन्हें दी जाती हैं वे उनका कठोरता और कड़ाई से पालन कर सकें। मैं उस बारे में सजग हूं।

[अनुवाद]

रोजगार का सृजन

\+

***583. श्री राजो सिंह :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक संगठित क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए हैं;

(ख) अप्रैल, 1998 तक देश में राज्य-वार कितने बेरोजगार, व्यक्ति थे;

(ग) देश में राज्यवार तकनीकी योग्यता प्राप्त कितने पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(घ) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित सूचना के अनुसार संगठित क्षेत्र (10 या उससे अधिक कामगारों को रोजगार प्रदान करने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा निजी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों) में 3 मार्च, 1994 तक रोजगार 273.79 लाख था जो 31 मार्च, 1997 तक (नवीनतम उपलब्ध) बढ़कर 282.44 लाख हो गया।

अप्रैल, 1998 को विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों तथा वर्ष 1994 और जनवरी से जून 1995 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से तकनीकी अर्हता प्राप्त (इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, कृषि, विधि तथा शिक्षा में डिप्लोमाधारी, स्नातक तथा स्नातकोत्तर) रोजगार चाहने वालों की संख्या, इसमें ये आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, अनुबंध में दी गई हैं।

नवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है।

बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा। यह बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा।

अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों के रोजगार कार्यालयों में तकनीकी योग्यताओं वाले रोजगार चाहने वालों का नियोजन तथा रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल रोजगार चाहने वाले अप्रैल, 98 को (हजार में)	नियोजन (तकनीकी योग्यता प्राप्त) 1994	1995 (जनवरी-जून)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3104.8	895	599
अरुणाचल प्रदेश	12.7	-	-
असम	1467.8	12	7
बिहार	3321.1	28	18
गोवा	108.6	20	13
गुजरात	924.4	998	542
हरियाणा	787.3	426	295
हिमाचल प्रदेश	715.5	350	117
जम्मू और कश्मीर	165.1	70	-
कर्नाटक	1791.6	3961	270
केरल	3573.0	2034	798
मध्य प्रदेश	2367.8	1239	453
महाराष्ट्र	3924.2	1436	371
मणिपुर	323.0	28	-
मेघालय	33.9	6	1
मिजोरम	70.8	23	-
नागालैण्ड	22.1	2	-
उड़ीसा	955.2	649	127
पंजाब	573.8	122	24
राजस्थान	867.8	2992	2191
सिक्किम*			
तमिलनाडु	4040.1	1565	336
त्रिपुरा	254.6	1	-
उत्तर प्रदेश	2630.2	478	251
पश्चिम बंगाल	5764.1	448	89
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25.2	-	-
चंडीगढ़	113.4	221	64
दादर और नगर हवेली	5.5	-	-
दमन और दीव	5.5	11	11
दिल्ली	1096.4	1187	122
लक्षद्वीप	9.0	-	-
पाण्डिचेरी	145.3	124	84
अखिल भारत	39199.8	19326	6783

तकनीकी योग्यता प्राप्त रोजगार चाहने वालों से तात्पर्य इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, कृषि, विधि तथा शिक्षा में डिप्लोमाधारी, स्नातक तथा स्नाकोत्तर।

(*) राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष जी, सरकार ने जो उत्तर दिया है, हमने पूछा था कि क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है। इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि नवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा। यानि ये रात में स्वप्न देख रहे हैं। ये कहते हैं कि रोजगार स्वतः ही सृजित होगा, जैसे कभी-कभी नीचे से पानी स्वतः ही निकल आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है?

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं कि 1994 में रोजगार पाने वाले लोगों की जगह 273.79 लाख थीं जो मार्च 1997 तक वह बढ़कर 282.44 लाखा हो गयी। यहां सिर्फ 39199.8 लोगों की फीगर्स दी गयी है जो रोजगार चाहने वाले थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, सरकार जानकारी देगी। आप अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : इनके पास रोजगार पाने वालों की संख्या कम है जबकि रोजगार इनके पास ज्यादा हैं फिर बेरोजगारों की संख्या चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, चाहे कृषि स्नातक हो, चाहे पशु-चिकित्सा हो, इन्होंने इन सारे लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था क्यों नहीं की? यदि नहीं की तो भविष्य में इनको रोजगार देने की सरकार के पास क्या योजना है?

डा॰ सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न रोजगार सृजन का है। रोजगार सृजन के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो अवसर उत्पन्न किए गए थे, वे कृषि पर आधारित थे। आगे जो रोजगार के अवसर मिलने हैं।...*(व्यवधान)* इसमें श्रम प्रधान तकनीकी को प्रोत्साहन देकर और उत्पादकता देकर और उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से भी काम करना होगा। जैसा हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा रोजगार सृजन के लिए योजनाएं चलायी जा रही हैं। उनको स्वीकृत करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारा काम होगा। 1980 से ग्रामीण क्षेत्रों में आई॰आर॰डी॰पी॰ की योजना लागू की गई थी। 1979 में ट्राइसेम की योजना लागू की गई थी।

श्री अजीत जोगी : आपने क्या किया?

डा॰ सत्यनारायण जटिया : ड्वाकरा में जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के उपाय किए जा रहे हैं। हम ड्वाकरा में एम्पलायमैंट एश्योरेंस स्कीम के तहत भी रोजगार सृजन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना, अरबन माइक्रो इंटरप्राइजिज योजना, अरबन एम्पलायमैंट स्कीम, स्कीम फॉर हाउसिंग ऍंड शैल्टर अपग्रेडेशन स्कीम, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सैल्फ एम्पलायमैंट ऍंड एजुकेशन फॉर अनएम्पलायड यूथ स्कीम्स चल रही हैं। इस प्रकार की सारी योजनाओं को लागू करके रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार की सारी योजनाओं को रखा गया है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गलत जवाब दिया है।...*(व्यवधान)* जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो मजदूर काम करते हैं, उनकी इन्होंने फीगर्स दी। मैंने यह बात नहीं पूछी थी। मैंने पूछा था कि बी॰ए॰, एम॰ए॰, मेडिकल और इंजीनियरिंग पास किए बेरोजगार लोगों की देश में कितनी संख्या है? उन्होंने ऐसे लोगों की कुल संख्या 19326 बताई जबकि इससे अधिक लोगों को आप रोजगार देने की स्थिति में हैं। इसके बावजूद इतना होने के बाद सरकार को इन सारे लोगों को रोजगार देने में क्या कठिनाई आ रही है?

डा॰ सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये आंकड़े हजारों में हैं। रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या 39199.8 है। तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों की नियोजन की दृष्टि से 1994 में यह संख्या 19326 थी। वह 1995 की जनवरी से जून तक 6783 हजार थी। तकनीकी योग्यता में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, कृषि, विधि तथा शिक्षा में डिप्लोमाधारी, स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त लोग आते हैं, उनकी जानकारी दी गई है।...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी रिपोर्ट गलत है।... *(व्यवधान)*

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। जनसंख्या वृद्धि की दर 2.1 परसैंट है और बेरोजगारी 2.56 की दर से बढ़ रही है। इसलिए सरकार को रोजगार सृजन के ज्यादा अवसर पैदा करने होंगे। आज ही योजना आयोग के पूर्व सदस्य और पूर्व विशेष सचिव श्री एस॰पी॰ गुप्ता का बयान आया है कि उदारीकरण के कारण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां श्रम आधारित उद्योग न खोल कर मशीन आधारित उद्योग खोल रही हैं। क्या सरकार का इस ओर ध्यान गया है? मेरा दूसरा सवाल है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही सवाल पूछिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मेरे क्वश्चन का 'बी' पार्ट है क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग खोलने के लिए विशेष प्रयास करने जा रही है?

[अनुवाद]

डा॰ सत्यनारायण जटिया : जी हां।

प्रो॰ एम॰के॰ प्रेमाजम : महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास वर्ष 1991 से लागू विनिवेश नीति के परिणामस्वरूप बेरोजगार अथवा नौकरी से निकाले गये व्यक्तियों के आंकड़े हैं। यदि उत्तर 'सकारात्मक' है तो मैं सरकार से इन आंकड़ों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

डा॰ सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में रोजगार चाहने वाले आन्ध्र प्रदेश में 3104.8 हजार, अरुणाचल प्रदेश में 12.7 हजार, असम में...

[अनुवाद]

प्रो॰ ए॰के॰ प्रेमाजम : मेरा प्रश्न यह है कि 1991 से लागू सरकार की विनिवेश नीति के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुये हैं। मैं राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा॰ सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आंकड़ों के संकलन का प्रबंध नहीं है।

श्री थावरचन्द गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान के अनेक राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक लाख स्थायी तकनीकी पद समाप्त किये गये हैं। अभी–अभी 28 हजार श्रमिकों को मध्य प्रदेश सरकार ने निकाल दिया है और उसके कारण जो रोजगार सृजन होना चाहिये था, उसमें बाधा पहुंची है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में देश के किन किन राज्यों में रिक्त पदों को समाप्त कर दिया गया है? क्या सरकार गलत तरीके से समाप्त किये गये रिक्त पदों का डॉटा इकट्ठा करके उन्हें पुनः सृजित करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी?

डा॰ सत्यनारायण जटिया : इस प्रकार की जानकारी संकलित करने के उपाय किये जायेंगे...*(व्यवधान)*

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने खुद इस बात को मान लिया है कि जम्मू–कश्मीर में एक लाख 65 हजार लोग बेकार हैं जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक यह तादाद तीन लाख से ज्यादा है। मंत्री जी इस बात को भी खुद मानते हैं कि इनमें 70 हजार टैक्नीकली क्वालीफाईड लोग हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या ऐसी सैंसटिव स्टेट में इतने लोग बेकार रखना खतरे से खाली है? क्या वे कोई स्पेशल योजना चलायेंगे ताकि जम्मू–कश्मीर में टैक्नीकली क्वालीफाईड लोगों की बेरोजगारी खत्म की जा सके?

डा॰ सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय तकनीकी योग्यता प्राप्त बेरोजगारों के आंकड़े दिये गये हैं, उन लोगों को रोजगार में नियोजित करने के लिये सार्वदेशिक योजनायें हैं जिनमें ये लोग जा सकते हैं। इस दृष्टि से देश में उनको रोजगार देने के लिये जो अवसर उपलब्ध हैं, उनमें भी ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध रहेगी।

[अनुवाद]

आई॰ एस॰ आई॰ की रणनीति

\+

*584. **श्री अजीत जोगी :**

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में हुई कुछ गिरफ्तारियों से विदेशी आतंकवादियों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा रिले गाईडों से काम लेने की रणनीति का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी नीतियों को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) पाक आई॰ एस॰ आई॰, जम्मू और कश्मीर में कुलियों/पोनीवालों और स्थानीय गाइडों के इस्तेमाल सहित अधिक से अधिक संख्या में विदेशी उग्रवादियों/भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ करवाने के लिए हर सम्भव तरीके अपना रही है। 1997–98 में पकड़े गए कुछ उग्रवादियों ने उस गाईड द्वारा सुपर्द किए जा रहे उग्रवादी ग्रुपों के बारे में बताया जिसने घुसपैठ कराने में और बाद में उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अन्य गाइडों को सौंपने में उनकी मदद की थी। जम्मू और कश्मीर में सीमा पर से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने और उनके प्रयासों को निष्फल करने के लिए सरकार ने बहुआयामी नीति अपनायी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा दोनों ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाना सम्मिलित हैं। सुरक्षा बलों और आसूचना एजेंसियों द्वारा सीमा/नियंत्रण रेखा पर और अन्दरूनी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जाती है। उग्रवादी–विरोधी गहन अभियान शुरू किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों/राज्य पुलिस बलों को पुनः तैनात किय गया है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई॰ एस॰ आई॰ पूरे देश में अराजकता और अस्थिरकता फैलाने की कार्रवाई कर रही है और विशेषकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने के लिए कसर नहीं रख रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि आपने कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में हम प्रो–ऐक्टिव पॉलिसी अपनाएंगे। यह बयान जितनी बार आपने दिया, उतनी बार आई॰एस॰आई॰ ने निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याएं की और डोडा, ऊधमपुर और रजौरी आदि जिलों में इसका जवाब दिया है। आपने कहा कि आप ड्राइव अगेन्स्ट आई॰एस॰आई॰ करेंगे, आप इंटैलिजेन्स को मजबूत करेंगे, आप बॉर्डर को सील करेंगे, आप स्टेट के साथ कोआर्डिनेशन बढ़ाएंगे, आप एक डैफिनेट ऐक्शन प्लान बनाएंगे, आप कॉफिडेन्स बिल्डिंग मीजर्स लेंगे, इतनी बातें आपने कही हैं और बार–बार कही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन सबका क्या परिणाम निकला है? आप जब से गृह मंत्री बने हैं, जब से यह सरकार आई है, तब से इन सब दिशाओं में आपने क्या किया है जिससे आई॰एस॰आई॰ पर कोई नियंत्रण किया जा सके और किसी तरह से उनकी गतिविधियों को रोका जा सके, क्योंकि जनसामान्य की धारणा यह बन रही है कि आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में रोकने में हम पूरी तरह से विफल हो गए हैं?

एक माननीय सदस्य : पचास साल में आपने क्या किया था?

श्री अजीत जोगी : पचास साल में हमने आतंकवाद को रोका था। आपने फिर से बढ़ा दिया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मुझे पिछले दिनों स्वयं जम्मू-कश्मीर जाने का अवसर मिला था। मैंने आई॰एस॰आई॰ द्वारा डोडा या ऊधमपुर में जो कांड किये गए हैं, उनको भी देखा। मुझे कश्मीर घाटी में जाने का अवसर मिला और वहां के अधिकारियों से बातचीत करने का, वहां की जनता से बातचीत करने का वहां पर भी अवसर मिला और दिल्ली में अवसर मिला।। अनेक अवसरों पर जम्मू-कश्मीर के बारे में चिन्ता करने का अवसर सरकार को मिला। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि इस साल 1998 में, वर्षों बाद वहां पर बड़ी संख्या में विदेशों से भी और देश से भी यात्री गए हैं। आज अगर कोई पहलगाम, श्रीनगर या गुलमर्ग जाए तो वह देखेगा कि हजारों संख्या में जो यात्री वहां आए हैं, वह कॉनफिडेन्स बिल्डिंग मीजर्स का ही परिणाम है।

अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि जितने सिनेमा ग्रुप्स थे, फिल्म कंपनीज थीं, जो हमेशा शूटिंग वहां जाकर करती थीं, उन्होंने पिछले साल तक कश्मीर जाना छोड़ दिया था और उसकी बजाय वे हिमाचल जाना पसंद करते थे, लेकिन इस बार अनेक फिल्म ग्रुप्स वहां पर शूटिंग के लिए गए हैं। इतने गए हैं कि कहीं-कहीं पर तो होटल्स में भी जगह की कमी हो गई है। यह सारे लक्षण होते हुए भी यह सरकार आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियों के बारे में उदासीन नहीं है क्योंकि सॉफ्ट टार्गेट्स तो बहुत हैं और इस सदन को सुनकर धक्का लगेगा, क्षोभ होगा कि आज प्रातःकाल ही डोडा से खबर आई है कि वहां पर उग्रवादियों ने आठ हिन्दुओं, जिसमें दो महिलाएं भी हैं, की नृशंस हत्या कर डाली है। परंतु हम उदासीन नहीं हैं। यह सारा काम कोई भी कर सकता है। दिल्ली में होता रहता है और वहां पर भी होता रहता है और उन्होंने जान-बूझकर ऐसे क्षेत्र चुनने की कोशिश की है। वहां ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि वहां से अल्पसंख्यक लोग भागें। हमने इस विषय में विस्तार से वहां के राज्यपाल से वहां के मुख्य मंत्री से, वहां के डी॰जी॰ पुलिस से, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज के डी॰जी॰ से, रक्षा मंत्री से, सबसे बात करके एक समन्वित योजना बनाई है जिसके अनुसार कार्रवाई चल रही है।

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने विरोधाभास से संतृप्त उत्तर दिया है, मैं उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने स्वतः कह दिया कि आज ही डोडा में नृशंस हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है।

यही इस बात का प्रमाण है कि आप जो कह रहे हैं और आपने जो कुछ किया है, उसका कोई उत्साहजनक, सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिला है।

मैं दूसरा पूरक प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी जानकारी क्या आपको भी है कि आई॰एस॰आई॰ ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल में भी अपना एक सॉलिड बेस बनाकर वहां 40 स्पेशल ट्रांजिट प्वाइंट्स बनाये हैं, जहां से वह भारत में एक्सप्लोसिव्स तथा आतंकवादियों को भेजते हैं। इसी तरह की कुछ गतिविधियां हमारे समीपवर्ती अन्य राष्ट्रों में भी चल रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन समीपवर्ती राष्ट्रों नेपाल, बंगलादेश तथा दूसरे देशों में जहां आई॰एस॰आई॰ ने अपने बेस बना लिये हैं, उनसे संपर्क करके, जो उनके बेस उन राष्ट्रों में कार्यरत हैं, उन्हें नष्ट करने, समाप्त करने के लिए क्या आपके द्वारा कोई पहल की जा रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों से आप क्या चर्चा कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य ने आई॰एस॰आई॰ द्वारा भारत तथा अन्य समीपवर्ती देशों के माध्यम से अपनी गतिविधियां बढ़ाकर हिंदुस्तान के भीतर उग्रवाद, हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के बारे में जैसा कहा है, वह सही है और हमने नेपाल तथा बंगलादेश से सरकारी स्तर पर इस बारे में लगातार चर्चा की है। इन दोनों देशों ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसे तत्वों द्वारा उनके देशों को प्लेटफार्म बनाकर हमारे देश के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए वे हमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन मैं साथ ही यह भी कहूंगा कि हम उनके बेसिस को नेपाल तथा बंगलादेश में ध्वस्त करने की कल्पना नहीं करते हैं बल्कि उनके जो बेस नेटवर्क हिंदुस्तान में हैं, जिनके माध्यम से वे देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उन पर हमारा फोकस है। पिछले महीने-डेढ़ महीने में जो दो-तीन नेटवर्क पकड़े गये हैं, जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में हथियार तथा आर॰डी॰एक्स॰ पकड़ा गया है, वह एक बड़ी उपलब्धि है और हमारा फोकस और अटेंशन उस पर रहेगी।

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी कांस्टीटुएंसी से संबंधित है, मुझे भी कुछ पूछने का मौका दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सैकिंड नाम श्री रेड्डी का है।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, 17 अप्रैल को जब जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने 26 लोग मारे थे, तब गृह मंत्री जी ने कहा था कि वे एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं। अब उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उक्त कार्ययोजना तैयार हो गई है अथवा नहीं और इसे कब क्रियान्वित किया जा रहा है।

महोदय, दूसरी बात, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी से यह आग्रह किया था—जब प्रधान मंत्री जी का दक्षेस में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से भेंट करने का प्रस्ताव है कि पाकिस्तान को अपने भारत-विरोधी प्रचार और आतंकवाद को रोकने के लिए कहा जाये। केवल तभी हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने पर विचार कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आई॰ एस॰ आई॰ द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ कार्ययोजना एक सतत् मामला है उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है—कुल तीन बैठकें हुई हैं जिनमें योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी अधिकारियों ने भाग लिया था कि कार्य आरंभ किया जाये।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मेरा यह निवेदन है कि जब प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे... *(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या आपने उनसे यह मामला उठाने का आग्रह किया है? क्या आप माननीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह पहलू लाये हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधानमंत्री जी को देश में संपूर्ण स्थिति की जानकारी है। यह उन पर निर्भर करता है कि वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कौन सा मुद्दा उठायें।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है कि अकोर्डिंग टू माई असेसमेंट खासकर जम्मू रीजन में राजौरी, पुंछ और डोडा में मिलिटेन्सी बहुत ही बढ़ गई है। मुझे मालूम नहीं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जो अपने चैनल्स से इंफार्मेशन है कि जम्मू-कश्मीर में बहुत हद तक सिक्युरिटी फोर्सिज नें मिलीटेन्सी को काबू किया था, कंटेन किया था, इसी वजह से वहां दो बार पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव हुए।

लेकिन, अब की बार फिर जम्मू-कश्मीर में उनकी मिलिटेंसी रिएक्टीवेट हुई है और उसकी वजूहात आपको मालूम हैं। जैसा आपने अभी कहा कि अमरनाथ यात्रा में बहुत लोग गए, मैं बताना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा तो पिछले चार-पांच साल से चल रही है। मेरा ऐसैसमेंट यह है कि जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत उभर रही है और लोगों की एलीएनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं इस हाउस में सारी बातें बताना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आजकल आपके चीफ मिनिस्टर कहां हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रेस्पांस नहीं है, वहां से जो फीड बैक मिलना चाहिए, वहां क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है? मैं हाउस में कहना चाहता हूं कि जानबूझकर होम मिनिस्टर पूरी पोजीशन नहीं बता रहे हैं और पूरी इन्फार्मेशन नहीं दे रहे हैं। वहां गवर्नमेंट का क्या रोल है, वह वहां क्या कर रही है, कुछ पता नहीं चलता है और लोगों की एलीएनेशन बढ़ती जा रही है। आज स्थिति यह है कि राजौरी और पुंछ जिले जो पहले सरकार के नियंत्रण में थे अब मिलिटेंट्स के नियंत्रण में आ गए हैं। आप यहां पूरी इन्फार्मेशन नहीं दे रहे हैं। यह नेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आनरेबल स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि आनरेबल होम मिनिस्टर जो इन्फार्मेशन हाउस को देते हैं, वह सही नहीं होती है। जो इन्फार्मेशन उन्हें इंटैलीजेंस से मिलती है, जो इन्फार्मेशन उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप उन्हें उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उपहार सिनेमा त्रासदी के बारे में जांच

***585. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री :**

श्री मित्रसेन यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपहार सिनेमा में आग लगने की दुर्घटना और गत तीन वर्षों के दौरान अधिक ऊंचाई वाले भवनों में इसी प्रकार की आग लगने की अन्य दुर्घटनाओं के कारणों की जांच में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या अस्पताल के प्राधिकारियों ने भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए व्यवस्था की है जिन्हें करने में वे उपहार सिनेमा अग्निकांड के समय विफल रहे थे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) 13.6.97 को उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना जिसमें 59 व्यक्ति मारे गए और लगभग 100 व्यक्ति जख्मी हुए थे, की जांच 23.7.97 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गयी थी। जांच पड़ताल पूरी हो गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि आग उपहार सिनेमा बिल्डिंग के भूतल में लगाए गए दिल्ली विद्युत बोर्ड के ट्रांसफार्मर के ढीले कनेक्शनों के कारण शुरू हुई थी। उसी ट्रांसफार्मर में उस दिन सुबह भी आग लगी थी। इस ट्रासफार्मर की दिल्ली विद्युत बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उचित ढंग से मरम्मत नहीं की गई थी। ट्रांसफार्मर से तेल रिसने के कारण आग, नजदीक के कार पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कारों में लग गई जिसके परिणामस्वरूप अनेक वस्तुऐं जल गई और इससे उत्पन्न गर्म और जहरीली गैस भूतल से सिनेमा हाल में फैल गई। जांच-पड़ताल से यह भी पता चला है कि उपहार सिनेमा भवन में विभिन्न ढांचागत और अग्नि सुरक्षा संबंधी उल्लंघन किए गए थे।

जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 15.11.1997 को 16 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए थे। मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने 19.1.98 को अपराध को संज्ञान में लिया और अभियुक्त 17.2.98 को न्यायालय में प्रस्तुत हुए। मामला इस समय विचाराधीन है और सुनवाई की अगली तारीख 10.8.98 है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गगनचुम्बी इमारतों, एक्सप्रेस भवन में 7.6.96 को, चन्द्रलोक भवन में 17.6.97 को और स्कोप परिसर में 2.10.97 को आग लगने की तीन गम्भीर घटनाऐं हुई।

एक्सप्रैस बिल्डिंग में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया गया था। मैसर्स एक्सप्रैस न्यूज पेपर लि॰ ने सूचित किया है कि आग की घटना के पश्चात, इस बिल्डिंग में एक अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें 24 घंटे प्रशिक्षित फायर-मेन तैनात रहते हैं। इसके अलावा एक्सप्रैस बिल्डिंग में अग्नि निवारक और सुरक्षा उपायों से संबंधित कार्य पूरे हो जाने के पश्चात् 9.7.98 को दिल्ली अग्नि शमन द्वारा इसका निरीक्षण करने की पेश-कश की गई थी।

चन्द्रलोक बिल्डिंग में आग की दुर्घटना के पश्चात् अन्य बातों के साथ नई दिल्ली म्युनिस्पल कमेटी की सभी 11 बिल्डिंगों में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने और कमियों और अपर्याप्तता को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। अब, एन डी एम सी ने 2 बिल्डिंगों नामतः चन्द्रलोक बिल्डिंग और मयूर भवन के संबंध में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं। अन्य 9 बिल्डिंग में अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित कार्य आगामी छः माह में पूरा कर लिए जाने की योजना बनाई गई है।

स्कोप कम्पलैक्स में 7वीं मंजिल, जहां नेशनल फर्टिलाइजर लि॰ का कब्जा है, में लगी आग की जांच के लिए गठित दो सदस्यों की समिति ने, अपनी रिपोर्ट में, दुर्घटना अथवा इलैक्ट्रिक शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की सम्भावना से इन्कार किये है और यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी संभावना है कि आग जानबूझकर शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तथापि, नेशनल फर्टिलाइजर लि॰ द्वारा अपनी सुरक्षा और अग्नि-शमन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों, नामतः सफदरजंग अस्पताल, डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में "आपातकाल" सेवाओं को सुधारने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातों में शामिल हैं:—(1) चौबीस घंटे कार्यरत रहने वाले एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना, (2) एमरजैंसी ब्लाक में चौबीस-घंटे सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शल्यचिकित्सकों/चिकित्सकों/एनेस्थीसिया देने वालों की तैनाती, (3) कलर-कोड वाली ट्रालियां, व्हील चेयर, एम्बुलैंस, इत्यादि उपलब्ध करवा कर मरीज को लाने-ले-जाने की व्यवस्था में सुधार करना, और (4) मरीजों को लाने-ले-जाने तथा स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राईवेट वर्दीधारी स्टाफ को भाड़े पर रख कर जन-शक्ति सहायता को बेहतर बनाना।

[हिन्दी]

राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करने हेतु कार्य योजना

*586. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुप्तचर एजेंसियों से प्राप्त संवेदनशील सूचना के आधार पर दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सक्रिय राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार को दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, जिनका उपयोग राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा देश को अस्थिर करने के लिए शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक आदि की तस्करी के लिए किया जा रहा है, के साथ-साथ मौजूदा सुरक्षा स्थिति की जानकारी है। तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पश्चिमी तट के साथ-साथ संयुक्त तटीय गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इस व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं:—

(क) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारतीय नौसेना/तट रक्षक के विमानों और जहाजों द्वारा तट के 30 मील दूर तक गश्त लगाना। निगरानी की इस बाहरी परत (आउटर लेयर) को कवर करते हुए नौसेना और तटरक्षक के पास एक एकीकृत रिपोर्टिंग चेन उपलब्ध हैं।

(ख) तट से दूर 10 से 50 मील के बीच भारतीय नौसेना/तट रक्षक द्वारा मध्यवर्ती परत (इंटर मिडियेट लेयर) में गश्त लगाना।

(ग) तट के समीप वाली परत (क्लोज कोस्टल लेयर) में नौसेना द्वारा समन्वित बहु-एजेन्सी ग्रुप द्वारा जलपोतों का प्रयोग करके जिनमें इन्टीगरल सिविल क्रू, नौसेना सीमा शुल्क और पुलिस कार्मी तैनात होते हैं, द्वारा गश्त लगाना।

नौसेना, तटरक्षक और तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु की तटीय सुरक्षा जिम्मेवारी संयुक्त रूप से सम्भालते हैं। नौसेना द्वारा समुद्र और तट के किनारे के समीप के क्षेत्रों में गश्त लगाई जाती है। तटरक्षक द्वारा मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी और पाल्क बे के समीप उथले पानी में गश्त लगाई जाती है। तटरेखा के साथ-साथ किनारों की सुरक्षा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों द्वारा की जाती हैं। समस्त तट के साथ-साथ तमिलनाडु पुलिस के कई पुलिस स्टेशन हैं और नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है।

[अनुवाद]

तेल उत्पादन

*587. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

डा॰ रामविलास वेदान्ती :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान से तेल और गैस भण्डारों का पता लगाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या तेल क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नौवीं योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में तेजी लाने का सरकार को कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी योजना को स्वीकृति दी गई है और खोज-कार्य के लिए तेल तथा गैस भण्डारों की राज्य-वार पहचान कर ली गई है;

(घ) नौंवी योजना अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की प्रत्याशित मांग कितनी होगी तथा उक्त अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) उस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के॰ राममूर्ति) : (क) ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और गैस का पता लगाने के लिए 4348.96 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा इसी अवधि के दौरान अन्वेषण ब्लाकों पर लगभग 421 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) और (ग) ओ एन जी सी ओ आई एल ने तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपने अन्वेषण प्रयास तेज कर दिए हैं। इस उद्देश्य के लिए इन कंपनियों ने अपनी नौवीं योजना के लक्ष्यों में निम्नानुसार संशोधन किया है :

नौवीं योजना	मूल	संशोधित रूप
ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰		
सर्वेक्षण		
- द्विआयामी (जी एल के)	30,735	42,178
- त्रिआयामी (जी एल के)	1,86,639	3,20,598
वेधन (कूप)	692	745
ओ॰ आई॰ एल॰		
सर्वेक्षण		
- द्विआयामी (एसएलके/जीएलके)	14,300	13,852
- त्रिआयामी (वर्ग कि॰मी॰)	650	1,196
वेधन (000 मीटर)	311	328.57

शामिल किए जाने वाले राज्य निम्नानुसार हैं :

आन्ध्र प्रदेश	नागालैण्ड
अरुणाचल प्रदेश	राजस्थान
असम	तमिलनाडु
गुजरात	त्रिपुरा
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश
जम्मू और कश्मीर	पश्चिम बंगाल
मध्य प्रदेश	

ओ एन जी सी ने कोल बेड मिथेन जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अन्वेषण भी आरम्भ कर दिया है।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार ने 13 नए अन्वेषण ब्लाकों के लिए निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ संविदाओं पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये ब्लाक गुजरात, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों और पश्चिमी अपतटीय तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में पड़ते हैं।

भारत सरकार ने हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की घोषणा भी कर दी है। इस नीति के अंतर्गत देश में भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक नए आकर्षक प्रोत्साहन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

(घ) नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-02 में तेल और गैस के अनुमानित उत्पादन की तुलना में मांग निम्नानुसार है:

	तेल (एम एम टी)	गैस (एम एम एस सी एम डी)
मांग	112.8	163.00
उत्पादन	39.78	84.21

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओ एन जी और ओ आई एल द्वारा तेल और गैस के अन्वेषण और दोहन के लिए निर्धारित धनराशि क्रमशः 21063.43 करोड़ रुपए और 2961 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालनों पर इसी अवधि के दौरान लगभग 3200 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। संशोधित अन्वेषण कार्यक्रम में भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक वेधन जैसे वास्तविक निवेशों में वृद्धि शामिल है। वर्धित कार्यक्रम में मूल अनुमानों से अधिक अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी।

[हिन्दी]

गुटका और पान मसालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समिति

***588. श्री दत्ता मेघे :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाने वाली तम्बाकू, गुटका तथा पान मसालों के उत्पादन, बिक्री भण्डारण तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने

के लिए श्री एच॰ नरसिंहम की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उपरोक्त विषयों पर उक्त समिति तथा खाद्य मानकों संबंधी केन्द्रीय समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो दोनों समितियों की तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त समितियों से सिफारिशें कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई इन चीजों के स्थान पर स्थानापन्न किये जाने वाले पदार्थों की खोज करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन मदों की खेती में लगे किसान इन मदों को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव के कारण आन्दोलन कर रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) इन वस्तुओं के उत्पादन में लगे किसानों एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (च) केन्द्र सरकार ने नरसिंहम समिति स्थापित नहीं की है। तथापि, जैसा कि कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है, राज्य सरकार ने 1997 के दौरान डा॰ एच॰ नरसिम्हैया, पूर्व उपकुलपति, बैंगलूर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक अन्तरविभागीय समिति का गठन किया था जिसमें आठ अन्य सदस्य और तीन विशेष आमंत्रिती थे। इस समिति से कर्नाटक राज्य में बेचे जा रहे गुटका, पान मसाला इत्यादि के नमूने लेना और उनका अधिकृत प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करवाना अपेक्षित था। जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है, उनको इस समिति की संस्तुति प्राप्त हो गई है। अब यह काम कर्नाटक सरकार का है कि अन्तर-विभागीय समिति की संस्तुतियों पर कार्रवाई करे।

अलग से, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गठित की गई सांविधिक समिति है, ने चबाने वाले तम्बाकू या पान मसाला, गुटका इत्यादि जैसी खाद्य वस्तुओं में तम्बाकू के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, सरकार से चबाने वाले तम्बाकू, गुटका पर रोक लगाने की संस्तुति की है। खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति है जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक करते हैं। इस समिति में सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उपभोक्ता संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ हैं। इस समिति की स्थापना खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उनके गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए की गई है।

(छ) पान मसाला, गुटका इत्यादि पर रोक लगाने के प्रस्ताव के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ज) और (झ) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सीय सेवाओं को युक्तिसंगत बनाना

***589. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश में चिकित्सीय सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने और ग्राम स्तर तथा जिला स्तर पर लोगों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने हेतु तीन स्तरीय प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुझाव की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सुझावों को लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से ऐसी कोई रिपोर्ट अथवा सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर तीन स्तरीय ढांचा मौजूद है। यह ढांचा जनसंख्या मानदण्डों पर आधारित है और इसके घटक इस प्रकार हैं :—

केन्द्र	जनसंख्या मानदण्ड	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र
उपकेन्द्र	5,000	3,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

उपकेन्द्र का संचालन एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है जो मुख्यरूप से जनस्वास्थ्य कार्यों को करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन एक डाक्टर द्वारा किया जाता है जो अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपकेन्द्रों के जनस्वास्थ्य कार्यकलापो की देखरेख करता है तथा लोगों को बाह्य रोगी और अंतरंग रोगी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कई विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, नर्सों और अन्य पराचिकित्सा कार्यकर्ता, प्रयोगशाला तकनीकीशियन आदि होते हैं जो अपने क्षेत्र के अन्दर नैदानिक एवं अस्पताली सेवाएं प्रदान करते हैं

[हिन्दी]

सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग

***590. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षाओं में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करवाने के लिये अनेक वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग के सामने धरना दिया जा रहा है;

(ख) क्या संसद ने भी अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिये दो बार संकल्प पारित किये हैं, किन्तु अंग्रेजी की अनिवार्यता को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार संविधान की उपेक्षा करके अंग्रेजी को सरकार कामकाज की वास्तविक भाषा बनाए रखना चाहती है; और

(घ) क्या सरकार शक्तिशाली क्षेत्रों की ओर से अंग्रेजी को बनाये रखने हेतु अत्यधिक दबाव है अथवा क्या संघ लोक सेवा आयोग सरकार से भी ऊपर है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन नामक संगठन से, संघा लोग सेवा आयोग को विगत में प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसार, इस संगठन से संबंधित व्यक्तियों का एक ग्रुप, 1988 के आयोग के परिसर के बाहर धरने पर बैठा है। उनकी मांगें, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग और अंग्रेजी में अनिवार्य पेपर को समाप्त करने से संबंधित है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। जनवरी, 1968 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प में यह कहा गया है:—

(1) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्क समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और

(2) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

(ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अन्तर्गत भाषा का प्रयोग संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए वह पहले प्रयोग में लायी जाती रही थी।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में माध्यम के विकल्प के रूप में अंग्रेजी को बनाए रखने और संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं को अपनाने के मामले पर सतीश चन्द्र समिति द्वारा विचार किया गया था, किसी सर्व-सम्मत मत पर पहुंचने की दृष्टि से उसकी सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, की जा रही है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग के मामले

***591. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :**

डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या किस सीमा तक विद्यमान है;

(ख) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यवार कितने नशामुक्ति केन्द्र खोले गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. दलित एजिलमलाई) : (क) देश में पदार्थों के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या की सीमा का आकलन करने के लिए यद्यपि कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चलता है कि समाज के कुछ संवेदनशील वर्गों जैसे गलियों में घूमने वाले बच्चों, परिवहन कार्यकर्ताओं, यौन व्यापार कर्मियों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों इत्यादि में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 81 सरकारी मेडिकल कालेजों/जिला अस्पतालों को औषध व्यसन निवारण केन्द्र चलाने के लिए सहायता प्रदान की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 278 गैर-सरकारी संगठनों को औषध व्यसन निवारण केन्द्र, परामर्श केन्द्र और पुनर्वास केन्द्र चलाने के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों में 25 औषध व्यसन निवारण केन्द्रों को सहायता प्रदान की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 17 औषध व्यसन निवारण केन्द्र चला रहा है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औषध व्यसन निवारण केन्द्र

राज्य	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सहायता प्राप्त	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त
असम	6	1
मणिपुर	8	10
मेघालय	1	शून्य
मिजोरम	3	4
नागालैंड	6	2
त्रिपुरा	1	शून्य
योग	25	17

जीवन रक्षक दवाओं की कीमत

***592. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने अथवा उनके मूल्यों में कमी करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) यह सत्य नहीं है कि दवाइयों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, डीपीसीओ, 95 जीवन रक्षक औषधों तथा अन्य औषधों में कोई अन्तर नहीं करता है। औषधों की जीवन रक्षक प्रकृति किसी विशेष स्थिति तथा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उचित कीमतों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, का प्रख्यापन करती रहती है। वर्तमान आदेश, जिसे औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1955 के रूप में जाना जाता है, 6.1.1995 को प्रख्यापित किया गया था। इस समय "औषध नीति, 1986 में संशोधन" के पैरा 22.7.2 में निर्धारित मानदंड का प्रयोग करके पहचानी गई 74 औषधें तथा उनके सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। प्रतिस्पर्धात्मक और उचित कीमतों पर औषधों की और अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 मदों को छोड़कर भेषज क्षेत्र को पूरी तरह से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इससे भेषज क्षेत्र में और अधिक इकाइयों को आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग के मामले

***593. डा महादीपक सिंह शाक्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग एक भयंकर संक्रामक रोग है;

(ख) क्या कुष्ठ रोगियों के सम्पर्क में आने से लोग संक्रमणग्रस्त हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कोई दवा विकसित की गई है और इस रोग के उपचार के लिए कौन से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मल्टी बेसिलरी किस्म के किसी ऐसे कुष्ठ रोगी, जिसने कोई बहु-औषध उपचार (मल्टी ड्रग थेरेपी) न कराया हो, के साथ कई महीनों की लम्बी अवधि तक सम्पर्क में रहने के कारण ही स्वस्थ व्यक्ति कुष्ठ रोग से संक्रमित हो सकते हैं। कुष्ठ रोग के उपचार के लिए सभी कुष्ठ रोगियों को बहु-औषध उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है और इस उपचार की मात्रा एक खुराक रोगी के शरीर में बेसिलि की 99 प्र॰श॰ मात्रा को नष्ट कर रोगी के शरीर को गैर-संक्रामक कर देती है। जनवरी, 1998 से एक घाव वाले रोगी के लिए एक खुराक वाला उपचार भी शुरू कर दिया गया है।

कैंसर संस्थानों के लिए विदेशी सहायता

***594. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कैंसर संस्थान स्थापित करने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सहायता का राज्य-वार, देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी सहायता से ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कैंसर संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था:

(1) जापान समुद्र पार आर्थिक सहयोग निधि के अधीन एर्णाकुलम, केरल में कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र।

(ङ) कोई भी करार न होने के कारण सहायता की शर्तें तैयार नहीं की गई थीं।

(च) केन्द्र सरकार की 9वीं योजना के दौरान कोई नया कैंसर अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हवालात और जेलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी के अन्तर्गत लाना

***595. श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पुलिस हवालातों और जेलों को, उनकी अचानक जांच करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षणाधीन रखने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसे मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस हवालातों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी के अधीन रखने के लिए विवश होना पड़ा;

(घ) जेलों और हवालातों के अनुरक्षण में एकरूपता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कोई समान जेल नियम पुस्तिका जारी करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जेलों के अंदर रहते हुए भी कैदियों द्वारा अपराध की योजना बनाने में सेल-फोन और अन्य इलैक्ट्रोनिक संचार उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया था कि वे उनके अधिकारियों को बन्दी गृहों का दौरा करने की अनुमति प्रदान करे। 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने इस अनुरोध को स्वीकार किया है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नाम इस प्रकार हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य और चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य की प्रविष्टि 4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय हैं। जेल मैनुअल राज्य सरकार द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों को सुधारात्मक प्रशासन पर नवीनतम सोच को उनके अपने-अपने जेल मेनुअल में शामिल करने और आम प्रयोग में लाने का परामर्श देती रही हैं।

(च) और (छ) इस मामले पर उचित कार्रवाई करना राज्य सरकारो का काम हैं तथापि, जेलों में सुरक्षा प्रबन्धों आदि को सुदृढ़ करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की अपनी योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराती रही हैं।

औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियों और हर्बल मसाले

*596. श्री आदित्य नाथ :

श्री रामटहल चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और अन्य भागों के पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियों और हर्बल मसाले बहुतायत में पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों की दवा बनाने के लिए जड़ी-बूटियों की गहन खोज की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों और मसालों की औषधीय संभावना का आंकलन और उसका उपयोग करने के लिए कोई विशेष अध्ययन एवं परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे संगठनों अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षण एककों द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और देश के अनेक अन्य भागों में सर्वेक्षण किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले औषधों के विनिर्माण में प्रयुक्त औषधीय पादपों, जड़ी-बूटियों, हर्बल मसालों का काफी बड़ी तादाद में पता लगाया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी अनुसंधान परिषदों को हिदायत दी गई है कि वे देश में औषधीय पादपों के संबंध में व्यापक आंकड़ों का संकलन करें। इसमें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के औषधीय पादपों को भी कवर किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की योजना के अधीन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए कुछ औषधीय पादपों की कृषि-तकनीकों के विकास की परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु संगठनों अर्थात् हाई ऐल्टिट्यूड प्लांट पोजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) को केन्द्रीय सहायता भी स्वीकृत की गई है।

मलेरिया उन्मूलन हेतु सहायता

*597. श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन :

डा॰ असीम बाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामस्तर पर मलेरिया के इलाज और औषध वितरण केन्द्रों के लिए राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का राज्य सरकारों को दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि वे ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ा सकें;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश से मलेरिया के उन्मूलन के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (छ) देश से मलेरिया का उन्मूलन नहीं किया गया है। देश में इस रोग की घटना वर्ष में लगभग 2-3 मिलियन रोगी बनी हुई है। तथापि, इस रोग के प्रभाव को कम करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं और 1997 के दौरान घटना में कमी हुई है। इस रोग का उन्मूलन द्रुत विकासात्मक कार्यकलापों, जिनसे मलेरियाजेनिक क्षमता और पारिस्थितिकी असंतुलन में वृद्धि हो जाती है, परंपरागत कीटनाशकों के प्रति वैक्टरों में प्रतिरोध शक्ति और कुछ क्षेत्रों में आमतौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली औषधों के प्रति मलेरिया परजीवियों में प्रतिरोध क्षमता विकसित होने के कारण तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

राज्य सरकारों और मलेरिया से पीड़ित राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में औषध संवितरण केन्द्रों और ज्वर उपचार डिपुओं की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता मलेरिया-रोधी औषधों और कीटनाशकों सहित अनिवार्यतः वस्तुगत रूप में दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता सलग्न विवरण में दी गई हैं।

इस रोग के नियत्रण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों को तेज करने की दृष्टि से विश्व बैंक की सहायता से एक विस्तारित मलेरिया नियंत्रण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश,

बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान सात राज्यों में 100 मलेरिया स्थानिकमारी वाले आदिवासी जिलों तथा 19 शहरों/कस्बों को कवर किया गया है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ इन सात कोर परियोजना राज्यों के पता लगाए गए जिलों में औषध संवितरण केन्द्रों और ज्वर उपचार डिपुओं में वृद्धि करने की बात सोची गई है। परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों को मलेरिया की रोकथाम हेतु किए गए उपायों में तेजी लाने के लिए वस्तुगत रूप में पर्याप्त सहायता उपलब्ध की जाएगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन पूरे देश में शुरू किए गए मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को पूरक बनाएगी।

मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए किए गए अन्य उपाय इस प्रकार हैं :—

- देश के अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 50:50 के हिस्से के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अलावा सात पूर्वोत्तर राज्यों को दिसम्बर, 1994 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति, अस्पतालों, औषधालयों, मलेरिया क्लिनिकों आदि के जरिए मलेरिया के रोगियों का शीघ्र निदान और तत्काल उपचार।
- नवीनतम कीटनाशकों और कार्यनीतियों के इस्तेमाल सहित तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव और शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी कार्यों के जरिए वैक्टर नियंत्रण।
- सक्रिय समुदाय भागीदारी जुटाने हेतु सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को तेज करना।
- मलेरिया और अन्य वैक्टर वाहित रोगों के निवारण और नियंत्रण के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने और "मलेरिया नियंत्रण प्रत्येक का कार्य" के विषय का प्रचार प्रसार करने ताकि देश में एक जन अभियान बनाया जा सके, के लिए हर वर्ष जून में मलेरिया-रोधी माह मनाना जो जून, 1997 से शुरू किया जाएगा।

विवरण

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	251.22	634.63	617.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	295.29	126.90	297.50
3.	असम	2014.62	1660.83	2618.00
4.	बिहार	133.08	206.76	348.98
5.	गोवा	4.78	3.46	5.18
6.	गुजरात	848.19	471.75	726.77
7.	हरियाणा	195.32	327.77	291.08
8.	हिमाचल प्रदेश	117.72	119.82	90.84
9.	जम्मू व कश्मीर	15.05	119.13	78.62
10.	कर्नाटक	463.42	853.62	568.62
11.	केरल	51.57	53.65	63.60
12.	मध्य प्रदेश	1228.26	769.35	1072.77
13.	महाराष्ट्र	1362.77	2405.71	1028.44
14.	मणिपुर	350.00	303.28	273.91
15.	मेघालय	322.87	201.97	196.96
16.	मिजोरम	357.29	106.07	132.00
17.	नागालैंड	364.87	122.45	212.62
18.	उड़ीसा	434.76	248.15	233.43
19.	पंजाब	325.12	282.79	183.26
20.	राजस्थान	1196.57	2025.35	1799.74
21.	सिक्किम	14.24	38.34	1.77
22.	तमिलनाडु	153.57	150.39	204.88
23.	त्रिपुरा	404.12	300.67	414.05
24.	उत्तर प्रदेश	349.96	941.71	505.73
25.	पश्चिम बंगाल	445.16	772.70	125.71
26.	दिल्ली	349.43	117.88	66.04
27.	पांडिचेरी	23.94	16.12	12.48
28.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	69.56	94.04	93.83
29.	चंडीगढ़	24.49	46.33	48.53
30.	दादरा व नगर हवेली	22.82	12.73	24.75
31.	दमण व दीव	4.08	8.80	12.37
32.	लक्षद्वीप	3.33	2.10	3.48
महायोग		12198.07	13546.25	12352.94

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

***598. श्री प्रभू दयाल कठीरिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान वर्षवार मारे गये तथा नुकसान पहुंचाये गये घरों की संख्या क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों और दण्डित किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

(ख) वर्ष, 1995, 1996 तथा 1997 के दौरान मारे गए/चोटग्रस्त व्यक्तियों, क्षतिग्रस्त/ध्वस्त घरों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	व्यक्तियों की सं॰		क्षतिग्रस्त/ध्वस्त घरों की संख्या
	मारे गए	चोटग्रस्त	(आगजनी)
1995	646	5232	540
1996	637	5279	515
1997	610	4532	418

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों की घटना से संबंधित सूचना

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या
1995	38494
1996	36413
1997	32326

जहां तक दंडित किए गए व्यय व्यक्तियों की संख्या का संबंध है, सूचना निम्न हैं:—

वर्ष	दंडित किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995	3393
1996	5514
1997	सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) सरकार विभिन्न उपाय करती रही है, जैसा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में व्यवस्था की गई है।

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आरंभ किए गए उपायों को समर्थन प्रदान करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है जिसमें कानूनी सहायतता, अभियोगों को आरंभ करने या उनका पर्यवेक्षण करने, विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, आवधिक सर्वेक्षण करने तथा अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 27.70 करोड़ रु. में प्रावधान के मुकाबले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 50.17 करोड़ रु॰ की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्मुक्त की गई। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

[हिन्दी]

स्तन पान

***599. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने स्तन पान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कोई योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य देशों की तुलना में स्तन पान के अभाव में भारत में प्रतिवर्ष कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है;

(घ) क्या सरकार का संचार माध्यमों के द्वारा स्तन पान को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो स्तन पान कराने से जिन रोगों से नवजात शिशुओं को बचाया जा सकता है उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) एकमात्र स्तनपान संबंधी परिपाटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेबी फ्रेन्डली हास्पिटल इनिशिएटिव नामक एक उपक्रमण (इनिशिएटिव) का विकास 1992 में यूनीसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। यह उपक्रमण भारत द्वारा 1993 में अपनाया गया था। इसे 32 सरकारों और

10 संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों द्वारा "इनोसेंटी डिक्लेरेशन" नामक घोषणा को अपनाकर 1990 में प्रारंभ किया गया था। भारत इस घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। घोषणा में स्तनपान हेतु सार्वभौम सहयोग की जरुरत और उपाय संबंधी सर्वसम्मत करार का उल्लेख किया गया है। घोषणा में स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा की गई सिफारिशों का अनुसमर्थन *किया गया। बच्चों को शुरू में 4 से 6 महीनों तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए; और अनुपूरक खाद्य आहार तथा स्तनपान को शिशु के दूसरे जन्मदिन के पश्चात् तक जारी रखना चाहिए।*

यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित बेबी फ्रेंडली हास्पिटल एनिशिएटिव को देश में लागू किया जा रहा है। अस्पतालों और प्रसूति केन्द्रों की नीतियों और परिपाटियों में परिवर्तन लाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई ताकि वे एकमात्र स्तनपान समेत स्वास्थ्यवर्धक स्तनपान परिपाटी को बढ़ावा देने में सक्षम हो सकें। इस पहल के अंतर्गत स्तनपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुशंसित विधियों को अपनाने के लिए अस्पतालों और प्रसूति केन्द्रों को प्रेरित किया जाता है। इस पहल के अंतर्गत निर्धारित सभी अनुशंसाओं पर अमल करते पाए गए अस्पतालों तथा प्रसूति केन्द्रों को बेबी फ्रेंडली हास्पिटल के रूप में प्रमाणित किया जाता है। अब तक 1256 अस्पतालों को बेबी फ्रेंडली घोषित किया गया है।

इस पहल पर अमल करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यदल दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संघ में यूनिसेफ की सहायता से गठित किया गया है। इस कार्य दल में भारत सरकार, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। ऐसे ही कार्यदल हरेक राज्य में गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यदल का काम अस्पतालों में प्रशिक्षण के दिशा-निर्देश और परिपाटियों के मूल्यांकन हेतु मानकों का निर्धारण करना है। राज्य कार्य दलों को अस्पतालों के मूल्यांकन की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिससे वे उन्हें बेबी फ्रेंडली घोषित कर सकें और अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें। प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहल पर अमल करने के लिए अस्पतालों और प्रसूति केन्द्रों को सहायता देने और अस्पतालों का कवरेज बढ़ाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को भागीदार बनाने के लिए हाल ही में फैसला किया गया है।

स्तनपान के अभाव में होने वाली शिशु मौतों की संख्या के बारे में कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।। "स्टेट ऑफ वर्ल्डस चिल्ड्रन-1998" पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार नवजात और बच्चों की मौतों की आधी से थोड़ी ज्यादा मौतें कुपोषण से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम स्तर पर होती हैं। स्तनपान से ही शिशुओं का कुपोषण दूर हो जाता है। केवल स्तनपान करने से संक्रमण खासकर अतिसारीय रोग और तीव्र श्वसनी रोगों के कारण होने वाली शिशु मौतों का जोखिम भी कम हो जाता है।

सूचना, शिक्षा और संचार 9वीं योजना के दौरान सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपचार माध्यम है। स्वास्थ्य के दूसरे संदेशों के अलावा, स्तनपान संवर्धन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के तहत कवर किया गया है। सरकार श्रव्य-दृश्य साफ्टवेयर का निर्माण करने और जन-प्रचार माध्यमों के जरिए विज्ञापन अभियानों को तैयार करने के लिए स्पाट होर्डिंग, हैंड बिल और मीडिया प्रचार के दूसरे रूपों जैसी प्रचार सामग्री सम्मिलित है। *प्रचार माध्यम कार्यकलाप "स्तनपान सप्ताह" जिसे अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, के दौरान शुरू किए गया कार्यकलापों का हिस्सा भी होता है।*

प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा धनराशि ऐंठना

***600. श्री पंकज चौधरी :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महानगरों में ऐसी अनेक प्लेसमेंट एजेंसियां कार्य कर रही हैं जो बेरोजगार व्यक्तियों से पंजीकरण शुल्क अथवा उन्हें रोजगार प्रदान कराने के नाम पर धनराशि ऐंठ रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा इन पर निगरानी रखने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की जनशक्ति की अपेक्षाओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए देश के भीतर और बाहर अनेक निजी (प्राइवेट) रोजगार एजेंसियां चलाई जा रही हैं। वे रोजगार के भिन्न-भिन्न स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन एजेंसियों को व्यापक रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(1) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल की गयी निजी जनशक्ति निर्यातक भर्ती एजेंसियां;

(2) ठेका श्रम (उत्सादन एवं विनियमन (अधिनियम, 1970 और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार) नियोजन का विनियमन एवं विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत शामिल किए गए श्रम-ठेकेदार;और

(3) वे निजी रोजगार दिलाने वाली एजेंसियां जो श्रम बाजार की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और जिन्हें उपर्युक्त (1) और (2) के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंसियां कामगारों की श्रेणी के आधार पर प्रति व्यक्ति 2,000 रु॰ से 10,000 रुपए तक सेवा प्रभार वसूल करने के लिए अधिकृत हैं। ठेका श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 तथा अन्तराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को कोई भी सेवा प्रभार वसूल करने की अनुमति नहीं है। एजेंसियों की तीसरी श्रेणी के संबंध में कार्य और प्रभाव की अधिकतम सीमा के बारे में अध्ययन नहीं किया गया है। उनके कार्यकलापों के बारे में अपर्याप्त आंकड़ा आधार को मद्देनजर रखते हुए, फिलहाल ऐसी एजेंसियों के कार्यकरण का प्रबोधन करने और उसे विनियमित करने के लिए कोई विधान नहीं है। विद्यमान कानूनी उपबंधों से शोषण और धोखाधड़ी के बारे में शिकायतों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत

*601. **श्री दारोगा प्रसाद सरोज :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान करने से संबंधित उपबंध का अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 438) के अग्रिम जमानत संबंधी उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय, किसी विशेष मामले में तथ्यों के मद्देनजर निदेश दे सकता है। बालचन्द्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस ए आई आर 1977 एस सी 366 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत शक्ति असाधारण स्वरूप की है और इसका प्रयोग यदा-कदा और विशिष्ट मामलों में ही किया जाए।

राज्य सभा में दिनांक 9.5.1994 को प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन विधेयक, 1994 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में इस प्रकार से संशोधन करने का प्रावधान किया गया है जिससे कि न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, आरोप के स्वरूप और उसकी गंभीरता, आवेदक के पूर्ववृत्तों और आवेदनकर्त्ता द्वारा न्याय से बचने की संभावना पर विचार-विमर्श करने के बाद ही अग्रिम जमानत प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए इस संशोधन में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय, सरकारी वकील और पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस जारी कर सकते हैं। यदि अग्रिम जमानत के लिए सरकारी वकील द्वारा आवेदन किया गया हो और यदि न्यायालय न्याय के हितों में आवेदनकर्त्ता की मौजूदगी आवश्यक समझते हों तो अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की मांग करने वाले आवेदक की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में तैनाती

5863. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार के नियमों के अनुसार एक अध्यक्ष तथा आठ निदेशक सरकार द्वारा नामित होते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष एक काफी वरिष्ठ सेवारत सरकारी अधिकारी हैं और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी इसके निदेशक हैं लेकिन सुपर बाजार के अध्यक्ष और आठवें नामित निदेशक राजनीतिक व्यक्ति हैं;

(ग) सरकार द्वारा सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अध्यक्ष तथा निदेशकों को सुपर बाजार की लागत पर आवास तथा सलाहकार उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष तथा निदेशक मंडल में 8 निदेशक सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा, 8 और निदेशकों का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया जाता है। तथापि, अध्यक्ष औौर अन्य नामित निदेशक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुपर बाजार के मामले मे, भारत सरकार, सुपर बाजार की उपविधि के उपबंध संख्या 21(क) के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित निदेशक मंडल के 9 सदस्यों को नामित करती है। इन 9 सदस्यों में से 4 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं, जबकि शेष पांच गैर सरकारी सदस्य होते हैं। इन 9 सदस्यों के अलावा, सुपर बाजार के बोर्ड में 7 सदस्यों का चुनाव सुपर बाजार के व्यक्तिगत सदस्यों तथा संस्थागत सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(ग) सुपर बाजार के निदेशक मंडल के मौजूदा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गैर सरकारी अधिकारी हैं और उन्हें सरकार द्वारा क्रमशः दिनांक 27.4.1998 और 14.5.1998 को नामित किया गया था। किसी सेवारत सरकारी अधिकारी को सुपर बाजार के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके पास दिल्ली में एक किराए का अतिथि गृह है जहां सुपर बाजार द्वारा समय-समय पर नियत किए गए प्रभारों का भुगतान करने पर इसके सभी निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ठहर सकते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड में सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी

5864. श्रीमती कमल रानी : *क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या भारतीय तेल निगत लिमिटेड, नौएडा पाइप लाइन, जिला गौतमबुद्ध नगर में कार्यरत कुछ सफाई कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए तथा बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आई ओ सी को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसके उत्तर में आई ओ सी ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

26, अलीपुर रोड, दिल्ली का अधिग्रहण

5865. प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : *क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सरकार को 26 अलीपुर रोड दिल्ली डा॰ अम्बेडकर मैमोरियल के अधिग्रहण के लिए अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दिल्ली सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने डा॰ अम्बेडकर प्रतिष्ठान को 26, अलीपुर रोड, दिल्ली का अधिग्रहण करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं जिसमें से इस प्रतिष्ठान ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अधिग्रहण की कुल लागत के 80 प्रतिशत के रूप में 7.12 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं परन्तु यह मामला दिल्ली *उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।*

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए निगरानी निकाय

5866. इंजीनियर शंकर पन्नू : *क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या देश मे अशक्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विकलांगों के आर्थिक पुनर्वास और इस संबंध में हुई प्रगति की निगरानी के लिए अनेक तरीके और विधियां सुझाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक निगरानी निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वर्ष 1981 में केवल तीन विकलांगताओं (जैसे दृष्टि, वाणी और लोकोमोटर) को शामिल करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.8 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों का है। चार प्रकार की विकलांगताओं (जैसे दृष्टि, श्रवण, वाणी और लोकोमोटर) को शामिल करते हुए वर्ष 1991 में इसी संगठन के द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण ने विकलांग के रूप में 1.9 प्रतिशत जनसंख्या का अनुमान लगाया। इन दोनों सर्वेक्षणों में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया।

(ख) और (ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम में निर्धारित है कि प्रत्येक राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यकलापों की समीक्षा और समन्वय करने के लिए एक राज्य समन्वय समिति और एक राज्य कार्यकारी समिति गठित करेगी, विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही। समस्याओं के समाधान के लिए एक राज्य नीति का विकास करने के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को मानीटर और उनका मूल्यांकन करेगी।

[हिन्दी]

होम-गार्डों की भर्ती

5867. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या गृह मंत्री होम-गार्डों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में 9 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2008 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम-गार्डों में इस समय अशिक्षितों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन अशिक्षितों को पदमुक्त किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी अशिक्षित होम-गार्ड महिलायें अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) दिल्ली होम गार्ड्स में इस समय इस प्रकार के कार्मिकों की संख्या 8 है। वे अपना तीन वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवामुक्त हो जाएंगे।

(ङ) होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, दिल्ली के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

वितरण केन्द्र

5868. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विपणन योजना के सभी प्रस्तावित केन्द्रों में अधिक वितरण केन्द्रों को खोलने का केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (के॰ एस॰ सी एस॰ सी॰) के आवेदनों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने तथा उनके (लोगों/संगठनों के) पक्ष में आबंटन के संबंध में समय-समय पर लोगों/संगठनों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजनाओं में सम्मिलित किए जाते हैं।

विद्यमान नीति के मुताबिक तेल कम्पनियां विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत अनुमोदित विपणन योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए स्थानों के संबंध में दो समाचार पत्रों, -एक अंग्रेजी दैनिक और एक स्थानीय भाषा दैनिक में विज्ञापन देती है तथा राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आवास, आय, बहुडीलरशिप मानदंड इत्यादि से संबंधित अर्हता मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित कारपोरेशन सामान्य श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के संबंध में आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक आय, आवास तथा बहुडीलरशिप मानदंडों से संबंधित प्रतिबंध उनके मामले में लागू नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में कारपोरेशन यदि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए आवेदन करता है, तो केरल राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम की उम्मीदवारी के विषय में भी डीलर चयन बोर्ड द्वारा अन्य दूसरों के साथ साथ गुण दोष आधार पर विचार किया जायगा। सरकारी निगमों/सहकारी समितियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों का भारतीय हाकी परिसंघ में चुनाव

5869. **श्री माधव राव पाटील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अफसरों का हैदराबाद में 10 मई, 1998 को हुए भारतीय हाकी परिसंघ के चुनाव में निर्वाचन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 (नियम 13) के अंतर्गत केन्द्र से मंजूरी मांगी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री चन्दर शेखर, भा॰पु॰ सेवा (पी॰बी॰-77) श्री एम एस मलिक, भा॰ पु॰ सेवा (एच वाई-69) और श्री एच जे डोरा, भा॰ पु॰ सेवा (ए॰ पी॰-65) का चुनाव नहीं किया गया था बल्कि भारतीय हाकी परिसंघ के अध्यक्ष द्वारा भारतीय हाकी परिसंघ के लिए उनका नामांकन किया गया था। अतः अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु नीति

5870. **श्री एस॰ एस॰ ओवेसी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य सरकारें जो संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत मद्य निषेध लागू करती हैं उन्हें इसके कारण होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार की मौजूदा प्रस्तावित नीति क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस संबंध में केन्द्र सरकार से संपर्क कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशिष्ट उपाय किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पहले आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में मद्य निषेध को कार्यान्वित करने के कारण राजस्व की हानि के लिए 100 प्रतिशत की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मद्य निषेध लागू करने के कारण हुए राजस्व की हानि को वसूल करने के लिए राजस्व सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार की कोई वर्तमान अथवा प्रस्तावित नीति नहीं है। इसलिए, किसी वित्तीय सहायता पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनजाति कल्याण विभाग

5871. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रथम उपबंध के अंतर्गत किसी राज्य के लिए कोई जनजाति कल्याण विभाग बनाया है तथा इस विभाग के कार्य भार के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कल्याण मंत्रालय की तरह जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर कल्याण विभाग रख दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जनजाति कल्याण विभाग के उसी नाम को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के उपबंध राज्यों से संबंधित हैं, भारत संघ से नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वायत्त पर्वतीय परिषद हेतु आंदोलन

5872. **डा॰ जयन्त रंगपी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझौता ज्ञापन के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खाद्य और नागरिक पूर्ति, उत्पाद-शुल्क और नाप-तोल इत्यादि विभागों को राज्य सरकार से स्वायत्त पर्वतीय परिषदों को अन्तरित करने के लिए सहमत हो गयी है;

(ख) क्या असम सरकार के अन्तरण केन्द्र सरकार से इन विभागों की स्वीकृति न मिल पाने के कारण इनका अंतरण नहीं कर सकी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को कार्बी अंगलोंग और नार्थ काचर हिल्स की स्वायत्त परिषदों को इन विभागों को अन्तरित करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन विभागों के शीघ्र अन्तरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषदों को असम सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एच ए डी/57/95/63-64 दिनांक 29.6.1995 और एच॰ए॰डी॰/95/268-269 दिनांक 25.9.1996 के द्वारा 30 विषय सौंपे गए हैं, जिनमें शामिल हैं : डी॰आर॰डी॰ए॰, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आबकारी और भार व मापतोल। जहां तक डी आर डी ए का प्रश्न है, केन्द्र सरकार ने असम सरकार को अपनी स्वीकृति दे दी है तथा आशा की जाती है कि डी॰आर॰डी॰ए॰ का नियंत्रण संबंधित स्वायत्तशासी परिषदों को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। अन्य विभाग जिनके संबंध में, केन्द्रीय अधिनियमों/नियमों में संशोधन अपेक्षित हैं, 1.7.1998 को गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय अधिनियमों/नियमों में सुसंगत संशोधन करने के लिए स्वायत्तशासी परिषदें, राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगी।

(ङ) समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची में एक संशोधन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा की गई। हाल ही में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 18.6.1998 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय, योजना आयोग के अधिकारियों, असम सरकार के अधिकारियों और कार्बी एंगलांग और उत्तरी कछार स्वायत्तशासी परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। इस बारे में 1.7.1998 को गुवाहाटी में असम सरकार के अधिकारियों और स्वायत्तशासी परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ, लम्बित पड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक बैठक की गई थी।

अंतर्राज्यीय परिषद

5873. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा स्वीकार की गई सरकारिया आयोग की कुल कितनी सिफारिशें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णयों को लागू करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकारिया आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी 247 सिफारिशों में से अन्तर्राज्यीय परिषद ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 91 सिफारिशों के संबंध में मत बना लिया है।

(ग) अन्तर्राज्यीय परिषद् सिफारिश करने वाला निकाय है। इसके निर्णय, कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिए गए हैं।

विवरण

सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों के ब्यौरे जिन पर अन्तर-राज्यीय परिषद् ने मत बना लिया है

रिपोर्ट का अध्याय सं॰ और विषय	उन सिफारिशों की संख्या जिन पर अन्तर-राज्यीय परिषद ने मत बना लिया है
III - प्रशासनिक संबध	1
I/II - केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती	4
I/III - अखिल भारतीय सेवाएं	7*
IX - अन्तर शासकीय परिषद्	7
X - वित्तीय संबंध	29
XII - खान और खनिज	2
XIV - कृषि	5
XV - वन	4
XVI - खाद्यान और नागरिक आपूर्ति	4
XVII - अन्तर राज्यीय नदी जल विवाद	5
XVIII - भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और सम्पर्क	4
XIX - जन संचार	8
XX - विविध-भाषा, संघ शसित क्षेत्र और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	11
कुल	91

* अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित 2 सिफारिशें रद्द कर दी गयी हैं।

रीजनल फार्मेसी इंस्टीट्यूट, अगरतला

5874. श्री समर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल फार्मेसी इंस्टीट्यूट, अगरतला में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को आवंटित कोटे में से कितने छात्रों को दाखिला दिया गया है;

(ग) क्या कुछ वर्षों से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य की समानुपातिक अंशदान की राशि बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर परिषद् तथा केन्द्र सरकार ने बकाया की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल न्यूट्रीशन मॉनीटरिंग ब्यूरो, नागपुर के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

5875. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री सुधीर गिरि :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेशनल न्यूट्रीशन मॉनीटरिंग ब्यूरो, नागपुर और आई॰सी॰एम॰आर॰ से सम्बद्ध इसकी अन्य इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उक्त संस्थान तथा इसकी संबद्ध इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (छ) राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो, नागपुर सहित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित कुछ मेगा एक्स्ट्राम्यूरल परियोजनाओं को स्थाई बनाने और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान देती रही है। इस बारे में कर्मचारी संघों तथा संसद सदस्यों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा डा॰ हरचरण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें परिषद की वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखी गई। वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप इन सिफारिशों पर डा॰ रुद्रप्पा वाली उपसमिति द्वारा विचार किया गया। इस समिति की सिफारिशों पर वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड तथा परिषद के शासी निकाय द्वारा विचार किया जाना है। डा॰ रुद्रप्पा वाली उपसमिति की सिफारिशों पर वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड/शासी निकाय द्वारा इस मुद्दे पर विचार कर लिए जाने के बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो, नागपुर एक अस्थाई परियोजना है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा धन दिया जाता है। सामान्यतः यह परिषद इस ब्यूरो को तीन किस्तों में निधियां रिलीज करती है। वर्ष 1998-99 की पहली किस्त 15.5.98 को रिलीज की गई थी। परिषद ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो के कर्मचारियों को अप्रैल-मई, 1998 महीनों में किए जाने वाले भुगतान और वेतन में कुछ विलम्ब हो गया था। वेतन आदि का भुगतान अब रिलीज कर दिया गया है।

चीनी के लिए राजसहायता

5876. **श्री महबूब जहेदी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू बजट में चीनी के लिए राजसहायता को जारी रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चीनी पर राजसहायता में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लेवी चीनी की खुदरा लागत (लेवी चीनी का निकासी मूल्य और वितरण लागत को जोड़ते हुए) और खुदरा निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को पूरा (ब्रिज) करने के लिए सब्सिडी की आवश्यकता होती है।

(ग) यदि 1998-99 के बजट में वर्तमान प्रावधान अपर्याप्त पाया जाता है तो उपयुक्त समय पर इसमें वृद्धि की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के चिकित्सा कर्मचारियों का विदेश दौरा

5877. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, मुनिरका के अधिकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने वर्ष-वार विदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान को प्राप्त चंदों और उनके द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त संस्थान को दी गयी धनराशि की सरकार ने लेखा-परीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस संस्थान के चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किये गये ऐसे दौरों को नियंत्रित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के चिकित्सा तथा गैर-चिकित्सा कार्मिकों द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान विदेशों के 27 दौरे किए गए हैं।

(ग) संस्थान को इन दौरों के लिए कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है और संस्थान द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अंकेक्षण का कार्य डी॰जी॰ए॰सी॰आर॰, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। संस्थान के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रखे जाते हैं।

(च) और (छ) सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की गई है।

इंडियन आयल कारपोरेशन विद्युत परियोजना

5878. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इंडियन आयल कारपोरेशन की विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने से रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी क्षमता क्या है; और

(ग) कब तक ये परियोजनाएं क्रियान्वित कर दी जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आई॰ ओ॰ सी॰ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित सक्षम पक्षकारों के सहयोग से पानीपत, वडोदरा और मथुरा रिफाइनरियों से भारी अवशिष्ट पर आधारित संयुक्त उद्यम विद्युत संयंत्र क्रमशः पानीपत (301 मे॰वा॰), वडोदरा के समीप सावली (500 मे॰वा॰) और मथुरा के समीप कोसीकलां (110 मे॰वा॰) में खोलने का प्रस्ताव किया है। तथापि ये प्राथमिक चरणों में है और ऐसी स्थिति में इस चरण पर कार्यान्वयन कार्यक्रमों और संयुक्त उद्यम भागीदारों के बारे में ठीक से बताना संभव नहीं है।

गर्भनिरोध संबंधी लक्ष्य

5879. **श्री विट्ठल तुपे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में गर्भनिरोध संबंधी लक्ष्यों से कौन से जिलों को छूट दी गई थी; और

(ख) उक्त का परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर राज्य-वार और वर्ष-वार क्या प्रभाव पड़ा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) चौदह राज्यों में 18 जिले तथा केरल, तमिलनाडु राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ वर्ष 1995-96 के दौरान प्रायोगिक आधार पर मात्रात्मक गर्भनिरोधक लक्ष्यों से मुक्त रखे गए थे। इन जिलों तथा राज्यों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। केन्द्रीय रूप से निर्धारित उपाय-विशिष्ट लक्ष्यों की प्रणाली अप्रैल 1996 से पूरे देश में समाप्त कर दी गई है।

(ख) कुछ राज्यों में वर्ष 1996-97 के दौरान कार्यनिष्पादन में गिरावट आई। बाद के वर्षों में इसमे सुधार हुआ। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन के चार उपायों के बारे में राज्य-वार कार्यनिष्पादन का विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

जिलों-राज्यों के नाम जिन्हें वर्ष 1995-96 के दौरान उपाय विशिष्ट गर्भनिरोधक लक्ष्यों से मुक्त रखा गया

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी
2.	असम	सिबसागर
3.	बिहार	पटना
4.	गुजरात	वलसाड़
5.	हरियाणा	अम्बाला
6.	कर्नाटक	मांड्या
7.	केरल	सम्पूर्ण राज्य
8.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
9.	महाराष्ट्र	सतारा, वर्धा
10.	उड़ीसा	खुर्दा
11.	पंजाब	फतेहगढ़
12.	राजस्थान	टोंक, दौसा, बूंदी
13.	तमिलनाडु	सम्पूर्ण राज्य
14.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर, आगरा
15.	पश्चिम बंगाल	हुगली
16.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
17.	चण्डीगढ़	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र

विवरण-II

नसबंदियों के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धि के प्रत्याशित स्तर और उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	1995-96			1996-97		1997-98	
		*ई॰एल॰ए॰	उपलब्धि	ई॰एल॰ए॰ की प्र॰श॰ उपलब्धि	उपलब्धि**	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन	उपलब्धि**	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक)								
1.	आंध्र प्रदेश	550000	520552	94.6	513726	-1.3	600324	16.9
2.	असम	130000	23866	18.4	16243	-31.9	11431	-29.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बिहार	6793300	266207	39.2	82421	−69.0	110944	34.6
4.	गुजरात	280000	285054	100.0	242949	−13.2	242364	−0.2
5.	हरियाणा	125000	101257	81.0	100292	−1.0	92722	−7.5
6.	कर्नाटक	473200	381571	80.6	384056	0.7	395123	2.9
7.	केरल	–	121539	–	125126	3.0	129408	3.4
8.	मध्य प्रदेश	415000	384342	92.6	371731	−3.3	366597	−1.4
9.	महाराष्ट्र	580000	566168	97.6	518897	−8.3	571139	10.1
10.	उड़ीसा	200000	148659	74.3	134818	−9.3	123448	−8.4
11.	पंजाब	100000	114075	114.1	107917	−5.4	108625	0.7
12.	राजस्थान	250000	168245	67.3	200711	19.3	224053	11.6
13.	तमिलनाडु	–	309927	–	316018	2.0	332707	5.3
14.	उत्तर प्रदेश	600000	529601	88.3	266350	−49.7	307473	15.4
15.	पश्चिम बंगाल	440000	331060	75.2	326398	−1.4	308342	−5.5
II. छोटे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अरुणाचल प्रदेश	1700	1654	97.3	1890	14.3	869	−54.0
2.	दिल्ली	42850	37833	88.3	33178	−12.3	35050	5.6
3.	गोवा	4300	4145	96.4	3667	−11.5	3814	4.0
4.	हिमाचल प्रदेश	44000	35856	81.5	31609	−11.8	32474	2.7
5.	जम्मू व कश्मीर	22600	15714	69.5	15388	−2.1	8073	−47.5
6.	मणिपुर	3500	2621	74.9	2324	−11.3	2185	−6.0
7.	मेघालय	1000	1108	110.8	657	−40.7	993	51.1
8.	मिजोरम	3500	2834	81.0	2570	−9.3	2079	−19.1
9.	नागालैंड	3000	522	17.4	668	28.0	502	−24.9
10.	सिक्किम	1200	1041	86.8	1308	25.6	349	−73.3
11.	त्रिपुरा	11200	10835	96.7	9947	−8.2	8189	−17.7
12.	अं॰व नि॰ द्वीपसमूह	1600	1666	104.1	1756	5.4	1966	12.0
13.	चण्डीगढ़	–	3077	–	3324	8.0	3062	−7.9
14.	दादरा व नगर हवेली	700	495	70.7	490	−1.0	477	−2.7
15.	दमण व दीव	450	500	111.1	507	1.4	536	5.7
16.	लक्षद्वीप	50	24	48.0	48	100.0	25	−47.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	पाण्डिचेरी	6800	9581	140.9	9793	2.2	9720	-0.7
III.	अन्य अभिकरण							
1.	रक्षा मंत्रालय	22500	23161	102.9	20508	-11.5	19500	-4.9
2.	रेल मंत्रालय	38200	22529	59.0	22941	1.8	28809	25.6
	अखिल भारत	5031650	4422319	79.3	3870226	-12.5	4083372	5.5

** = आंकड़े अनन्तिम

*ई॰एल॰ए॰ = उपलब्धि का अपेक्षित स्तर

विवरण-III

आई॰यू॰डी॰ निवेशन के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धि के प्रत्याशित स्तर और उपलब्धियां

			1995-96		1996-97		1997-98	
क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	ई॰एल॰ए॰*	उपलब्धि	ई॰एल॰ए॰ की प्र॰श॰ उपलब्धि	उपलब्धि	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन	उपलब्धि	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक)							
1.	आंध्र प्रदेश	350000	282933	80.8	298127	5.4	293872	-1.4
2.	असम	56000	34964	62.4	32853	-6.0	36277	10.4
3.	बिहार	575200	269889	46.9	156186	-42.1	156757	0.4
4.	गुजरात	460000	452077	98.3	409248	-9.5	401736	-1.8
5.	हरियाणा	207000	164010	79.2	158450	-3.4	160862	1.5
6.	कर्नाटक	374800	345937	92.3	376247	8.8	368565	-2.0
7.	केरल	लक्ष्य मुक्त	81613	-	75372	-7.6	75931	0.7
8.	मध्य प्रदेश	1000000	797548	79.8	598012	-25.0	615997	3.0
9.	महाराष्ट्र	515000	470580	91.4	447598	-4.9	432681	-3.3
10.	उड़ीसा	207000	209074	101.0	193191	-7.6	240167	24.3
11.	पंजाब	561600	583402	103.9	395343	-32.2	372731	-5.7
12.	राजस्थान	282000	168239	59.7	204765	21.7	223316	9.1
13.	तमिलनाडु	लक्ष्य मुक्त	401965	-	383938	-4.5	405869	5.7
14.	उत्तर प्रदेश	2144000	2269804	105.9	1664021	-26.7	2035368	22.3
15.	पश्चिम बंगाल	396300	129544	32.7	113053	-12.7	95694	-15.4
II.	छोटे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अरुणाचल प्रदेश	2800	2513	89.8	2794	11.2	1786	-36.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	दिल्ली	100000	75480	75.5	65711	−12.9	68000	3.5
3.	गोवा	3500	3252	92.9	2890	−11.1	2385	−17.5
4.	हिमाचल प्रदेश	66000	47562	72.1	37797	−20.5	40474	7.1
5.	जम्मू व कश्मीर	30600	9518	31.1	9581	0.7	8458	−11.7
6.	मणिपुर	25000	9855	39.4	11452	16.2	10220	−10.8
7.	मेघालय	1700	2193	129.0	1372	−37.4	1863	35.8
8.	मिजोरम	3500	2438	69.7	2306	−5.4	1684	−27.0
9.	नागालैंड	4000	1665	41.6	1798	8.0	1060	−41.0
10.	सिक्किम	1700	1317	77.5	1347	2.3	1182	−12.2
11.	त्रिपुरा	2500	3786	151.4	3820	0.9	4275	11.9
12.	अं॰व नि॰ द्वीपसमूह	1400	1473	105.2	1266	−14.1	1145	−9.6
13.	चण्डीगढ़	लक्ष्य मुक्त	6521	–	6321	−3.1	5717	−9.6
14.	दादरा व नगर हवेली	200	193	96.5	189	−2.1	263	39.2
15.	दमण व दीव	250	268	107.2	303	13.1	256	-15.5
16.	लक्षद्वीप	170	75	44.1	108	44.0	30	−72.2
17.	पाण्डिचेरी	4000	4428	110.7	3700	−16.4	3407	−7.9
III.	**अन्य अभिकरण**							
1.	रक्षा मंत्रालय	22000	12164	55.3	10735	−11.7	10085	−6.1
2.	रेल मंत्रालय	24900	11602	46.6	10777	−7.1	9807	−9.0
	अखिल भारत	7423120	6857882	85.8	5680671	−17.2	6087920	7.2

*ई॰एल॰ए॰ = उपलब्धि का अपेक्षित स्तर

** = आंकड़े अनन्तिम

निरोध के उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्यवार उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	1995−96		1996−97		1997−98	
		उपलब्धि	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन	उपलब्धि**	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन	उपलब्धि**	पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक)**						
1.	आंध्र प्रदेश	820164	−51.1	613013	−25.3	599873	−2.1
2.	असम	49767	−29.2	33054	−33.6	29320	−11.3
3.	बिहार	191305	−48.6	99045	−47.8	50876	−49.1

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुजरात	1106050	−21.4	1015432	−8.2	823404	−18.9
5.	हरियाणा	510813	−17.3	474862	−7.0	405447	−14.6
6.	कर्नाटक	374695	−9.2	358628	−4.3	323099	−9.9
7.	केरल	258728	−25.0	223511	−13.6	198636	−11.1
8.	मध्य प्रदेश	2004812	−11.5	1764520	−12.0	1685834	−4.5
9.	महाराष्ट्र	1361344	−28.9	964771	−29.1	585988	−39.3
10.	उड़ीसा	443482	−18.5	379979	−14.3	252769	−33.5
11.	पंजाब	609035	−17.0	556844	−8.6	538313	−3.3
12.	राजस्थान	519049	52.1	722682	39.2	837065	15.8
13.	तमिलनाडु	276288	−35.3	208328	−24.6	186546	−10.5
14.	उत्तर प्रदेश	2529538	−36.3	1769617	−30.0	2037260	15.1
15.	पश्चिम बंगाल	446407	−17.7	402363	−9.9	369621	−8.1
II.	**छोटे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**						
1.	अरुणाचल प्रदेश	930	−22.4	819	−11.9	824	0.6
2.	दिल्ली	330650	−36.0	279038	−15.6	208075	−25.4
3.	गोवा	13766	−19.1	12244	−11.1	10627	−13.2
4.	हिमाचल प्रदेश	78484	−24.6	67672	−13.8	65049	−3.9
5.	जम्मू व कश्मीर	10285	−42.3	7357	−28.5	8510	15.7
6.	मणिपुर	4944	31.0	5820	17.7	5493	−5.6
7.	मेघालय	1415	−27.0	1136	−19.7	945	−16.8
8.	मिजोरम	2398	−37.8	1796	−25.1	948	−47.2
9.	नागालैंड	50	−33.3	28	−44.0	2	−92.9
10.	सिक्किम	465	23.6	493	6.0	405	−17.8
11.	त्रिपुरा	16660	25.5	19445	16.7	22893	17.7
12.	अं॰व नि॰ द्वीपसमूह	2856	−47.5	1379	−51.7	2549	84.8
13.	चण्डीगढ़	8233	−8.4	7662	−6.9	7518	−1.9
14.	दादरा व नगर हवेली	28	−100.0	शून्य	−100.0	शून्य	शून्य
15.	दमण व दीव	4466	−6.4	1468	0.1	1380	−6.0
16.	लक्षद्वीप	187	71.1	344	84.0	282	−18.0
17.	पाण्डीचेरी	12174	−23.0	9794	−19.5	7498	−23.4
III.	**अन्य अभिकरण**						
1.	रक्षा मंत्रालय	42852	−10.4	32833	−23.4	32024	−2.5
2.	रेल मंत्रालय	236859	−28.8	196894	−16.9	72514	−63.2
	वाणिज्यक वितरण	5031250	67.0	6980556	38.7	7336667	5.1
	अखिल भारत	17297429	−2.8	17214327	−0.5	16708254	−2.9

** = आंकड़े अनन्तिम

मुखसेव्य गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धि के प्रत्याशित स्तर और उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	ई॰एल॰ए॰	1995-96 उपलब्धि	1995-96 ई॰एल॰ए॰ की प्र॰श॰ उपलब्धि	1996-97 उपलब्धि**	1996-97 पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन	1997-98 उपलब्धि**	1997-98 पिछले वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक)**							
1.	आंध्र प्रदेश	372000	242262	65.1	242987	0.3	254499	4.7
2.	असम	41000	24059	58.7	18948	-21.2	31009	63.7
3.	बिहार	180000	67214	37.3	43582	-35.2	40366	-7.4
4.	गुजरात	165000	172985	104.8	160118	-7.4	161910	1.1
5.	हरियाणा	57000	52869	-92.8	57392	8.6	58713	2.3
6.	कर्नाटक	175500	150685	85.9	157060	4.2	154102	-1.9
7.	केरल	लक्ष्य मुक्त	35806	-	34614	-3.3	31182	-9.9
8.	मध्य प्रदेश	512800	511290	99.7	494196	-3.3	552178	11.7
9.	महाराष्ट्र	581900	435341	74.8	375534	-13.7	373441	-0.6
10.	उड़ीसा	94000	101527	108.0	108329	6.7	106689	-1.5
11.	पंजाब	106400	111458	104.8	98613	-11.5	98402	-0.2
12.	राजस्थान	150000	125230	83.5	204283	63.1	301340	47.5
13.	तमिलनाडु	लक्ष्य मुक्त	216340	-	168281	-22.2	191234	13.6
14.	उत्तर प्रदेश	457000	578474	126.6	527931	-8.7	749015	41.9
15.	पश्चिम बंगाल	337400	259195	76.8	290786	12.2	294103	1.1
II.	**छोटे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**							
1.	अरुणाचल प्रदेश	1400	1865	133.2	1949	4.5	1935	-0.7
2.	दिल्ली	13000	10258	78.9	8522	-16.9	9615	12.8
3.	गोवा	2400	2579	107.5	2302	-10.7	2132	-7.4
4.	हिमाचल प्रदेश	5000	23308	66.6	21944	-5.9	23264	6.0
5.	जम्मू व कश्मीर	11300	3138	27.8	3030	-3.4	2957	-2.4
6.	मणिपुर	6000	1977	33.0	2741	38.6	2878	5.0
7.	मेघालय	1700	1395	78.5	1059	-20.7	1095	3.4
8.	मिजोरम	1500	1816	121.1	1880	3.5	1948	3.6
9.	नागालैंड	2000	501	25.1	395	-21.2	132	-66.6
10.	सिक्किम	1200	2448	204.0	2685	9.7	2679	-0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	त्रिपुरा	3000	16303	543.4	20411	25.2	24921	22.1
12.	अं॰व नि॰ द्वीपसमूह	700	971	138.7	896	-7.7	805	-10.2
13.	चण्डीगढ़	लक्ष्य मुक्त	319	–	331	3.8	147	-55.6
14.	दादरा व नगर हवेली	250	190	76.0	238	25.3	198	-16.8
15.	दमण व दीव	350	279	79.7	287	2.9	304	5.9
16.	लक्षद्वीप	200	153	76.5	216	41.2	171	-20.8
17.	पाण्डिचेरी	1100	1020	92.7	1016	-0.4	861	-15.3
III.	**अन्य अभिकरण**							
1.	रक्षा मंत्रालय	5600	5539	98.9	4262	-23.1	3554	-16.6
2.	रेल मंत्रालय	6300	4347	69.0	4284	-1.4	3755	12.3
	वाणिज्यिक वितरण	2470000	1927769	78.0	2189077	13.6	2759677	26.1
	अखिल भारत	5793000	5090850	83.5	5250179	3.1	6241211	18.9

** = आंकड़े अनन्तिम

[हिन्दी]

विकलांग जन संस्थान

5880. श्री सुरेश चन्देल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग जन संस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली के निदेशकों का बार-बार स्थानान्तरण कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी स्थायी निदेशक का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) इस समय, स्थानापन्न निदेशक, डा॰ बी॰ आर॰ अवधानी, निदेशक विकलांग जन संस्थान का कार्य देख रहे हैं तथा इस पद को शीघ्रातिशीघ्र नियमित आधार पर भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जनता जल योजना

5881. श्री शान्तिलाल चपलोत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में जनता जल योजना कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के लिए सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान में आस-पास की 349 ग्राम पंचायतों को आपस में मिलाने संबंधी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) क्या राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय जलोत्थान सिंचाई योजना के लिए कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस [illegible] या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) राजस्थान के गांवों में जनता जल योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास न तो कोई प्रस्ताव है और न 349 पंचायत मुख्यालयों या समुदाय को आदिवासी दोनों में जलोत्थान सिंचाई योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

भारत और नेपाल के गृह मंत्रियों की बैठक

5882. श्री सीताराम यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1998 में भारत और नेपाल के गृहमंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुए विचार-विमर्श और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों में क्या समझौता हुआ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। जून, 1998 में भारत और नेपाल के गृह मंत्रियों के बीच कोई संयुक्त बैठक नही हुई थी। तथापि, दोनों देशों के गृह सचिवों के बीच 18 जून, 1998 को एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(1) आतंकवाद और अन्य अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रभावशाली तौर तरीके इजाद करना;

(2) एक दूसरे के विरुद्ध लक्षित गतिविधियों के लिए दोनों देशों के क्षेत्रों के उपयोग की अनुमति न देना।

अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार कार्यालय

5883. श्री जी॰एम॰ बनातवाला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्ति वहां पर नाम दर्ज कराके रोजगार पा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों के कार्यान्वयन में रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार स्थिति क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालय, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।। राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में अल्पसंख्यकों को पूर्णतः शामिल करने के लिए अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में, राज्य सरकारों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदायों का रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण एवं उनके नामों को प्रस्तुत करने के मामलों में उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को उनके पजीकरणों तथा नियोजनों के मामले में प्रगति की मॉनीटरिंग करने हेतु मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने की सलाह दी गई है। उन्हें अपने नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालयों को अल्पसंख्यक संकेन्द्रण क्षेत्रों में चल पंजीकरण कैम्पों का आयोजन करने की भी सलाह दी गई है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार चाहने वाले जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या 50 लाख थी। 1994 के दौरान लगभग 3.07 लाख रोजगार चाहने वालों को प्रायोजित किया गया, लगभग 18,800 नियोजन किए गए। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994 के दौरान रोजगार कार्यालयो द्वारा अल्पसंख्यक रोजगार चाहने वालों एवं 1994 के अंत में चालू रजिस्टर पर उनकी संख्या के संबध में किए गए पंजीयनों, नियोजनों एवं प्रस्तुत अनुरोधों की संख्या (हजार में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994 के दौरान किए गए पंजीयनों की संख्या	1994 में किए गए नियोजनों की संख्या	दिसम्बर 94 के शीत में चालू रजिस्टर पर संख्या	1994 के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों की संख्या
1	2	3	4	5
राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	31.4	0.5	250.1	47.3
2. अरुणाचल प्रदेश	3.5	*	0.2	0.1

1		2	3	4	5
3.	असम	21.2	0.5	205.1	6.7
4.	बिहार	65.8	1.4	292.9	15.1
5.	गोवा	3.1	0.1	24.3	4.1
6.	गुजरात	5.1	0.8	72.6	4.1
7.	हरियाणा	5.9	0.4	19.7	2.67
8.	हिमाचल प्रदेश	2.4	0.1	12.4	4.6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	14.4	0.3	62.1	5.9
10.	कर्नाटक	26.4	1.7	178.2	15.8
11.	केरल	77.5	3.4	1312.8	38.4
12.	मध्य प्रदेश	24.7	0.9	127.7	5.9
13.	महाराष्ट्र	47.9	2.1	387.1	26.7
14.	मणिपुर	11.3	0.1	75.9	12.2
15.	मेघालय	6.1	0.5	21.2	3.0
16.	मिजोरम	7.8	0.2	42.6	3.6
17.	नागालैण्ड	6.4	0.1	20.6	1.9
18.	उड़ीसा	5.0	0.1	31.9	2.2
19.	पंजाब	44.3	0.8	227.3	28.2
20.	राजस्थान	8.2	0.4	53.4	2.8
21.	सिक्किम *				
22.	तमिलनाडु	50.3	1.3	549.5	33.0
23.	त्रिपुरा	0.3	*	4.3	0.2
24.	उत्तर प्रदेश	60.9	0.5	238.8	17.3
25.	पश्चिम बंगाल	24.6	0.3	669.9	7.5
संघ शासित क्षेत्र					
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	3.0	–
27.	चंडीगढ़	5.5	0.4	23.7	2.7
28.	दादर एवं नगर हवेली	*	*	0.1	0.1
29.	दिल्ली	8.4	1.5	34.0	8.6
30.	दमन और दीव	0.1	*	0.6	0.6
31.	लक्षद्वीप	1.1	0.3	8.5	2.5
32.	पाण्डिचेरी	.3	*	24.0	1.4
	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय				
	योग	569.9	18.8	4974.3	307.2

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

बाजार में नई औषधियों का आना

5884. **श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर वर्ष असंख्य नई औषधियां ला रही है;

(ख) क्या सरकार ऐसी औषधियों की गुणवत्ता की जांच करती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी औषधियों के बाजार में आने पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) कैंसररोधी एवं एड्स-रोधी औषधों जिनका अनुमोदन शीघ्र कर दिया जाता है, को छोड़कर किसी भी नई औषध के अनुमोदन में औसतन दो वर्ष लग जाते हैं। औसतन हर वर्ष मिश्रणों सहित 25 औषधों का अनुमोदन किया जाता है।

(ख) नई औषधों के उद्देश्य एवं प्रासंगिकता की जांच उनके क्लिनिक परीक्षण के समय की जाती है। देश में आयात करने से पहले किसी नई औषध की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता में की जानी होती है। यह प्रयोगशाला आयातित औषध के परीक्षण के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन एक सांविधिक परीक्षण प्रयोगशाला है।

(ग) औषध सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "वाई" के अंतर्गत निर्धारित विस्तृत तंत्र है जो देश में नए औषधों के प्रारम्भ को नियंत्रित करता है।

भोपाल गैस त्रासदी

5885. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल न्यायिक न्यायालय की सहायता करने हेतु भारत और अमरीका में कोई प्रत्यर्पण संधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भोपाल न्यायालय में लंबित पड़े मामले की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इनमें लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) इंग्लैंड और अमरीका के बीच 1931 में हुई प्रत्यर्पण संधि, जिससे भारत ने 1942 में मान लिया था, इस समय भारत तथा अमरीका के बीच लागू है। इस संधि में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे अपराधों के लिए व्यवस्था है जिनके लिए किसी आरोपी के प्रत्यर्पण के लिए मांग की जा सकती है और इसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्पण केवल तब किया जाएगा जब मुकदमा चलाने के लिए कैदियों को हवाले करने के लिए जिस देश से अनुरोध किया गया है उस देश के कानूनों के अनुसार पर्याप्त प्रमाण पाए गए हों।

(ग) और (घ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 35 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, 324, 326, 429 के तहत मि॰ वारेन एंडर्सन तथा अन्य 11 व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था। 9 दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत में आरोप दायर किए गए थे, किन्तु (1) मि॰ वारेन एंडर्सन (2) यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यूएसए और (3) यूनियन कार्बाइड (इस्टर्न) इंक, हांगकांग के खिलाफ आरोप दायर नहीं किए जा सके क्योंकि वे अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आई॰पी॰सी॰ की धारा 304 (भाग 2) की बजाय आई॰पी॰सी॰ की धारा 304-क के अधीन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को संशोधित करने के लिए 13.9.96 को आदेश जारी किया। अभियोजन गवाहों की जांच की जा रही है।

कर्नाटक में दंत चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अनुदान

5886. **श्री बी॰ एम॰ मेनसिंकाई** :

श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान प्रत्येक पाठ्यक्रम में विशिष्टता सहित बी॰ डी॰ एस॰/एम॰डी॰ एस॰ पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दिए गए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन महाविद्यालयों को अनुमति पत्र कब से जारी किए गए है तथा इनकी महाविद्यालय-वार नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) इन महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र में बी॰डी॰ एस॰/एम॰डी॰ एस॰ पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए छात्रों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पाठ्यक्रम में महाविद्यालय वार छात्रों के दाखिले की क्षमता क्या है;

(घ) क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों को इन महाविद्यालयों में मेरिट तथा प्रबंधन सीटों के रूप में बांट दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में बी॰डी॰एस॰/एम॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रम वाले दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का आज की तारीख तक ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामलों में किन-किन क्षेत्रों में विशिष्टता पाठ्यक्रम हैं;

(छ) क्या सरकार के पास कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से नए बी॰डी॰एस॰/एम॰डी॰एस॰ के पाठ्यक्रम

खोलने तथा सीटों की संख्या बढ़ाने संबंधी कतिपय आवेदन लंबित हैं;

(ज) यदि हां, तो अभी तक लंबित पड़े आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन आवेदनों को कब तक निपटा लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) चूंकि इन कालेजों को 1997-98 में ही अनुमति दी गई है, इसलिए इनमें किए गए दाखिलों और प्रवेश क्षमता के तीन वर्ष के आंकड़े नहीं हैं। स्वीकृत प्रवेश क्षमता ऊपर उल्लिखित विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने दन्त चिकित्सक अधिनियम के अन्तर्गत डेंटल कालेजों में एम॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रमों के (1) मेरिट और (2) प्रबंधन सीटों को श्रेणीबद्ध करने के लिए कोई विनियम तैयार नहीं किए हैं

(च) एक सूची विवरण-II में दी गई है।

(छ) और (ज) एक विवरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(झ) दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10(क) (5) के अनुसार डेंटल कालेज खोलने/उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने/सीटें बढ़ाने के आवेदन को केन्द्रीय सरकार को योजना प्रस्तुत करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर निपटाया जाना होता है। धारा 10 क (6) के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि परिषद अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई किसी सूचना को भेजने में आवेदक द्वारा किए गए समय को एक वर्ष की समय सीमा की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

विवरण-I

क्र॰सं॰	कालेज का नाम	बीडीएस पाठ्क्रम के लिए अनुमति की तारीख	सीटों की संख्या	24.7.98 की स्थिति के अनुसार शर्तें
1	2	3	4	5
1.	सरदार पटेल डेंटल कालेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	14.1.97	60	अनुमति भावी प्रभाव से एक वर्ष के लिए दी जाती है जो वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन पर और बैंक गारन्टी के निष्पादन को फिर से वैद्य करने के वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाती है।
2.	फारूक डेंटल कालेज, मैसूर, कर्नाटक	22.1.97	40	-वही-
3.	रामा डेंटल कालेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश	06.2.97	100	-वही-
4.	सुभारती डेंटल कालेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश	01.4.97	60*	-वही-
5.	विनाकयामिशन डेंटल कालेज सीतापुर	10.4.97	60	-वही-
6.	राज राजेश्वरी डेंटल कालेज, बैंगलौर	11.4.97	40	-वही-
7.	सरवथी डेंटल कालेज,	20.7.97	40	-वही-
8.	गुरु नानक देव डेंटल कालेज, सुनम, पंजाब	4.9.97	60	-वही-

*न्यायालय के आदेशानुसार 17.1.98 को 100 प्रवेशों की अनुमति दी गई।

1	2	3	4	5
9.	के॰एल॰ई॰ सोसायटीस डेंटल कालेज, बंगलौर	05.11.97	40	अनुमति भावी प्रभाव से एक वर्ष के लिए दी जाती है जो वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन पर और बैंक गारन्टी के निष्पादन को फिर से वैद्य करने के वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाती है।
10.	विनायका मिशन लार्ड जगन्नाथ डेंटल कालेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा	26.11.97	60	-वही-
11.	बाबा मस्तानाथा डेंटल कालेज, रोहतक	7.11.97	60	-वही-
12.	मराठा मण्डल डेंटल कालेज, बेलगांव	17.2.98	40	-वही-
13.	एस॰आर॰एम॰ डेंटल कालेज, चेन्नई	29.1.98	100	-वही-

क्र॰सं॰	कालेज का नाम	एम॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रम के लिए		24.7.98 की स्थिति के अनुसार	
		अनुमति की तारीख	विशेषताएं	सीटों की संख्या	शर्तें
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय डेंटल कालेज, गुवाहटी, असम	5.1.97	1. पेरीओडोंटिक्स	2	अनुमति भावी प्रभाव से एक वर्ष के लिए दी जाती है जो वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन पर और बैंक गारन्टी के निष्पादन को फिर से वैद्य करने के वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाती है।
			2. कंसरवेटिव डेंटिस्टरी	2	
2.	बापूजी डेंटल कालेज, देवगढ़, कर्नाटक	7.1.97	1. औरल पैथालोजी	2	-वही-
			2. कम्युनिटी डेंटिस्टरी	2	-वही-
3.	कालेज ऑफ डेंटल स्कीन देवनगेरा, कर्नाटक	31.1.97	1. पेडोडोंटिया एंड परिवेंटिव डेंटिस्टरी	2	-वही-
			2. ओरल एंड मैक्सील्लो-फैक्सीयल सर्जरी	2	-वही-
			3. पेरियोडोंटिक्स	2	-वही-
			4. ओरथोडोंटिक्स	2	-वही-
			5. कंसरवेटिव डेंटीस्टरी	2	-वही-
			6. प्रोस्थेटिक्स डेंटिस्टरी	2	-वही-
4.	गर्वनमेंट डेंटल कालेज, गोवा	11.2.97	1. परोस्थोडोंटिस	3	-वही-
			2. ओरथोडोन्टीया	2	-वही-

1	2	3	4	5	6
5.	येनेपोया डेंटल कालेज, बैंगलौर	2.12.97	1. ओरल पैथोलोजी	2	अनुमति भावी प्रभाव से एक वर्ष के लिए दी जाती है जो वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन पर और बैंक गारन्टी के निष्पादन को फिर से वैद्य करने के वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाती है।
			2. ओरथोडोंटिया	3	-वही-
			3. कंसरवेटिव डेंटिस्टरी	3	-वही-
			4. पेरियोडोंटिया	2	-वही-
			5. प्रोस्थोडोंटिक्स	3	-वही-
			6. ओरल एंड मैक्सीलो फैसियल सर्जरी	2	-वही-
6.	जे॰एस॰एस॰ डेंटल कालेज, मैसूर	16.4.98	1. कम्युनिटी डेंटिस्टरी	2	-वही-
			2. पैरीयोडोंटिया	2	-वही-
			3. कंसरवेटिव डेंटिस्टरी	2	-वही-
			4. पेडोडोंटिक्स	2	-वही-
			5. ओरल एंड मैक्सीलो-फैसियल सर्जरी	2	-वही-
7.	पीएमएनएम डेंटल कालेज, बगलकोट	24.3.98	1. ओरल पैथोलोजी	2	-वही-
			2. कंसरवेटिव डेंटिस्टरी	2	-वही-
			3. ओरल एण्ड मैक्सीलोफैसियल सर्जरी	2	-वही-
			4. ओरथोडोंटिया	2	-वही-
			5. प्रोस्थोडोंटिया	2	-वही-
8.	के॰वी॰जी॰ डेंटल कालेज,	10.6.98	1. प्रोस्थोडोंटिक्स	2	-वही-
9.	मीनाक्षी अम्मल डेंटल कालेज	17.7.98	1. ओरथोडोंटिया	4	-वही-
			2. ओरल सर्जरी	4	-वही-
			3. ओरल पैथोलोजी	3	-वही-
			4. पैरीयोडोंटिया	4	-वही-
			5. कंसरवेटिव डोंटिस्टरी	4	-वही-
			6. प्रोस्थोडोंटिया	3	-वही-
10.	के॰एल॰ई॰ डेंटल कालेज,	17.9.97	1. कंसरवेटिव डेंटिस्टरी	2	-वही-
			2. ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलोजी	2	-वही-

विवरण–II

भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद

नई दिल्ली

संस्थाओं की सूची

क्र॰सं॰	संस्था का नाम, पता	मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित	राजकीय/ निजी	मंजूरशुदा सीटों की सं॰	स्थापना वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	डा॰ आर अहमद डेंटल कालेज एवं अस्पताल, 114, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता–700014 (प्रभानाचार्य) डा॰ टी॰ के॰ साहा, एमडीएस	मान्यता प्राप्त	राजकीय	50	1952
2.	नायर अस्पताल डेंटल कालेज, डा॰ एल एल नायर रोड बाइकूला, मुम्बई–8 (डीन–डा॰ एस॰ जी॰ दामले)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	60	1954
3.	राजकी डेंटल कालेज एवं अस्पताल 1. पी॰ ओ॰ मैलो रोड, फोर्ट, मुम्बई (डीन–प्रोफेसर आर॰ओ॰ शर्मा)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	100	1950
4.	डेंटल कालेज एवं अस्पताल के॰जी॰ एस॰ मेडिकल कालेज, लखनऊ (डीन–डा॰ डी॰ एन॰ कापूर)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1955
5.	पंजाब राजकीय डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अमृतसर–I (प्रिंसिपल–डा॰ ओ॰पी॰ नर)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1952
6.	तमिलनाडु राजकीय डेंटल कालेज फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने चेन्नई–3 (प्रिंसिपल–डा॰ एन॰ ज्ञानसुंदरम)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	60	1953
7.	राजकीय डेंटल कालेज एवं अस्पताल पटियाला–I (प्रिंसिपल- डा॰ (श्रीमती) ..मिन्दर .. र)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1956
8.	राजकीय डेंटल कालेज फोर बैंगलूर–2 (प्रिंसिपल–डा॰)	मान्यता प्राप्त	रा..		1959
9.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैम्पस	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1958

1	2	3	4	5	6
10.	राजकीय डेंटल कालेज एवं अस्पताल अफजलगंज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (प्रिंसिपल-डा॰ रेड्डी, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1961
11.	पटना डेंटल कालेज एवं अस्पताल अगम कुंआ, पटना-7 (प्रिंसिपल-डा॰ वी॰पी॰ जलीली)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1960
12.	डेंटिस्ट्री कालेज, इन्दौर-1 (म॰प्र॰) (प्रधाना-डा॰ वी॰ पी॰ जलीली)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1961
13.	राजकीय डेंटल कालेज एवं नया सिविल अस्पताल परिसर असरवा, अहमदाबाद-16 (गुजरात) (डीन-डा॰ के॰ एच॰ साह एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	50	1963
14.	डेंटल सर्जरी कालेज, कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल-19 (कर्नाटक) (प्रिंसिपल-डा॰ के॰ एस॰ भट्ट, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट		
15.	राजकीय डेंटल कालेज एवं अस्पताल नागपुर-3 (प्रिंसिपल-डा॰ (श्रीमती) वी॰ के॰ हजारे, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1966
16.	बापूली डेंटल कालेज एवं अस्पताल देवनगर (कर्नाटक) (प्रिंसिपल-डा॰ सदा शिव शेट्टी, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1971
17.	राजा मुथैया डेंटल कालेज एवं अन्ना मलाई नगर-2 (तमिलनाडु) (प्रिंसिपल-डा॰ बी॰ श्रीनिवासन, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	60	1980
18.	गोवा डेंटल कालेज एवं अस्पताल, रिवेन्दूर अस्पताल परिसर डाकघर-रिवेन्दूर-6 (गोवा) (डीन-डा॰ आर॰ के॰ सिंह, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1980
19.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैम्पस रोहतक (हरियाणा)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	20	1977

1	2	3	4	5	6
20.	डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज डाकघर–कालीकट (केरल) (डा॰ एन॰ एस॰ राजीव, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1981
21.	क्षेत्रीय डेंटल कालेज गुवाहाटी (प्रिंसिपल–डा॰ पी॰ डी॰ बोरा, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1981
22.	राजकीय डेंटल कालेज एवं अस्पताल मेडिकल कालेज कैम्पस औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1977
23.	डेंटल विंग, एस॰सी॰बी॰ मेडिकल कालेज, कटक (उड़ीसा) उप–प्रधानाचार्य–प्रो॰ पी॰ सी॰ दास	मान्यता प्राप्त	राजकीय	20	1983
24.	डेंटल विंग, एस॰ एन॰ एस॰ मेडिकल कालेज, जयपुर–1 (राजस्थान) प्रो॰ एवं अध्यक्ष–डा॰ (श्रीमती) ऊषा रानी नरायण	मान्यता प्राप्त	राजकीय	20	1983
25.	डेंटल विंग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली–2 प्रो॰ एवं अध्यक्ष–ड॰महेश वर्मा, एम॰ डी॰ एस॰	मान्यता प्राप्त	राजकीय	20	1983
26.	राजकीय डेंटल कालेज, एस॰ एम॰ एच॰ एस॰ अस्पताल परिसर, श्रीनगर (कश्मीर) (प्रिंक्पिल–डा॰ तारा सिंह, एम॰ डी॰ एस)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	10	1984
27.	बुद्धा दन्त चिकित्सा विज्ञान संस्थान पत्रकार नगर कंकडबाग, पटना–20 निदे॰–ड॰ आर॰ पी॰ सिंह, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1985
28.	के एल ई सोसाइटीज डेंटल कालेज जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज कैम्पस, बेलगाम (प्रिंसिपल–डा॰ एस॰वी॰ भागवत, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1985

1	2	3	4	5	6
29.	ए बी शेट्ट स्मारक दन्त चिकित्सा विज्ञान संस्थान बंटस होटल रोड मंगलौर (कर्नाटक) (डीन-डा॰ श्रीधर शेट्टी, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1985
30.	जगदगुरु श्री शिवरातराश्वरा दन्त चिकित्सा कालेज बन्नीपंताप मैसूर (कर्नाटक) (प्रिंसिपल-डा॰ एन॰ एस॰ यादव, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1985
31.	विनायक मिशन्स शंकराचार्य डेंटल कालेज, 44 सेकन्ड अगशहम सैलम-1 (तमिलनाडु) (प्रिंसिपल-डा॰ पी॰ के॰ रामलिंगम, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1985
32.	जे॰ के॰ के॰ नटराज डेंटल कालेज कोमारायलम-83 (तमिलनाडु) (प्रिंसिपल-डा॰ एम॰ जी॰ रामकृष्णन, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1985
33.	एस॰ एम॰ डी॰ दन्त चिकित्सा विज्ञान कालेज, धवलगिरी धारवाड-2 (कर्नाटक) (प्रिंसिपल-डा॰ सी॰ भास्कर राव एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1985
34.	एस॰ जे॰ एम॰ डेंटल कालेज एवं अस्पताल चित्रदुर्ग-2 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1987
35.	एच॰ के॰ ई॰ सोसायटी डेंटल कालेज गुलबर्गा-5 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1987
36.	डेंटल सर्जरी कालेज के॰ एस॰ सी॰ मंगलौर (कर्नाटक) (डीन-डा॰ श्री सुरेन्द्र शेट्टी, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1987
37.	वी॰ एस॰ डेंटल कालेज, के॰ आर॰ रोड वी वी पुरम, बैंगलूर-4 (प्रिंसिपल-डा॰ एन॰ टी॰ वेंकटमैया एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1987

1	2	3	4	5	6
38.	राजस डेंटल कालेज, न्यू राजानगर वाडाकंगुलम-16 (तिरुनवल्ली) (जिला-तमिलनाडु) (प्रिंसिपल-डा॰ डी॰ रत्नम्मा, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1987
39.	एम आर ए डेंटल कालेज, 1/36 क्लाइन रोड, कूर्क टाऊन बैंगलूर-4 (प्रिंसिपल-डा॰ के॰ एस॰ गणपति, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1987
40.	डी ए वी सेनेवरी दन्त चिकित्सा कालेज माडल टाउन, यमुनानगर-1 (प्रिंसिपल-डा॰ एस॰ उसदुआ, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1988
41.	रागाज दन्त चिकित्सा कालेज 116, डा॰ राधाकृष्णन सलाई चेन्नई-4 (प्रिंसिपल-डा॰ आर॰ विश्वनाथ)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1988
42.	सविता डेंटल कालेज पूनामेल्ली, चेन्नई-56 (डीन-डा॰ सी॰ के॰ धनशेखरण, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1997
43.	सरजूग डेंटल कालेज अस्पताल रोड, लहरीया सराय, दरभंगा (बिहार)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1988
44.	पी एम नदागुदा दन्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, बागलकोट (जिला-बिजापुर) (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1988
45.	भारती विद्यापीठ डेंटल कालेज एवं अस्पताल कम्मा कतराज धनकवाडी शैक्षिण परिषद पुणे सतारा रोड (प्रिंसिपल-डा॰ वी॰ एस॰ सबाणे, एम डी एस)	अनुमोदित	प्राईवेट	100	1989
46.	श्री बालाजी डेंटल कालेज एवं अस्पताल बालाचेरी मेन रोड बालाजी नगर, नारायणपुरम चेन्नई (डीन-डा॰ पी वी जनार्धन, एम डी एस)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1998

1	2	3	4	5	6
47.	मीनाक्षी अम्माल डेंटल कालेज उथीरामारुर चांदगाई-अन्ना (जिला-तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1998
48.	डेंटल कालेज, टोमा सिद्धार्थ मेडिकल कालेज विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) (प्रिंसिपल-डा॰ पी शंकर, एम डी एस)	अनुमोदित	राजकीय	40	1990
49.	प्रवर ग्रामीण दन्त चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान डाकघर-लोनी (जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र) (प्रिंसिपल-डा॰ एच एस धूरिया, एम डी एस)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1990
50.	दी नार्थ बंगाल डेंटल कालेज, नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज एवं अस्पताल कैम्पस, सुश्रतंगर सिलिगुडडी (जिला-दार्जिलिंग)-प॰ बंगाल (प्रिंसिपल-डा॰ प्रणव सरकार)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1991
51.	पांडिचेरी डेंटल कालेज एवं अस्पताल राजकीय फार्मेसी भवन इन्दिरा नगर परिसर गोरीमेदू पांडिचेरी (प्रिंसिपल-डा॰ श्यामसिंह, एम डी एस)	मान्यता प्राप्त	राजकीय	40	1991
52.	विदर्भ युवा कल्याण विद्यामंदिर डेंटल कालेज, अमरावती (महाराष्ट्र) (डीन-डा॰ आर॰यू॰ थोम्बोर एम डी एस)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
53.	महात्मा गांधी विद्यामंदिर डेंटल कालेज एवं अस्पताल पंचवटी, नासिक-3 (महाराष्ट्र)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
54.	क्रिश्चियन डेंटल कालेज लुधियाणा, पंजाब (प्रिंसिपल-डा॰ जे एल जोशी एम डी एस)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
55.	दन्त चिकित्सा विज्ञान कालेज देवनगर (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1992
56.	पदमश्री डा॰ डी वाई डेंटल कालेज एवं अस्पताल, न्यू बम्बई	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1990.91

1	2	3	4	5	6
57.	के वी जी डेंटल कालेज सूर्या दक्षिण कन्नड	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991
58.	वसंत दादा पाटिल डेंटल कालेज एवं अस्पताल, संगली महाराष्ट्र	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1991
59.	जमनालाल गोयंका डेंटल कालेज एवं अस्पताल अकोला महाराष्ट्र	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1989
60.	येनेपोया डेंटल कालेज मंगलौर	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60 100	1992 1997
61.	श्रीमती राधीकाबाई मेघे मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट डेंटल कालेज एवं अस्पताल वर्धा (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1991
62.	छत्रपति शाहु महाराज शिक्षा संस्थान, दन्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, औरंगाबाद	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	7	1991
63.	राजकीय डेन्टल कालेज, जामनगर	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1991
64.	बी॰ आर॰ एस॰ डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, पंचकुला,	अनुमोदित	प्राईवेट	7	1993
65.	बंगलौर दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, बंगलूर	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1991-92
66.	दयानन्द सागर कालेज आफ डेन्टल साइंसेज, बंगलौर	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991-92
67.	श्री एस॰ नितिलिंगप्पा दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान हसन,	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991-92
68.	एम॰एस॰ रम्मैया डेन्टल कालेज बंगलूर	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991-92
69.	श्री रामचन्द्र डेंटल कालेज पोरूर, चेन्नई-600116	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1995
70.	श्री गुरु राम दास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस एण्ड रिसर्च, श्री अमृतसर-143000 (डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल-प्रो॰ एस॰एस॰ सिद्धू)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1997

1	2	3	4	5	6
71.	हिमाचल डेंटल कालेज, डा॰ पूरनचन्द मेडिकल चेरिटेबल ट्रस्ट, सुन्दर नगर (हि॰ प्र॰) (प्रिंसिपल डा॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1995
72.	के॰ जी॰ एफ॰ कालेज ऑफ डेंटल सांईसेस, नं॰ 36, डी॰ के॰ प्लान्टेसन बीईएमएल नगर, कोलार गोल्ड कोलार गोल्ड फील्डस-563115 (प्रिंसिपल-डा॰ वी॰ के॰ खन्ना, एम॰डी॰एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991-92
73.	ए॰एम॰ई॰एस॰ डेंटल कालेज रायचूर-584101 (कर्नाटक) (प्रिंसिपल-डा॰ ए॰ एन॰ राधाकृष्णन, एम॰ डी॰ एस॰)	रीकोनाईज्ड	प्राईवेट	40	1992
74.	एस॰बी॰ पाटिल इंस्टीट्यूट फार डेंटल साईसेस एण्ड रिसर्च, नौबाद पी॰बी॰ नं॰ 52 बीदर-585402 (प्रिंसिपल-डा॰ पी॰ चिरंजीवी, एम॰ डी॰ एस॰)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1992
75.	थाई मुगमबीगाई डेंटल कालेज एण्ड अस्पताल, थीरूमती कन्नामल एजुकेशनल ट्रस्ट, 121, जी॰ एन॰ चेट्टी रोड, टी॰ नगर, चेन्नई-600017 (डीन-डा॰ जे॰जी॰ कन्नापन)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991-92
76.	अल-अमीन डेंटल कालेज 3, मीलर टैंक बंद रोड, बीजापुर-586108 (कर्नाटक) (प्रिंसिपल-डा॰ (श्रीमती) तारा आर॰ कवारा, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
77.	श्री राजीव गांधी कालेज ऑफ डेंटल साईंसेस, छोलानगर, हैब्बल बंगलौर	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992

1	2	3	4	5	6
78.	अक्सफोर्ड कालेज, 1, फेस, जे॰ पी॰ नगर, बंगलौर (प्रिंसिपल–डा॰ एम॰ के॰ पराशय, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40 100	1995–96 1996–97
79.	संतोष डेंटल कालेज, संतोष नगर, गाजियाबाद (उ॰ प्र॰) (प्रिंसिपल–डा॰ ए॰ बी॰ श्रीवास्तव, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1996
80.	डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साईंसेस एण्ड अस्पताल, नई बेली रोड, पटना (प्रिंसिपल–डा॰ पी॰ एन॰ गुप्ता, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
81.	डा॰ श्यामल रेड्डी डेंटल कालेज, 298, 7वीं क्रोस, दोमलूर लेआउट बंगलौर (प्रिंसिपल–डा॰ निशाद परीश)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991–92
82.	डा॰ एस॰ एम॰ नकी इमाम डेंटल कालेज एंड अस्पताल बेहेरा (प्रिंसिपल–डा बी॰ बी॰ दत्ता, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1989–90
83.	आर॰ वी॰ डेंटल कालेज, 8वीं मेन, 4 ब्लाक, जावनगर, बेंगलूर (प्रिंसिपल–डा॰ के॰ एस॰ नागेश, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1996
84.	एच॰के॰डी॰ई॰टी॰ कालेज एंड हास्पिटल, हमनाबाद–585330 (प्रिंसिपल–डा॰ नागराज राव, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992

1	2	3	4	5	6
85.	अल-बदर रूरल डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, एम॰एस॰के॰ मिल रोड, गुलबर्गा-585102 (कर्नाटक) (डीन-डा॰ रहमतुल्ला, एम॰ डी॰ एस॰)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
86.	रामा डेंटल कालेज एंड हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर 117-के-137, सर्वोदयनगर कानपुर-(यू॰पी॰) प्रिंसिपल	अनुमोदित	प्राईवेट	100	1996-97
87.	फरुकिया डेन्टल कालेज, उमरखैय्याम रोड, ईदगाह तिलक नगर, मैसूल प्रिंसिपल-डा॰ एस॰ भट्टाचार्य	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1996-97
88.	दसमेश इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेंटल साइंसेज, फरिदकोट-151203 प्रिंसिपल-डा॰ मनोहर सिंह	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1996
89.	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज, ए॰/II, फ्लोर, 33, कैन्ट रोड, लखनऊ-226001 (प्रिंसिपल-डा॰ एस॰आई॰एच॰ रिजवी)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1996
90.	श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज, बी॰एच॰ रोड, अगालकट्स, तुमकुर-572102 (प्रिंसिपल-डा॰ आर॰एम॰ हेबेली)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1996
91.	कृष्णदेवार्य कालेज ऑफ डेंटल साइंस, ह्यूनसमरानाहल्ली, वी येलेहंका, बैंगलूर-157	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1986
92.	विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल डेंटल कालेज, 5, वाई एम सी ए काम्प्लेक्स, सीताबुल्दी, नागपुर-1	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1996-97
93.	सुभराती डेंटल कालेज, सुभराती भवन, 5, नौचंदी गढ़ रोड, मेरठ-3	अनुमोदित	प्राईवेट	100	1997

1	2	3	4	5	6
94.	*श्रवती डेंटल कालेज, शिमोग*	*अनुमोदित*	*प्राईवेट*	*40*	*1997–98*
95.	के एल ई सोसाइटी डेंटल कालेज, बैंगलूर	अनुमोदित	प्राईवेट	*40*	*1997*
96.	श्री बाबा मस्तनाथ डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अस्थल बोहर, रोहतक–1 (प्रधानाचार्य–डा॰ पी॰ के॰ वर्मा)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1997
97.	दरभंगा डेंटल कालेज, खान दियोढ़ी, फैजुल्ला खान, दरभंगा (बिहार) (प्रधानाचार्य–डा॰ एन॰ के॰ अग्रवाल)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1990–91
98.	वी एम एस इन्टरनेशनल डेंटल कालेज, पी ओ– नैमीसरन, जिला–सीतापुर, (उत्तर प्रदेश)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1997
99.	मिथिला माइनोरिटी डेंटल कालेज एवं अस्पताल, समस्तीपुर रोड, मनसुख नगर (इकमीघाट), लोहरिया सराय, दरभंगा	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1989–90
100.	मराठा मण्डल डेंटल कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, बेलगाम (कर्नाटक)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1997
101.	गुरु नानक देव डेंटल कालेज, सुनम (पंजाब)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1997
102.	एस आर एम डेंटल कालेज, चेन्नई	अनुमोदित	प्राईवेट	100	1997
103.	वी एम लार्ड जगन्नाथ इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1997
104.	राजा राजेश्वरी डेंटल कालेज, बैंगलूर	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1997

नोट : ऐसी अर्हता को मान्यता दिलवाने और डेंटिस्ट अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग–1 में शामिल करवाने के लिए डेंटिस्ट अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है।

विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रमों में एम॰ डी॰ एस॰ पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की राज्यवार सूची

महाराष्ट्र	
1. नायर हास्पिटल डेंटल कालेज, डा॰ ए॰ एल॰ नायर रोड, मुम्बई-400008	1. प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री 2. पिरियडान्सिया 3. आपरेटिव डेंटिस्ट्री 4. आर्थोडान्सिया 5. डेन्टल पैथोलॉजी एवं बैक्टिरियालॉजी 6. ओरल मेडिसिल डायग्नोसिया एवं रेडियोलॉजी 7. ओरल सर्जरी 8. पेडोडॉटिक्स
2. गवर्नमेंट डेंटल कालेज, एवं हास्पिटल, आई॰ पी॰ डी॰ मेलो रोड फोर्ट, मुम्बई-400008	1. प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री 2. पिरियडान्सिया 3. आपरेटिव डेंटिस्ट्री 4. आर्थोडान्सिया 5. डेन्टल पैथोलॉजी एवं बैक्टिरियालॉजी 6. ओरल मेटिसिल डायग्नोसिया एवं रेडियोलॉजी 7. ओरल सर्जरी
3. गवर्नमेंट डेंटल कालेज, एंड हास्पिटल, नागपुर	1. प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री 2. पिरियोडान्सिया 3. आपरेटिव डेंटिस्ट्री 4. आर्थोडान्सिया 5. ओरल एंड डेन्टल पैथोलॉजी 6. ओरल डायग्नोसिया एंड रेडियोलॉजी 7. ओरल सर्जरी 8. पेडोडान्सिया
4. गवर्नमेंट डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, मेडिकल कालेज कैम्पस, औरंगाबाद-431001	1. प्रोस्थोडान्टिक्स 2. पिरियोडांसिया 3. कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री 4. ओरल पैथोलॉजी 5. ओरल मेडिसिल डायग्नोसिस एंड रेडियालॉजी
5. आर्मड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पुणे-1	1. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 2. पिरियोडांसिया 3. आर्थोडांसिया 4. ओरल सर्जरी
उत्तर प्रदेश	
1. डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, के॰ जी॰ मेडिकल कालेज, लखनऊ-226003	1. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 2. पिरियोडांसिया 3. आपरेटिव डेन्टिस्ट्री 4. आर्थोडांसिया 5. पेडोडांसिया एंड प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री 6. ओरल सर्जरी
2. इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-220005	1. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 2. प्रोस्थोडांसिया
वेस्ट बंगाल	
1. डा॰ आर॰ अहमद डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, 114, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-700014	1. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 2. पिरियोडांसिया 3. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 4. आर्थोडान्सिया 5. पेडोडान्सिया एंड प्रिवेंटिव 6. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी 7. ओरल पेथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 8. ओरल मेडिसिल एंड रेडियालॉजी 9. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री

पंजाब

1. पंजाब गनर्वमेंट डेन्टल कालेज *हास्पिटल,* *अमृतसर-143001*	1. डेंटल प्रोस्थेटिक *2. पेडोडान्टिक्स एंड प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री* 3. ओरल सर्जरी 4. आपरेटिव डेन्टिस्ट्री 5. पिरियोडान्सिया
2. गवर्नमेंट डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, पटियाला-147001	1. पिरियाडांसिया 2. डेन्टल प्रोस्थेटिक एंड क्राउन एंड ब्रिज 3. कंजवेंटिव डेन्टिस्ट्री 4. आर्थोडान्टिक्स
3. पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्टर-12, चंडीगढ़-160017	1. पेडोडांसिया एंड प्रिवेंटिव डेन्टिस्ट्री 2. आर्थोडांसिया

तमिलनाडु

1. तमिलनाडु गवर्नमेंट डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, फोर्ट रेवले स्टेशन के सामने मद्रास-600003	1. आरेल सर्जरी 2. पिरियोडांसिया 3. आपरेटिव डेन्टिस्ट्री 4. आर्थोडान्सिया 5. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 6. ओरल पैथोलॉजी 7. ओरल मेडिसिन एंड डाग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी
2. राजा मुथैया डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, अन्नामलानीनगर-608002	1. ओरल सर्जरी 2. पिरियोडांसिया 3. आर्थोडांसिया 4. पेडोडांसिया एंड प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री 5. प्रोस्थोडान्टिक्स
3. रगस डेंटल कालेज, 116, डा॰ राधाकृष्णन सलाई, मद्रास-600004	1. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी 2. कंजवेंटिव डेन्टिस्ट्री 3. आर्थो डांटिक्स 4. ओरल पैथोलॉजी
4. सवीता डेन्टल कालेज, *पेनामल्ली,* *मद्रास-600056*	*1. प्रोस्थोडांसिया* *2. ओरल एंड* मैक्सिलल्लोफेसियल सर्जरी 3. कंजवेंटिव डेन्टिस्ट्री 4. आर्थोडान्टिक्स

हरियाणा

1. डेन्टल कालेज, मेडिकल कैम्पस, रोहतक-124001 (हरियाणा)	*1. प्रोस्थेटिक *2. आर्थोडांटिक्स *3. पेडोडांटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेन्टिस्ट्री

केरल

1. डेन्टल विंग, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम-635001	1. आपरेटिव डेन्टिस्ट्री 2. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 3. आर्थोडांसिया 4. पिरियाडांसिया 5. ओरल सर्जरी 6. ओरल पैथोलॉजी 7. पेडोडान्टिक्स 8. ओरल मेडिसिल एंड रेडियालॉजी
2. डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज, पी॰ओ॰, कलकत्ता-673008	1. ओरल एंड मेक्सिलल्लोफ्रेसियल सर्जरी 2. आर्थोडान्सिया 3. प्रोस्थोडांसिया

आन्ध्र प्रदेश

1. गवर्नमेंट डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, अफजलगंज, हैदराबाद-500012	1. आर्थोडान्सिया 2. ओरल मेडिसिन एंड रेडियालॉजी 3. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 4. पिरियोडान्सिया 5. ओरल सर्जरी 6. कंजवेंटिव डेन्टिस्ट्री 7. पेडोडान्टिक्स

* प्रवेश बन्द

बिहार

1. पटना डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, आगमकुंआ, पटना-800007	1. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 2. ओरल पैथोलॉजी
2. बुद्ध इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइंसेज, पटना	1. प्रोस्थोडान्टिक्स

नई दिल्ली

1. डिपार्टमेंट ऑफ डेन्टल सर्जरी आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकी साइंसेज, अन्सारी नगर नई दिल्ली-110029	1. आर्थोडान्टिक्स 2. प्रोस्थोडान्सिया

मध्य प्रदेश

1. कालेज ऑफ डेन्टिस्ट्री, इन्दौर-452001	1. आर्थोडान्टिक्स 2. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री

गुजरात

1. गवर्नमेंट डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, न्यू सिविल हास्पिटल कम्पाउन्ड, असरवा अहमदाबाद-380016	1. आपरेटिव डेन्टिस्ट्री 2. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 3. पिरियोडांसिया 4. ओरल पैथोलॉजी एंड बैक्टिरियोलॉजी 5. ओरल डायग्नोसिस एंड डेन्टल रेडियोलॉजी 6. ओरल सर्जरी 7. आर्थोडान्सिया

कर्नाटक

1. गवर्नमेंट डेन्टल कालेज, बंगलौर	1. आर्थोडान्सिया 2. ओरल सर्जरी 3. पिरियाडांसिया 4. ओरल डायग्नोसिस एंड डेन्टल रेडियालॉजी 5. पब्लिक हैल्थ डेन्टिस्ट्री 6. आपरेटिव डेन्टिस्ट्री 7. प्रोस्थोडांटिक्स
2. कालेज ऑफ डेन्टल सर्जरी मणिपाल	1. आर्थोडान्सिया 2. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 3. पिरियोडांसिया 4. प्रोस्थोडान्टिक डेन्टिस्ट्री 5. ओरल सर्जरी 6. ओरल डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी 7. ओरल पैथोलॉजी 8. पेडोडान्सिया 9. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री
3. बापूजी डेन्टल कालेज, दावनगेरे	1. पिरियोडान्सिया 2. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 3. ओरल सर्जरी 4. आर्थोडान्टिक्स 5. प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री 6. ओरल मेडिसिन एंड रेडियालॉजी 7. पेडोडान्टिक्स 8. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री 9. ओरल पैथोलॉजी
4. के॰ एल॰ ई॰ सोसायटी डेन्टल बंगलौर	1. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी 2. पिरियाडांसिया 3. प्रोस्थोडांटिक्स 4. ओरल पैथोलॉजी 5. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 6. आर्थोडान्सिया 7. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री 8. ओरल मेडिसिन
5. ए॰बी॰ शेट्टी मेमोरियल, बंगलौर	1. प्रोस्थोडांटिक्स 2. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 3. आर्थोडान्सिया 4. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल 5. पिरियोडान्सिया 6. ओरल पैथोलॉजी

	7. पेडोडान्सिया एंड प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री
	8. ओरल मेडिसिल एंड रेडियोलॉजी
6. एस॰ डी॰ एम॰ कालेज ऑफ डेन्टल साइंसेज, धारवाड़	1. प्रोस्थोडान्टिक्स 2. पिरियाडांसिया 3. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 4. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी 5. आर्थोडांसिया 6. ओरल पैथोलॉजी 7. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री
7. कालेज ऑफ डेन्टल सर्जरी, मंगलौर	1. ओरल पैथोलॉजी 2. आर्थोडान्सिया 3. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री
8. एम॰आर॰ ए॰ डेन्टल कालेज, बंगलौर	1. प्रोस्थोडांटिक्स 2. पिरियाडांसिया 3. आर्थोडांसिया 4. ओरल मेडिसिल एंड रेडियोलॉजी
9. कालेज ऑफ डेंटल साइंसेज, दावनगेरे	1. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी 2. पेडोडांसिया एंड प्रिवेंटिव डेन्टिस्ट्री 3. आर्थोडान्टिक्स 4. पिरियाडांसिया 5. कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री 6. प्रोस्थोडांटिक्स
10. पी॰एम॰एन॰एम॰ डेन्टल कोले, बागलकोट	1. प्रोस्थोडांसिया 2. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 3. आर्थोडान्टिक्स 4. ओरल सर्जरी 5. ओरल पैथोलॉजी
11. जे॰एस॰एस॰ डेन्टल कालेज, मैसूर	1. आर्थोडान्सिया 2. प्रोस्थोडान्सिया 3. ओरल मेडिसिल एंड रेडियोलॉजी 4. पिरियोडान्सिया 5. ओरल सर्जरी 6. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 7. कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री 8. पेडोडान्टिक्स
12. येनेपोया डेन्टल कालेज, मंगलौर	1. ओरल पैथोलॉजी 2. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 3. आर्थोडान्सिया 4. पिरियोडान्सिया 5. प्रोस्थोडान्सिया 6. ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी
13. के॰बी॰जी॰ डेन्टल कालेज, सुल्लिया	1. प्रोस्थोडान्टिक्स
14. के॰ एल॰ ई॰ डेन्टल कालेज, बेलगाम	1. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 2. ओरल मेडिसिल एंड रेडियोलॉजी
गोवा	
1. गोवा डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, गोवा	1. प्रोस्थोडान्टिक्स 2. आर्थोडान्टिक्स
असम	
1. रिजनल डेन्टल कालेज, गुवाहाटी	1. पिरियोडान्सिया 2. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री
तमिलनाडु	
मिनाक्षी अम्मल डेन्टल कालेज	1. प्रोस्थो डान्टिक्स 2. पिरियाडान्टिक्स 3. ओरल एंड मेक्सिलोफेसियल सर्जरी 4. कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री 5. आर्थोडान्सिया 6. ओरल पैथोलॉजी

विवरण-III

राज्य का नाम	दन्त चिकित्सा कालेजों का नाम	विषय	विलम्ब के कारण
1	2	3	4
महाराष्ट्र	(1) डी॰वाई॰ पाटिल दन्त चिकित्सा कालेज, पिम्परी (पुणे)	नया दन्त चिकित्सा कालेज खोलना	भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिश की प्रतीक्षा है।
	(2) एम॰ जी॰ विद्या मंदिर, दंत चिकित्सा कालेज, नासिक	बीडीएस की प्रवेश क्षमता 40 से 100 तक बढ़ाना	आशय पत्र जारी किया गया है और आवेदक की ओर से अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	(3) अनुराधा दन्त चिकित्सा कालेज, चिखाली, बुलढ़ाना	नया दन्त चिकित्सा कालेज शुरू करना	यह मामला नया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।
	(4) परवारा मेडिकल ट्रस्ट दन्त चिकित्सा कालेज, लोनी	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना	इस पर कार्रवाई चल रही है।
कर्नाटक	(1) एन॰ एस॰ वी॰ के डेंटल कालेज, बैंगलूर	नया दन्त चिकित्सा शुरू करना	भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिश 20.5.98 को प्राप्त हुई और मामले की जांच चल रही है।
	(2) बाबू जगजीवन राम दन्त चिकित्सा कालेज, बेंगलूर	-वही-	कालेज की ओर से आशय पत्र के दो बिन्दुओं पर अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
	(3) मारूती कालेज ऑफ डेंटल सांईसिज और रिसर्च सेंटर बेंगलूर	-वही-	तब से पांच एकड़ भूमि के कब्जे/स्वामित्व के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यह मामला प्रक्रियाधीन है।
	(4) के॰वी॰जी॰ डेंटल कालेज, सूलिया	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना।	प्रोस्थोडोन्टिस के संबध में अनुमति पत्र 10.6.98 को जारी किया गया है। (2) दो विशेषज्ञताओं नामतः कंजरवेटिव डेन्टिस्टरी तथा ओरल सर्जरी के संबध में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिशें 2.6.98 को प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच चल रही है। (3) पीरियोडोन्टिक्स के संदर्भ में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।
	(5) पीएमएनएम दन्त चिकित्सा कालेज, बागलकोट	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना	(1) पेडोडान्टिक्स के लिए 18.12.97 को जारी किए

1	2	3	4
			गए आशय पत्र के बारे में अनुपालन रिपोर्ट की आवेदक कालेज की ओर से प्रतीक्षा की जा रही है। (2) अन्य दो विशेषज्ञताओं नामतः (1) ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी तथा (2) पीरियोडान्टिक्स के संबंध में भारत दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिश प्राप्त हुई है और इस मामले पर कार्रवाई चल रही है। आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई 17.7.98 को की गई।
	(6) येनेपोया दन्त चिकित्सा कालेज	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना।	तीन विशेषज्ञताओं नामतः (1) कम्युनटी डेन्टिस्टिरी (2) पीडोडान्शिया (3) ओरल मेडिसन तथा रेडियोलॉजी के संबंध में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।
	(7) एच॰के॰ई॰ सोसायटी दन्त चिकित्सा कालेज, गुलबर्गा	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना	भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिशें 2.6.98 को प्राप्त हुई हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक बीडीएस पाठ्यक्रम में स्वीकृत क्षमता से अधिक प्रवेश दे रहा है। आवेदक से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि वह उसने स्वीकृत क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश देकर दन्त चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम 1993 के उपबंध का उल्लंघन क्यों किया है? उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
	(8) बी॰एस॰ दन्त चिकित्सा कालेज, बेंगलूर	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना	भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4
	(9) के॰एल॰ई॰ सोसायटी दन्त चिकित्सा कालेज, बेलगाम	एम॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रम शुरू करना	कालेज के प्राधिकारियों की ओर से आशय पत्र के बारे में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और यह रिपोर्ट अपूर्ण पाई गई। आवेदक से और अधिक सूचना मांगी गई है।
	(10) एसडीएम कालेज ऑफ डेंटल साईसिज एण्ड हास्पिटल धारवाड़, कर्नाटक	एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना	आशय पत्र के बारे में 7.4.98 को जारी की गई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इस मामले की जांच चल रही है।
	(11) पीएमएनएम दन्त चिकित्सा कालेज, बागलकोट	बीडीएस में सीटें 60 से 100 करना	विसंगतियों के बारे में आवेदक को भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसे टिप्पणियों हेतु भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् को भेज दिया गया है।
	(12) कूर्ग इन्स्टीट्यूट ऑफ डेंटल साईसिस, विराजपेट, कूर्ग	नया दन्त चिकित्सा कालेज शुरू करना	योजना को मूल्यांकन तथा सिफारिश हेतु भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् को भेजा गया है।
	(13) कालेज ऑफ डेंटल साईसेस, दावनगेरे	6 एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना	यह मामला नया प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।
	(14) बापूजी डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, दावनगेरे, कर्नाटक	2 एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना	यह मामला नया प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।
	(15) एम॰आर॰ अम्बेडकर डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, बेंगलर	(1) ओरल सर्जरी; तथा (2) कंजरवेटिव डेन्टिस्टरी में एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करना	आवेदक ने केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश दिए हैं और इस प्रकार दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम 1993 के उपबंधों का उल्लंघन किया है। आवेदक से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि उसने ऐसा क्यों किया है? आवेदक से उत्तर प्राप्त हो गया है और मामले की जांच की जा रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

5887. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ :

श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 16 मार्च और 23 जून, 1998 के "दून वैली मेल" में "ओ एन जी सी" में अनियमितताओं का बोलबाला", "ओ एन जी सी के डायरेक्टर (पी) को आखिर 21 लाख रुपए लौटाने पड़े" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बावजूद अभी वे अपने पद पर बने हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) तेल और प्राकृतिक गैस निगम में इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) समाचार की विषय वस्तु नोट कर ली गई है और सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

"कृभको"

5888. श्री देवी बक्स सिंह :

डा॰ रमेश चन्द्र तोमर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता आयोग ने "कृभको" के निदेशक स्तर के अधिकारी के विरुद्ध तीन वर्ष पूर्व कठोर कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) ने तीन वर्ष पहले ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। 1997 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) से प्राप्त हुई सलाह कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ (कृभको) के निदेशक मण्डल के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अस्पृश्यता

5889. श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले :

श्री ए॰ वेंकटेश नायक :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान संशोधन के बावजूद समाज में छुआछूत की प्रथा अभी भी मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घृणित प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन पर 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर तथा नगर हवेली, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप में अस्पृश्यता की प्रथा विद्यमान नहीं है।

तथापि, 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यानि जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा तथा दिल्ली में यह हल्के रूप में विद्यमान है।

शेष बारह राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पांडिचेरी में अस्पृश्यता की प्रथा अभी भी विद्यमान हैं

(ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र कानूनी सहायता, विशेष न्यायालयों, अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र की पहचान सर्वेक्षणों तथा अन्य संबंधित मामलों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती हैं।

अस्पृश्यता की प्रथा क्योंकि अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से जुड़ी हुई है इसलिए सरकार ने कई विकासात्मक कार्यक्रम तैयार किए हैं।

एन॰एस॰एफ॰डी॰सी॰ से ऋण

5890. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम से एन॰एस॰एफ॰डी॰सी॰ से सीधे ऋण प्राप्त करने के अंतर्गत आवधिक ऋण और कार्यशील पूंजी मंजूर करने के वास्ते कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन॰ एस॰ एफ॰ डी॰ सी॰ द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने आवधिक ऋण और चलती पूंजी ऋण की स्वीकृति के लिए कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से 10 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा लिए गए निर्णयों को विवरण के कालम-4 में दिया गया है।

विवरण

उन योजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने दोनों आवधिक ऋण और चलती पूंजी ऋण की मांग की है

(रुपए लाख में)

क्र॰सं॰	योजना का नाम	योजना की लागत	एनएसएफडीसी का अंश	एनएसएफडीसी का निर्णय
1.	फिश सीड प्रोडक्शन एंड रियरिंग फार्म	6.75	5.75	स्वीकृत
2.	एल॰पी॰ फास्ट फूड सेंटर	24.00	20.00	स्वीकृत
3.	स्टील फर्नीचर	4.25	3.16	स्वीकृत
4.	पाउल्ट्री फार्म	6.00	4.50	स्वीकृत
5.	सीमा राइस मिल्स	27.00	21.75	प्रक्रियाधीन
6.	एम॰/एस॰ कृष्णा स्टोन क्रशर	25.68	19.25	प्रक्रियाधीन
7.	कोस्टल कोकोनट आयल मिल्स	7.50	6.00	प्रक्रियाधीन
8.	पवन सिल्क इन्डस्ट्रीज	22.20	19.40	कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
9.	जनरल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज	11.25	9.25	विकास निगम के द्वारा
10.	लेदर वर्क्स	4.40	3.22	भेजी गई योजनाएं अधूरी थी। कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है। स्पष्टीकरणों के जबाव मिल जाने पर गुण-दोष के आधार पर योजनाओं पर कार्रवाई की जाएगी।

वेतनमान संशोधन

5891. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन रूग्ण एककों में 1987 के बाद संशोधित वेतनमान लागू नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बी॰आई॰एफ॰आर॰ ने इन रुग्ण उद्योगों में वेतनमान संशोधन के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योगवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) प्रत्येक रुग्ण एकक में कब तक वेतनमान में संशोधन किया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित पांच रुग्ण उद्यम हैं : आई॰डी॰पी॰एल॰, बी॰आई॰एल॰, एस॰एस॰पी॰एल॰, एफ॰सी॰आई॰ और एच॰एफ॰सी॰। इन्हें 1987 के बाद संशोधित वेतनमान नहीं मिले हैं। आई॰डी॰ए॰ व्यवस्था (पैटर्न) वाले सरकारी उद्यमों के वेतनमानों में 1.1.1992 से संशोधन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के 19.7.95 के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिहाड़ी संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को संबंधित पी एस यूज के आन्तरिक सृजन से पूरा किया जाए। इसके अलावा पुनरूद्धार या अन्यथा के संबंध में बी॰आई॰एफ॰आर॰ के निर्णय की प्रतीक्षा की जानी होगी।

(ग) से (ङ) आई॰डी॰पी॰एल॰, बी॰आई॰एल॰ तथा एस॰एस॰पी॰एल॰ के संबंध में वेतनमान के संशोधन के संबंध में बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है। एफ॰सी॰आई॰ और एच॰एफ॰सी॰ के मामलों में बी॰आई॰एफ॰आर॰ ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय को यह निदेश दिया है कि वह दिहाड़ी/वेतन संशोधन समेत कंपनियों के पुनरूद्धार से संबंधित मसलों पर यूनियनों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करे और तदनुसार 22.10.1997 को विचार-विमर्श किया गया। सभी रुग्ण कंपनियों में वेतन संशोधन का मामला पुनरूद्धार योजनाओं (पैकेजिज) के अंतिम रूप देने से जुड़ा है।

(च) अभी कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

[हिन्दी]

सिलिंडर की आपूर्ति की समय सीमा

5892. **श्री प्रदीप कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग के 10 से 15 दिनों के बाद भी उपभोक्ताओं को आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समय पर उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर की आपूर्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई/करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां कोई कथित बैकलॉग नहीं है। घरेलू एल पी जी के विपणन और दुरुपयोग को रोकने के लिए सामान्य खपत प्रतिरूप के अनुसार रीफिल सिलेंडर की आपूर्ति पिछली आपूर्ति के 21 दिनों के बाद करनी होती है।

(ग) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध एल पी जी के वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। कभी कभार उत्पन्न होने वाले अस्थायी बैकलाग बढ़ाए गए घंटों और अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों का प्रचालन करके एल पी जी की आपूर्ति बढ़ाकर और समीपवर्ती क्षेत्रों में भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाए जाते हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड

5893. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के विपणन/तकनीकी विभागों के कर्मचारी निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में तैनात हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगमित कार्यालय में इन कर्मचारियों की सेवाओं का समुचित उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कलकत्ता के निगमित कार्यालय में विपणन प्रभाग को स्थानांतरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰के॰ पटेल) : (क) से (ङ) भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एच एफ सी) के दिल्ली स्थित इसके कार्पोरेट कार्यालय में दो सैल अर्थात् एक विपणन सैल और दूसरा उर्वरक प्रवर्धन और कृषिय अनुसंधान प्रभाग (एफ पी एण्ड ए आर डी) सैल हैं। एफ पी एण्ड ए आर डी सैल वाटर-शैड प्रबन्ध, जैव उर्वरकों आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए नीतियों के प्रतिपादन के लिए भी उत्तरदायी हैं। इन सैलों में से प्रत्येक का गठन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इन सैलों में तैनात किये गये स्टाफ की सेवाओं का पूरा उपयोग किया जाता है।

(च) एच एफ सी का विपणन प्रभाग कलकत्ता में स्थित है और महाप्रबन्धक (विपणन) इसके प्रमुख हैं। इसे स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विपणन सैल

1.	मुख्य विपणन प्रबन्धक	1
2.	उप विपणन प्रबन्धक	1
3.	बिक्री अधिकारी	1
4.	प्रबन्धक (कार्मिक)	1
5.	सहायक वित्त प्रबन्धक	1
6.	लेखा अधिकारी	1
7.	परिवहन अधिकारी	1
8.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
9.	अवर श्रेणी लिपिक	1
10.	संदेशवाहक	1
		10

एफ॰ पी॰ और ए॰ आर॰ डी॰ सैल

1.	उप प्रबन्धक (कृषि विज्ञान)	1
2.	वरिष्ठ मृदा कैमिस्ट	1
3.	वैयक्तिक सहायक	2
4.	सहायक	1
	ड्राइवर	1
		6

दिल्ली में ठेकेदार

5894 श्री पुन्नू लाल मोहले :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने ठेकेदार विभिन्न कम्पनियों और सरकारी विभागों में सुरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति करते हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी के नाम, पता और दूरभाष संख्या क्या हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बेरोजगारों के लिए कार्य योजना

5895 श्री रामशकल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारों का बीमा करने संबंधी कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98 के दौरान राज्य-वार कितने लोगों का बीमा किया गया; और

(ग) वांछित सफलता प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच किए गए औषधि भंडार डिपो

5896. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के॰ स॰ स्वा॰ योजना के किसी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के औषधि भंडार डिपो के प्रभारियों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उनके भंडार डिपो के पिछले रिकार्ड की जांच करने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन अधिकारियों को अपने विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना सीधे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को लिखने का अधिकार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीतियां हैं; और

(ज) नियमों का उल्लंघन करने के लिए इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ज) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

चलती-फिरती अदालतों की स्थापना

5897. डा॰ रवि मल्लू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए गए बलात्कारों तथा अत्याचारों में शामिल अभियुक्त लोगों को दंडित करने के लिए चलती-फिरती अदालत स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कुछ राज्यों में गठित विशेष न्यायालय, चलते-फिरते न्यायालय हैं।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

5898. श्री राजनारायण पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में विशेषरूप से भूकंपीय सर्वेक्षण गत तीन वर्षों के दौरान तेल शोधन तथा अन्य संबंधित तीन वर्षों के दौरान तेल शोधन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में गवेषण, अनुसंधान तथा ड्रिलिंग के लिए निजी क्षेत्र/विदेशी सहयोग/संयुक्त उपक्रम द्वारा निवेश हेतु तैयार की गई नीति का क्या ब्यौरा है;

(ख) इन क्षेत्रो में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए अथवा किन उद्देश्यों के लिए आठवीं योजना के दौरान अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों का स्वदेशीकरण शुरू किया गया था;

(ग) क्या लक्षित क्षेत्रों में कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार शुरू किए गए कार्यों की प्रकृति, पाए गए गैस भंडार तथा अनुमानित उत्पादन का क्या ब्यौरा है तथा इसमें शामिल निजी तथा विदेशी कम्पनियों का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप इस संबंध में आयात में कितनी कमी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तांती समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

5899. श्री रामजीदास ऋषिदेव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के तांती समुदाय को शामिल करने वाला अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह विधेयक कब से लंबित पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को बिहार के तांती (खतवे) समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए बिहार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या दक्षिणी बिहार के तांती अनुसूचित जाति में सम्मिलित है और उन्हें दक्षिणी बिहार में पान तांती कहा जाता है और उत्तर बिहार में चोपाल कहा जाता है; और

(च) यदि हां, तो उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधाएं न मिलने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

(ङ) बिहार में तांती को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बिहार सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण बिहार के तांतियों को पान तांती और पूमिया को चौपाल कहा जाता है।

(च) तांतियों को अनुसूचित जाति के रूप में मानने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

संरक्षण गृहों तथा मनोरोग अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मार्ग निदेश

5900. श्री के॰ एस॰ राव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन संरक्षण गृहों तथा मनोरोग अस्पतालों के कार्यकरण के पर्यवक्षेण और निगरानी का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन में शामिल किए गए संरक्षण गृहों और मनोरोग अस्पतालों, यदि कोई हों, को इंगित करता हुआ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अध्ययनों के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संरक्षण गृहों तथा मनोरोग अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ प्रमुख मार्ग निदेश तैयार/जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेपाली नागरिकों को यातनाएं

5901. श्री भीम दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के असम और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को यातनाएं दी जा रही हैं और उन्हें भगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें असम के श्रीरामपुर और अन्य जांच चौकियों से निकाला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या असम में जांच चौकियों पर पुलिस नेपाली नागरिकों से धन ऐंठने के लिए उन्हें भारी यातनाएं देती है और उन नागरिकों को कामख्या देवी मंदिर का दर्शन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

तथापि, बिना अवैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले नेपाल के राष्ट्रिकों का पता लगाया जा रहा है और उनको विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, श्रीरामपुर चैक गेट से स्वदेश लौटाया जाता है।

[अनुवाद]

अधिकारों का संरक्षण

5902. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1995 को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अनेक राज्य सरकारों ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अपने से संबंधित अनेक प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रधान मंत्री, केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिव/सचिव तथा अन्य अधिकारियों को पत्र लिखते रहे हैं जिनमें इस अधिनियम का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत प्रबंधों एवं संरचना के सृजन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। राज्य सरकारों को निःशक्त व्यक्तियों तक व्यापक रूप से पहुंचने के लिए अपने अधीन विभिन्न विभागों के समन्वयन को सूचीबद्ध करने हेतु एक बहु-क्षेत्रीय सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने की भी सलाह दी गई। उन्हें, निःशक्त व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त बजट प्रावधान करने की भी सलाह दी गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धोबी थड़ा का गिराया जाना

5903. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान धोबियों की ओर से धोगी थड़ा को गिराए जाने और सेक्टर डी, टाइप-दो, मंदिर मार्ग, डी॰ आई॰ जेड॰ एरिया, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण

5904. श्री ए॰ सी॰ जोस :

डा॰ असीम बाला :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण देने के संबंध में कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में इन समुदायों के लोगों की भर्ती के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए वर्तमान में कोई कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बच्चों की मौत

5905. श्री सी॰ डी॰ गामीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के बरखेड़ा जंगलों में 2 जून, 1992 को बंधुआ मजदूर परिवारों के कम से कम पांच बच्चों की कथित दुखद मौत की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की गई खबर के तथ्य क्या हैं; और

(ग) बंधुआ मजदूरों पर अत्याचार रोकने, उन्हें ठेकेदारों और शोषकों की गिरफ्त से मुक्त करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और इस संदर्भ में क्या निर्देश जारी किये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल पम्पों का आबंटन

5906. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान डीलर्स सेलेक्शन कमेटी द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन हेतु नियत किए गये/विज्ञापित पेट्रोल पम्प इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा जयपुर और जोधपुर में अप्रैल, 1998 के दौरान मनमाने ढंग से सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित किए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पेट्रोल पम्पों के आबंटन की सरकार द्वारा जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा आबंटन प्रक्रिया को कब तक अंतिम रूप दिए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आई ओ सी ने राजस्थान में निम्नलिखित सात स्थानों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत हाल ही में विज्ञापित किया है :

1. रामजी का गोल, जिला बाड़मेर-स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के अंतर्गत
2. चन्दन, जिला जैसलमेर-सामान्य श्रेणी के अंतर्गत
3. सीवारी, जिला जालौर-अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत
4. सुराणा, जिला जालौर-सामान्य श्रेणी के अंतर्गत
5. मेधालवा, जिला जालौर-अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत
6. जूनिया, जिला अजमेर-अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत
7. केकड़ी, जिला अजमेर-अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत

उपर्युक्त डीलरशिप चालू करने के लिए तैयार थीं।

जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत

स्थलों का विकास कारपोरेशन द्वारा संग्रह निधि योजना के अंतर्गत किया जाना है, वहीं स्वतंत्रता सेनानी और सामान्य श्रेणी के लिए स्थलों को "क" स्थल के रूप में विज्ञापित किया गया है। संग्रह निधि योजना और "क" स्थल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के अंतर्गत भूमि आदि तेल कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। चूंकि रामजी का गोल, चन्दन, सुराणा और जूनिया में खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए जाने के लिए तैयार थे, इसलिए तेल उद्योग नीति के अनुसार इनको आई ओ सी द्वारा तदर्थ आधार पर प्रचालित किए जाने की अनुमति दे दी गई थी।

एक शिकायत प्राप्त होने पर रामजा का गोल और चन्दन में तदर्थ डीलरशिप निलम्बित कर दी गई थी। तथापि कारपोरेशन द्वारा जांच किए जाने पर शिकायत आधारहीन पाई गई और इन दो खुदरा बिक्री केन्द्रों को पुनः चालू कर दिया गया। सुराणा और जूनिया के लिए तदर्थ डीलरों की नियुक्ति भी कर दी गई है परन्तु जूनिया स्थल के लिए चालू की गई तदर्थ डीलरशिप अब बन्द कर दी गई है। हाल में राजस्थान में केवल खुदरा बिक्री केन्द्र नामतः चन्दन, रामजी का गोल और सुराणा ही तदर्थ आधार पर प्रचालनरत है।

सरकार ने डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। डीलरों का चयन डीलर चयन बोर्ड, राजस्थान द्वारा आवेदन वाले उम्मीदवारों में से किया जाना है।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिक

5907. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिक अपनी शिकायतों की सुनवायी के लिए 13 अक्तूबर, 1997 को जबलपुर जिले के कलेक्टर और कमिश्नर से मिले थे;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि श्रम विभाग और कम्पनी मालिकों के बीच मनमुटाव के कारण सभी बीड़ी श्रमिक कल्याणकारी भविष्य निधि योजना, समूह बीमा योजना और आवास योजना आदि जैसे लाभ से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो बीड़ी श्रमिकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार श्रम कल्याण संगठन जबलपुर के माध्यम से भविष्य निधि योजना और सामूहिक बीमा योजना सहित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत स्वास्थ्य, हाऊसिंग, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में और निधि के अधीन कार्य कर रहे औषधालयों में राज्य श्रम विभाग भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं का आरक्षण

5908. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति-उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 और 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अनुसूचित जनजाति उप-योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाने के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा किस आधार पर आरक्षण किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना राजस्थान राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

5909. श्री मोइनुल हसन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में इचापुर में तेल खोजने का कार्य बन्द कर दिया गया था जिसे पुनः शुरू किया गया है और अब तेल और प्राकृतिक गैस निगम वहां तेल खोजने का कार्य बहुत धीमी गति से कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल में पिछले कई वर्षों से किये जा रहे गवेषण कार्य के उपरांत वहां तेल के ऐसे भंडार मिले हैं जिनसे तेल निकालना लाभप्रद होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 1998 तक इचापुर क्षेत्र के संबंध में अन्वेषणात्मक वेधन पर 53.78 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मजदूर संघ केन्द्रों को मान्यता

5910. **श्री सी॰ कुप्पुस्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कामकाजी वर्ग के क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व के लिए बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के मजदूर संघों को मान्यता दी जाएगी और उन्हें स्थाई मजदूर समिति के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : फिलहाल, किसी मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन) को केन्द्रीय मजदूर संघ के रूप में मान्यता देने का मानदंड यह है कि मजदूर संघ की सत्यापित सदस्यता 5 लाख या इससे अधिक हो तथा कम से कम चार राज्यों और 4 उद्योगों में इसका विस्तार हो। क्षेत्रीय मजदूर संघों के मामले में, यदि वे उक्त मानदंड को पूरा करते हों, तो वे केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन बन सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी

5911. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में देश का क्षेत्रफल कितना है और स्वतंत्रता के पश्चात् इसमें आज तक हुई वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दलालों द्वारा पर्यटकों से ठगी

5912. **श्री वी॰वी॰ राघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1998 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "टेरीफाइड टूरिस्ट टेकेन फार ए राइड बाई टाउट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले पर्यटकों को बेईमान दलालों, टैक्सी चालकों और ट्रैवेल एजेंटों, इत्यादि की ठगी का शिकार न होना पड़े?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सुश्री मोनिका ट्रैक्जिक ने दिल्ली पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हवाई अड्डे पहुंचने पर उसने वहां से कनाट प्लेस के लिए एक टैक्सी भाड़े पर ली, परन्तु टैक्सी चालक उसे गोल-मार्किट, नई दिल्ली, के निकट एक ट्रेवल एजेंट के पास ले गया जहां से उसे लाजपत नगर, नई दिल्ली में किसी स्थान पर भेजा गया जहां उसे चार-दिन तक बंद रखा गया और उससे धन छीन लिया गया।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल के आधार पर, मामले में कथित रूप से संलिप्त चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। इसमें संलिप्त एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति फरार है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। परन्तु दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त कर लिए हैं।

(घ) दलालों के खतरे को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं-विशेषतः व्यस्ततम समय-के-दौरान संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कर्मियों को तैनात करना, प्री-पेड बूथों पर निरन्तर चौकसी रखना, यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थानों तक ले जा रही टैक्सियों की गहन-जांच करना। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान 15 जुलाई, 1998 तक 943 दलालों को गिरफ्तार किया है तथा 428 वाहनों को जब्त किया है।

आत्महत्या

5913. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 सितम्बर, 1997 को शास्त्री भवन नई दिल्ली से कूद कर आत्महत्या करने वाले खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्वर्गीय श्री एम॰सी॰ महापात्र को कथित आत्महत्या की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की जांच के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह जांच कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में कोई आरोप पत्र दाखिल कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मिली सूचना के अनुसार, उन्होंने अब तक इस मामले से संबद्ध 58 साक्षियों की जांच-पड़ताल की है तथा पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट की व्यापक रूप से जांच कराने के लिए डाक्टरों का एक बोर्ड भी गठित करवाया है। इसके अलावा, घटना स्थल से एकत्र की गई सामग्री को भी केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है जिस पर उनकी राय आंशिक रूप से मिल चुकी है।

(ख) जांच-पड़ताल पूरी करने के लिए किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित करना कठिन है क्योंकि यह अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नीति

5914. डा॰ प्रभा ठाकुर : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने साधारण उपभोक्ताओं को उन दुकानदारों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं जो घटिया, त्रुटिपूर्ण तथा सस्ती सामग्री से बने माल को सामान्य मूल्य पर बेचकर अधिकतम मुनाफा कमाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन दुकानदारों, जो ऐसी सामग्रियों को बेचते हैं, से उपभोक्ताओं को जुर्माने के साथ पूरा मूल्य वापस दिलाने के लिए कोई नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापारिक व्यवहारों, प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहारों आदि के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के विवादों को तेजी से निपटाने के लिए एक अर्धन्यायिक तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का बनाया जाना शामिल है। यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। दोषपूर्ण वस्तुओं अथवा सेवाओं में कमी आदि के किसी मामले में उपभोक्ता आवश्यक राहत/मुआवजे के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने कुछ उत्पादों, जो सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित बातों को प्रभावित करती हैं, पर भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन चिह्न लाइसेंसिंग स्कीम लागू करने के लिए अनेक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न की मौजूदगी ऐसे उत्पाद की संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होने की गारंटी देता हैं यदि भारतीय मानक ब्यूरो का कोई लाइसेंसधारी भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लगे ऐसे किसी उत्पाद की आपूर्ति करता है, जो मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंसधारी को दोषपूर्ण उत्पाद को बदलने का निर्देश देता है और लाइसेंसधारी के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके विनियमनों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

पुलिस द्वारा वाहन का किराए पर लेना

5915. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में तैनात तथा सुरक्षा ड्यूटी में लगे अन्य बलों के लिए निजी वाहनों को किराए पर लेती है;

(ख) यदि हां, तो केवल टाटा 407 ऊपर से खुले निजी वाहनों को ही किराए पर लिया जाता है जबकि खुले वाहनों के मुकाबले ढकी हुई मेटाडोर गाड़ियां ज्यादा आरामदेह होती हैं;

(ग) यदि हां, तो ढकी हुई मेटाडोर गाड़ियों के स्थान पर ऊपर से खुली टाटा 407 किराए पर लेने के कौन से विशिष्ट कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में तथा ढकी हुई मेटाडोर किराए पर लेने के संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) बाहर से आए बलों को वाहन न केवल अपने जवानों को लाने ले जाने के लिए बल्कि उन्हें खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए भी चाहिए होते हैं। टारपोलाइन के साफ्ट टॉप और साईड-वे-सिटिंग व्यवस्था वाली टाटा 407 (कमर्शियल) गाड़ियों को इस प्रयोजनार्थ क्लोज्ड् बाडी मेटाडोर गाड़ियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक पाया गया है। बाहर से आए बलों की जरूरत को पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस किराए की बसें भी उपलब्ध कराती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण

5916. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपति भारी मुनाफा कमाने के उद्देश्य से दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे साबुन, दवाईयां, शीतल पेय, टूथपेस्ट,

माचिस की कीमतें, उनकी लागत के दस से तीस गुना अधिक निर्धारित करते हैं;

(ख) क्या यह उपभोक्ताओं का अमानवीय शोषण नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी मुनासिब कीमत निर्धारित करने के लिए क्या विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का इस उद्देश्य से एक समिति गठित करने का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इन जिंसों की कीमतें निर्धारित करने के लिए क्या तुरन्त मूल्य निर्धारण समिति गठित की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) जहां तक औषधों का संबंध है, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के अन्तर्गत सूचीबद्ध मिश्रणों के मूल्य नेशनल फार्मेस्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी/सरकार द्वारा उक्त आदेश में निर्धारित उपबंधों के अनुसार निर्धारित उपबंधों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। गैर सूचीबद्ध मिश्रणों के मूल्य कम्पनियों द्वारा स्वयं निश्चित किए जाते हैं। नेशनल फार्मेस्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उद्योगपति भारी लाभ कमाने की दृष्टि से औषधियों के मूल्य उत्पादन लागत से दस से तीस गुणा अधिक निश्चित कर रहे हैं।

धुलाई करने वाले साबुन को छोड़कर साबुन उद्योग लाइसेंस मुक्त श्रेणी में आता है। धुलाई करने वाला साबुन, टूथपेस्ट और माचिस उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

(ख) से (च) अपेक्षित सूचना संबंधित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुलिस द्वारा यूनानी महिला के खिलाफ की गई ज्यादती

5917. **श्री शैलेन्द्र कुमार** :

श्री बेनी प्रसाद वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैसिलिकी देराउ काकी नामक एक यूनानी महिला ने दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा 31 मई, 1998 को उनके खिलाफ की गई ज्यादतियों के संबंध में गृह मंत्री को कोई पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विषय-वस्तु क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सुश्री देराउकाकी से 28 मई, 1998 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसने शिकायत की थी कि उसके साथ एक भारतीय व्यवसायी द्वारा धोखाधड़ी की गई जिसने भुगतान प्राप्त कर लेने के बावजूद भी उसे सामान की सप्लाई नहीं की और जब उसने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से सम्पर्क किया तो उन्होंने उस व्यवसायी के विरुद्ध उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उसके द्वारा पहले की गई शिकायत दर्ज नहीं की गई क्योंकि इस मामले में प्राप्त की गई कानूनी सलाह के अनुसार यह कोई संज्ञेय अपराध नहीं था। तथापि, उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट याचिका दायर की और मामला न्यायाधीन है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्

5918. **प्रो॰ एस॰ पी॰ सिंह "बघेल"** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में विभागाध्यक्ष के खिलाफ कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों के मामले में उक्त अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भ्रष्टाचार के इन आरोपों के खिलाफ कोई जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दुर्व्यवहार का आरोप, अधीनस्थ स्टाफ के साथ गाली-गलौच करके और असंसदीय भाषा प्रयोग करने से संबंधित हैं।

(ग) से (च) उक्त शिकायत में इस अधिकारी के विरुद्ध तीन मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। जबकि इन तीन मामलों में से एक, प्रारम्भिक जांच के पश्चात् नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा बंद कर दिया गया है, दूसरे उच्च न्यायालय में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की है और मामला इस समय निर्णयाधीन है।

स्वयंसेवी संगठनों से मदद

5919. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुमेह संबंधी जानकारी देने के लिए शिविरों के आयोजन हेतु स्वयंसेवी संगठनों से मदद मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर स्वंयसेवी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

ब्लैक कैट कमाण्डों की मृत्यु

5920. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लैक कैट कमाण्डो (एन॰एस॰जी॰) की तैनाती सम्पूर्ण भारत में विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए की जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी देते समय अथवा अन्यथा स्थिति में मरे ब्लैक कैट कमाण्डों की संख्या क्या है;

(ग) क्या उनकी मृत्यु के कारणों की जांच समुचित रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराई गई है और उसकी रिपोर्ट जांच हेतु प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) कितने मामले दायर किए गए; और

(ङ) कितने मामलों में सरकार ने पेंशन/कुटुम्ब पेंशन और अन्य देयराशि का भुगतान किया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) एन॰एस॰जी॰ कमाण्डों, देश के विभिन्न भागों में कुछेक अत्यधिक खतरे की सम्भावना वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों (1995-97) के दौरान मरे एन॰एस॰जी॰ कार्मिकों की संख्या 24 है।

(ग) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सभी मामलों में जहां लागू हो कोर्ट ऑफ इन्क्वारी आयोजित करके मृत्यु के कारणों की जांच की जाती है।

(घ) और (ङ) एक मामले को छोड़कर जिसके लिए एडिशनल कोर्ट ऑफ इन्क्वारी के आदेश दिए गए हैं, को छोड़कर, सभी मामलों की जांच सफलतापूर्वक की गई है। सरकार ने एक मामले को छोड़कर, जिसमें एडिशनल कोर्ट ऑफ इन्क्वारी के आदेश दिए गए हैं, सभी मामलों में पेंशन और परिवारिक पेंशन को अंतिम रूप दे दिया गया है। उस मामले में उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र के अभाव में मृत्यु उपदान रिलीज नहीं की गई है।

[हिन्दी]

शहतूत शालों की तस्करी

5921. श्री भगवान शंकर रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहतूस शालों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस धंधे में लिप्त कितने लोगों को गत तीन वर्षों में गिरफ्तार किया गया है;

(ग) इस धंधे में लिप्त कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि निश्चित रूप से शाहतूत शालों की तस्करी हो रही हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शहतूत में गैर कानूनी व्यापार के छः मामलों का पता लगाया गया था और इस सिलसिले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

वर्ष 1996-97 के दौरान एक कम्पनी, नामतः काटैज इंडस्ट्रीज एक्पोजिशन शहतूत शालों की तस्करी का प्रयास करने संबंधी एक मामले में संलिप्त पाई गई थी।

इन मामलों में अपराधियों के विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

विदेश व्यापार

5922. श्री आर॰ एस॰ गवई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के विभाग निदेशक, विदेश व्यापार से यह अनुरोध किया है कि वह "मैसर्स साउथ इंडिया फर्टिलाइजर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड" की उर्वरक इकाई को निर्यात से निर्धारित लाभ प्राप्त करने की सिफारिश करें?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : जी, नहीं। महाराष्ट्र सरकार से ऐसी कोई सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक

5923. श्री एस॰ अजय कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में कितने दंगे हुए; और

(ख) साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) 1 जुलाई, 1997 से 30 जुलाई, 1998 तक की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों से छः मुख्य साम्प्रदायिक दंगे सूचित किए गए हैं, जिनमें निम्नानुसार 50 व्यक्तियों की जानें गई हैं :—

राज्य	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
कर्नाटक	1
तमिलनाडु	33
उत्तर प्रदेश	7
कुल :	50

भाषायी सर्वेक्षण

5924. श्री विक्रम केशरी देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोई भाषायी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि "वर्नाकुलर" भाषा-भाषी लोगों की संख्या घट रही है;

(घ) यदि हां, तो इसकी तथ्यात्मक स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान भाषावार "वर्नाकुलर" भाषा-भाषी लोगों की संख्या कितनी रही; और

(ङ) "वर्नाकुलर" भाषा-भाषी लोगों की संख्या में गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चूंकि न तो कोई भाषाई सर्वेक्षण और न ही कोई जनगणना की गई है अतः मांगे गए ब्यौरों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ

5925. श्री राजकुमार बंग्चा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के चट्टगांव के चकमा और हाजांग निवासी जो बंगाली मुसलमानों के भारी संख्या में आ जाने के कारण घर से बेघर हो गए हैं वे अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले स्वदेशी लोगों को बेघर करके ऐसी ही स्थिति यहां पैदा करेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान संकट इंदिरा-मुजीब समझौता, 1972 का परिणाम है जो आई एल पी (इनर लाइन परमिट) दस्तावेज के माध्यम से अस्थानीय लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के बारे में राज्य सरकार के अधिकार का परित्याग नहीं करता है;

(ग) यदि हां, तो इन विदेशी शरणार्थियों को अन्य किसी स्थान पर बसाने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार 25 मार्च, 1972 के बाद आए प्रवासियों का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस बात की कोई आशंका नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग शरणार्थी, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों की संख्या से अधिक हो जाएंगे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इन शरणार्थियों को कहीं अन्यत्र बसाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के बारे में 8 फरवरी, 1972 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में उन सभी शरणार्थियों की वापसी की व्यवस्था है जो 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आए हैं। वक्तव्य में आगे यह भी कहा गया है कि जो शरणार्थी 25 मार्च, 1971 से पहले भारत आ गए थे उन्हें वापस बंगलादेश नहीं भेजा जाएगा। तद्नुसार ही 25 मार्च, 1971

के बाद उन क्षेत्रों, जो अब बंगलादेश में हैं, से भारत आए शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण सुविधा का लाभ उठाया जाना

5926. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीस वर्षों के दौरान पैदा हुए अनेक ईसाईयों ने आरक्षण का लाभ उठाने हेतु हलफनामा दायर कर अपने को अनुसूचित जाति का बताया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उन्हें केन्द्र में रोजगार देने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई धोखाधड़ी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार इससे अवगत नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति मूल के ईसाई अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के भद्रक स्थित यूनानी अनुसंधान केन्द्र में रिक्त पद

5927. श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा के भद्रक स्थित यूनानी अनुसंधान केन्द्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को समय पर न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भद्रक में तृतीय श्रेणी के तीन पद एवं चतुर्थ श्रेणी के दो पद रिक्त हैं। ये पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद हैं और संगत भर्ती नियमों के अनुसार अपेक्षित अर्हता वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण रिक्त पड़े हुए हैं। यह एकक भर्ती नियमों के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

शरणार्थियों का पुनर्वास

5928. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला समझौता के कारण जम्मू और कश्मीर के छम्ब क्षेत्र के बड़े भाग को पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये जाने के कारण इन क्षेत्रों में भारी संख्या में परिवार शरणार्थी हो गए;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के अधिकार में कितने क्षेत्र तथा गांव चले गए तथा कितने परिवार शरणार्थी बन गए;

(ग) इतने बड़े क्षेत्र को पाकिस्तान के अवैध कब्जे में छोड़ने के क्या कारण हैं जबकि भारतीय सेना ने वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तथा इन क्षेत्रों को वर्ष 1972 में पाकिस्तान को वापिस कर दिया गया था;

(घ) क्या छम्ब क्षेत्र के शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसे किस हद तक क्रियान्वित किया गया है;

(च) क्या कई शरणार्थियों के पास अभी भी भूमि, अन्य सहायता और पुनर्वास नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो उन्हें कब तक कृषि भूमि तथा अन्य सहायता दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच किया जाना

5929. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी, भूतपूर्व संसद सदस्य, लोक सभा की हत्या की जांच का कार्य सी॰बी॰आई॰ को कब सौंपा गया था;

(ख) सी॰बी॰आई॰ द्वारा इस मामले को राज्य सरकार से अपने हाथ में लेने के पश्चात् जांच कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों की पहचान कर ली गई है और इस मामले में कितने लोगों को नजरबंद किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस अपराध के पीछे पता लगाए गए षडयंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ज) जांच कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) यह मामला, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 11.1.1996 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था।

(ख) जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद 27.2.1996 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था।

(ग) और (घ) अपराध में संलिप्त लोगों की शिनाख्त हो गयी है। उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) पथांगी बलराम वेंकटा गणेश

(2) विस्तरला प्रकाश

(3) वैंकट्टेश्वरा राव

(4) वेमू रामा राव

(5) बाबू

(6) पी॰ श्रीनिवासा राव

(7) वसु, और

(8) रायलासीमा रेड्डाप्पा

दो अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान्। उपरिलिखित अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र भा॰दं॰सं॰ की धारा 147, 148, 302, 307, 326, 506 (II) 397 के साथ पठित धारा 120-ख और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 तथा भा॰दं॰ सं॰ की धारा 34 के अन्तर्गत दायर किए गए हैं।

(छ) श्री मगुंन्ता सुब्बारामा रेड्डी की हत्या का षडयंत्र का पता लगा है।

(ज) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, मामले की जांच-पड़ताल पहले की पूरी कर ली गयी है।

मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले

5930. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय मंत्रियों को वर्तमान मंत्रि-परिषद् से हटना पड़ा था क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई संहिता अथवा दिशा-निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) ओर (ख) दो केन्द्रीय मंत्रियों ने, उनके विरुद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के कारण अप्रैल, 1998 में पद भार छोड़ा था।

(ग) और (घ) हालांकि, इस विषय में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ परम्पराएं विकसित करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 356

5931. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए कोई अध्ययन दल भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल किन-किन राज्यों में भेजे गए थे और इन अध्ययन दलों द्वारा तैयार रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह मत है कि उन राज्यों में आंतरिक अशांति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए देश में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन करना केन्द्र सरकार में एक सतत् प्रक्रिया हैं। तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल में हाल ही में केन्द्रीय दलों का भेजा जाना इस प्रक्रिया का एक भाग हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर केन्द्र और राज्य सरकार हमेशा बातचीत करती रहती हैं।

विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव

5932. **श्री एस॰ गंगाधर :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाल ही में पोखरन में किए गए परमाणु परीक्षणों के पश्चात् विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर कोई विपरीत प्रभाव देखने को मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) सरकार द्वारा एन॰पी॰आर॰पी॰डी॰, यू॰एन॰डी॰सी॰पी॰ और आई॰एल॰ओ॰ कार्यक्रमों पर इनका कोई प्रभाव पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रभावित न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे यू॰एन॰डी॰सी॰पी॰ और आई॰एल॰ओ॰ के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही इन योजनाओं/कार्यक्रमों सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया है।

भूमि पर कब्जा

5933. **श्री नेपाल चन्द्र दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बांग्लादेश ने 1965 में असम के करीमगंज जिले में पाठेरकांडी राजस्व सर्किल के अंतर्गत आने वाले डम्बूरी मौजे की समूची भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मौजे के अंतर्गत आने वाले भू-स्वामी अभी तक भू-राजस्व का भुगतान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विवाद का समाधान किए बिना वहां पर सीमा सड़क (बार्डर रोड) का निर्माण शुरू कर दिया गया।

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के हित में तथा गरीब भू-स्वामियों के हितों में भी बांग्लादेश से उक्त भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार का विचार कब तक विवाद का निपटारा करने अथवा भारतीय भू-क्षेत्र को वापस लेने का है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) भारत (असम) बंगलादेश की संपूर्ण सीमा का लाठीतिल्ला-डुमाबारी में सीमा की 3 किमी॰ की पट्टी को छोड़कर सीमांकन कर दिया गया है। भारत-बंगलादेश भूमि सीमा समझौतों, 1974 के क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली विधि के बारे में पक्षों के बीच मतभेद होने के कारण इस सैक्टर में सीमा सीमांकन का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में सीमा सड़कों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस सैक्टर में बंगलादेश द्वारा भूमि के धारणाधिकार अथवा पुनराप्ति का प्रश्न, सीमा के संपूर्ण सीमांकन करने के बाद ही पैदा होगा। जून, 1998 में ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि सर्वेक्षण दलों को सीमा का सीमांकन का कार्य तेजी से करने के लिए कहा जाए।

इंजीनियरिंग सेवा

5934. **श्री तारिक अनवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहुमूल्य राष्ट्रीय स्रोतों को इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने में उपयोग में लाती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ग "क" का इंजिनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य गैर-तकनीकी वर्ग "क" केन्द्रीय सेवा में जाने को प्राथमिकता देता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्रोत व्यर्थ नष्ट नहीं किये जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ग "क" इंजिनियरिंग सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार की पांचवे वेतन आयोग की इंजिनियरिंग सेवा के अधिकारियों को भा॰प्र॰से॰ तथा अन्य गैर-तकनीकी केन्द्रीय वर्ग "क" सेवाओं में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए एक न्यूनतम आदर्श संवर्ग ढांचा तैयार करने की सिफारिश लागू करने के लिए क्या कार्य योजना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जनजातियों के लिए धनराशि

5935. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 1990 से आज तक अनुसूचित जनजातियों पर खर्च की गई धनराशि की नई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे रह रही अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनका विकास न होने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए क्रमशः 8456.03 करोड़ रुपए तथा 24124.26 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 6.78 करोड़ थी।

(ग) वर्ष 1993-94 में योजना आयोग के द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे क्रमशः 94 प्रतिशत और 41.14 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे पाई गई।

(घ) भौगोलिक अलगाव, अन्य लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने से झिझक तथा पिछड़ापन उनके पिछड़ेपन के कारण हैं।

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की हत्याएं

5936. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें देश में खासतौर पर दिल्ली में महिलाओं की उनकी गर्भावस्था के दौरान हत्या की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक मामले में हेमलता नाम की एक महिला इस तरह के अपराध की शिकार हुई है;

(घ) यदि हां, तो महरौली पुलिस स्टेशन में दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/98 पर दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उपरोक्त पुलिस स्टेशन के अधिकारी अपराधियों को बचा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पारिवारिक/वैवाहिक/रुग्णता लाभ योजनाएं

5937. श्री राम शंकर भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सीतापुर से पारिवारिक लाभ योजना, वैवाहिक लाभ योजना और रुग्णता लाभ योजना के अन्तर्गत कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आवेदन-पत्रों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अपने तीन घटकों, नामतः राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना सहित 15 अगस्त, 1995 से आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे संतप्त परिवार को उसके मुख्य पोषणकर्ता की मृत्यु हो जाने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार की गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के जन्म पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन एफ बी एस) और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत निधियां सीधे जिले को रिलीज की जाती हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है, के अन्तर्गत सीतापुर जिले से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग की समस्याएं

5938. श्री के॰ येरननायडू :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीनी उद्योग को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

(ख) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री से मुलाकात की थी और निम्नलिखित दो विषयों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे :—

(1) लेवी खाते में कमी को पूरा करने के लिए घरेलू मिलों से खरीदी जाने वाली मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य-निर्धारण से संबंधित फार्मूला; और

(2) आयातित चीनी पर लगने वाले सीमा-शुल्क में वृद्धि।

सरकार इन अभ्यावेदनों की जांच कर रही है और इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

यूरिया का भाड़ा

5939. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषरूप से मध्य प्रदेश में यूरिया की गौण भाड़े की प्रति टन दर क्या है और यह राज्यवार कब निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या मौजूदा मूल्य अनुमानों के अनुसार वर्तमान दर काफी कम है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का यूरिया के गौण भाड़े में संशोधन करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) रेल शीर्ष से ब्लाक मुख्यालय तक यूरिया की ढुलाई हेतु गौण भाड़ा दरें 1985-86 में निर्धारित की गयी थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम नामक सात पहाड़ी राज्यों के लिए इन दरों में 25.8.92 से पूर्ण प्रभावी संशोधन किया गया था। यूरिया की राज्यवार गौण भाड़ा दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) यूरिया की गौण भाड़ा दरों में संशोधन, उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर सरकार के अंतिम निर्णयों पर निर्भर करता है।

विवरण

उर्वरकों के गौण संचलन हेतु भाड़ा दरें

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	भाड़ा दर रु॰ प्रति मी॰ टन में
1.	आन्ध्र प्रदेश	21/- रुपए
2.	कर्नाटक	13/- रुपए
3.	तमिलनाडु	13/- रुपए
4.	केरल	12/- रुपए
5.	उत्तर प्रदेश	45/- रुपए
6.	पंजाब	19/- रुपए
7.	हरियाणा	16/- रुपए
8.	महाराष्ट्र	8/- रुपए
9.	मध्य प्रदेश	41/- रुपए
10.	राजस्थान	21/- रुपए
11.	गुजरात	44/- रुपए
12.	प॰ बंगाल	40/- रुपए
13.	बिहार	25/- रुपए
14.	उड़ीसा	21/- रुपए
15.	मेघालय	67/- रुपए
16.	नागालैण्ड	57/- रुपए
17.	हिमाचल प्रदेश	252/- रुपए
18.	जम्मू और कश्मीर	216/- रुपए
19.	असम	43/- रुपए
20.	मणिपुर	33/- रुपए
21.	मिजोरम	170/- रुपए
22.	सिक्किम	301/- रुपए
23.	त्रिपुरा	56/- रुपए

[अनुवाद]

गैस की आपूर्ति

5940. श्री चन्दू लाल अजमीरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कृष्णा गोदावरी के चारों बेसिनों में तेल और गैस का उत्पादन रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नागार्जुन उर्वरक और रसायन लिमिटेड और विजेश्वरम विद्युत संयंत्रों को गैस की अबाध आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एम॰ आर॰ एल॰ पनानगुडी में बंदी के परिणामस्वरूप क्रूड/कंडेनसेट की उतराई के निलंबन के परिणामस्वरूप जून, 1998 के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन में कुछेक तेल और गैस कूपों से उत्पादन प्रभावित हुआ था।

(ग) वर्तमान में गैस की आपूर्ति नागार्जुन उर्वरक और रसायन तथा विजेश्वरम विद्युत संयंत्र सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के प्रति की गई वचनबद्धताओं के अनुसार की जा रही है।

राजकोष को घाटा

5941. श्री एम॰ राजैया :

श्री के॰ येरननायडू :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोषीय घाटे का प्रमुख हिस्सा सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के कारण है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु संभावित प्रयास क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 1996-97 में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 104 उपक्रमों को 5862 करोड़ रुपए की हानि हुई। इसमें से उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हानि उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 1140 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। वर्ष 1997-98 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय कार्यनिष्पादन इस प्रकार रहा है :—

(रु॰ करोड़)

1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि॰	(-)538.02	(-)696.59
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰	(-)532.64	(-)580.70
3.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि॰	(-)8.28	(-)14.78
4.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	(-)60.63	(-)110.00
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰	(+)12.10	(-)60.77
6.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	(+)76.88	(+)174.39
7.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि॰	(+)61.78	(+)50.25
8.	नेशनल फर्टिलाजर्स लि॰	(+)11.20	(+)191.86
9.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि॰	(+)31.82	(+)6.90

(ग) हानि उठा रहे उपक्रमों के प्रचालनों को सरल और कारगर बनाने के लिए किये गये प्रयासों के अलावा उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए किये गये उपचारी उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) एच एफ सी के नामरूप एककों के पुनरूद्धार की स्कीम स्वीकृत की गयी है। इन एककों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने के प्रबन्ध भी किए गए हैं।

(2) एच॰ एफ॰ सी॰ और एफ॰ सी॰ आई॰ के अन्य एककों के संबंध में एकक-वार व्यवहार्यता विचारों और वित्त पोषण व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(3) एम एफ एल ने अपने संयंत्रों के उत्पादन काल का विस्तार करने, उनकी क्षमता में वृद्धि करने और खपत मानकों में सुधार करने के लिए अभिकल्पित अपने पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना शुरू कर दी है। इस पुनरूद्धारित यूरिया संयंत्र में उत्पादन सुस्थिर हो गया है।

(4) दिनांक 31.3.94 से प्रभावी किये गये पी॰ पी॰ एल॰ के पूंजी आधार के पुनर्गठन के क्रम में योजनागत ऋणों के पुनर्भुगतान तथा 1997-98 के दौरान देय ब्याज भुगतान को एक वर्ष के लिए अस्थगित किया गया है। कम्पनी ने पूंजी पुनर्गठन के जरिए और राहत के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके सल्फयूरिक एसिड संयंत्रों में क्षमता उपयोग में आ रही बाधाओं पर काबू पाने के लिए एक स्कीम भी तैयार की गयी है।

(5) पी पी सी एल को दिनांक 31.3.95 से इसके पूंजी आधार का पुनर्गठन करके पर्याप्त राशि दी गई थी। कम्पनी ने पूंजी पुनर्गठन के जरिये और राहत के लिए एक स्कीम

तैयार की है। पाइराइट्स आधारित सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को सल्फर में परिवर्तित करने के लिए भी एक स्कीम तैयार की गई है ताकि इसकी लाभप्रदत्ता में सुधार किया जा सके।

(ध) सरकार हानि उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीमित बजटीय संसाधनों के भीतर सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी कार्यकारी पूंजी आवश्यकता और महत्पूर्ण पूंजी व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके। गत दो वर्षों के दौरान इन उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता इस प्रकार है :—

(रु०/ करोड़)

	1996-97	1997-98
एच एफ सी	152.34	184.34
एफ सी आई	316.00	318.15
पी पी एल	-	15.00
पी पी सी एल	04.00	06.00
एम एफ एल	57.30	-

पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी

5942. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1998 को "द इंडियन एक्सप्रेस" में "अनदर फारेन टूरिस्ट टेकन फार ए राइड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। एक जर्मन महिला, सुश्री एच० हन के 24 जून, 1998 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पहुंचने पर टर्मिनल बिल्डिंग के अन्दर स्थित बैंक और टैक्सी काउंटरों पर और उसके बाद कनाट प्लेस में एक होटल में उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने/उन्हें परेशान किए जाने का आरोप हैं। तथापि, यह महिला अपने कथित कटु अनुभव के बारे में पुलिस को कोई शिकायत किए बिना ही 27 जून, 1998 को दिल्ली से चली गई। इस घटना का उल्लेख समाचार पत्रों में उसी दिन किया गया था और इसलिए शिकायतकर्ता से सम्पर्क कायम नहीं किया जा सका।

हवाई अड्डे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के काउंटर के रिकार्ड की जांच की गई थी लेकिन इसमें सुश्री हन द्वारा बैंक से किसी प्रकार का लेन-देन करने के संबंध में कोई संकेत नहीं मिला। तथापि, दिल्ली पुलिस ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और एयरपोर्ट निदेशक से नितिन ट्रांसपोर्ट के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सुश्री हन के साथ धोखाधड़ी करने के संबंध में ब्राइट होटल के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

(ग) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दलालों के खतरे को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों में शामिल है : संवेदनशील स्थानों पर, विशेषतः व्यस्ततम समय के दौरान पुलिस कार्मिकों को तैनात करना, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथों पर निरन्तर चौकसी, यात्रियों को उनके मन्तव्य स्थानों को ले जा रही टैक्सियों की गहन जांच करना, इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान 15 जुलाई, 1998 तक 943 "दलालों" को गिरफ्तार किया है तथा 428 वाहनों को जब्त किया है।

चंडीगढ़ का अभियांत्रिकी विभाग

5943. श्री सत्यपाल जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चंडीगढ़ में अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी है;

(ख) इन मामलों के संबंध में स्वतंत्र, द्रुत, और निष्पक्ष जांच तथा सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन मामलों के संबंध में स्वतंत्र, द्रुत, और निष्पक्ष जांच तथा सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) आयकर विभाग द्वारा नवम्बर, 1977 में 21 परिवारों के जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के इंजिनियरिंग विभाग के कुछ कर्मचारियों के परिसर सम्मलित है, पर मारे गए छापों और इनमें से एक कर्मचारी के परिसर से भारी मात्रा में सोना और नगद इत्यादि जब्त किए जाने के अनुसरण में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उक्त कर्मचारी को निलम्बित किया गया और उसके व अन्य दोषियों के विरुद्ध 3 फरवरी, 1998 को एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच-पड़ताल प्रगति पर है। इसी बीच, चंडीगढ़ प्रशासन ने कार्य आबंटन करने और माल की खरीद संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी अनियमितताओं को पुनरावृत्ति न हो।

बम विस्फोट

5944. श्री मोहन रावले :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी॰ एस॰ अहिरे :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री ए॰ सी॰ जोस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार माह से देश में बड़े पैमाने पर बम-विस्फोट हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 23 जून, 1998 को दिल्ली जा रही शालीमार एक्सप्रेस में आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हुए जब जम्मू से 18 किलोमीटर दूर बाड़ी ब्राह्मना के नजदीक रेल पटरी पर एक शक्तिशाली बम-विस्फोट हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने यात्री हताहत हुए तथा उक्त घटना में शामिल पाए गए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ङ) यदि हां, तो क्या सभी मामलों के लिए आई॰एस॰आई॰ को दोषी पाया गया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कार्य कर रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों की एक बैठक बुलाने पर विचार कर रही है जहां आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियां बढ़ रही हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में गत चार माह के दौरान बम-विस्फोट की अनेक घटनाएं हुई हैं।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 23 जून, 1998 को जम्मू जिले में बारी ब्राह्मणा और विजयपुर, में मध्य रेल पटरी पर एक बम विस्फोट हुआ था जिससे दिल्ली आ रही शालीमार एक्सप्रैस पटरी से उतर गयी थी, परिणामतः 32 व्यक्ति घायल हो गए थे। इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार उग्रवादी ग्रुप की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।

(ङ) से (छ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई॰एस॰आई॰ देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को प्रायोजित करके भारत को अस्थिर करने के नापाक इरादों में संलिप्त हैं। सभी जांच-पड़तालें पूरी हो जाने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि हाल की इन घटनाओं में आई॰एस॰आई॰ का हाथ है या नहीं।

(ज) और (झ) राज्य सरकारों के साथ देश में आन्तरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना सतत् प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके व्यवस्था को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं-सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त को बढ़ाना, दिन और रात के दौरान प्रभावी निगरानी के लिए उपकरणों की पूर्ति, नाकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पाकिस्तानी आई॰एस॰आई॰ एजेन्टों और अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाना और सतर्क करना। इस बीच, इन मसलों पर बातचीत करने के लिए दक्षिण और पश्चिम की राज्य सरकारों के साथ क्रमशः 12.4.1998 और 23.3.1998 को बैठकें की गयी थी। ऐसी ही एक अन्य बैठक उत्तरी राज्यों के साथ 18.8.1998 को की जाएगी।

अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता

5945. श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देकर देश के आर्थिक विकास में उन्हें शामिल करने और पी॰आई॰ओ॰ कार्ड योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अनिवासी भारतीय इस निर्णय के पश्चात् भारत में अधिक निवेश करने के लिए सहमत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं पर अनिवासी भारतीय भारत में निवेश करने पर सहमत हुए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) जी नहीं श्रीमान्। 01 जून, 1998 के वित्त मंत्री के भाषण में भारत मूल के विदेशों में रह रहे उन व्यक्तियों, जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हो, को भारतीय मूल के व्यक्ति (पी॰आई॰ओ॰) कार्ड जारी करने की एक योजना तैयार करने के संबंध में केवल सरकारी फैसले का उल्लेख

किया गया था। पी॰आई॰ओ॰ कार्ड, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दिया जाएगा, कुछ विशेष आर्थिक, शैक्षणिक, वित्तीय, सांस्कृतिक और अन्य लाभ उपलब्ध कराएगा। इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

जाली नोट

5946. **श्री नरेश पुगलीया :**

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली नोट चलाने वाले व्यक्ति हथियारों की तस्करी में भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जाली नोटों के चलन से देश की अर्थव्यवस्था किस हद तक प्रभावित हुई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) ऐसा कोई दृष्टान्त ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पता लगाई गई और पुलिस द्वारा जब्त की गई जाली मुद्रा का मूल्य लगभग 15.00 लाख रु॰ था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह संख्या, परिचालन में कुल मुद्रा नोटों के मूल्य का केवल एक अंश हैं। तथापि वास्तव में परिचालन में जाली मुद्रा के मूल्य का सही-सही पता नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

5947. **श्री इन्द्रजीत मिश्र :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद चीनी मिल में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना हिस्सा है;

(ख) गन्ना उत्पादकों को कितनी बकाया राशि अदा की जानी है;

(ग) क्या उक्त मिलों के कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य बकाया की अदायगी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो कितने समय से उनकी अदायगी नहीं की गयी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेवानिवृत्त तथा वर्तमान कर्मचारियों को नियमित अदायगी नहीं की गई है;

(च) क्या सरकार को यह मालूम है कि मिल मालिकों ने मिल को बन्द करने के संबंध में नोटिस जारी किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

नेफ्था आधारित विद्युत परियोजना

5948. **श्री गिरधारीलाल भार्गव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान और अन्य राज्यों में स्थित बिजलीघरों में नेफ्था की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विद्युत परियोजनाओं के लिए नेफ्था के आयात की अनुमति देने और आयातित नेफ्था पर लगने वाले सीमा-शुल्क में राहत प्रदान करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विद्युत संयंत्रों के लिए तरल ईंधन नीति के अंतर्गत सरकार ने राजस्थान सहित राज्य सरकारों को नाफ्था सहित तरल ईंधनों के आधार पर 12000 मे॰वा॰ विद्युत उत्पादन क्षमता के भीतर विद्युत उत्पादन के लिए नाफ्था और भट्टी तेल/एल एस एच एस का आबंटन किया है। विद्युत संयंत्रों के लिए तरल ईंधनों का आबंटन विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राज्य विशेष को आबंटित क्षमता के भीतर किया जाता है।

(ख) और (ग) जिन स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई पी पीज) को सरकार द्वारा आबंटन दिया गया है उनके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए नाफ्था आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस के प्रति दी जाती है। फिलहाल नाफ्था के आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश

5949. **श्री विजय सिंह सोय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यातना, क्रूरता, अमानवीयता तथा अपमानित किए जाने के अन्य तरीकों के खिलाफ

वर्ष 1984 के संयुक्त सम्मेलन में दिए गए सुझावों को मानने की गलत ढंग से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पुलिस आयोग के चतुर्थ प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा तृतीय श्रेणी की यातना दिए जाने को रोकने हेतु दिए गए सुझाव पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कोई व्यावहारिक उपायों वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने का है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1994 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को यह सुझाव देते हुए एक पत्र लिखा कि भारत को यातना और अन्य क्रूर अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन को स्वीकार करने के संबंध में विचार करना चाहिए। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात् सरकार ने 14 अक्टूबर, 1997 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 3.33 में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चौथी रिपोर्ट में दिए गए सुझावानुसार पुलिस द्वारा तीसरे दर्जे के तरीके अपनाए जाने को रोकने से संबंधित आयोग की सिफारिशें शामिल हैं। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, सरकार के उत्तरों को समाविष्ट करते हुए की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित 9.6.98 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में खेल अधिकारी

5950. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा अनुभव तथा वेतनमान से संबंधित निर्धारित अर्हता मानदंड के अनुरूप वर्ष 1992 में क्रीड़ा अधिकारी का चयन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिकारी को वर्ष 1993 में हटाए जाने के क्या कारण हैं तथा क्या उनके स्थान (खेल अधिकारी) पर नियुक्त व्यक्ति शर्तों को पूरा करते हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नए उर्वरक संयंत्रों के लिए आबंटन

5951. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उर्वरक संयंत्र के लिए निर्माण कार्य और भूमि की खरीद किए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन संयंत्रों के कब तक काम करना शुरू कर देने की संभावना है;

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है और उनके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और

(च) क्या इन संयंत्रों में विदेशी निवेश किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (च) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित किए जा रहे उर्वरक संयंत्रों की स्थिति इस प्रकार है :

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम तथा अवस्थिति	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	स्थिति
1	2	3	4
निर्माणाधीन परियोजना			
1.	इफको की काण्डला विस्तार परियोजना, गुजरात	212.20	अक्तूबर, 99 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।
विचाराधीन परियोजनाएं			
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ (कृभको) की हजीरा विस्तार परियोजना, गुजरात	1131	मौजूदा स्थल पर भूमि पहले ही उपलब्ध है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर मूल्यांकन एजेंसियों ने मार्च, 1998 में विचार किया है।

1	2	3	4
2.	कृभको की गोरखपुर उर्वरक परियोजना, उत्तर प्रदेश (एफसीआई) संयंत्र के मौजूदा स्थल पर	1371	मौजूदा स्थल पर भूमि पहले ही उपलब्ध है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर मूल्यांकन एजेंसियों ने मार्च, 1998 में विचार किया है।
3.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ की थाल विस्तार परियोजना, महाराष्ट्र	1229	–वही–
4.	इफ्को की नेल्लोर उर्वरक परियोजना, आन्ध्र प्रदेश	1569	निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर लोक निवेश बोर्ड ने जनवरी, 1998 में विचार किया। परियोजना के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई है।
5.	एन एफ एल की पानीपत विस्तार परियोजना, हरियाणा	1301	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मौजूदा स्थल पर भूमि पहले ही उपलब्ध है।

विचाराधीन परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नौंवी योजना के अंतिम वर्ष में नाइट्रोजन–पोषक के लिए मांग अनुमानों तथा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आलोक में पुनः प्रतिपादित की जा रही क्षमता वृद्धि के लिए नीति को अंतिम रूप देने के पश्चात् निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की सरकार के अनुमोदन की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर पूरी होने की सम्भावना है।

इन परियोजनाओं को कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी क्योंकि इनका वित्त पोषण आंतरिक संभूतियों तथा वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जा रहा है/किया जाना हैं इनमें से किसी भी परियोजना प्रस्ताव में किसी विदेशी निवेश पर विचार नहीं किया गया है।

पेट्रोरसायन परियोजना

5952. **श्री चिन्ता मोहन :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन 2500 करोड़ रुपए वाली उत्तर प्रदेश पेट्रोरसायन परियोजना के आर्थिक रूप से अक्षम हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को किस तारीख को मंजूरी दी गई थी;

(घ) क्या इस परियोजना में उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उत्पादन कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 01.10.1992

(घ) जी, नहीं।

(ङ) परियोजना चालू होने के अंतिम चरणों में है।

(च) अगस्त 1 सितम्बर, 1998 तक।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को रोजगार

5953. **श्री ए॰एफ॰ गुलाम उस्मानी :**

श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आश्रम स्कूलों को केन्द्रीय सहायता

5954. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जनजातीय उपयोजना के तहत आश्रम स्कूलों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों के निर्माण की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों के लिए निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96			1996-97			1997-98		
		निर्मुक्त राशि	होस्टल	सीट	निर्मुक्त राशि	होस्टल	सीट	निर्मुक्त राशि	होस्टल	सीट
1.	आन्ध्र प्रदेश	72.17	4	-	212.50	5	500	218.46	7	700
2.	गुजरात	-	-	-	21.60	5	600	-	-	-
3.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	104.50	88	-
4.	उड़ीसा	70.00	4	-	60.00	4	240	50.00	4	240
5.	त्रिपुरा	38.38	2	-	93.46	1	300	93.46	1	300
6.	मध्य प्रदेश	99.45	153	-	-	-	-	-	-	-
7.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	3.80	1	30

बंगलादेश के नागरिक

5955. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान मुम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली आकर गंदी बस्तियों में बसने वाले बांग्लादेशियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन बांग्लादेशियों का व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन के अन्य साधन क्या है;

(ग) क्या अनेक बांग्लादेशी प्रतिबंधित भांग-अफीम तथा हथियारों की तस्करी में संलिप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि बंगलादेशी घुसपैठिए दिल्ली जैसे स्थानों और अन्य महानगरों में चोरी-छिपे घुस आए हैं। देश में रह रहे बंगलादेशी गैर-कानूनी घुसपैठियों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि ये गैर-कानूनी प्रवासी चोरी-छिपे भारत में प्रवेश करते हैं और अपनी जातीय और भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय जनता में घुल-मिल जाते हैं। बताया गया है कि ये व्यक्ति मजदूर, घरेलू नौकरों आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

जनजाति क्षेत्रों के लिए योजनाएं

5956. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री डी॰ एस॰ अहिरे :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री माधवराव पाटील :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में जनजाति क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; इसकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनावार और राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् जनजाति लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

आदिवासी विकास प्रभाग

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 52.21 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में आदिवासियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 29.60 प्रतिशत थी। आदिवासी महिलाओं और सामान्य महिलाओं की साक्षरता के प्रतिशत में अभी भी काफी बड़ा अंतर है। देश में सामान्य महिला साक्षरता के 39.29 प्रतिशत की तुलना में यह केवल 18.19 प्रतिशत है। आदिवासी उप योजना की नीति, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित की गई, दो उद्देश्यों पर आधारित है जैसे (1) कानूनी और प्रशासनिक समर्थन से आदिवासियो के हितों का संरक्षण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजना स्कीमों के माध्यम से विकासात्मक प्रयासों में वृद्धि। इस समय 194 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं हैं। छठी योजना के दौरान 10,000 की कुल जनसंख्या में से 5,000 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले पाकेट जो समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं से बाहर थे, की आदिवासी उप योजना के अंतर्गत संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के तहत शामिल किया गया। अब तक देश में 252 माडा पाकेटों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त 5000 की कुल जनसंख्या वाली ऐसी 78 गंदी बस्तियों की पहचान की गई है जिनमें 50 प्रतिशत आदिवासी हैं।

आदिम आदिवासी समूहों के लिए योजना

ऐसी 75 अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है और जिन्हें आदिम आदिवासी समूहों की सूची में रखा गया है। ये आदिवासी 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, स्थिर या कम हो रही जनसंख्या, साक्षरता का बहुत कम स्तर अर्थात् 2 प्रतिशत से कम तथा झूम खेती, लघु वन उत्पाद के संग्रहण के आधार पर पहचाने गए हैं। नौंवी योजना अवधि में, आदिम आदिवासी समूहों के विकास के लिए एक अलग कार्य योजना तैयार की गई है और वर्ष 1997-98 के लिए 2.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

आदिवासी उप-योजना नीति के एक भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1996-97 के दौरान 330.00 करोड़ रुपए का समग्र बजट प्रावधान निर्मुक्त किया गया। आदिवासी के कल्याण में वृद्धि तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को ऊंचा उठाने के लिए योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1996-97 के लिए 75.00 करोड़ रुपए के समग्र बजट प्रावधान को निर्मुक्त किया गया।

अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास

शिक्षा की प्राप्ति में आदिवासी लड़कियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निर्माण लागत का 50 प्रतिशत तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1996-97 के लिए 3.50 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

लड़कियों क लिए छात्रावास योजना की समान पद्धति पर ही वर्ष 1989-90 में लड़कों के लिए छात्रावास योजना शुरू की गई। वर्ष 1996-97 के लिए 3.50 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की तुलना में 68 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.19 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल

यह केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 1990-91 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 50 प्रतिशत तथा शत-प्रतिशत शेयर आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। वर्ष 1996-97 के दौरान 3.00 करोड़ रु॰ के बजट प्रावधान की तुलना में 3.87 करोड़ रु॰ 15 आश्रम स्कूलों के निर्माण/विस्तार के लिए निर्मुक्त किए गए।

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो वर्ष 1992-93 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य विघटनकारी गतिविधियों से बेरोजगार आदिवासी युवाओं का ध्यान हटाने के लिए उन्हें रोजगार अवसर प्रदान करना था। इस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित

करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान 3.00 करोड़ रु॰ के बजट प्रावधान की तुलना में 2.98 करोड़ रु॰ की राशि 13 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्मुक्त की गई।

कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को शिक्षा

वर्ष 1993-94 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 8 राज्यों में पहचाने गए 48 आदिवासी जिलों में जहां महिला साक्षरता 2 प्रतिशत से कम है, में आदिवासी महिलाओं के साक्षरता स्तर को ऊपर उठाना है। इस योजना में पांचवीं कक्षा तक आवासीय शैक्षिक परिसरों की परिकल्पना की गई है। योजना का कार्यान्वयन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान 5 नए परिसरों तथा 33 चल रहे परिसरों की स्थापना के लिए 2.00 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की तुलना में 1.20 करोड़ रु॰ के बजट प्रावधान की तुलना में 1.20 करोड़ रु॰ निर्मुक्त किए गए।

आदिवासी अनुसंधान संस्थान

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों द्वारा चौदह आदिवासी अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश के संस्थानों को छोड़कर इन सभी संस्थानों में संग्रहालय हैं जिनमें आदिवासी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। राज्यों और केन्द्र सरकारों द्वारा इन संस्थानों का प्रयोग अनुसंधान, शिक्षा, आंकड़ों के संग्रह, प्रशिक्षण, सेमिनार/कार्यशालाओं, आदिवासी उप योजनाओं को तैयार करने में व्यावसायिक निवेश, आदिवासी साहित्य के प्रकाशनों आदिवासी रीति रिवाजों के कानून आदि के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान 1.50 करोड़ रु॰ का समग्र बजट प्रावधान निर्मुक्त कर दिया गया है।

(2) आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं में फेलोशिप पुरस्कार

25 डाक्टोरल/पोस्ट डाक्टोरल पुरस्कार वार्षिक रूप से उन विद्वानों को प्रदान किए जाते हैं जो आदिवासी विकास के सुसंगत विषयों पर अनुसंधान करते हैं, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप की दरें क्रमशः 1800 रु॰ तथा 2200 रु॰ प्रति माह हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को 5000 रु॰ प्रतिवर्ष का वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है। विशेष मामले में इस राशि को 7000 रु॰ तक बढ़ाया जा सकता है।

(3) अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुसंधान समर्थन

अनुसंधान तथा मूल्यांकन परियोजना के लिए अनुदान से संबंधित योजना इस मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही है तथा गैर-सरकारी संगठनों को 8 महीने की अवधि के लिए 1.50 प्रति परियोजना आर्थिक सीमा की अनुदान प्रदान किया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना

भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना वर्ष 1953-54 में शुरू की गई। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से इन समुदायों का शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक सुधार करना था। इस सिद्धांत को ध्यान में पूर्ण रूप से रखा गया है कि अच्छे स्वयंसेवी संगठनों को न केवल उदारतापूर्वक सहायता दी जानी चाहिए बल्कि बड़ी ईमानदारी से निर्मित भी किया जाना चाहिए।

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ

आदिवासियों को निजी व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने तथा उनके वन उत्पाद और अतिरिक्त कृषि उत्पादों के लिए उन्हें लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त, 1987 में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ स्थापित किया है जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पंजीकृत है। अप्रैल, 1988 से इसने प्रभावी तौर पर कार्य करना शुरू किया वर्ष 1998-89 में ट्राइफेड ने लगभग 12 वस्तुओं का संचालन कार्य किया। प्रायः इन सभी वस्तुओं में ट्राइफेड द्वारा आदिवासियों को प्रदान किया गया मूल्य पूर्व के वर्षों में उन्हें प्रदान किए गए मूल्य से अधिक था। बाद के वर्षों में इसने अनेक वस्तुओं को शामिल करने के लिए अपने कार्यकलापों में विस्तार किया। गोंद कार्य तथा नाइजर बीजों के निर्यात के लिए इसे माध्यम एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान इसका कारोबार 227.85 करोड़ रु॰ तक पहुंच गया। दिनांक 31 मार्च, 1997 तक की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रु॰ है तथा प्रदत्त पूंजी 70.73 करोड़ रु॰ है। वर्ष 1996-97 के अंत तक ट्राइफेड की शेयर पूंजी में सरकारी निवेश 70.50 करोड़ रु॰ पर पहुंच गया।

ग्राम अन्न बैंक योजना

सुदूर तथा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में पोषाहार मानकों में गिरावट के कारण बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के एक भाग के रूप में वर्ष 1996-97 के दौरान ग्राम अन्न बैंक की एक योजना चलाई गई है। ऐसे क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों या अनुसूचित जातियों के प्रति परिवार एक क्विंटल की दर से अन्न की खरीद, खाद्यान्न की भण्डारण सुविधाएं तथा माप-तोल संबंधी बाट आदि की खरीद के लिए माध्यम एजेन्सी, ट्राइफेड द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से एक मुक्त

अनुदान प्रदान किया जाएगा। बैंक का प्रबंधन कार्य लाभार्थियों द्वारा स्वयं चुनी हुई समिति द्वारा किया जाएगा जो बैंक के सदस्य के रूप में अभाव के समय में अन्न बैंक से अन्न ले सकते हैं।

वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना में 231 अन्न बैंकों के लिए 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1997-98 के लिए 312 अतिरिक्त अन्न बैंकों के लिए 2.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों, लघु वन उत्पाद (व्यापार तथा विकास) परिसंघों को सहायता अनुदान

लघु वन उत्पाद कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों तथा लघु वन उत्पाद (व्यापार तथा विकास) परिसंघों को 100 प्रतिशत अनुदान के साथ उपलब्ध यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा (1) वर्तमान में चलाए जा रहे लघु वन उत्पाद में वृद्धि के लिए टी॰डी॰सी॰सी॰, एफ॰डी॰सी॰, एम॰एफ॰पी॰टी॰डी॰एफ॰ की शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ करने (2) वैज्ञानिक तरीके से भंडारणों का निर्माण (3) लघु वन उत्पाद की मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, तथा (4) निगमों द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के लिए अनुदानों का उपयोग किया जा सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान 400 लाख रुपए के बजट प्रावधान को 5 राज्य निगमों को बांट दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष, 1997-98 में 1000 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

विवरण-II

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कम हो गई है

वर्ष	गरीबी रेखा के नीचे की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता
1977-78	68.10
1983-84	57.20
1987-88	49.90

वर्ष 1992-93, 1993-93, 1994-95 व 1995-96 के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 2 (ख) के अंतर्गत आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(परिवार लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1992-93	उपलब्धि 1992-93	लक्ष्य 1993-94	उपलब्धि 1993-94	लक्ष्य 1994-95	उपलब्धि 1994-95	लक्ष्य 1995-96	उपलब्धि 1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	90000	99760	93,000	1,66,750	1,50,000	1,41,885	1,50,000	1,35,620
2.	असम	43000	14286	40,000	26,969	42,600	38,072	43,500	57,481
3.	बिहार	125000	133267	1,25,000	1,51,309	1,40,000	1,04,193	1,20,000	1,05,420
4.	गुजरात	80000	92638	82,000	82,642	85,000	89,762	90,000	1,09,317
5.	हिमाचल प्रदेश	2200	2623	2,420	2,821	2,550	4,011	4,000	5,637
6.	जम्मू व कश्मीर	2000	62	2,000	173	1,500	1,738	1,800	2,380
7.	कर्नाटक	9000	9661	9,000	9,768	9,000	9,834	9,900	10,064
8.	केरल	8000	3235	5,910	5,561	-	5,801	5,000	4,963
9.	म॰ प्र॰	215000	227533	2,15,000	2,58,270	2,49,000	2,79,024	2,80,000	2,87,609
10.	महाराष्ट्र	1000000	100470	1,00,000	98,924	1,00,000	1,36,091	1,36,100	1,25,033
11.	मणिपुर	4400	2146	4,400	5,483	5,000	3,904	5,000	4,544
12.	उड़ीसा	65000	80528	66,000	1,06,813	95,000	95,335	95,600	91,835
13.	राजस्थान	63000	72158	63,000	69,334	70,000	71,983	72,000	79,121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	सिक्किम	3030	3058	3,030	6,675	5,000	5,588	5,600	7,403
15.	तमिलनाडु	9000	8759	9,000	10,382	10,000	10,437	10,500	10,357
16.	त्रिपुरा	10000	8827	10,000	10,795	10,000	13,420	13,500	11,911
17.	उ॰ प्र॰	4000	3878	4,400	4,207	4,000	4,502	4,500	5,242
18.	प॰ बंगाल	60000	24530	60,000	23,766	30,000	33,654	33,700	29,007
19.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	500	476	500	886	450	929	1,000	1,048
20.	दमन व दीव	732	563	732	583	675	696	700	774
	कुल	895862	888458 (99%)	9,00,000	10,42,128 (116%)	10,12,173	10,51,059 (104%)	10,83,300	10,84,828 (100%)

वर्ष 1997-98 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 20 के अंतर्गत आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	150000	113560	(फरवरी, 98 तक)
2.	असम	42800	24455	
3.	बिहार	126000	74506	
4.	गुजरात	94500	119624	
5.	हिमाचल प्रदेश	4200	5329	
6.	जम्मू व कश्मीर	1890	874	नवम्बर, 97 तक
7.	कर्नाटक	23900	14315	फरवरी, 98 तक
8.	केरल	5000	3980	
9.	म॰ प्र॰	280000	262062	
10.	महाराष्ट्र	125031	121517	
11.	मणिपुर	5000	2706	
12.	उड़ीसा	95600	70003	
13.	राजस्थान	72000	80465	
14.	सिक्किम	5880	7494	
15.	तमिलनाडु	11025	11045	
16.	त्रिपुरा	13500	12787	
17.	उ॰ प्र॰	4760	4328	
18.	प॰ बंगाल	33700	19031	
19.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	1175	1458	
20.	दमन व दीव	621	396	
	कुल	1096582	949935	87%

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1995–96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का विवरण

(रु० लाख में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि०के०सं०	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्या० प्रशि०	आर एंड टी	गैर-सर० संगठन	एसटी डीसीसी	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	214032	460.50	91.00	92.63	72.17	2.49	64.34	27.54	27.00	90.00	3065.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	60.00	-	-	-	-	-	-	84.50	-	144.50
3.	असम	1545.19	315.00	3.03	-	-	-	64.90	17.77	15.10	-	1960.99
4.	बिहार	274.22	725.25	-	-	-	1.82	-	0.53	35.30	50.00	1087.12
5.	गुजरात	3060.26	675.00	-	-	-	22.51	52.31	0.15	1.08	-	3811.31
6.	हिमाचल प्रदेश	541.62	24.00	6.50	-	-	-	-	0.29	-	-	572.41
7.	जम्मू व कश्मीर	756.64	95.25	24.05	12.70	-	-	-	-	10.82	-	899.46
8.	कर्नाटक	659.99	210.00	-	-	-	-	-	-	15.80	-	885.79
9.	केरल	181.20	35.25	-	-	-	2.75	-	11.25	29.42	57.00	316.87
10.	म० प्र०	9579.66	1687.50	-	-	99.45	23.00	44.34	22.21	12.54	57.00	11525.70
11.	महाराष्ट्र	2930.82	801.75	-	-	-	0.68	-	-	40.73	75.00	3848.98
12.	मणिपुर	574.53	69.00	-	-	-	-	-	0.48	3.06	8.00	655.07
13.	मेघालय	-	166.50	13.75	13.75	-	-	-	-	68.91	-	262.91
14.	मिजोरम	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
15.	नागालैण्ड	-	116.25	-	-	-	-	-	-	30.19	-	146.44
16.	नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	26.59	-	26.59
17.	उड़ीसा	4958.10	771.00	65.93	46.62	70.00	66.25	-	12.90	70.63	-	6060.43
18.	राजस्थान	2819.04	600.00	66.74	-	-	19.87	-	7.93	10.79	-	3524.37
19.	सिक्किम	100.19	9.75	-	-	-	-	-	-	-	-	109.94
20.	तमिलनाडु	274.44	63.00	-	-	-	-	-	16.53	17.80	-	371.77
21.	त्रिपुरा	564.97	93.75	19.44	38.38	38.38	-	59.12	8.27	1.45	63.00	886.76
22.	उ० प्र०	104.08	31.50	-	-	-	-	-	1.12	3.11	-	139.81
23.	प० बंगाल	1763.21	417.75	19.57	115.92	-	-	-	0.85	24.36	-	2341.66
संघ शासित राज्य												
1.	दा० व न० ह०	-	-	40.00	45.00	-	-	-	-	-	-	85.00
2.	अंड० व नि०	112.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.21
3.	दमन व दीव	59.31	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	79.31
	कुल	33000.00	7500.00	370.01	365.00	280.00	138.37	285.00	125.81	529.18	400.00	42908.37

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी विकास के लिए 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि॰के॰ सं॰	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्या॰ प्रशि	आर एंड टी	गैर-सर॰ संगठन	एसटी डीसीसी	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	2287.52	460.50	101.10	-	212.50	6.68	24.34	25.00	16.90	90.00	3224.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	60.00	-	-	-	9.69	-	-	88.13	-	157.82
3.	असम	1524.71	315.00	19.00	16.00	-	-	82.91	13.01	9.09	-	1979.72
4.	बिहार	3364.00	725.25	-	-	-	4.84	-	-	30.72	50.00	4174.81
5.	गुजरात	2642.95	675.00	-	-	21.60	8.78	101.90	-	1.12	-	3451.35
6.	हिमाचल प्रदेश	622.44	24.00	-	-	-	-	-	0.22	-	-	646.66
7.	जम्मू व कश्मीर	681.54	95.25	-	17.22	-	-	-	-	30.28	-	824.29
8.	कर्नाटक	569.50	210.00	13.25	-	-	-	14.78	-	30.81	-	838.34
9.	केरल	153.71	35.25	14.70	20.00	-	-	-	13.50	25.80	-	162.96
10.	म॰ प्र॰	7695.71	1687.50	-	-	-	27.98	-	22.02	2.03	-	9435.24
11.	महाराष्ट्र	3160.78	801.75	-	-	-	5.91	-	22.70	38.89	75.00	4105.03
12.	मणिपुर	653.22	69.00	31.50	37.25	-	-	73.90	10.35	13.79	-	889.01
13.	मेघालय	-	166.50	13.75	13.75	-	-	-	-	43.38	-	237.38
14.	मिजोरम	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
15.	नागालैण्ड	-	116.25	-	-	-	-	-	-	2.16	-	118.41
16.	नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	32.43	-	32.43
17.	उड़ीसा	4411.44	771.00	50.00	40.00	60.00	37.42	-	6.70	73.35	135.00	5584.91
18.	राजस्थान	2467.32	600.00	33.37	-	-	18.78	-	5.66	-	50.00	3175.13
19.	सिक्किम	138.41	9.75	-	-	-	-	-	-	-	-	148.16
20.	तमिलनाडु	238.81	63.00	8.04	35.24	-	-	-	9.30	29.01	-	383.40
21.	त्रिपुरा	594.48	93.75	34.04	31.41	93.46	-	-	11.21	0.31	-	858.66
22.	उ॰ प्र॰	90.39	31.50	-	-	-	-	-	4.27	2.07	-	128.23
23.	प॰ बंगाल	1558.07	417.75	-	-	-	-	-	6.06	28.82	-	2010.70
संघ शासित राज्य												0.00
1.	दा॰ न॰ ह॰	-	-	-	15.00	-	-	-	-	3.25	-	18.25
2.	अंड॰ नि॰	95.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.18
3.	दमन व दीव	49.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.82
	कुल	33000.00	7500.00	318.75	225.87	387.56	120.08	297.83	150.00	502.34	400.00	42902.43

टिप्पणी :— वर्ष 1996-97 के दौराम ग्राम अन्न बैंक की योजा के अंतर्गत ट्राइफेड को निर्मुक्त 1.5 करोड़ रु॰

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति का ब्यौरा

(रु॰ लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	व्या॰ प्र के॰	शैक्षिक परिसर	गैर सर॰ संगठन	आदि॰ अनु॰	वि॰स॰के॰ वि॰क॰स॰	को अनु॰ 275(1)	एसटी डीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	60.20	45.45	218.46	-	1.42	24.48	20.47	2581.54	453.50	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	102.76	0.26	-	-	-
3.	असम	16.00	16.00	-	77.15	-	75.38	23.27	1460.00	205.00	-
4.	बिहार	-	-	-	-	16.06	38.00	0.53	00.00	641.75	-
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	00.00	-	-
6.	गुजरात	-	-	-	86.34	13.81	-	9.47	2632.77	625.00	123.89
7.	हि॰ प्रदेश	15.00	15.00	-	40.00	-	-	0.94	521.89	108.00	-
8.	कर्नाटक	14.99	27.50	-	-	-	19.18	0.28	500.00	270.00	-
9.	केरल	-	-	-	-	-	26.14	20.07	196.12	111.75	50.00
10.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	50.20	8.88	49.96	9207.83	1262.50	200.00
11.	महाराष्ट्र	10.00	12.50	104.50	-	4.59	57.59	50.72	3400.89	667.25	99.50
12.	मणिपुर	3.00	13.00	3.00	45.50	-	11.27	9.80	950.00	123.00	00.00
13.	मेघालय	13.75	13.75	-	-	-	121.11	-	-	255.00	00.00
14.	मिजोरम	-	-	-	-	-	5.80	-	-	124.00	-
15.	नागालैंड	-	-	-	-	-	3.44	-	-	138.75	-
16.	उड़ीसा	45.00	35.00	50.00	40.00	61.51	83.20	7.86	5576.27	657.00	100.00
17.	राजस्थान	150.17	159.55	-	24.00	51.35	14.41	13.37	2341.13	600.00	50.00
18.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	60.00	103.35	-
19.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	17.03	30.50	243.71	121.00	-
20.	त्रिपुरा	17.25	15.25	93.46	32.00	-	0.26	11.67	885.00	231.25	00.00
21.	उत्तर प्रदेश	11.17	-	-	-	18.99	2.75	-	112.91	110.50	-
22.	पं॰ बंगाल	-	-	-	-	-	12.75	22.44	1600.39	339.25	10.00
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	118.00	-	-
24.	दादर एंड नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	दमन व दीव	20.00	-	-	-	-	-	-	50.75	-	-
26.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	दिल्ली	-	-	-	-	-	100.79	-	-	-	-
28.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	3.12	-	521.80	131.75	-

एसटीडीसी : अन्दरूनी वन उत्पाद के लिए राज्य आदिवासी विकास निगम

टिप्पणी :— वर्ष 1997-98 के दौरान ग्राम अन्न बैंक की योजना के अधीन ट्राइफेड को निर्मुक्त 1.80 करोड़ रु॰

वर्ष 1996-97 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 2(ख) के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या के संबधं में लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(परिवारों की संख्या लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
1.	आं॰ प्र॰	1,50,000	2,05,406	136.94
2.	असम	45,300	38,972	86.03
3.	बिहार	1,26,000	80,054	63.53
4.	गुजरात	94,500	97,740	103.43
5.	हि॰ प्र॰	4,000	6,196	154.90
6.	जम्मू क॰	1,890	1,846	97.67
7.	कर्नाटक	9,900	31,748	320.69
8	केरल	5,000	10,054	201.08
9.	म॰ प्र॰	2,80,000	2,72,392	97.28
10.	महाराष्ट्र	1,25,031	1,12,724	90.16
11.	मणिपुर	5,000	6,145	122.41
12.	उड़ीसा	95,600	89,447	93.56
13.	राजस्थान	72,000	70,002	97.22
14.	सिक्किम	5,880	6,310	107.31
15.	तमिलनाडु	11,025	10,338	93.77
16.	त्रिपुरा	13,500	11,590	85.85
17.	उ॰ प्रदेश	4,725	5,292	112.00
18	पं॰ बंगाल	33,700	28,723	85.23
19.	अंडमान नि॰	1,050	1,153	105.81
20.	दमन व दीव	735	561	76.33
	कुल	10,84,836	10,86,693	100.17

[हिन्दी]

गुजरात द्वारा राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष का उपयोग

5957. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष के अंतर्गत गुजरात को दी गई अनुदान राशि को गत दो वर्षों के दौरान पूरा-पूरा उपयोग में लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सबंध में क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष (अब नया नाम राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति कोष है) से गुजरात सरकार को कोई निधियां मंजूर नहीं की गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कैंसर के रोगी

5958. श्री जी॰ गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में कैंसर रोगियों की संख्या 15 लाख है जो विभिन्न कारणों से "कीमोथेरेपी" नहीं कराना चाहते हैं;

(ख) क्या ऐसी लाइलाज बीमारियों से प्रभावित रोगियों के लिए राहत पाने का एकमात्र उपाय अफीम से निर्मित मारफीन लेना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सबंध में वर्तमान नियमों को उदार बनाने और मारफीन उपलब्ध कराने का है ताकि ऐसे रोगी शांति से मर सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) ऐसे कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) लाइलाज कैंसर रोगियों का उपचार विभिन्न औषधियों द्वारा किया जाता है जिनमें इस रोग के कारण होने वाले दर्द के लिए साधारण दर्द निवारक औषधियों से लेकर अफीम से तैयार मारफीन जैसे तेज दर्द निवारक शामिल हैं।

(ग) और (घ) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कैंसर रोगियों के लिए मारफीन की उपलब्धता को विनियमित करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। केन्द्रीय सरकार ने जरूरतमंद रोगियों को आसानी से मारफीन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल नियमों का प्रयास तैयार किया है और उसे अनुपालन हेतु सभी राज्यों में परिचालित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवादी गतिविधियां

5959. कुमारी किम गंगटे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 तथा 53 पर उग्रवादी समूहों के धावों तथा लूट-पाट के कारण बसों एवं लारियों की आवाजाही असंभव हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने यातायात को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार को विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों के कारण मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 और राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर यातायात के आवागमन में पेश आ रही समस्या की जानकारी है।

(ख) मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के आवागमन में व्यवधान पैदा न हो। जब कभी आवश्यक समझा जाए तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही "एस्कोर्ट" के अधीन की जाए। सेना और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल इस संबंध में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हैं।

चक्रवात के कारण कांडला पत्तन पर क्षति

5960. श्री संदीपान थोरात :

श्री मोहन रावले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आई ओ सी बंगल्स आन इन्श्योरेन्स फार कांडला एल पी जी फैसिलिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की उस में की गई टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चक्रवात के कारण कांडला पत्तन पर कितनी क्षति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कांडला एल पी जी टर्मिनल पर तूफान, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, झंझावात, बवण्डर, बाढ़ तथा आप्लावन के प्रति निम्नांकित सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी :

(1) घाट पर उपस्कर नियंत्रण कक्ष समेत घाट से एल पी जी टर्मिनल तक 16" व्यास वाली 3.5 किलो मीटर लंबी 2 एल पी जी डाक पाइपलाइनें (एक प्रोपेन के लिए और एक ब्यूटेन के लिए) परिसर के बाहर स्थापित की गई थी।

(2) प्रशासनिक, कैन्टीन इमारत तथा सुरक्षा कार्यालय भी ऐसी ही क्षतियों के प्रति बीमाकृत हैं।

(3) अन्य सभी सुविधायें केवल आग तथा विस्फोट के प्रति बीमाकृत हैं।

बीमा तेल उद्योग के अंतर्गत प्रचलित नीति के मुताबिक किया गया था।

इंडियन आयल कारपोरेशन के कांडला स्थित एल पी जी टर्मिनल द्वारा उठाई गई अनुमानित हानि के लगभग 7 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें

5961. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पतरिसी और बिजौना में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चीनी मिलों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन मिलों में कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) पतरिसी, जिला लखीमपुर, खीरी, उत्तर प्रदेश में एक नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड को एक अशय-पत्र जारी किया गया है।

मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने 54.7 एकड़ भूमि खरीद ली है तथा शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए बातचीत चल रही है। कम्पनी मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं से उपकरणों की खरीद के लिए बातचीत कर रही है। सामान्यतः एक नई चीनी मिल स्थापित करने में लगभग 3-4 वर्ष लग जाते हैं।

जहां तक बिजुआ का संबंध है, नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस स्थान के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के थोक/खुदरा मूल्य

5962. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में वर्तमान समय में आवश्यक वस्तुओं के प्रति किलोग्राम थोक तथा खुदरा मूल्य में कितना अंतर है;

(ख) क्या इन वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य में अधिकतम अनुमेय अंतर के संबधं में कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन वस्तुओं के मूल्यों, विशेषरूप से खुदरा मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें चार महानगरीय केंद्रों में 22.7.98 को कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) थोक तथा खुदरा स्तर पर मूल्यों में ढुलाई लागत, पैकेजिंग की लागत, स्थानीय करों, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के लाभ के मार्जिन आदि जैसी बातों के कारण हमेशा परिवर्तन होता रहता है। थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले मार्जिन के बारे में विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। ये मांग व आपूर्ति की बाजार शक्तियों के प्रचालन द्वारा शासित होती है।

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय करने के अलावा, खाद्य तेलों और दालों जैसी कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी जा रही है ताकि इन वस्तुओं की कुल उपलभ्यता में वृद्धि हो सके। खाद्य तेलों की उपलभ्यता में वद्धि करने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 10.7.98 से 25 प्रतिशत घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने राज्य व्यापार निगम के जरिए 15 लाख मी॰ टन गेंहू का आयात करने का निर्णय किया है ताकि उसकी उपलभ्यता बढ़ाई जा सके। चावल, गेहूं, चीनी, आयातित पामोलीन और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी भंडारों के जरिए बाजार मूल्यों से कम मूल्य पर भी सप्लाई की जाती है। दिल्ली में प्याज के खुदरा मूल्यों को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से 14.7.98 से सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के जरिए राजसहायता प्राप्त दर पर प्याज की आपूर्ति करने के लिए कार्रवाई की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जमाखोरों तथा कालाबाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम आदि के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

चुनिंदा आवश्क वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य

(22.7.1998 के अनुसार)

(थोक विक्री रु॰ प्रति क्विंटल-खुदरा बिक्री रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰)

मद	दिल्ली		मुम्बई		चेन्नई		कलकत्ता	
	थो मू	खु मू	थो मू	खु मू	थो मू	खु मू	थो मू	खु मू
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चावल	900	10.00	1000	12.00	736	8.60	950	9.75
गेहूं	625	7.00	950	12.00	965	11.00	सू॰न॰	5.50
चना	1500	18.00	1801	18.50	1258	16.00	1650	20.00
अरहर	2500	31.00	3125	34.00	2861	32.00	3000	32.00
चाय	12500	130.00	सू॰न॰	140.00	18100	192.50	सू॰न॰	110.00
चीनी	1520	16.00	1485	16.00	1438	15.00	1620	16.50
वनस्पति	5133	56.00	4767	52.75	4380	50.00	4966	55.00
मूंगफली का तेल	5267	57.00	4150	54.00	4804	54.00	5666	65.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरसों का तेल	4700	54.00	4867	60.00	4867	53.00	4880	50.00
नमक	530	6.00	500	6.00	520	7.00	सू॰न॰	6.00
आलू	600	12.00	850	12.50	933	11.00	750	9.00
प्याज	800	13.00	850	11.50	940	11.00	1000	15.00

थो॰मू॰ = थोक मूल्य

खु॰मू॰ = खुदरा मूल्य

स्रोत = राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग

अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर अत्याचार

5963. जनरल नेविले फोली : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य राज्य क्षेत्र-वार तथा अपराध-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गृह मंत्रालय के प्राप्त सूचना के अनुसार केवल महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में वर्ष 1998 के दौरान अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर अत्याचार/अपराधों के मामलों में वृद्धि का रुझान है।

(ख) वर्ष 1995, 1996, 1997 तथा 1998 के लिए अपराधों/अत्याचारों का राज्यवार तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ग) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा दिशानिर्देश जारी करके समय-समय पर राज्य सरकारों का ध्यान विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच दुर्भावना, नफरत या असामंजस्य फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर दिलाया जाता है। साम्प्रदायिकता सद्भावना पर अद्यतन दिशानिर्देश 22 अक्तूबर, 1997 को जारी किए गए जिनमें साम्प्रदायिक स्थितियों के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। आसूचना में भागीदारी करके तथा आवश्यकता पड़ने पर अर्द्धसैनिक बल मुहैया करके भी केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है।

विवरण

वर्ष 1995 से अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर अत्याचार/अपराधों की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	के दौरान ईसाईयों के विरुद्ध अत्याचारों/अपराधों की घटनाओं की संख्या			
		1995	1996	1997	1998
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	1	2	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	3	3
4.	गुजरात	शून्य	1	1	4
5.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	1	शून्य
6.	केरल	शून्य	2	3	शून्य
7.	मध्य प्रदेश	2	शून्य	शून्य	शून्य
8.	महाराष्ट्र	शून्य	1	1	5
9.	मणिपुर	शून्य	1	2	1
10.	पंजाब	शून्य	शून्य	1	शून्य
11.	राजस्थान	शून्य	शून्य	8	शून्य
12.	उत्तर प्रदेश	1	शून्य	शून्य	1
13.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1	1	शून्य
	कुल	5	7	23	15

असम में तेल की खोज

5964. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड असम में ब्रह्मपुत्र घाटी अन्वेषण परियोजना (एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट) में तेल की खोज और कुओं की खुदाई का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पहले प्रयास की खुदाई में अभी तक क्या प्रगति हुई है और खुदाई का कार्य जारी रखने के लिए अन्य किन-किन स्थानों पर तैयार की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड ने ओ एन जी सी से खरीदे गए भूकम्पीय आंकड़ों से कुछ वेधन योग्य हाईड्रोकार्बन पूर्वेक्षण स्थलों का पता लगाया और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी अन्वेषण परियोजना (बी वी ई पी) में छः अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन के लिए 2 नवम्बर 1995 को एक वेधन ठेका दिया।

(ग) बीह पुरिया-1 और निजकालुक-1 नाम के दो कूपों का क्रमशः 4494 मीटर और 4599 मीटर की गहराई तक वेधन किया गया है। इन कूपों से कोई वाणिज्यिक खोज नहीं हो पाई है। तीसरा वेधन स्थल मधुपुर-1 शीघ्र ही आरम्भ किया जाने वाला है। अन्य स्थल बाद में आरम्भ किए जाएंगे।

उर्वरक की उत्पादन क्षमता

5965. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उर्वरक उद्योगों की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उर्वरक उद्योगों द्वारा अपनी संस्थापित क्षमता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अनुमति मांगने वाले उर्वरक उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे अनुरोध पर आज की तारीख तक क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰के॰ पटेल) : (क) से (ग) स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोगिता के संबंध में वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों अर्थात् फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰ (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी) का क्षमता उपयोग मुख्यतः उपकरण समस्याओं और इनपुट की कमी के कारण कम है। मद्रास फर्टिलाजर्स लि॰ (एम एफ एल) में अमोनिया यूरिया संयंत्र के पुनरुद्धार में प्रारम्मण में विलम्ब के कारण उत्पादन में कमी हुई थी। नेशनल फर्टिलाजर्स लि॰ (एन एफ एल) के नांगल-1 स्थित कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट संयंत्रों और स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰ (सेल), राऊरकेला और पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि॰ (पी एन ई सी) नांगल के अमोनियम क्लोराइड संयंत्र का क्षमता उपयोग इसलिए कम रहा है क्योंकि इन उर्वरकों को प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता स्कीम से अलग रखा गया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाजर्स लि॰ (आर॰सी॰एफ॰) के ट्राम्बे स्थित संयंत्रों और नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लि॰ (एन॰एल॰सी॰) के यूरिया संयंत्र का क्षमता उपयोग मुख्यतः उपकरण समस्याओं के कारण प्रभावित हुआ था।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा दिनांक 24.7.91 को जारी किये गये औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के अनुसार उर्वरक परियोजनाओं के प्रवर्तकों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की सामान्यत आवश्यकता नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से आगे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

ऐसी उर्वरक परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम तथा अवस्थिति	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	स्थिति
1	2	3	4
निर्माणाधीन परियोजना			
1.	इफको की काण्डला विस्तार परियोजना, गुजरात	212.20	1999 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

1	2	3	4
विचाराधीन परियोजनाएं			
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ (कृभको) की हजीरा विस्तार परियोजना, गुजरात	1131	मौजूदा स्थल पर भूमि पहले ही उपलब्ध है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर मूल्यांकन एजेंसियों ने मार्च, 1998 में विचार किया है।
2.	कृभको की गोरखपुर उर्वरक परियोजना, उत्तर प्रदेश (एफसीआई) संयंत्र के मौजूदा स्थल पर	1371	मौजूदा स्थल पर भूमि पहले ही उपलब्ध है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर मूल्यांकन एजेंसियों ने मार्च, 1998 में विचार किया है।
3.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ की थाल विस्तार परियोजना, महाराष्ट्र	1229	–वही–
4.	इफको की नेल्लोर उर्वरक परियोजना, आन्ध्र प्रदेश	1569	निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर लोक निवेश बोर्ड ने जनवरी, 1998 में विचार किया। परियोजना के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई है।
5.	एन एफ एल की पानीपत विस्तार परियोजना, हरियाणा	1301	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मौजूदा स्थल पर भूमि पहले ही उपलब्ध है।

विचाराधीन परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नौंवी योजना के अंतिम वर्ष में नाइट्रोजन–पोषक के लिए मांग अनुमानों तथा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आलोक में पुनःप्रतिपादित की जा रही क्षमता वृद्धि के लिए नीति को अंतिम रूप देने के पश्चात् निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। ये परियोजनाएं सरकार के अनुमोदन की तारीख से 36 महीने के भीतर पूरी होने की सम्भावना है।

विवरण

1997–98 के दौरान एककवार स्थापित क्षमता, उत्पादन तथा मुख्य उर्वरक एककों की क्षमता उपयोगिता नाइट्रोजन (औद्योगिक नाइट्रोजन को छोड़कर)

संयंत्र का नाम	31.3.98 को स्थापित क्षमता	1997–98 उत्पादन (एलएमटी)	1997–98 क्षमता उपयोगिता प्रतिशत
1	2	3	4
एनएफएल :			
नांगल–1	0.8	0.4	54.9
नांगल–2	1.5	1.9	123.1
भटिण्डा	2.4	2.6	110.9
पानीपत	2.4	2.6	109.9
विजयपुर	3.3	3.9	117.2
विजयपुर विस्तार	3.3	3.7	111.6
योग : एनएफएल	13.7	15.1	110.5
फैक्ट :			
उद्योग मण्डल	0.8	0.6	82.6
कोचीन–I	1.5	1.3	83.1
कोचीन–II	1.0	1.0	107.2
योग : एफएसीटी	3.3	2.9	90.1
आर॰सी॰एफ॰ :			
ट्राम्बे	0.9	0.5	55.0
ट्राम्बे–IV	0.8	0.5	68.1
ट्राम्बे–V	1.5	1.5	96.0
थाल	6.8	6.4	94.4
कुलः आर॰सी॰एफ॰	10.0	8.9	89.1
एमएफएल : चेन्नई*	2.5	1.1	52.7
सैल : राऊरकेला	1.2	0.2	19.7

1	2	3	4
एनएलसी : नवेली	0.7	0.5	67.6
पीपीएल : पारादीप	1.3	1.4	110.0
एफ॰ सी॰ आई॰ :			
सिन्दरी	1.5	1.0	63.2
गोरखपुर	1.3	0.0	0.0
रामागुण्डम	1.5	0.5	30.7
तालचर	1.5	0.5	30.3
योग : एफ॰ सी॰ आई॰	5.9	1.9	32.1
एच॰एफ॰सी॰:			
नामरुप-I	0.2	0.0	0.0
नामरुप-II	0.9	0.0	0.0
नामरुप-III	1.5	0.9	59.7
दुर्गापुर	0.8	0.0	1.9
बरौनी	0.8	0.2	22.0
योग : एचएफसी	4.2	1.1	26.1
इफको :			
कलोल**	2.5	1.8	79.9
काण्डला	1.2	1.8	155.3
फूलपुर	2.3	2.6	114.0
फूलपुर विस्तार@	3.3	1.1	126.2
आवला	3.3	3.9	115.9
आवला विस्तार	3.3	3.8	114.4
योग : इफको	16.0	15.0	113.3
कृभको : हजीरा	6.7	8.1	122.0
जीएसएफसी : बडोदरा	2.4	2.4	100.6
सीएफएल : विजाग	0.8	0.8	97.1
एसएफसी : कोटा	1.5	1.8	119.0
डीआईएल : कानपुर	3.1	3.4	108.7
जेडआईएल : गोवा	2.0	2.6	133.4
एसपीआईसी : तूतीकोरिन	3.1	3.7	118.4

1	2	3	4
एमसीएफ : मंगलौर	1.8	1.5	84.8
ईआईडी-पैरी : इन्नौर@@	0.3	0.3	128.3
जीएनएफसी : भरुच	3.4	3.6	106.6
डीएफपीसीएल : तलोजा	0.5	0.4	77.9
टीएसी : तूतीकोरिन अल्क	0.2	0.1	93.1
पीएनएफ : नांगल	0.2	0.1	79.4
एचएलएल : हल्दिया	0.3	0.5	189.1
आईजीएफसीसी : जगदीशपुर	3.3	4.3	128.6
जीएसएफसी : सिक्का	0.6	1.0	178.5
एनएफसीएल : काकीनाड़ा	2.3	3.2	139.4
एनएफसीएल : काकीनाड़ा-II	2.3	0.0	-
जीएफसीएल : काकीनाड़ा	0.9	1.0	133.3
सीएफसीएल : गडेपन	3.4	4.5	130.6
टीसीएल : बबराला	3.4	4.7	137.5
ओसीएफ : शाहजहांपुर	3.3	4.3	128.1

* दिसम्बर 97 तक स्थापित क्षमता 1.76 से बढ़कर 2.54 एलएमटी हो गई है।

** सितम्बर 1997 को स्थापित क्षमता 1.82 एलएमटी से बढ़कर 2.51 एलएमटी होगी।

@ जनवरी, 1998 से वाणिज्यिक उत्पादन

@@ जुलाई 1997 में स्थापित क्षमता 0.15 से बढ़कर 0.27 एलएमटी हो गई।

1997-98 के दौरान एककवार स्थापित क्षमता, उत्पादन तथा मुख्य उर्वरक एककों की क्षमता उपयोगिता

संयंत्र का नाम	31.3.98 को स्थापित क्षमता	1997-98 उत्पादन (एलएमटी)	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत
फास्फेट			
फैक्ट :			
उद्योगमण्डल	0.3	0.2	83.5
कोचीन-I	1.0	1.0	101.5
कुल फैक्ट	1.3	1.3	97.4
आर॰सी॰एफ॰			
ट्रोम्बे	0.5	0.5	110.7

1	2	3	4
ट्रोम्बे–IV	0.8	0.5	68.1
कुल : आरसीएफ	1.2	1.0	84.1
एमएफएल : चेन्नई *	1.4	0.8	68.1
पीपीएल : पारादीप	3.3	3.6	110.1
इफको : काण्डला	3.1	4.8	154.6
जीएसएफसी : बडोदरा	0.5	0.5	108.9
सीएफएल : विजाग	1.0	1.1	106.0
जेडआईएल : गोवा	1.1	1.2	103.8
एसपीआईसी : तूतीकोरिन	1.9	2.1	111.0
एमसीएफ : मंगलौर	0.6	0.7	109.9
ईआईडी–पैरी : इन्नौर**	0.3	0.4	127.3
जीएनएफसी : भरुच	0.3	0.3	94.8
डीएफपीसीएल : तलोजा	0.5	0.4	77.7
एचएलएल : हल्दिया	0.7	1.3	189.0
जीएसएफसी : सिक्का	1.5	2.7	178.5
जीएफसीएल : काकीनाड़ा	2.2	2.5	133.2

* दिसम्बर 97 से स्थापित क्षमता 1.12 एलएमटी से बढ़कर 1.42 हो गई।

** जुलाई 97 से स्थापित क्षमता 0.19 से बढ़कर 0.34 हो गई।

आई॰एस॰एम॰ चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान दर्जा

5966. श्री पी॰ एम॰ सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति (आई॰एस॰एम॰) के लिए केन्द्रीय स्वदेशी और होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण जनता के हितार्थ आई॰ एस॰ एम॰ में विशेषज्ञ और संदर्भ प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का पदोन्नति के अवसर और वेतन के मामले में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक प्रणाली के चिकित्सकों के समान स्तर पर लाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

(ग) ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञ एवं रेफरल प्रणाली आरंभ किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) मुख्यालय भत्ते छोड़कर, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन और भत्ते केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एलोपैथी डाक्टरों के समान हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक डाक्टरों को, पदोन्नति के मामलों में एलोपैथी के समान अवसर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

एन॰एम॰डी॰एफ॰सी॰ द्वारा कर्नाटक को निधि जारी करना

5967. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगत द्वारा वर्ष 1997–98 के दौरान कर्नाटक को कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उन्हें जारी की गई निधि के दुरुपयोग की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने कर्नाटक को 1997–98 के दौरान कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डीजल की कीमतें

5968. श्री एच॰ जी॰ रामुलू : क्या प्रेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य महानगरों में 28 फरवरी, 1998 से डीजल की कीमतें कम कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर में कीमतें कम नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बंगलौर में भी कीमतें कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 28 फरवरी/1मार्च, 1998 की मध्यरात्रि से लागू डीजल के भण्डारण स्थल पर मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप चार महानगरों में डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में निम्नानुसार कमी की गई थी :–

रुपये प्रति लीटर

यथा तारीख मूल्य	दिल्ली	कलकत्ता	मुम्बई	चेन्नई
28.2.98	10.39	10.68	11.58	11.45
1.3.98	10.25	10.55	11.43	11.30

(ग) बंगलौर में भी डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य 28 फरवरी/1मार्च, 1998 की मध्य रात्रि से 12.58 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 12.44 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गन्ने का मूल्य

5969. श्री महेश कनोडिया : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने की खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य का भुगतान कर रही और तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्य का भुगतान कर रही चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त भुगतान में इस असमानता के क्या कारण हैं;

(ग) गन्ने के मूल्य में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) अक्षम चीनी मिलों और उन्हें सक्षम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किया जाता है जिससे कम मूल्य पर कोई भी चीनी मिल कृषकों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। कई राज्यों में, चीनी मिलों द्वारा अदा किया गया वास्तविक मूल्य बातचीत द्वारा तय किया हुआ मूल्य होता है, जिसे राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य कहते हैं और यह सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक होता है।

1997–98 चीनी मौसम के लिए राज्यों द्वारा सुझाये गए मूल्यों तथा सांविधिक न्यूनतम मूल्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। देश के विभिन्न भागों में अपनाया गया "राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य" अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता, प्रतिस्पर्धी उपयोगकर्ताओं द्वारा दिया जाने वाला मूल्य, चीनी मिल की भुगतान करने की क्षमता, आदि से संबंधित होता है चूंकि ये घटक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए गन्ने के मूल्यों में समानता लाना संभव नहीं है।

(घ) निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण चीनी इकाइयां रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत आती हैं तथा ऐसी चीनी मिलों के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) को लिखना अपेक्षित होता है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस॰आई॰सी॰ए॰) के तहत सार्वजनिक तथा निजी कम्पनियों की रुग्णता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड निम्नानुसार हैं :—

(1) संचित हानि नैट वर्थ (प्रदत्त पूंजी जमा रिजर्व) से अधिक होनी चाहिए।

(2) औद्योगिक कम्पनी ने निगमन के पश्चात् पांच वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।

सहकारी क्षेत्र की रुग्ण चीनी मिलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं होता है तथा ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होती हैं।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुसार, 30.6.1998 तक उनके पास 37 रुग्ण चीनी मिलें पंजीकृत की गई थीं। इन रुग्ण चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

जब कभी रुग्ण इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं तथा चीनी विकास निधि से कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, तब उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

विवरण–I

1997–98 मौसम के लिए राज्यों द्वारा सुझाए गए मूल्यों और सांविधिक न्यूनतम मूल्यों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1997–98	
	सांविधिक न्यूनतम मूल्य	राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य
1	2	3
उत्तर प्रदेश	48.45 से 60.45	48.45 से 80.00
बिहार	48.45 से 56.25	54.13 से 73.50

1	2	3
पंजाब	48.45 से 56.85	78.00 से 82.00
हरियाणा	48.45 से 55.05	78.00 से 82.00
असम	48.45	63.00
पश्चिम बंगाल	48.45	59.00 से 65.00
उड़ीसा	48.45 से 55.85	52.62 से 75.00
मध्य प्रदेश	52.65 से 59.85	65.73 से 87.25
राजस्थान	49.05 से 49.65	68.00 से 72.00
महाराष्ट्र	48.45 से 79.05	52.00 से 83.00
गुजरात	48.45 से 69.45	उपलब्ध नहीं
आन्ध्र प्रदेश	48.45 से 65.25	55.65 से 78.22
तमिलनाडु	48.45 से 62.85	48.45 से 84.64
कर्नाटक	48.45 से 71.85	57.45 से 81.60
केरल	49.65	उ॰न॰
पांडिचेरी	48.45 से 52.65	48.45
नागालैंड	उ॰न॰	उ॰न॰
गोवा	58.05	उपलब्ध नहीं

विवरण–II

30.6.1998 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के साथ पंजीकृत रुग्ण चीनी मिलों की राज्यवार सूची

क्र॰सं॰	राज्य	चीनी मिलों का नाम
1	2	3
1.	राजस्थान	मेवाड़ शुगर मिल्स
2.	उ॰प्र॰	लक्ष्मी शुगर मिल्स
3.	उ॰प्र॰	शेरवानी शुगर सिंडीकेट लि॰
4.	उ॰प्र॰	नवाबगंज शुगर मिल्स
5.	उ॰प्र॰	श्री सीता राम शुगर कं॰
6.	उ॰प्र॰	देवरिया शुगर मिल्स लि॰
7.	उ॰प्र॰	रतना शुगर मिल्स लि॰
8.	उ॰प्र॰	नंदगंज सिहोरी शुगर कं॰ लि॰
9.	उ॰प्र॰	छाता शुगर कं॰ लि॰ यू/एस 18 (4)
10.	उ॰प्र॰	नंदगंज सिहोरी शुगर कं॰ लि॰
11.	उ॰प्र॰	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यु॰ कं॰ लि॰
12.	उ॰प्र॰	कानपुर शुगर वर्क्स लि॰
13.	उ॰प्र॰	घाटमपुर शुगर कं॰ लि॰
14.	उ॰प्र॰	उ॰प्र॰ स्टेट शुगर कारपोरेशन लि॰ यू/एस 20(1)
15.	उ॰प्र॰	सरया शुगर मिल्स लि॰
16.	उ॰प्र॰	सुमेक इन्टरनेशनल लि॰
17.	उ॰प्र॰	छाता शुगर क॰ लि॰ यू/एस 20(1)
18.	तमिलनाडु	कावेरी शुगर्स एंड कैमिकल्स लि॰ यू/एस 18(4)
19.	तमिलनाडु	कावेरी शुगर्स एंड कैमिकल्स लि॰
20.	बिहार	कानपुर शुगर वर्क्स
21.	बिहार	चम्पारन शुगर्स लि॰
22.	बिहार	एच एम पी शुगर लि॰
23.	प॰ बंगाल	रामनगर केन (खेतान एग्रो–काम्पलैक्स)

1	2	3
24.	कर्नाटक	तुंगभद्रा शुगर वर्क्स
25.	कर्नाटक	सलारजंग शुगर लि॰
26.	कर्नाटक	गंगावती शुगर लि॰
27.	कर्नाटक	दवनगीर शुगर कं॰ लि॰
28.	पंजाब	भगवानपुरा शुगर मिल्स लि॰
29.	महाराष्ट्र	बृमा शुगर लि॰
30.	महाराष्ट्र	बेलापुर शुगर एंड एलाइड इंड॰ लि॰
31.	महाराष्ट्र	गोदावरी शुगर मिल्स लि॰
32.	मध्य प्रदेश	जीवाजी राव शुगर मिल्स
33.	मध्य प्रदेश	बी एस आई लि॰
34.	केरल	दि त्रावणकोर शुगर एंड कैमिकल्स लि॰
35.	आन्ध्र प्रदेश	चल्लापल्ली शुगर्स लि॰
36.	आन्ध्र प्रदेश	किर्लामपुडी शुगर मिल्स लि॰
37.	आन्ध्र प्रदेश	श्री कैलाश शुगर एंड कैमिकल्स लि॰

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सस्ती दवाओं की खरीद

5970. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए दवाओं की खरीद हेतु न्यूनतम दर निविदा प्रणाली को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों से अच्छी किस्म की दवाओं की खरीद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

नेशनल आयोडीन डेफिशिएन्सी डिसॉर्डर कंन्ट्रोल कार्यक्रम

5971. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल आयोडीन डेफिसिएन्सी डिजार्डर कंट्रोल कार्यक्रम (एन॰आई॰ डी॰डी॰सी॰पी॰) के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

(ग) क्या इस कार्यक्रम की निर्धारित समय सीमा में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय 291.90 लाख रुपए है। शीर्ष और कार्यकलापवार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

1. प्राईवेट क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति प्रदान करने के लिए आयोडीकृत नमक के उत्पादन की नीति का उदारीकरण और आयोडीकृत नमक का उत्पादन 40 लाख टन से बढ़कर 1997–98 में 42 लाख टन करना।
2. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभावी मानीटरिंग के लिए 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण प्रकोष्ठों की स्थापना करना।
3. 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मनुष्य के सीधे उपयोग के लिए गैर–आयोडीकृत नमक की बिक्री पर पूर्ण तथा दो राज्यों में आंशिक प्रतिबंध लगाना।
4. चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा नमक और मूत्र में आयोडीन घटक की मानीटरिंग के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के जैव–रसायन प्रभाग में आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की मानीटरिंग के लिए राष्ट्रीय सन्दर्भ प्रयोगशाला की स्थापना करना।

(ग) और (घ) जी हां। सन् 2000 ई॰ तक स्थानिकमारी वाले जिलों में आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की व्याप्तता 10 प्रतिशत से कम लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय बढ़ा दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997-98 में हुए व्यय

			प्रत्याशित व्यय (लाख रुपए)
प्रमुख शीर्ष-2210			
1.	111531	बिना विधानमंडलों वाले संघ राज्यों को अनुदान	4.60
2.	120131	प्रचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा	170.10
3.	120231	रा॰आ॰अ॰नि॰का॰ की मानीटरिंग	-
4.	120331	नमक आयुक्त के माध्यम से व्यय	57.00
5.	12044	आ॰अ॰वि॰प्रकोष्ठ स्वा॰से॰ महानिदेशालय	5.60
प्रमुख शीर्ष 3601			
6.	030131	राज्यों को अनुदान	52.60
प्रमुख शीर्ष 3602			
7.	020031	विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	2.00
			291.90

[अनुवाद]

अनुच्छेद 356

5972. **श्रीमती कृष्णा बोस :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुच्छेद 356 के संभावित संशोधन या इसके निरस्त करने हेतु कोई समिति नियुक्त करने की मंत्रालय की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार इस मामले में संसद की सहायता करने हेतु गैर-दलीय संवैधानिक विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति पर विचार करने को तैयार है; और

(ग) क्या संविधान की अनुच्छेद 355 में "आंतरिक गड़बड़ी" वाक्यांश पर संवैधानिक विशेषज्ञों के किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दिनांक 15.1.1997, 10.5.1997, 17.6.1997 और 08.07.1997 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की स्थाई समिति की बैठकों में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में भारत के संविधान का अनुच्छेद 356, चर्चा का विषय रहा है। अन्तर-राज्यीय परिषद की 17.7.1997 को हुई बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा यह सुझाया गया था कि इस मसले पर स्थाई समिति द्वारा और आगे विचार किया जाए तथा अन्तर-राज्यीय परिषद् की स्थाई समिति के समक्ष इसे यथा-समय लाया जाए। इस विशिष्ट मुद्दे पर आगे जांच करने के लिए किसी अन्य समिति को नियुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

[हिन्दी]

बिहार में गोदाम

5973. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भारतीय खाद्य निगम के/किराये के गोदामों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में खाद्यान्न सुरक्षित रखने के गोदामों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विशेषकर भागलपुर में खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए किराये पर लिए गोदाम वैज्ञानिक ढंग से नहीं बने हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा राज्य में नए गोदामों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम बिहार को मांग के अनुसार अतिरिक्त गोदामों को किराये पर लेने के लिए पूरी शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(घ) और (ङ) भागलपुर सहित बिहार में केवल किराये के ऐसे गोदामों में खाद्यान्नों को परिरक्षित किया जाता है जो वैज्ञानिक तरीकों से बने होते हैं।

(च) बिहार में गुमला (जिला गुमला) स्थित 5000 टन की क्षमता और कटिहार (जिला कटिहार) स्थित 25000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है।

विवरण

30.6.1998 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) को दर्शाने वाला विवरण

बिहार (आंकड़े हजार टन में)

भारतीय खाद्य निगम जिलों के नाम	राजस्व जिलों के नाम	केन्द्र का नाम	भंडारण क्षमता अपनी	भंडारण क्षमता किराये की	जोड़
1	2	3	4	5	6
भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर	–	12.29 निजी	12.29
–वही–	देवघर	जसीडीह	12.50	–	12.50
–वही–	जम्मुई	जम्मुई	–	2.80 निजी	2.80
		मुंगेर (2.94+2.00) (राज्य सरकार+केन्द्रीय भंडारण निगम)	–	4.94(2)	4.94
–वही–	लखी सराय	लखीसराय	–	1.50 राज्य भंडारण निगम	1.50
–वही–	साहिबगंज	(1.00+1.62) (राज्य भंडारण निगम+निजी)	–	2.62(2)	2.62
छपरा	छपरा (सरण)	छपरा (1.50+5.00) (राज्य सरकार+निजी)	–	6.50(2)	6.50
–वही–	वैशाली	हाजीपुर	–	5.00 निजी	5.00
दरभंगा	दरभंगा	दरभंगा	5.74	0.06 केन्द्रीय भंडारण निगम	5.80
–वही–	मधुबनी	जयनगर	9.67	–	9.67
गया	गया	गया (खाद्य भंडारण डिपु)	64.72	–	64.72
		गया (बिन–साइलो)	32.00	–	64.72
–वही–	नवादा	वरशालीगंज (2.00+0.70) (राज्य सरकार+निजी)	–	2.70(2)	2.70
–वही–	रोहताश	सासाराम	–	6.00 राज्य भंडारण निगम	6.00
हजारी बाग	धनबाद	धनबाद	13.74	–	13.74
–वही–	कोडर्मा	कोडर्मा	–	3.00 निजी	3.00
–वही–	हजारीबाग	हजारीबाग	–	5.00 केन्द्रीय भंडारण निगम	5.00
–वही–	गिरिडीह	सुरिया	–	4.10 निजी	4.10
मुजफ्फरपुर	चनपतिया	चनपतिया	6.28	–	6.28
–वही–	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	7.60	–	7.60

1	2	3	4	5	6
	नारायणपुर	36.67	-	36.67	
	अनन्त	चकिया	-	2.50 निजी	2.50
-वही-	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	-	4.15 निजी	4.17
पटना	बक्सर	बक्सर	25.00	-	25.00
-वही-	भोजपुर	आरा	-	3.00	3.00
				राज्य भण्डारण निगम	
-वही-	पटना	दीगाघाट	32.44	-	32.44
		मोकामेह	43.06	2.26	45.32
				केन्द्रीय भण्डारण निगम	
		फुलवारी शरीफ	50.05	-	50.05
-वही-	नालान्दा	बिहार शरीफ	-	4.00	4.00
				राज्य भण्डारण निगम	
पुर्णिया	पुर्णिया	बेलौरी	8.98	-	8.98
-वही-	कटिहार	कटिहार	10.84	-	10.84
-वही-	किशनगंज	किशनगंज	-	8.53	8.53
				केन्द्रीय भण्डारण निगम	
समस्तीपुर	बेगुसराय	बेगुसराय	-	5.00 निजी	5.00
		बेगूसराय रोड	-	2.50 निजी	2.50
		तिलरथ	-	5.00 निजी	5.00
-वही-	समस्तीपुर	समस्तीपुर (2.50+6.77) (राज्य सरकार+केन्द्रीय भण्डारण निगम)	-	9.27(2)	9.27
रांची	पलामू	डाल्टनगंज	14.64	-	14.64
-वही-	पूर्वी सिंहभूमि	जमशेदपुर	10.84	3.50	14.34
				केन्द्रीय भण्डारण निगम	
-वही-	पश्चिम सिंह भूमि	चक्रधरपुर (1.00+1.00) (राज्य सरकार+निजी)	-	2.00(2)	2.00
-वही-	रांची	तितिसिलवाल	-	15.00 निजी	15.00
		रांची	11.67	-	11.67
-वही-	गढ़वा	गढ़वा	-	2.00	2.00
				राज्य भण्डारण निगम	
-वही-	लोहरदग्गा	लोहरदग्गा	-	3.00	3.00
				राज्य भण्डारण निगम	
सहरसा	सहरसा	सहरसा	14.64	-	14.64
-वही-	सुपौल	राघोपुर	-	5.00 निजी	5.00
-वही-	माधोपुर	माधोपुर	-	5.00 निजी	5.00
		फारबिसगंज	-	5.00 निजी	5.00
बिहार राज्य की कुल क्षमता			411.08	143.24	554.32

यूरिया का आयात

5974. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के आयात के लिए आशय जारी किए गए हैं;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाए गए परिसर से इन्हें बेचने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या इन पार्टियों ने वास्तव में यूरिया का आयात किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰के॰ पटेल) : (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर नियंत्रण है और जिसका आयात सरणीबद्ध एजेन्सियों अर्थात् इंडियन पोटाश लि॰ (आईपीएल) एमएमटीसी और राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) द्वारा सरकारी खाते में किया जाता है। उन पार्टियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं जिन्हें वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के दौरान आशय पत्र जारी किये गये हैं।

अन्य सभी उर्वरकों का आयात, कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के ढांचे के भीतर निजी व्यसाय खाते में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

(ख) से (घ) सरकारी खाते में आयात के अलावा कोरोमंडल (सीएफएल) तथा मद्रास फर्टिलाजर्स लि॰ (एमएफएल) को मिश्रित उर्वरकों के निर्माण में उपयोग हेतु वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में सरणीबद्ध एजेन्सियों के माध्यम से यूरिया का आयात करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। प्राधिकृत मात्रा और उनके द्वारा वास्तविक आयात की गयी मात्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(मी॰ टनों की मात्रा)

वर्ष	कंपनी का नाम	मात्रा प्राधिकृत	वास्तव में आयात की गयी मात्रा
1997-98	सीएफएल	1,20,000	62,963*
	एमएफएल	50,000	48,720
1998-99	एमएफएल	1,50,000	व्यवस्था की जा रही है।

*शेष मात्रा की व्यवस्था 1998-99 में की जा रही है।

विवरण

उन पार्टियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्हें वर्ष 1995-97 और 1997-98 के दौरान यूरिया के आयात हेतु आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

सरणीकरण एर्जेसी का नाम : इंडियन पोटाश लि॰ (आई पी एल)

क्र॰सं॰	पार्टी का नाम
1	2
	1995-96
1.	मै॰ ट्रांसामोनिया ए जी स्विटजरलैण्ड
2.	मै॰ ग्लैंकोर लिमिटेड, स्विटजरलैण्ड
3.	मै॰ नेशनल आयल कार्पोरेशन लीबिया
	1996-97
1.	मै॰ ट्रांसामोनिया ए जी, स्विटजरलैण्ड
2.	मै॰ सैबिक मार्कीटिंग लि॰, साऊदी अरब
3.	मै॰ रुवैस फर्टिलाजर इंडस्ट्रीज, आबू धाबी
	1997-98
1.	मै॰ हैल्म डाऊंगेमिटैल जीएमबीएच, जर्मनी
2.	मै॰ अमेरोपा ए जी स्विटजरलैण्ड
3.	मै॰ हाइड्रोएग्री इंटरनेशनल, यू एस ए
4.	मै॰ पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज, कुवैत
5.	मै॰ रुवैस फर्टिलाजर इंडस्ट्रीज, आबू धाबी
6.	मै॰ सीनोकेम (यू के) लि॰, लंदन
	सरणीकरण एर्जेसी का नाम : एम एम टी सी लि॰
	1995-95
1.	मै॰ ए जे इंटरप्राइसेस
2.	मै॰ ए जी जी ट्रेड
3.	मै॰ एशियन पैसिफिक
4.	मै॰ कोनागरा
5.	मै॰ कारोनेशन मार्कीटिंग
6.	मै॰ इंगलवुड पार्ट
7.	मै॰ फैरिको लि॰
8.	मै॰ फर्टकैम

1	2
9.	मै॰ जी प्रेमजी
10.	मै॰ हैल्म
11.	मै॰ इंटरोर कार्पो॰
12.	मै॰ इंट॰ एक्सिम॰
13.	मै॰ कैलर्स इंट॰
14.	मै॰ एल एस पी इंट॰
15.	मै॰ मितसुई एण्ड कं॰
16.	मै॰ निकीमैन कार्पो॰
17.	मै॰ एन ओ सी लीबिया
18.	मै॰ पाक-चाइना फर्ट॰
19.	मै॰ पामेक इंट॰
20.	मै॰ पी आई सी, कुवैत
21.	मै॰ पी जे बी इंट॰
22.	मै॰ पी एस एस इंट॰
23.	मै॰ क्यू ए एफ सी ओ
24.	मै॰ रोमफरथिम
25.	मै॰ रुईवेस
26.	मै॰ सेनपिक
27.	मै॰ ट्रांसामोनिया
28.	मै॰ वी टी आई फर्टसको
	1996-97
1.	मै॰ एलिडो कोमर्स
2.	मै॰ बैग्स हैंडल्स
3.	मै॰ बुलेट ट्रेडिंग
4.	मै॰ कारगिल एमस्ट॰
5.	मै॰ कैमिट्रांस॰
6.	मै॰ फर्ट कैस॰
7.	मै॰ आई सी ई सी
8.	मै॰ निकीमैन कार्पो॰
9.	मै॰ एन ओ सी लीबिया

1	2
10.	मै॰ पी आई सी कुवैत
11.	मै॰ पी ओ अजोट
12.	मै॰ क्यू ए एफ सी ओ
13.	मै॰ रुवैस
14.	मै॰ सैनापिक
15.	मै॰ सिनोकैम
16.	मै॰ ट्रांसामोनिया
	1997-98
1.	मै॰ अमरोपा
2.	मै॰ कैमिट्रांस
3.	मै॰ हैल्म
4.	मै॰ मैरुबैनी
5.	मै॰ पी आई सी
6.	मै॰ क्यू ए एफ सी ओ
7.	मै॰ रुवैस
8.	मै॰ सैबिक
9.	मै॰ सिनोकैम
10.	मै॰ ट्रांसामोनिया
11.	मै॰ वी टी आई फर्टसको लि॰
	सरणीकरण एजेंसी का नाम : एस टी सी
	1995-96
1.	मै॰ रुवैस फर्टिलाजर्स इंडस्ट्रीज, आबू धाबी
2.	कतार फर्टिलाइजर कं॰, कतार
3.	मै॰ वैतरा ए॰ जी॰, स्विटजरलैण्ड
4.	मै॰ सेबिक मार्केटिंग लि॰, रियाध, सऊदी अरब
5.	मै॰ इंटरोर कार्पोरेशन, यू॰एस॰ए॰
6.	मै॰ डलकन, यू॰के॰
7.	मै॰ अल-अक्यूली, दुबई
8.	मै॰ पी॰ आई॰ सी॰, कुवैत
9.	मै॰ ग्लोम, यू॰के॰

1	2
1996-97	
1.	मै॰ पी आई सी कुवैत
2.	मै॰ क्यूफ्, कतार॰
3.	मै॰ हैल्म, हम्बर्ग
4.	मै॰ पी॰ ओ॰ अजोट, चेर्कसी
5.	मै॰ सिनोकैम, यू॰के॰
6.	मै॰ ट्रांसामोनिया, स्विटजरलैण्ड
7.	मै॰ सैबिक मार्के॰ लि॰, रियाध सऊदी अरब
8.	मै॰ रुवैस, आबू धाबी
9.	मै॰ फैरिको लि॰, यू॰के॰
	1997-98
1.	मै॰ क्यूफको, कतार
2.	मै॰ पी आई सी, कुवैत
3.	मै॰ रुवैस फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, आबू धाबी
4.	मै॰ सैबिक, सऊदी अरब
5.	मै॰ हैल्म, हम्बर्ग
6.	मै॰ सैनिकैम, यू॰के॰
7.	मै॰ एलिडो, स्विटजरलैण्ड
8.	मै॰ कोमिन्ट्रा, जेनेवा
9.	मै॰ नोबल, हांगकांग
10.	मै॰ फर्टकैम, जेनेवा
11.	मै॰ ट्रांसामोनिया, हांगकांग

[अनुवाद]

समान माप और तोल नियम

***5975.* श्री चेतन चौहान :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई नियम है जिसके अंतर्गत पैक की हुई वस्तुओं पर इसके पूर्ण विवरण का लिखा होना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो पैक की हुई वस्तुओं पर इसके संघटक अनुपात के उल्लेख नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समान माप और तोल नियम लाने का है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनिवार्य नियमों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 के उपबंध के अनुसार खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल लगा होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद में इस्तेमाल किए गए तत्वों के भार अथवा आयतन जैसा भी मामला हो, के अनुसार अवरोही क्रम में उनके नाम दिए जाएंगे।

ऐसी घोषणा 20 ग्राम अथवा उससे कम भार के पैकेज तथा पुनः भरे जाने के लिए उपभोक्ता द्वारा वापस की जाने वाली बोतलों में बेचे जाने वाले तरल उत्पादों के मामले में लागू नहीं होगी।

(ग) से (ङ) केंद्रीय सरकार ने बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के तहत नियम बनाए हैं जो देश भर में समान रूप से लागू हैं।

बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1986 के तहत जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए मॉडल नियमों के आधार पर नियम बना लिए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन नियमों के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।॰

धर्म पर आधारित वर्ग को हटा दिया जाना

***5976.* श्री एन डेनिस : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग की ओर से राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी आदेश, 1950 के फलस्वरूप बने धर्म पर आधारित वर्ग हटाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1997-98 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह सिफारिश की है और इसकी जांच की जा रही है।

चीनी विकास कोष

5977. श्री डी॰ एस॰ अहिरे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी विकास कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मंजूर किए गए ऋणों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान उक्त कोष से आधुनिकीकरण/विस्तार-कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) उन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां उक्त अवधि के दौरान आधुनिकीकरण/विस्तार और पुनर्वास कार्य शुरू किए गए/पूरा कर लिए गए;

(घ) उन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां उक्त कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) चीनी विकास निधि से ऋण लेने के लिए 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित चीनी यूनिटों से कुल 347 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस अवधि के दौरान 281 मामलों के संबंध में 434.92 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए थे।

प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत ऋणों के संख्या के राज्य और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिन चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मंजूर की गई है उनके राज्यवार नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जिनी चीनी मिलों के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं और जिन्हें आज की तारीख तक आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीमों का कार्य करने के लिए दोनों किश्तें रिलीज कर दी गई हैं उनके नामों को संलग्न विवरण-III में सूचीबद्ध किया गया है, और जिन्हें एक किश्त रिलीज की गई है उनके नामों को संलग्न विवरण-IV में सूचीबद्ध किया गया है, और जिन्हें कोई किश्त नहीं दी गई है उन्हें संलग्न विवरण-V में सूचीबद्ध किया गया है। सामान्यतया ऋण की किश्तों का रिलीज होना आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का द्योतक है।

ऋण स्वीकृत हो जाने के पश्चात् नियमों के अधीन प्रथम किश्त जारी होने से पूर्व चीनी मिलों को काफी दस्तावेज पूरे करने होते हैं। यह ऋण दो किश्तों में दिया जाता है और दूसरी किश्त तभी रिलीज की जाती है जब पहली किश्त की सम्पूर्ण धनराशि के खर्च हो जाने से संबंधित प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ऋण स्वीकृति की तारीख और अंतिम किश्त की वितरण तारीख के बीच काफी अंतर होता है। जिन सभी नौ मामलों में ऋण वितरित नहीं किया गया है उनके लिए 1997-98 में ऋण मंजूर किया गया था। इन ऋणों के वितरण में किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

विवरण-I

चीनी विकास निधि से ऋण के लिए प्राप्त और मंजूर किए गए आवेदन-पत्रों की वर्षवार और राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	वर्ष					
		1995-96		1996-97		1997-98	
		प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	-	2	22	8
2.	असम	-	-	-	-	2	1
3.	बिहार	-	1	-	-	7	6
4.	गुजरात	-	-	1	1	6	1
5.	हरियाणा	1	-	-	1	17	5
6.	कर्नाटक	2	-	3	3	18	7
7.	महाराष्ट्र	5	4	3	3	82	33
8.	मध्य प्रदेश	1	-	1	1	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	उड़ीसा	1	–	–	1	7	4
10.	पंजाब	1	–	–	–	1	3
11.	पांडिचेरी	–	–	–	–	1	1
12.	राजस्थान	–	–	–	–	1	1
13.	तमिलनाडु	3	–	1	3	37	28
14.	उत्तर प्रदेश	10	6	29	7	80	45
15.	पश्चिम बंगाल	1	–	0	–	–	–
16.	केरल	–	–	–	–	1	1
	जोड़	26	12	38	22	283	147

कुल प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या = 347 स्वीकृत किए गए ऋण की कुल संख्या = 281

विवरण-II

वर्ष : *1995-96*

क्र॰सं॰	चीनी फैक्ट्री का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	मै॰ के॰सी॰पी॰लि॰, वय्युरु, जिला कृष्णा
	बिहार
2.	मै॰ विष्णु शुगर मिल्स लि॰, गोपालगंज, जिला गोपालगंज
	महाराष्ट्र
3.	मै॰ दौलत शेतकारी एस॰ एस॰ के॰ लि॰, चांदगढ़, जिला कोल्हापुर
4.	मै॰ किसानवीर सतारा एस॰एस॰के॰ लि0, किसानवीर नगर, जिला सतारा
5.	मै॰ कन्नड़ एस॰एस॰के॰ लि॰, महात्मा फुलेनगर, तालुक कन्नड़, जिला औरंगाबाद
6.	मै॰ भीमा एस॰एस॰के॰ लि॰, मधुकरनगर-पातस, तालुक दौंड, जिला पुणे
	उत्तर प्रदेश
7.	मै॰ प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि॰, प्रतापपुर, जिला देवरिया
8.	मै॰ के॰एम॰ शुगर मिल्स लि॰, मोतीनगर, जिला फैजाबाद
9.	मै॰ शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि॰, नेवली, जिला एटा
10.	मै॰ खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा॰लि॰, खलीलाबाद, जिला बस्ती

वर्ष : *1996-97*

1	2
	गुजरात
1.	मै॰ श्री कामरेज विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि॰, तालुक कामरेज, जिला सूरत
	हरियाणा
2.	मै॰ दि सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर
	कर्नाटक
3.	मै॰ दि पांडवपुरा एस॰एस॰के॰ लि॰, पांडवपुरा, जिला माण्डया
	महाराष्ट्र
4.	मै॰ श्री पांडुरंग एस॰एस॰के॰ लि॰, श्रीपुर, तालुक मालशिरस, जिला शोलापुर
	उत्तर प्रदेश
5.	मै॰ बलरामपुर चीनी मिल्स लि॰, बलरामपुर, जिला गोंडा
6.	मै॰ रोजा शुगर वर्क्स, रोजा, जिला शाहजहांपुर
7.	मै॰ यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर कं॰ लि॰, सिवराही, जिला पडरौना

1	2
8.	मै॰ डी॰एस॰एम॰ शुगर (काशीपुर) लि॰, काशीपुर, जिला उद्यमसिंह नगर
9.	मै॰ बलरामपुर चीनी मिल्स लि॰, बभनान, जिला गोंडा
10.	मै॰ गोविन्द नगर शुगर लि॰, वाल्टरगंज, जिला बस्ती
	वर्ष : 1997–98
गुजरात	
1.	मै॰ सहकारी खांड उद्योग मंडली लि॰, गणदेवी, जिला वल्साड
हरियाणा	
2.	मै॰ दि सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर (द्वितीय ऋण के लिए स्वीकृति)
कर्नाटक	
3.	मै॰ वाणीविलास कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि॰, हिरियूर जिला चित्रदुर्ग
4.	मै॰ उगर शुगर वर्क्स, उगरखुर्द, जिला बेलगाम
महाराष्ट्र	
5.	मै॰ यशवंत एस॰एस॰के॰ लि॰, चिंतामणिनगर, थेडर, हवेली, जिला पुणे
6.	मै॰ इंदापुर एस॰एस॰के॰लि॰, महात्मा फुलेनगर, तालुक इंदापुर, जिला पुणे
7.	मै॰ अजिक्यतारा एस॰एस॰के॰ लि॰, जिला सतारा
8.	मै॰ विघ्नहर एस॰एस॰के॰ लि॰, निवळतिनगर, तालुक जुन्नार, जिला पुणे
9.	मै॰ चन्द्रभाग एस॰एस॰के॰ लि॰, भालवनी, तालुक पंढरपुर, जिला शोलापुर
पंजाब	
10.	मै॰ राणा शुगर्स लि॰, बटर सेवियन, तहसील बाबा–बकाला जिला अमृतसर
उत्तर प्रदेश	
11.	मै॰ खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा॰लि॰, खलीलाबाद, जिला बस्ती
12.	मै॰ गोबिन्द शुगर मिल्स लि॰, आयरा इस्टेट, जिला लखीमपुर खीरी
13.	मै॰ बजाज हिन्दुस्तान लि॰, पलियाकलां, जिला लखीमपुर खीरी
14.	मै॰ बजाज हिन्दुस्तान लि॰, गोलागोकरणनाथ, जिला लखीमपुर खीरी
15.	मै॰ बस्ती शुगर मिल्स कं॰ लि॰, बस्ती, जिला बस्ती
16.	मै॰ डी॰एस॰एम॰ शुगर, रोजागांव, जिला बाराबंकी
17.	मै॰ सेकसरिया बिस्वां शुगर फैक्ट्री लि॰, बिस्वां, जिला सीतापुर
18.	मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, ननौता, जिला सहारनपुर
19.	मै॰ सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि॰, बिलरायां, जिला लखीमपुर खीरी
20.	मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी

विवरण–III

ऐसे मामलों की अद्यतन स्थिति, जहां दोनों किश्तें जारी की गई हैं।

क्र॰सं॰	चीनी फैक्ट्री का नाम
1	2
उत्तर प्रदेश	
1.	मै॰ बलरामपुर चीनी मिल्स लि॰, यूनिट–बभनान, जिला गोंडा
2.	मै॰ खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा॰ लि॰, खलीलाबाद, जिला बस्ती
3.	मै॰ गोविन्द नगर शुगर्स लि॰, वाल्टरगंज, जिला बस्ती
4.	मै॰ प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि॰, प्रतापपुर, जिला देवरिया
5.	मै॰ बलरामपुर चीनी मिल्स लि॰, यूनिट–बलरामपुर, जिला गोंडा
6.	मै॰ शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि॰, नेवली, जिला एटा
7.	मै॰ के॰ एम॰ शुगर मिल्स लि॰, मोतीनगर, जिला फैजाबाद
8.	मै॰ रोजा शुगर वर्क्स, रोजा, जिला शाहजहांपुर
9.	मै॰ डी॰एस॰एम॰ शुगर, काशीपुर, जिला नैनीताल
10.	यूनाइटेड प्रोविन्सेज शुगर कं॰ लि॰, शिवराही, जिला पडरौना
11.	मै॰ बस्ती शुगर कं॰ लि॰, बस्ती, जिला बस्ती
12.	मै॰ गोबिन्द शुगर मिल्स लि॰, आयरा एस्टेट, जिला लखीमपुर खीरी
आन्ध्र प्रदेश	
13.	मै॰ के॰सी॰पी॰ शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि॰, वय्यूरु, जिला कृष्णा

1	2
कर्नाटक	
14.	मै॰ पांडवपुरा एस॰एस॰के॰ लि॰, पांडवपुरा, जिला माण्डया
महाराष्ट्र	
15.	मै॰ पांडुरंग एस॰एस॰के॰ लि॰, श्रीपुर, जिला शोलापुर
16.	मै॰ दौलत एस॰एस॰के॰ लि॰, चांदगढ़, जिला कोल्हापुर
17.	मै॰ कन्नड़ एस॰एस॰के॰ लि॰, कन्नड़, जिला औरंगाबाद
18.	मै॰ भीमा एस॰एस॰के॰ लि॰ पातस, जिला पुणे
19.	मै॰ किसानवीर सतारा एस॰एस॰के॰ लि॰, किसानवीर नगर, जिला सतारा
20.	मै॰ इंदापुर एस॰एस॰के॰ लि॰, इंदापुर, जिला पुणे
21.	मै॰ यशंवत एस॰एस॰के॰ लि॰ चिंतामणिनगर, थिउर
बिहार	
22.	मै॰ विष्णु शुगर मिल्स लि॰, गोपालगंज, जिला गोपालगंज
हरियाणा	
23.	मै॰ सरस्वती शुगर मिल्स लि॰, यमुनानगर
गुजरात	
24.	मै॰ श्री कामरेज विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडल लि॰, कामरेज, जिला सूरत
25.	मै॰ सहकारी खांड उद्योग मंडली लि॰, गणदेवी, जिला वल्साड

विवरण–IV

ऐसे मामलों की अद्यतन स्थिति, जहां एक किश्त जारी की गई है।

हरियाणा

1. मै॰ सरस्वती शुगर मिल्स लि॰, यमुनानगर

महाराष्ट्र

2. मै॰ अजिंक्यतारा एस॰एस॰के॰ लि॰, सतारा
3. मै॰ विघ्नहर एस॰एस॰के॰ लि॰, जिला पुणे
4. मै॰ चन्द्रभाग एस॰एस॰के॰ लि॰, भालवनी, तालुक पंढरपुर

उत्तर प्रदेश

5. मै॰ डी॰एस॰एम॰ शुगर, रौजागांव, जिला बाराबंकी
6. मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, ननौता, जिला सहारनपुर

विवरण–V

ऐसे मामले जिनमें आज की तारीख तक कोई रिलीज नहीं किया गया

क्र॰सं॰	चीनी फैक्ट्री का नाम
1	2
कर्नाटक	
1	मै॰ उगर शुगर वर्क्स लि॰, उगरखुर्द, जिला बेलगाम
2.	मै॰ वाणीविलास कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि॰, चित्रदुर्ग
पंजाब	
3.	मै॰ राणा शुगर्स लि॰, बटर सेवियन (बाबा–बकाला), जिला अमृतसर
उत्तर प्रदेश	
4.	मै॰ सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि॰, बिलरायां, जिला लखीमपुर खीरी
5.	मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी
6.	मै॰ खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा॰ लि॰, जिला बस्ती
7.	मै॰ बजाज हिन्दुस्तान लि॰, गोलागोकरण नाथ, जिला लखीमपुर खीरी
8.	मै॰ बजाज हिन्दुस्तान लि॰, पलियाकलां, जिला लखीमपुर खीरी
9.	मै॰ सेकसरिया बिस्वां शुगर फैक्ट्री लि॰, बिस्वां, जिला सीतापुर

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

5978. श्री जार्ज ईडन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अम्बालामेदा स्थित हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने कारखाने के बहि:स्राव की निकासी के लिए चित्रापुझा नदी में जल के नीचे कोई पाइप लाइन बिछाई है;

(ख) पानी के नीचे पाइप लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) पानी के नीचे पाइप लाइन बिछाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कारखाने ने इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पाइप लाइन की कुल लम्बाई 4.1 कि॰मी॰ है। इसमें से 2.1 कि॰मी॰ पाइप लाइन कंपनी द्वारा इस उद्देश्य से लिए अधिग्रहीत

भूमि के नीचे है तथा 2 कि॰मी॰ पाइप लाइन चित्रापुझा नदी में जल के नीचे बिछाई गई है।

(ग) मल-व्ययन बिन्दु तक पहुंचना तथा पाइप लाइन की सुरक्षा इसके मुख्य उद्देश्य थे।

(घ) राज्य प्रदूषण बोर्ड से बेबाकी (क्लीयरेंस) प्राप्त करने के अतिरिक्त, पंचायत, सिंचाई तथा राजस्व प्राधिकारियों से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अनुमोदन प्राप्त किए गए थे।

[हिन्दी]

अनु॰जा॰/अनु॰जन॰जा॰ के विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश संबंधी सुविधायें

5979. श्री बलीराम कश्यप : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिये जाने और उन्हें छात्रावास सुविधा दिये जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या कतिपय छात्रावासों के अधीक्षकों की नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनको छात्रावासों के रख-रखाव संबंधी क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

5980. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री आर॰ साम्बासिवाराव :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता अधिनियम, 1986 हेतु गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष बची सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें उपभोक्ता अदालतों में मामलों के अधिक तेजी से निपटान, उपभोक्ताओं के हितों का बेहतर संरक्षण करने हेतु उपभोक्ता मंचों को और अधिक शक्तियां देने तथा राज्य आयोगों की पीठों को गठित करने से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् टिप्पण का एक मसौदा तैयार किया गया है और उसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार भेजने के लिए परिचालित किया गया है।

रसोई गैस की मांग और पूर्ति

5981. डा॰ राम कृष्ण कुसमरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान में रसोई गैस सिलिंडरों की मांग और पूर्ति तथा खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त राज्यों से रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1997-98 के दौरान एल पी जी की बिक्री राजस्थान में 183.5 टी एम टी और मध्य प्रदेश में 21.3 टी एम टी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एल पी जी सिलेंडरों की मांग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों द्वारा कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है।

(ख) वर्तमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्रों की स्थापना करके और वर्तमान और नई सुविधाओं के माध्यम से आयात बढ़ाकर एल पी जी की अधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

नेशनल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को सहायता

5982. डा॰ सरोजा वी॰ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली ने एड्स वार्ड को शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा उक्त संस्थान को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नेशनल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को केन्द्रीय सरकार अथवा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा आज तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

तत्काल योजना

5983. **श्री ए॰ सिदराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए तत्काल योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं और इन उपभोक्ताओं से कितनी राशि एकत्र की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना बंद कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्य में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी लोगों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। मांग पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के संबंध में सार्वजनिक तेल कंपनियों द्वारा कर्नाटक राज्य समेत समस्त देश में तत्काल योजना आरंभ की गई थी।

(ख) संशोधित तत्काल योजना, जो कि 20 फरवरी, 1997 से प्रभावी हुई है, के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस शर्त पर कि उसके पास पहले ही एल पी जी कनेक्शन नहीं है, सिलेंडरों तथा रेग्यूलेटर के लिए नियमित प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त 4000/ रुपए की अप्रतिदेय धनराशि का भुगतान करके एल पी जी कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अब तक कर्नाटक में इस योजना के तहत 63,369 एल पी जी कनेक्शन जारी किए हैं और इन कनेक्शनों को जारी करने के संबंध में एक बारगी अप्रतिदेय जमा के रूप में 25.89 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं।

(घ) और (ङ) एल पी जी उपलब्धता विषयक कठिनाइयों के कारण वर्ष 1998-99 से संबंधित नामांकन कार्यक्रम आस्थगित रखा गया है और इसलिए देश में जिसमें कर्नाटक राज्य सम्मिलित है, इस वर्ष के दौरान इस योजना के तहत कोई भी कनेक्शन जारी नहीं किया गया है।

(च) आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर, नए संयंत्र स्थापित करके तथा विद्यमान एवं नई सुविधाओं के जरिए अपेक्षाकृत अधिक आयात द्वारा एल पी जी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता के संबंध में योजनाएं तैयार की गई हैं। वर्ष 2001-02 तक समग्र देश की समस्त प्रतीक्षा सूची निपटाने की योजना है।

[हिन्दी]

समुदाय आधारित पुनर्वास योजनायें

5984. **श्री रामानन्द सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग लोगों के कल्याण हेतु समुदाय आधारित पुनर्वास योजनायें, केन्द्र सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों और ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से स्वीकृत की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश द्वारा ऐसी कितनी योजनायें चलायी जा रही हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस संबंध में लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) लंबित पड़े ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) एक गैर-सरकारी संगठन, केन्द्रीय मानसिक मंदता संस्थान, केरल द्वारा तैयार की गई एक प्रायोगिक परियोजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान समर्थन से अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना को हाल ही में 6 राज्यों अर्थात् केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली में आरम्भ किया गया।

[अनुवाद]

राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्र

5985. श्री अकबर अली खांडोकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्रों की बिगड़ती हालत की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाए जाने हेतु क्या कार्यवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) सरकार को जनशक्ति और संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना में कई कमियों के बारे में जानकारी है केन्द्रीय सरकार राज्यों को कहती है कि औषधों, उपस्करों और अनिवार्य रख-रखाव के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं। राज्यों को चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की भी समय-समय पर सलाह दी जाती है। प्रथम रेफरल यूनिटों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना और उपकेन्द्र स्तर पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करना हाल में चलाए गए शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से परिवार कल्याण सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और उनका विस्तार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए श्रमिक

5986. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने भारत से श्रमिक लेने की राय जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इजराईल, दक्षिण कोरिया आदि देशों को हमारे कुशल अर्ध-कुशल श्रमिक भेजने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने ने का प्रस्ताव है;

(घ) इस संदर्भ में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रमिकों की सप्लाई करने का वर्तमान नेटवर्क क्या है;

(ङ) श्रमिक भेजने वाली रजिस्टर्ड एजेंसियों की संख्या क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा जा चुका है; और

(च) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये एजेंसी शोषणकारी कृत्यों में लिप्त हैं तथा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) ठेकागत आधार पर भारतीय कर्मकारों का विदेशों में नियोजन उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। अधिनियम के अधीन, भारत से श्रम बल की भर्ती करने के इच्छुक विदेशी नियोक्ता या तो भारत स्थित पंजीकृत भर्ती एजेंटों को अपनी ओर से भर्ती करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है या विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशन से या अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके स्वयं ही सीधी भर्ती कर सकता है। भारतीय कर्मकारों की प्रमुख मांग खाड़ी देशों से रही है। इजराइल सरकार ने भी इजराइल में निर्माण कार्य के लिए भारतीय कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों की भर्ती करने की इच्छा जाहिर की है। यह निर्णय लिया गया था कि सरकार को चाहिए कि वह इसराइली प्राधिकारियों द्वारा जारी पूर्व कार्य अनुमति के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय कर्मकारों के नियोजन की अनुमति दे। दक्षिण कोरिया को श्रम शक्ति निर्यात करने के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

अधिनियम के अन्तर्गत, सभी इच्छुक उत्प्रवासियों के लिए जिनके पासपोर्टों में उत्प्रवास जांच जरूरी है का पृष्ठांकन है, रजिस्ट्रीकृत भर्ती एजेन्टों के माध्यम से मांग पत्र मुख्तारनामा और रोजगार संविदा, जिसे रोजगार के देश में स्थित भारतीय मिशन द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित किया गया हो, प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उत्प्रवास क्लीयरेंश इन सभी दस्तावेजों की भी संबंधित उत्प्रवास संरक्षी द्वारा पूरी तरह से जांच किये जाने के बाद दिया जाता है। उत्प्रवास प्रक्रिया को 4 अक्तूबर, 1991 से सरल बना दिया गया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार "उत्प्रवास जांच जरूरी नहीं" की निम्नलिखित छह अतिरिक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले उत्प्रवासी को इस आशय का रजिस्ट्रीकृत भर्ती एजेन्ट द्वारा एक शपथपत्र दिए जाने के बाद उत्प्रवास क्लीयरेंश प्रदान किया जाता है कि कर्मकार वास्तव में इन श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल है और कि कर्मकार का उस कार्य के लिए व्यवसाय परीक्षण किया गया है जिस पर उसे विदेशी नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाएगा :—

(1) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय)

(2) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(3) अर्धकुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(4) हलके/मध्य/भारी वाहन चालक

(5) सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार जिनमें आशुलिपिक, स्टोर कीपर, टाइमकीपर, टाइपिस्ट आदि भी शामिल हैं।

(6) रसोइए जिनमें घरेलू-कार्यों (रसोइए के रूप में) के लिए रोजगार के इच्छुक कर्मकार शामिल नहीं है।

30.6.1998 तक श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की कुल संख्या 3047 थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान

उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए उत्प्रवास क्लीयरेंश/उत्प्रवास जांच जरूरी नहीं पृष्ठांकनों की संख्या निम्नलिखित थी :—

वर्ष	कर्मकारों की संख्या (लाखों में)
1995	4.15
1996	4.14
1997	4.16

जब कभी भर्ती एजेन्टों द्वारा किए जा रहे शोषण संबंधी मामले सरकार की जानकारी में आते हैं, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 43 भर्ती एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित किए गए। एक मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र को अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया। एक मामले में भर्ती एजेन्ट द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी जब्त कर ली गई और राशि को शिकायतकर्ताओं के बीच बांट दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य गाईड योजना को पुनः शुरू करना

5987. श्री एस॰ सुधाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य गाईड योजना को पुनः शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) 1977 में शुरू की गई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना को 1981 में ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड योजना का नाम दिया गया। इस योजना की समय-समय पर समीक्षा की गयी है। देश के कई राज्यों में यह योजना अभी भी चल रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी और समुचित कार्रवाई करेगी।

त्वरित सुनवाई का अधिकार

5988. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि मुकदमें की निष्पक्ष सुनवाई, जिसमें सुनवाई तेजी के साथ करना भी शामिल है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का एक हिस्सा है;

(ख) क्या लगभग 80 प्रतिशत बन्दियों पर मुकदमा चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। आयोग की वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जेलों में कैद लगभग 80 प्रतिशत या इससे अधिक व्यक्ति विचाराधीन हैं।

(ग) आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 9.6.98 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी है।

होमगार्ड

5989. श्री अमन कुमार नागरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होमगार्ड पूरे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या होमगार्ड के जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी नहीं दी जाती है और होमगार्ड के जवानों को पुलिस और अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों की तरह अब तक नियमित बल नहीं बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या होमगार्ड के जवानों को केवल कम भुगतान ही नहीं दिया जाता है बल्कि नियमित रूप से भुगतान न करके उनका शोषण भी किया जाता है और उन्हें दिहाड़ी पर कार्य करना पड़ता है;

(ङ) होमगार्ड्स के जवानों को नियमित करने और उन्हें पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों के बराबर मानने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ) होम गार्ड्स, पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करते हैं।

इसके स्वयंसेवी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, होम गार्ड्स को नियमित बल बनाने की कोई योजना नहीं है।

होम गार्ड्स को कम/अनियमित भुगतान करने संबंधी कोई दृष्टांत केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

बीड़ी कर्मकार

5990. **श्री सी॰एच॰ विद्यासागर राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी निर्माण व्यापार से एकत्र की गयी तथा केन्द्र सरकार के पास जमा की गयी धनराशि बीड़ी कार्मिकों के कल्याणकारी कार्यकलापों के लिये आंध्र प्रदेश के संबंधित क्षेत्रों में खर्च नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में जिलावार एकत्र की गई राशि और व्यय की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश के संबंधित क्षेत्रों में कर्मकारों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए एकत्र की गई धनराशि को खर्च करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रम कल्याण संगठन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, हाऊसिंग और मनोरंजन के क्षेत्रों में लाभ प्रदान कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

स्वास्थ्य	172
शिक्षा	364
हाऊसिंग	25
कुल योग	561

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यकर्ता

5991. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** :

श्री मोहन सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है और उनके वेतनमान क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके वेतनमानों को बढ़ाने और उन्हें चिकित्सा संबंधी चीजें प्रदान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार देश में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्मिक कार्यरत हैं :—

श्रेणी		मौजूदा संख्या
(1)	सहायक नर्सधात्री/ बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्मिक (महिला)	134112
(2)	बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कार्मिक (पुरुष)	71886

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्वास्थ्य कार्मिकों को वेतनमान राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है और यह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हैं। 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सहायक नर्सधात्री/बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कार्मिक (महिला) के वेतनमान को 975-1540 रुपये से 4000-6000 रुपये करके संशोधित किया है।

प्रसव सेवाओं में सुधार के लिए उप केन्द्र स्तर पर ड्रग किट "ए", ड्रग किट "बी", नर्स धात्री किट और उप केन्द्र उपस्कर किट की सप्लाई जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक नर्स धात्रियों को एक आई॰यू॰डी॰ किट प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

उपक्रमों के निजीकरण का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव

5992. **श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा** :

श्री जोगेन्द्र कवाड़े :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपक्रमों के निजीकरण के कारण सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आरक्षण जारी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भर्ती में आरक्षण को जारी नहीं रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू एवं कश्मीर में शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार

5993. वैद्य विष्णु दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शरणार्थियों को भूमि, सम्पत्ति, मतदान, व्यवसाय, शिक्षा और राज्य सेवा में रोजगार के अधिकारों से भी वंचित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन शरणार्थियों को लोक सभा के चुनाव में मतदान की अनुमति दी गई है परन्तु उन्हें जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य करार दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार राज्य में उनके अधिकारों को पुनः बहाल करने और उनका स्थायी रूप से पुनर्वास करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के उपबन्धों द्वारा शामिल होते हैं।

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपने स्थायी निवासियों को कुछेक विशेष अधिकार दिए हैं (जिसे रोजगार, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, राज्य में बसना, छात्रवृत्ति इत्यादि) जो अन्यों को उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर में संविधान की धारा 140 के अन्तर्गत, विधानसभा चुनावों में राज्य के स्थायी निवासी ही वोट दे सकते हैं। यह अधिकार अन्य नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अन्य नागरिक और स्थायी निवासी भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत अपना मत देने के पात्र हैं।

(च) और (छ) ये मामले जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

सेना और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा की गई ज्यादतियां

5994. श्री पी॰ आर॰ किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा की गई ज्यादतियों की शिकायतों की जांच करने हेतु मानवाधिकार आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर में ऐसी ज्यादतियों के बारे में शिकायतें अभी भी प्राप्त हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के बारे में रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या सरकार का सेना/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों द्वारा किये गये मानवाधिकारों के उल्लंघनों को अपने दायरे में लाने के लिए मानवाधिकार आयोग अधिनियम में संशोधन करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर में सेना और अर्ध-सैनिक बलों द्वारा ज्यादतियां किए जाने के संबंध में शिकायतें मिलती हैं। सेना द्वारा की गई ज्यादतियों से संबंधित शिकायतों के प्राप्त होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन शिकायतों को रक्षा मंत्रालय को भेजता है। इनकी शीघ्रता से जांच-पड़ताल की जाते है तथा आयोग को रिपोर्ट अग्रेषित कर दी जाती है। इस प्रकार की कथित शिकायतों की रक्षा मंत्रालय द्वारा जांच-पड़ताल के बाद निकाले गए निष्कर्षों की 31 मार्च, 1998 तक की स्थिति, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में किसी प्रकार का संशोधन करने पर सरकार इस समय कोई विचार नहीं कर रही है क्योंकि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत यह प्रावधान पहले ही मौजूद हैं, जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघनों की शिकायतों से निपटने के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था है।

विवरण

मानवाधिकारों के उल्लंघन की कथित शिकायतों की रक्षा मंत्रालय द्वारा जांच-पड़ताल के बाद निकाले निष्कर्षों की 31.3.1998 तक की स्थिति

	से संबंधित		
	जम्मू व कश्मीर	उत्तर-पूर्व	जोड़
(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजे गए मामलों की संख्या	61	60	121
(ख) मामलों की संख्या जिनकी जांच-पड़ताल की गई	58	57	115
(ग) जांच-पड़ताल के अधीन	3	3	6
(घ) उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप झूठे पाए गए	56	56	112
(ङ) उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप सही पाए गए	2	1	3
(च) उपर्युक्त (ङ) पर उल्लिखित मामलों में से सेना द्वारा स्वयं दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या	6	2	8

सिलिकॉसिस बीमारियां

5995. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलिकॉसिस बीमारी के कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ढलाईखानों, खानों और पत्थर तोड़ने के स्थान पर सिलिकॉसिस से प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या के संबध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में राज्यवार सिलिकॉसिस से प्रभावित लोगों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) सिलिकॉसिस सभी व्यावसायिक रोगों में सबसे आम रोग है। यह लम्बे समय तक सिलिका अथवा सिलिकानडायक्साइड के सांस के जरिए अन्दर जाने से होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जमीन के अन्दर और खुलीकास्ट खानों, लघु और गैर-संगठित क्षेत्रों, कुटीर उद्योगों और संगठित क्षेत्र में भी अनेक अध्ययन किए गए हैं। अध्ययनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न खनिजों, को खानों से निकालने, लोहे और इस्पात उद्योगों, सिमेंट उद्योग, खदानों आदि में लगभग 3 मिलियन कामगार कार्य कर रहे हैं। इन सभी उद्योगों में सिलिकस की धूल के प्रभाव और बाद में सिलिकोसिज विकसित होने का संभावित खतरा शामिल है।

(छ) सिलिकोसिस एक पूर्तियोग्य और अधिसूचनीय रोग है। कारखाना (संशोधन, 1987) अधिनियम और खान अधिनियम के अधीन सिलिकोसिज सहित सभी व्यावसायिक रोगों के निवारण हेतु अनेक उपबन्ध हैं।

विवरण

भारत में जमीन के अन्दर और खुली कास्ट खानों, लघु, गैर-संगठित क्षेत्र, कुटीर उद्योगों और संगठित क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न व्यवसायों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

सोने की खानें :

कोलार गोल्ड फील्डस में 1947 से अध्ययन किए जाने के बारे में सूचना दी गई है। व्यापकता दर 8.8 प्रतिशत से लेकर 13.9 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न थी। भारतीय खानों में अन्य देशों (0.6-4.8 प्रतिशत) की सोने की खानों की तुलना में वाल्सन ने सिलिकोसिस की कम व्यापकता होने कारण कैल्शियम की अधिक मात्रा (11-20 प्रतिशत) बताया है। उत्तक विकृति विज्ञानी दृष्टि से भारतीय खानों में सिलिकोसिस को न्यूमोकोनियोसिस की गैर-कोलेजैनस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैपलन और बर्धन और शिनाय द्वारा किए गए अध्ययन से भारी धूल विक्षेपण की बजाय सिलिकोटिक हायालाईन सांद्रित फाइब्रोरोसिस की गैर-विद्यमानता की पुष्टि हुई।

अभ्रक की खानें और प्रोसेसिंग यूनिटें :

कारखानों के प्रमुख सलाहकार गुप्ता, अभ्रक की खानों के अध्ययन में अग्रणी थे। उनके द्वारा सूचित की गई सिलिकोन की व्यापकता दर 34 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच और क्षयरोग की दर 6.45 प्रतिशत से 18.4 प्रतिशत (8, 9) के बीच भिन्न-भिन्न थी। यह भी देखा गया कि अभ्रक की खानों में हैंड ड्रिलरों में न्यूमेटिक ड्रिलरों और मकरों की अपेक्षा सिलिकोसिस विकसित होने का अधिक खतरा था। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद, भारत ने अभ्रक प्रोसेसिंग यूनिटों में 6.2 प्रतिशत की व्यापकता दर सूचित की।

कोयले की खानें :

कोयले की खानों के सिलिकोसिस को "कोयला मजदूरों का न्यूमोकोनियोसिस" या एन्थ्रोसोकोसिस के रूप में भी जाना जाता है। कोयला मजदूरों के न्यूमोकोनियोसिस की व्यापकता दर 1.3 से 18.8 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है। धूल सर्वेक्षणों ने मशीन से ड्रिलिंग (44-186 एम पी पी सी एफ) और मशीन से कटिंग (34.110 एम पी पी सी एफ) में उच्च सांद्रता कोयले की कटिंग ड्रेसिंग व लोडिंग (11-56 एमपीपीसीएफ) में सामान्य सान्द्रता और अन्य कार्यों (आपरेशनों) के दौरान अल्प सांद्रता सूचित की है। दो खानों की नमी मुक्त कोयले के धूल में क्रमशः 3.36 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत सिलिका मुक्त मात्रा थी।

अन्य कटर :

सिलिकोसिस की व्याप्तता दर मैंगनीज, लैड व जिंक खानों में क्रमशः 4.4 प्रतिशत से 30.4 प्रतिशत पाई गई (मैगनीज विषाक्तता समिति रिपोर्ट और सी ए एफ)। सीसा और जिंक खानों में कच्ची धातु की औसत सिलिका मुक्त मात्रा 22(3-3.6 प्रतिशत) थी।

स्टोन कटर :

चार जांचकर्ताओं अर्थात् सिकन्द व पामरों सेठी व कपूर, गुप्ता इट एल और एन आई ओक एच में रोग की व्यापकता दर क्रमशः 52.5 प्रतिशत, 25.0 प्रतिशत और 22.0 प्रतिशत सूचित की है। एन आई ओ एच द्वारा किए गए अध्ययन में दो खानों में लगभग 70.0 प्रतिशत मुक्त सिलिका के साथ औसत अंतःस्वसनीय धूल सांद्रता क्रमशः 0.80 एम जी/एम और 0.85 एम जी/एम थी।

सिरेमिक्स और पोटरी उद्योग

तीन अध्ययनों से सिलिकोसिस की व्याप्तता दर 15.7 प्रतिशत 11.1 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत होने का पता चला है। अन्तःश्वसनीय धूल स्तर 0.39 एम जी/एम से लेकर 43.8 एमजी/एम तक था और सिलिका मुक्त धूल की मात्रा 4.8 प्रतिशत से लेकर 23.3 प्रतिशत तक थी।

ब्रिक रिफ्रैक्ट्री कामगार :

ब्रिक रिफ्रैक्ट्री कामगारों में सिलिकोसिस और क्षयरोग की व्याप्तता क्रमशः 21.7 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत थी। राने ने 119 (25-440) एम पी पी सी एफ 75 प्रतिशत सिलिका मुक्त धूल स्तरों वाले 60 प्रतिशत कामगारों में फुफ्फुसीय कार्यकरण की अवनति पायी।

अगेट उद्योग :

अगेट उद्योग में दो अध्ययनों ने सिलिकोस की व्याप्तता क्रमशः 18.4 प्रतिशत और 36.7 प्रतिशत सूचित की। बाद के अध्ययन ने औसत कुल और "अन्तःश्वसनीय" धूल सांद्रण क्रमशः 25.4 एम जी/एमजी3 (14.5-35.1 एम जी/एम) और 2:74 एम जी/एम (1.73-20.04 एम जी/एम) सूचित की। इस धूल में सिलिका रहित मात्रा 60 प्रतिशत थी।

स्लेट पैंसिल कामगार :

स्लेट पैंसिल उद्योग में दो अध्ययनों ने क्रमशः 57 प्रतिशत और 54.6 प्रतिशत (29.30) की व्याप्तता दर सूचित की। इन दो स्लेट पैंसिल उद्योगों में सूचित की गई उत्तरोत्तर व्यापक फिब्रोसिस की व्याप्तता दर क्रमशः 20 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत थी। बाद के अध्ययन में कटाई की प्रक्रिया के दौरान "कुल" और "अन्तः श्वसनीय" धूल सांद्रणों की व्याप्तता 36.5 प्रतिशत सिलिका मुक्त मात्रा के साथ क्रमशः 46.47 एम जी/एम (11.03-177.30 एम जी/एम) और 10.41 एम जी/एम 3 (4.27-18.39 एम जी/एम) थी।

अन्य उद्योग : अन्य उद्योगों में व्याप्तता दर इस प्रकार थी :—

कैंची और रेंजर की घिसाई : (ग्राइंडिंग)

27.2 प्रतिशत ढलाई मजदूर—2.5 प्रतिशत। आयरन और स्टील

कामगार—0.98 प्रतिशत, आयुद्ध कारखाना –3.5 प्रतिशत कांच विनिर्माण संयंत्र—16.7 प्रतिशत, गैर-यांत्रिक आयरन और ढलाई, मजदूर—27.2 प्रतिशत, कांच की चूड़ी के कामगार—7.3 प्रतिशत स्फटिक संदलन—12 प्रतिशत और रेत ग्राईडिंग—27.8 प्रतिशत।

डीजल की चोरी

5996. डा॰ संजय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी गुजरात में पाकिस्तानी सीमा के समीप कांडला पत्तन और राधापुर के बीच तस्करों का एक सुनियोजित गिरोह सक्रिय है और वहां पर पाइपलाइनों से करोड़ रुपए का डीजल चोरी हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत एक वर्ष के दौरान कितने रुपए की हानि हुई;

(ग) क्या इस गिरोह में इंडियन आयल कार्पोरेशन के अधिकारी भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आई ओ सी ने गुजरात राज्य में कांडला-भंटिडा पाइपलाइन में 1997-98 के दौरान तेल चोरी की 9 घटनाओं की सूचना दी है, जिनके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान लगभग 3.44 करोड़ रुपए के डीजल की क्षति हुई है।

(ग) से (ङ) आई ओ सी ने यह सूचित किया है कि प्रारंभिक जांच से किसी आई ओ सी अधिकारी के संलिप्त होने का पता नहीं चला है। तथापि पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में यह छानबीन करने के लिए आई ओ सी द्वारा एक जांच आरंभ की गई है कि क्या इसमें आई ओ सी का कोई पदाधिकारी संलिप्त है।

नागरिक पुरस्कार विजेताओं का आपराधिक मामलों में लिप्त होना

5997. श्रीमती रमा देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20.5.98 को "द हिन्दू" में "सिटिजन अवार्ड विनर हैज 4 क्रिमिनल रिकार्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान्। उल्लिखित पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा उन्हें भेजे गए एक प्रस्ताव के आधार पर दिया गया था। पुरस्कार विजेताओं का चयन, भारत के उच्चतम न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा राष्ट्रपति महोदय को भेजे गए एक पत्र के आधार पर किया गया था। इस समारोह का संबंध भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग से नहीं था। सभी विजेताओं के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करने की जिम्मेवारी प्रयोजक गैर-सरकारी सगंठन की थी।

सी॰जी॰एच॰एस॰ के आयुर्वेदिक तथा यूनानी विभाग में गड़बड़ी

5998. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री गुरुदास कामत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी॰जी॰एच॰एस॰ के आयुर्वेदिक तथा यूनानी विभाग में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) ऐसी कोई अनियमिततायें सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य डाक्टरों की अनुपलब्धता

5999. श्री बासवराज पाटील सेडाम :

श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन :

श्री ए॰ गणेशमूर्ति :

श्री वैको :

श्री चमन लाल गुप्त :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि देश के गांवों में योग्य डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और उनके द्वारा दी जा रही सेवा भी घटिया किस्म की है, और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार ऐसे गांवों की संख्या कितनी थी और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मेडिकल स्नातकों का पंजीकरण करने से पूर्व उन पर कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए डाक्टरों द्वारा गांवों में सेवा करने की कोई शर्त लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में एल॰एम॰ओ॰ के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) ग्रामीण गांवों में अर्हताप्राप्त डॉक्टरों की अनुपलब्धता और अपर्याप्त सेवाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुछ पद खाली पड़े हैं। इन केन्द्रों में डाक्टरों की भर्ती तथा तैनाती राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम अवधि के लिए सेवा प्रदान करने के पश्चात् ही चिकित्सा स्नातकों का पंजीकरण किए जाने संबंधी पहले के सुझाव से सहमति नहीं जताई।

(च) और (छ) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में या तो पुरुष या महिला चिकित्सा अधिकारी का एक पद संस्वीकृत है। 31.12.1997 को उपलब्ध सूचना के अनुसार 22,962 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 626 महिला चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञानी, सामान्यतः एक महिला डाक्टर तैनात की जाती है, 31.12.1997 को 1309 पदों की तुलना में इन विशेषज्ञों की 644 रिक्तियां हैं। ग्रामीण अस्पतालों में रिक्तियों को भरने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है।

चीनी की कमी

6000. **श्री रामपाल सिंह :**

श्री अमरपाल सिंह :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री पंकज चौधरी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की कमी के लिए चीनी आयात न करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए चीनी मिलों से चीनी खरीदने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो चीनी की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस कीमत पर खरीदे जाने की संभावना है;

(ङ) क्या चीनी का आयात न करने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पहले ही व्यापार-समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके कारण क्या हैं;

(छ) इस चीनी को राज्यों तथा उपभोक्ताओं को किस प्रकार बेचे जाने की संभावना है; और

(ज) इसके लिए दी जाने वाली प्रस्तावित राजसहायता संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। चीनी की पर्याप्त औसत उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग ने अनुरोध किया था कि आयात का सहारा नहीं लिया जाए और सरकार द्वारा लेवी संबंधी कमी को चीनी मिलों से मुक्त बिक्री की चीनी की खरीदारी करके पूरा किया जाए।

(ग) से (च) सरकार ने पारदर्शी मूल्य निर्धारण फार्मूले के अंतर्गत घरेलू मिलों से आवश्यकतानुसार 12 लाख टन तक मुक्त बिक्री की चीनी की खरीदारी करने का निर्णय किया है। मूल्य निर्धारण फार्मूले में यह व्यवस्था है कि खरीद मूल्य निम्नलिखित तीन वैकल्पिक मूल्यों का निम्नतम होगा :

(1) पिछले तीन महीनों में वास्तविक भारित औसत मुक्त बिक्री की प्राप्ति;

(2) वर्तमान मास में बिक्री मूल्य; अथवा

(3) आयात की लागत बीमा भाड़ा लागत।

1998 की समस्त अवधि के दौरान कभी भी चीनी आयात करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(छ) लेवी चीनी राज्यों को नहीं बेची जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराने की वर्तमान कार्यविधि का अनुसरण किया जाएगा

(ज) किसी वर्ष विशेष में अदा की गई सब्सिडि की राशि खुदरा लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य के बीच अंतर से सम्बद्ध है। चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में संशोधन उसी वर्ष में अधिसूचित किया जाता है जिस वर्ष में वह लागू होता

है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए अपेक्षित सब्सिडि की राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन

6001. श्री मोतीलाल वोरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में बन्द अपराधियों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध होने की घटनायें प्रकाश में आई हैं;

(ख) क्या हाल ही में तिहाड़ जेल में बन्द अपराधियों से मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गये लोगों का ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान जेल परिसर से 12 "मोबाईल फोन" बरामद किए गए। ये या तो कैदियों के कब्जे से अथवा जेल परिसर के भीतर विभिन्न स्थानों में छिपाये हुए पाए गए। पहले मामले में, संबंधित कैदी का निश्चित अवधि के लिए आगन्तुकों से मिलना-जुलना निषेध कर दिया गया था।

जेल अधिकारियों ने मोबाईल फोन समेत निषिद्ध वस्तुओं की जेल में तस्करी के संबंध में 10 अधिकारियों को उनकी चूकों के लिए आरोप-पत्र भी दिए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चावल की बिक्री

6002. श्री जुआल उराम : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को 2 रुपये प्रति किलो और गरीबी की रेखा से ऊपर रह रहे लोगों को 4 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) उड़ीसा सरकार समन्वित आदिवासी विकास परियोजना और सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन कवर किए गए 143 ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम और गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों को 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल की बिक्री कर रही है।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न दोहरे मूल्य अर्थात् गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। कोई राज्य, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न जारी करना चाहता है वह ऐसा कर सकता है बशर्ते कि अतिरिक्त राजसहायता उस राज्य के स्रोतों से मुहैया की जाती है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वहन की गई अतिरिक्त राजसहायता के ब्यौरे नहीं रखता है।

वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार

6003. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:—

(1) यह कि उन्होंने महरौली और छत्तरपुर के निकट ग्राम गदइपुर में मस्जिद सोहन बुज की वक्फ भूमि को बेचा है,

(2) यह कि उन्होंने हाल ही में 7 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी है जो जापान से आयात की गई थी और उसे फरीदाबाद स्थित अपने पुत्र की फैक्टरी में प्रतिष्ठापित करवाया,

(3) यह कि उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की वक्फ सम्पत्तियों को बेचकर तथा उन्हें सस्ते दरों पर पट्टे पर देकर 20 करोड़ रुपए से अधिक अर्जित किए हैं,

(4) यह कि उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने नरेला, निजामुद्दीन, छत्तरपुर महरौली, सराय कालेखां, गदइपुर आदि स्थित सम्पत्तियों को बेचने के बाद बोर्ड की सम्पत्तियों से संबंधित अनेक दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं,

(5) यह कि उनके एक भाई ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की वक्फ सम्पत्ति तथा दूसरे भाई ने कश्मीरी गेट स्थित दो दुकानें हथिया ली हैं,

(6) यह कि बोर्ड के कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष के गैर-कानूनी कार्यों के विरुद्ध आवाज बुलन्द की और हड़ताल पर चले गए जिसे अध्यक्ष द्वारा आवश्यक जांच के आदेश संबंधी आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई,

(7) यह कि अध्यक्ष ने राजपत्र अधिसूचना जारी किए बिना अजीम अख्तर नामक एक व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है,

(8) यह कि अध्यक्ष द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 के अधीन दिल्ली वक्फ बोर्ड, तब भी इसका पुनर्गठन किया जाता है, "सुप्रसिद्ध मुस्लिम संगठन" के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को सदस्य पुनः नामांकित किए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए उन्होंने नवम्बर, 1997 में मदरसा शिक्षा प्रतिष्ठान नामक एक संगठन को पंजीकृत करवाया है,

(9) यह कि जनवरी, 1996 से प्रभावी वक्फ अधिनियम वर्तमान अध्यक्ष के कारण दिल्ली में कार्यान्वित नहीं किया गया है जो इस मामले में दिल्ली सरकार को प्रभावित कर रहा है।

(ग) ये शिकायतें दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट के लिए भेज दी गई हैं जिसकी प्रतीक्षा है।

कर्मचारी राज्य बीमा-निगम के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन

6004. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

श्री विकास चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मजदूर संघों ने 18 जून, 1998 को देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उन प्रदर्शनों के मुद्दे क्या थे; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रदर्शन में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल मुद्दे थे—कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भ्रष्टाचार/कदाचार का उन्मूलन, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना, चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करना, गैर-अंशदायी योजनाओं को छूट दिया जाना आदि। शिकायतों के निवारण हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम/नियमों के तहत् आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा रही है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

6005. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ोदरा में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु गुजरात को कोई आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) बड़ोदरा में महिलाओं हेतु क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की सहमति 1991 में स्पष्टतया इस शर्त पर दी गई थी कि गुजरात सरकार द्वारा 5 एकड़ के लगभग एक उपयुक्त भूमि का टुकड़ा संस्थान के स्थायी भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण तक प्रशिक्षण गतिविधियों को आरम्भ करने हेतु तत्काल पर्याप्त अस्थायी भवन उपलब्ध करवाने की सहमति भी दी थी।

बड़ोदरा में महिलाओं हेतु क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 1995 से, सीमित मूलभूत अवसंरचना के साथ, एक पुराने जीर्ण-शीर्ण छात्रावास भवन में अस्थायी व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने स्थायी भवन हेतु भूमि के टुकड़े का आबंटन अभी तक नहीं किया है।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता

6006. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :

डा॰ सरोजा वी॰ :

श्री हरिन पाठक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और राज्यों में यह कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किया गया है;

(घ) सरकार को अब तक कितने प्रतिशत सफलता मिली है; विश्व बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई और उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (च) मलेरिया स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों, जिनमें आन्ध्र प्रदेश बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के 100 जिले शामिल हैं, और मलेरिया की प्रवणता वाले 19 नगरों/शहरों में मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों को तेज करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 30.9.97 से एक विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना लागू की जा रही है। पांच वर्षों की अवधि के दौरान परियोजना की कुल लागत भारत सरकार के 15 प्रतिशत हिस्से सहित 891.04 करोड़ रुपये है।

सामग्रियों और समान की खरीद, प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन तथा सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और संबंधित राज्य सरकारों को परियोजना के क्रियान्वयन हेतु तौर-तरीकों के बारे में सूचना दी जा चुकी है।

यूरिया की खपत

6007. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक यूरिया की लाइसेंस क्षमता, उत्पादन/खपत कितनी थी;

(ख) यूरिया उत्पादन की लाइसेंस क्षमता में विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के राज्यों में असंतुलन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कम उत्पादन क्षमता वाले राज्यों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰के॰ पटेल) : (क) दिनांक 24.7.91 को घोषित की गयी औद्योगिक नीति के अनुसार यूरिया के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया की राज्य-वार स्थापित क्षमता उत्पादन और खपत के संबंध में समेकित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) गत 15 वर्षों के दौरान देश में यूरिया उत्पादन क्षमता के विकास पर अधिकांशतः प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का असर पड़ा है। लाभ अर्जित करने वाले उर्वरक उद्यमों ने भी अन्य फीडस्टाकों का इस्तेमाल करके अपने संयंत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं तथा इस क्षेत्र में स्थित एककों की वित्तीय कठिनाइयों के कारण क्षमता वृद्धि पर रोक लगायी गयी है।

सरकार ने एच एफ सी के नामरूप एककों के पुनर्वास की मंजूरी दी है। पुनर्वास के पश्चात्, इन एककों का उत्पादन वर्तमान में 1.9 लाख टन (गत तीन वर्षों का औसत उत्पादन) से बढ़ाकर 5.3 लाख टन प्रति वर्ष हो जाने की आशा है।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान यूरिया की राज्यवार स्थापित क्षमता, उत्पादन और खपत

(लाख मी॰ टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	31.3.98 तक स्थापित क्षमता	उत्पादन 1995-96	उत्पादन 1996-97	उत्पादन 1997-98	खपत 1995-96	खपत 1996-97	खपत 1997-98 (सम्भावना)
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	13.2	8.2	7.9	7.9	18.3	19.3	16.5
केरल	3.3	2.7	2.4	2.7	1.2	1.2	1.2
कर्नाटक	3.4	2.3	3.4	2.7	7.6	8.1	8.8
तमिलनाडु	9.1	8.6	8.2	7.8	6.7	8.0	8.3
पाण्डिचेरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
ए एण्ड एन आइसलैण्ड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
लक्ष्यद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग : दक्षिण-क्षेत्र	29.0	21.7	21.9	21.2	34.0	36.9	35.0
गोवा	2.8	4.1	3.4	4.3	0.1	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	14.5	8.6	8.4	16.6	10.2	11.8	13.3
महाराष्ट्र	19.1	17.4	14.8	17.2	15.0	16.2	16.8
गुजरात	29.6	31.5	29.4	31.3	9.7	10.5	11.8
राजस्थान	10.7	12.9	12.7	13.6	9.3	10.6	11.7
दमन एण्ड द्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
डी एण्ड एन हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग : पश्चिमी-क्षेत्र	76.8	74.5	68.8	83.0	44.4	49.1	54.3
बिहार	5.1	2.8	3.0	2.5	11.0	12.9	13.0
उड़ीसा	3.3	1.2	1.3	1.0	3.1	3.1	4.2
पं॰ बंगाल	1.7	0.8	0.5	0.0	9.5	9.6	10.2
असम	5.2	1.4	2.3	2.0	0.5	0.7	0.8
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
नागालैण्ड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
टी बोर्ड (एनई)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.7
कुल : पूर्वी-क्षेत्र	15.4	6.2	7.1	5.5	25.0	27.3	29.4
हरियाणा	5.1	5.3	4.5	5.6	11.4	12.1	13.0
पंजाब	8.4	9.0	7.3	9.7	20.0	18.8	19.9
उत्तर प्रदेश	58.3	41.5	46.6	60.8	42.6	44.4	46.7
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5
जम्मू एण्ड कश्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.9
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4
चण्डीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल : उत्तर-क्षेत्र	71.8	55.8	58.4	76.2	75.7	75.9	81.4
सकल योग	192.9	158.2	156.2	186.0	179.1	190.2	200.1

[हिन्दी]

लंबित विधेयक

6008. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो राज्य सरकार द्वारा पारित कर दिए गए हैं तथा केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं; और

(ख) इन विधेयकों की अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए विभिन्न आरक्षित रखे गए विधेयकों का एक विवरण संलग्न है। राज्य विधायनों पर भारत सरकार के संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जांच तथा इसके अलावा, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श/स्पष्टीकरण अपेक्षित है। संबंधित राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को मामले पर अपने विचार शीघ्रता से भेजने के लिए निरन्तर याद कराया जाता है। विधेयकों को शीघ्रता से मंजूरी देने हेतु जहां-कहीं आवश्यक होता है चर्चा भी की जाती है।

विवरण

(20.7.1998 तक की स्थिति अनुसार)

क्र॰सं॰	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम
1	2	3
1.	29.5.86	मद्रास रेस क्लब (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) संशोधन विधेयकम, 1989
2.	01.11.89	सिक्किम एलीनेशन ऑफ लैण्ड (विनियमन) विधेयक, 1989
3.	01.11.89	सिक्किम भूमि का अन्तरण (विनियमन) विधेयक, 1989
4.	20.11.89	आन्ध्र प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 1989
5.	20.06.90	असम लैण्ड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1990
6.	01.06.92	उत्तर प्रदेश गौवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992
7.	29.10.92	सीमांकन (प॰ बंगाल संशोधन) विधेयक, 1992
8.	09.12.92	द मणिपुर प्रीवेंशन ऑफ मैल-प्रैक्टिसिज एट पब्लिक एकजामिनेशन बिल, 1992
9.	13.10.93	ग्रेचुटी का भुगतान (प॰ बंगाल संशोधन) विधेयक, 1993
10.	08.07.95	दण्ड प्रक्रिया संहिता (प॰ बंगाल संशोधन) विधेयक, 1994
11	26.08.94	भ्रष्टाचार निवारण (प॰ बंगाल संशोधन) विधेयक, 1994
12.	30.01.95	अरुणाचल प्रदेश प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ कस्टोमरी लाज एण्ड सोशल प्रोटेक्शन बिल, 1994
13.	15.05.95	प॰ बंगाल इलैक्ट्रिकल उपक्रम (बकाया की वसूली), विधेयक, 1995
14.	26.06.95	सिविल प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1995
15.	27.10.95	मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995
16.	06.11.95	महाराष्ट्र एडापशन बिल, 1995
17.	09.11.95	पश्चिम बंगाल गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान और स्थानीय प्राधिकरण (कर्मचारियों की भविष्य निधि नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1995
18.	20.11.95	बिहार में डाक व सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 1995
19.	18.12.95	हरियाणा स्कूल शिक्षा विधेयक, 1995
20.	01.02.96	महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995
21.	02.02.96	महाराष्ट्र बहु-विवाह-निवारण विधेयक, 1995
22.	06.05.96	पंजाब शैड्यूल्ड रोड्स एण्ड कन्ट्रोल्ड एरियाज रेस्ट्रिकशन ऑफ अनरेगुलेटिड डवलपमेंट (हरियाणा संशोधन और मान्यता) विधेयक, 1996

1	2	3
23.	03.06.96	दण्ड प्रक्रिया संहिता (तमिलनाडु संशोधन), विधेयक, 1996
24.	04.06.96	बंगाल नर्सेज (संशोधन) विधेयक, 1996
25.	24.06.96	पश्चिम बंगाल एपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक, 1996
26.	23.08.96	मोटर वाहन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996
27.	14.01.97	उड़ीसा श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 1996
28.	21.03.97	हिमाचल प्रदेश माता-पिता व आश्रितों का भरण-पोषण विधेयक, 1996
29.	08.04.97	जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड (शेयरों का अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1997
30.	05.05.97	तमिलनाडु स्पेशल कोर्ट बिल, 1997
31.	06.05.97	अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1997
32.	20.05.97	तमिलनाडु एक्विजिशन ऑफ लैण्ड फार इण्डस्ट्रियल परपजज बिल, 1997
33.	02.07.97	बंगाल पब्लिक डिमांड्स रिकवरी (एमेंण्डमेंट) बिल, 1997
34.	11.08.97	दी गोवा पुलिस बिल, 1997
35.	22.08.97	दी महाराष्ट्र मेन्टिनेन्स आफ पेरेन्ट्स एण्ड डिपेन्डेन्ट्स बिल, 1997
36.	11.11.97	दी गोवा प्रोहिबिशन ऑफ समोकिंग एण्ड स्पिटिंग बिल, 1997
37.	13.11.97	दी इंडियन स्टैम्प (तमिलनाडु एमेन्डमेंट) बिल, 1997
38.	,19.11.97	दी तमिलनाडु युनिबर्सिटीज ला (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1997
39.	07.01.98	दी पश्चिम बंगाल प्रिमिजिस टीनेन्सी बिल, 1997
40.	13.01.98	दी पश्चिम बंगाल गवर्मेन्ट प्रिमिसिज (टिनेन्सी रेगुलेशन) (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1997
41.	13.02.98	दी पंजाब एक्साइज (हरियाणा सेकिण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, 1998
42.	18.02.98	दी हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीटयुशनज (रेगुलेशन्जट) बिल, 1997
43.	30.03.97	मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997
44.	10.5.98	दी पश्चिम बंगाल एपार्टमेंट आउनरशिप (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1997
45.	19.05.98	दी मैसूर पैलेस (एक्युजिशन एण्ड ट्रान्सफर) बिल, 1998 .
46.	25.05.98	दी रजिस्ट्रेशन (केरल अमेन्डमेन्ट) बिल, 1998
47.	26.05.98	दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट (मध्य प्रदेश अमेन्डमेन्ट) बिल, 1998
48.	27.05.98	दी आंध्र प्रदेश स्टेट माइनारिटी कमीशन बिल, 1998
49.	27.05.98	दी आंध्र प्रदेश फायर सर्विसिज बिल, 1998
50.	27.05.98	दी आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म बिल, 1998
51.	08.06.98	दी इलेक्ट्रिसिटी ला (कर्नाटक अमेन्डमेन्ट) बिल, 1998
52.	08.06.98	दी कर्नाटक हाइवेज (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1997
53.	16.06.98	दी रजिस्ट्रेशन (आंध्र प्रदेश अमेन्डमेन्ट) बिल, 1998
54.	16.06.98	दी आजमाबाद इंडस्ट्रियल एरिया (टर्मिनेशन एण्ड रेगुलेशन ऑफ लीज) (अमेंडमेंट) बिल, 1998
55.	23.06.98	दी तमिलनाडु ट्रांस्पेरेन्सी इन टेन्डर बिल, 1998
56.	23.06.98	दी तमिलनाडु म्युनिस्पल लाल (सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1998
57.	23.06.98	दी तमिलनाडु रिकोगानाइजड प्राइवेट

1	2	3
		स्कूलज रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 1998
58.	23.06.98	दी तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लाज (अमेंडमेंट) बिल, 1998
59.	24.06.98	दी तमिलनाडु लैंड रिफार्मज (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड) अमेंडमेंट बिल, 1998
60.	25.06.98	दी तमिलनाडु फारेस्ट (अमेंडमेंट) बिल, 1998
61.	29.06.98	दी तमिलनाडु लैण्ड रिफार्मज (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग आन लैंड) अमेन्डमेंट बिल, 1998
62.	29.06.98	दी इंडियन स्टेम्प (तमिलनाडु अमेंडमेंट) बिल, 1998
63.	29.06.98	दी कर्नाटक कापरेटिव सोसाइटीज (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, 1997
64.	29.06.98	दी इंडियन पैनल कोड (उड़ीसा अमेंडमेंट) बिल, 1998
65.	02.07.98	दी तमिलनाडु हिन्दु रिलिजन्स एण्ड चेरिटेबल एण्डोवमेंट्स (सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1998
66.	02.07.98	दी तमिलनाडु हिन्दु रिलिजस एण्ड चेरिटेबल एन्डोवमेंट्स (अमेंडमेंट्स) बिल, 1998
67.	02.07.98	दी इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट (तमिलनाडु अमेन्डमेन्ट) बिल, 1998
68.	03.07.98	दी मध्य प्रदेश राइट टू इन्फर्मेशन बिल, 1998
69.	06.07.98	दी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (तमिलनाडु अमेंडमेंट) बिल, 1998
70.	07.07.98	दी कर्नाटक सौहार्द सहकारी बिल, 1997
71.	10.07.98	दी कर्नाटक इन्लैण्ड फिशरीज (कंजर्वेशन, डवेलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) बिल, 1996

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या

6009. श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से सरकार को कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) आयोग द्वारा किन-किन विशेष मुद्दों का सुझाव दिया गया;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के आरम्भ से अब तक मुक्त तथा पुनर्वास किए गए मैला ढोने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) एक।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत रिपोर्ट, की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी है। अतः जैसा कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रावधान है, इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने तक विशेष मुद्दों और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते हैं।

(घ) पहचान किए गए कुल 5,77,228 सफाई कर्मचारियों में से 1,11,205 सफाई कर्मचारियों को अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है और 2,62,421 सफाई कर्मचारियों को, पुनर्वासित किया गया है।

(ङ) लक्षित लाभग्राहियों से आशानुकूल प्रतिक्रिया नहीं रही है। इसे तेजी प्रदान करने के लिए सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना को और अधिक तेजी से कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तिहाड़ जेल में दवाइयों पर व्यय

6010. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तिहाड़ जेल में खाद्य पदार्थों और दवाइयों पर भारी व्यय होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दवाइयों पर हुए अधिक व्यय की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आहार मदों पर किया गया व्यय (रुपयों में)	दवाओं पर हुआ व्यय (रुपयों में)
1995-96	2,23,18,223	3,26,76,364
1996-97	3,22,99,301	2,42,36,993
1997-98	3,37,28,404	1,35,29,686

(ग) से (ङ) सेन्ट्रल जेल, तिहाड़, में दवाओं के प्रबन्धन की जांच के लिए दिसम्बर, 1995 में गठित की गई एक समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दवाईयों के प्रापण, भण्डारण और जारी करने से संबंधित कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया था। इस मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई थी। इस बीच, उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जेल अधिकारियों ने सैन्ट्रल जेल, तिहाड़ में दवाईयों के प्रापण, भण्डारण और अस्पताल तथा औषधालयों को दवाईयां जारी करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

उपभोक्ताओं से प्रतिभूति राशि वसूल किया जाना

6011. **श्री मोहन सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं से प्रत्येक सिलिंडर पर 900 रुपये की प्रतिभूति राशि वसूल की जाती है;

(ख) अभी तक तेल गैस आयोग की इंडियन आयल और भारत पेट्रोलियम कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की कितनी धनराशि जमा है; और

(ग) ये कंपनियां इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग करती हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल कंपनियों द्वारा नए कनेक्शनों और अतिरिक्त सिलेंडर के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में 900 रुपए प्रति सिलेंडर और 100 रुपए प्रति रेगुलेटर की धनराशि ली जाती है। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रतिभूति जमा की दर 500 रुपए प्रति सिलेंडर और 50 रुपए प्रति रेगुलेटर है।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) द्वारा 31.3.98 तक एकत्र प्रतिभूति जमा की धनराशि निम्नानुसार है :

	करोड़ रुपए
आई ओ सी	1691.76
बी पी सी एल	882.74

(ग) तेल कंपनियों द्वारा यह जमाराशि ग्राहकों को ऋण के रूप में दिए गए एल पी जी उपस्कर पर ली जाती है और यह राशि उपस्कर वापस किए जाने पर प्रतिदेय है। इस जमाराशि का उपयोग ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल पी जी उपस्करों का पर्याप्त भंडार सभी समय उपयोगयोग्य स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। तेल कंपनियों को प्रति ग्राहक औसतन 1.5 सिलेंडर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखना होता है।

भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

6012. **डा॰ रमेश चन्द तोमर :**

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा कितने देशी दौरे किए गए;

(ख) इन दौरों के क्या उद्देश्य थे तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) क्या उक्त दौरों की आवश्यकता थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दौरों से कितनी हानि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन के 324 अधिकारियों ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विभिन्न विदेशों का दौरा किया :

(1) कच्चे तेल और विभिन्न तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए विदेशों/विदेशी फर्मों के साथ संविदाओं के निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप देने और भारत सरकार की ओर से ऐसे आयात के लिए विदेशी बाजार से ऋण की व्यवस्था करने के संबंध में।

(2) कार्पोरेशन के संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए उपस्करों और मशीनरी आदि के आयात हेतु विदेशी कंपनियों के साथ निष्पादित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण/साक्ष्य के पहले और बाद वाले परीक्षण करना।

(3) तेल और गैस के क्षेत्र में विभिन्न देशों में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का पता लगाना और व्यवसाय के विश्वव्यापीकरण और विविधीकरण की संभावनाओं का निर्धारण्ध करना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेना, ताकि कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन किया जा सके।

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

अमरीकी डालर	641593
पाउंड स्टर्लिंग	8368
स्वीडिश क्रोनर	7500
फ्रेंच फ्रेंक	11500
डी॰एम॰	640

(ग) और (घ) आई ओ सी के अधिकारियों के उपर्युक्त विदेशी दौरे कार्पोरेशन के विकास कार्य, देश के लिए क्रूड और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की व्यवस्था करने, अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए उन्हें वांछित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने और प्रौद्योगिकीय उन्नयन आदि के लिए अनिवार्य थे। इसलिए इन दौरों के कारण हानि उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम कल्याण कोष

6013. श्री दिलीप संघाणी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1996 और 1 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय श्रम कल्याण कोष का कुल कोष कितना रहा;

(ख) चालू वर्ष के दौरान आज तक उक्त कोष के नामे केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जमा की गई;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त कोष से विभिन्न श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए गुजरात को योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में संगठित और असंगठित श्रम के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) ऐसी कोई निधि विद्यमान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा भरना

6014. श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और उसके सहबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों का कोटा भर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ये पद कब तक भरे जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक विरण प्रणाली के अंतर्गत चलती-फिरती दुकान

6015. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्न, मिट्टी के तेल इत्यादि के वितरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस समय इस प्रयोजन हेतु कितनी चलती-फिरती दुकानें कार्यरत हैं;

(ग) 1997-98 के दौरान आज तक चलती-फिरती दुकानों के लिए वाहनों की खरीद के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या और अधिक चलती-फिरती दुकानों के लिए वाहनों की खरीद के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) उचित दर की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से मध्य प्रदेश के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी के तेल वगैरह जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सें वितरित की जाती हैं। तथापि,

उन क्षेत्रों में जहां उचित दर दुकान खोलना व्यवहार्य नहीं है वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के वितरण के लिए मोबाइल वैनों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) और (ग) मोबाइल वैनों/ट्रकों को खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन 1.4.1997 से अब तक की अवधि सहित अब तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता सहित वाहनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 1993-94 में किए गए अध्ययन में मोबाइल वैनों की कार्य करने की प्रतिशतता के 80.94 होने का अनुमान है।

(घ) से (च) चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान अभी तक महाराष्ट्र सरकार से 50 मोबाइल वैनों की खरीद के लिए सभी पहलुओंसे पूर्ण एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावों की जांच की जाती है और मंजूरी हेतु विचार करने के लिए स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वैनों/ट्रकों को खरीदने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता (31.3.1998 की स्थिति के अनुसार)

(राशि लाख रुपये में)

क्र॰ सं॰	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जोड़ (85-86 से 91-92)		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		जोड़	
		राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	81.00	33	60.00	15	0.00	0	0.00	0	0.00	0	184.00	23	0.00	0	325.00	71
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	20.00	5	0.00	0	100.00	20	38.64	7	0.00	0	158.64	32
3.	असम	38.97	18	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	97.66	19	136.13	37
4.	बिहार	176.73	76	40.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	216.73	86
5.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	गुजरात	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	हरियाणा	25.00	10	40.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	65.00	20
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00	18	0.00	0	48.00	12	40.00	10	40.00	5	112.00	14	0.00	0	285.00	59
9.	जम्मू और कश्मीर	32.50	13	40.00	10	0.00	0	53.00	16	140.40	13	26.27	6	200.00	25	492.17	83
10.	कर्नाटक	65.00	26	48.00	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	113.00	38
11.	केरल	22.50	9	60.00	15	0.00	0	40.00	10	0.00	0	32.00	8	0.00	0	154.50	42
12.	मध्य प्रदेश	97.00	44	0.00	0	80.00	20	100.00	25	100.00	25	80.00	10	160.00	40	617.00	164
13.	महाराष्ट्र	60.00	24	60.00	15	60.00	15	240.00	60	80.00	15	65.31	10	203.09	35	768.40	174
14.	मणिपुर	36.50	16	0.00	0	24.00	6	35.00	9	60.00	15	0.00	0	0.00	0	156.50	46
15.	मेघालय	15.00	6	12.00	3	0.00	0	0.00	0	14.00	4	0.00	0	0.00	0	41.00	13
16.	मिजोरम	9.58	4	32.00	8	0.00	0	32.00	8	24.00	6	35.08	6	0.00	0	132.75	32
17.	नागालैंड	25.00	11	24.00	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	50.00	17
18.	उड़ीसा	114.50	48	60.00	15	40.00	10	0.00	0	33.30	10	86.70	20	256.00	32	590.50	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.	पंजाब	10.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	10.00	4
20.	राजस्थान	150.50	61	0.00	0	140.00	35	104.00	26	0.00	0	0.00	0	0.00	0	394.50	122
21.	सिक्किम	9.73	4	0.00	0	16.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.73	8
22.	तमिलनाडु	27.50	11	32.00	8	32.00	8	0.00	0	12.00	3	0.00	0	33.24	6	136.74	36
23.	त्रिपुरा	0.00	0	4.00	1	9.00	4	7.00	0	48.00	10	0.00	0	0.00	0	68.00	15
24.	उत्तर प्रदेश	180.00	72	0.00	0	100.00	25	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	280.00	97
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	72.00	18	28.00	7	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	25
26.	अं॰ और नि॰ द्वीप समूह	0.00	0	12.00	3	0.00	0	8.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	5
27.	चंडीगढ़	5.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	5.00	2
28.	दा॰ और न॰ हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
29.	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
30.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4.00	1	0.00	0	0.00	0	4.00	1
32.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	जोड़	1227.61	510	596.00	149	597.00	151	660.00	166	655.70	127	660.00	104	949.99	157	5346.30	1364

*मिजोरम को वर्ष 1996-97 के लिए स्वीकृत वास्तविक राशि 35,07,864 रुपये है।

** 1998-99 के दौरान भी मंजूरी रिलीज नहीं की गई।

[अनुवाद]

आयल इंडिया लि॰ में वित्तीय संकट

6016. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस की 130 करोड़ रुपये की बकाया राशि का असम राज्य विद्युत बोर्ड और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम द्वारा भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या इस वित्तीय संकट के कारण आयल इंडिया लि॰ के तेल की खोज कार्य में वृद्धि और भविष्य में तेल की खोज में हिस्सा लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आयल इंडिया लि॰ को वित्तीय संकट स उबारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए एस ई बी) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी एल) द्वारा बकाया देश राशि की गैर अदायगी से आयल इंडिया लि॰ के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण कंपनी को आंतरिक स्रोत के सृजन में हुई कमी को पूरा करने के लिए उधार का आश्रय लेना पड़ा था।

(ग) आयल इंडिया लि॰ द्वारा असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए एस ई बी) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी एल) दोनों के प्रबंधनों के साथ यह मामला उठाए जाने पर इन दोनों कंपनियों ने इस संबंध में अभिपुष्टि की थी कि वर्तमान बिलों का भुगतान करेंगे तथा इन बकाया देय राशियों को एक चरणबद्ध तरीके से चुकाने के लिए एक योजना निर्दिष्ट की थी।

[हिन्दी]

अनधिकृत निर्माण

6017. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अनधिकृत व्यापारिक निर्माण में वृद्धि हो रही है;

(ख) इस संबंध में जारी किए गए नोटिसों की संख्या कितनी है;

(ग) उन अनधिकृत निर्माणों की संख्या अभी तक कितनी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) अवैध व्यापारिक निर्माणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोच राजवंशी समुदाय

6018. श्री माधव राजवंशी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय अनुसूचित जनजातियों की सूची में असम के कोच राजवंशी समुदाय की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने असम के कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई तत्स्थानिक अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में मिली रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बारे में संसद में कोई विधेयक पुरःस्थापित किया है अथवा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) असम राज्य के संबंध में कोच राजबोगशी समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली

6019. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपचार की इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितने इलेक्ट्रोपैथी कॉलेज चल रहे हैं;

(ग) उपरोक्त कालेजों से प्रति वर्ष कितने छात्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं;

(घ) इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) भारत सरकार ने इस पद्धति को औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को इलैक्ट्रोपैथी उपचार पद्धति में किसी भी प्रकार की कक्षायें चलाने और छात्रों को डिप्लोमा व सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

पुलिस पदक

6020. **प्रो॰ रीता वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस कार्मिकों को देने के लिये राष्ट्रपति सचिवालय से अधिसूचित पदकों, पुरस्कारों और अलंकरणों के नाम क्या हैं;

(ख) आजादी के बाद कितने पुलिस कार्मिकों को ये पुरस्कार, अलंकरण, पदक दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय पुलिस सेवा (आई॰पी॰एस॰) और गैर-भारतीय पुलिस सेवा (नन-आई॰पी॰एस॰) के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पुलिस कर्मियों को निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं :—

(1) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक,

(2) सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक,

(3) वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, और

(4) वीरता के लिए पुलिस पदक।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार में प्रबंधकीय स्टाफ

6021. **डा॰ विजय सोनकर शास्त्री** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के कतिपय प्रबंधकीय स्टाफ तथा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा मजदूर संघ की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये गतिविधियां प्रबंधक के सेवा नियमों के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सुपर बाजार द्वारा इस प्रकार के प्रबंधकों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित 2 सहायक प्रबंधक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं :—

(1) श्री एस॰एस॰ दूबे, और

(2) श्री एस॰के॰ कनौजिया

तथापि, कहा जाता है कि उन्होंने हाल में धरनों, नारेबाजी अथवा हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया।

(ख) और (ग) सुपर बाजार, दिल्ली के सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी, कर्मचारी संघों के लिए निर्धारित आचार संहिता के तहत अनुज्ञेय गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, हड़ताल, मार्च, घेराव, धरना आदि में भाग नहीं लेगा।

(घ) यदि ये पदाधिकारी व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के तहत अथवा आचार संहिता के तहत निषिद्ध किसी गतिविधि में शामिल होते हैं, तो उन पर सुपर बाजार के सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

स्वायत्त पर्वतीय परिषदें

6022. **डा॰ जयन्त रंगपी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार स्वायत्त पर्वतीय परिषद् के मुख्य कार्यकारी सदस्यों के नाम अग्रता अधिसूचना में सूचीबद्ध किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों, जैसे त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि ने स्वायत्त परिषद् के अध्यक्ष को, समरूपता म

रखते हुए उप मुख्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदि का अलग-अलग दर्जा प्रदान किया हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वायत्त परिषदों में समरूपता लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषदों के मुख्य कार्यकारी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय अग्रता अधिपत्र में शामिल नहीं किया गया है। राज्यों में आयोजित औपचारिक समारोहों में उन्हें सहायक अग्रता अधिपत्र के माध्यम से उचित रैंक प्रदान करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय स्तर पर ऐसी सूचना नहीं रखी जाती हैं।

(ङ) स्वायत्तशासी परिषदों के अध्यक्षों को उचित प्रतिष्ठा देना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

आधारभूत सुविधाएं

6023. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि जिसके अंतर्गत दो वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेडों के लिए चरणबद्ध रूप में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है अन्यथा सरकार द्वारा अपनाया गया यह सरल दृष्टिकोण कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भ से ही पूरी आधार सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, को आरम्भ में पूरा करना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कठिन हो गया;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्र/राज्य सरकारों, नियोक्ताओं तथा कामगार संगठनों के प्रतिनिधियों के एक त्रिपक्षीय निकाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) द्वारा श्रम मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को प्रशिक्षण नीतियों, प्रतिमानकों तथा मानकों की स्थापना की सलाह दी गई है। एन सी वी टी द्वारा प्रस्तुत प्रतिमानकों के अनुसार, संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व तथा संबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रशिक्षण आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस पर इसलिए जोर दिया जा रहा है ताकि प्रयोगकर्ता उद्योगों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा एन सी वी टी प्रमाणीकरण की विश्वसनीयता पर संदेह न हो।

प्लाटों को पुनः बेचना

6024. डा॰ सरोजा वी॰ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुर्गा बिल्डर्स, 9, सिंधिया हाउस राम पार्क एक्सटेंशन, लोनी में बलपूर्वक या उस क्षेत्र के कुछ उपद्रवियों/समाज विरोधी तत्वों के साथ सांठ-गांठ कर उन प्लाट धारियों के प्लाटों को पुनः बेचने में लगा हुआ है जिन्हें कुछ समय पहले ये प्लाट बेचे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त बिल्डर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस या निकटवर्ती उ॰प्र॰ पुलिस के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा मैसर्ज दुर्गा बिल्डर्स के विरुद्ध 13 शिकायतें प्राप्त की गई हैं। इनमें से 12 शिकायतें तथाकथित आबंटन में देरी, जमा की गई राशि वापिस न करना, धन का दुरुपयोग और अत्यधिक दरों पर विकास प्रभार वसूल करने के संबंध में हैं। एक शिकायत धोखाधड़ी के संबंध में भी थी। इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/406 के तहत एक मामला पंजीकृत किया गया था। तथापि, जांच के दौरान, आरोप साबित नहीं किए जा सके।

पूर्वोत्तर राज्य

6025. श्री समर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के कार्य में जुटी केन्द्रीय एजेन्सियों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनमें कितनी धनराशि अंतग्रस्त है;

(ख) इन केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य में वित्तीय कार्यक्रम में योजनावार की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मार्च 1998 से पहले पूर्वोत्तर राज्यों से कौन सी केन्द्रीय एजेन्सियों ने अपने आप को हटा लिया?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि

6026. **श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा प्रति परिवार 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके लिए कितनी अतिरिक्त राजसहायता की जरूरत है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वृद्ध व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों के रूप में मान्यता प्रदान करना

6027. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा रखी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मार्ग-निर्देश/आधार अपनाए गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 65 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा देने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और अधिसूचित कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहचान के लिए सरकार द्वारा समान आयु निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

धार्मिक स्थल

6028. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने गिरजाघरों को धार्मिक स्थलों की सूची के बाहर करने संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गिरजाघरों को धार्मिक स्थलों की सूची से हटाए जाने संबंधी दिल्ली के उत्पाद मंत्री के कथित वक्तव्य से देश-भर के ईसाई उत्तेजित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा दिल्ली में गिरजाघरों को संरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने चर्चों को पूजा स्थल न मानने के बारे में कोई निर्णय लिया है। वास्तव में उसे दिल्ली में रह रहे सभी लोगों के पूजा स्थलों के अधिकार के संरक्षण के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या नस्ल के हों और सभी धार्मिक स्थानों की पवित्रता और परम्परागत प्रथाओं और सभी समुदायों के संस्कारों को बनाए रखने के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है।

[हिन्दी]

सिकलीकर सिख समुदाय को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करना

6029. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को सिकलीकर सिख समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(घ) क्या सरकार उक्त समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई अध्यादेश जारी करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य में सरकार कितना समय लेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिकलिगर (सिकलीकर नहीं) समुदाय को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से

सम्बन्धित राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में पहले ही विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) अध्यादेश जारी करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऊपर संदर्भित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सिकलीगर समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में पहले ही सूची-बद्ध कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण

6030. श्री विट्ठल तुपे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण-रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार कितने पदों का सृजन किया जाना है;

(ख) अब तक कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केन्द्र सरकार के किसी संगठन में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वालों पदों का 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाना अपेक्षित है। उनके लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त पद सृजित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।

(ख) सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(ग) अनुदेशों में मानकों में छूट देकर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा की छूट देने, आरक्षण पर रोकों आदि की व्यवस्था है। सभी मंत्रालयों/विभागों से आरक्षित पदों को उसी वर्ष में भरने के सभी प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दी आशुलिपिक

6031. श्री शान्तिलाल चपलोत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन्हें राजभाषा से संबंधित कार्य दिया जाता है;

(ग) क्या उनके लिए कोई अलग संवर्ग है जिसके अनुसार विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्ति की जाती है;

(घ) क्या हिन्दी आशुलिपिकों को अंग्रेजी आशुलिपि में प्रशिक्षण देने के बाद अंग्रेजी का कार्य देकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है;

(ङ) क्या विभागीय पदोन्नति के लिए कोई अलग व्यवस्था है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय में 1699 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी सूचना राजभाषा विभाग नहीं रखता।

(ख) जी, हां।

(ग) हिन्दी आशुलिपिकों का अलग से कोई संवर्ग नहीं है।

(घ) जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत राजभाषा विभाग को नहीं मिली है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा सवर्ग में हिन्दी आशुलिपिकों का अलग से कोई पद नहीं है। सभी आशुलिपिकों की पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित की जाती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित क्षेत्रों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक उपबंध

6032. श्री गिरिधर गमांग : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और पांचवीं एवं छठी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के बीच अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक उपबंधों के संबंध में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो कुछ राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों क संसद सदस्यों को आमंत्रित करने का है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक उपबन्धों के संबंध में अनन्य रूप से अलग से बैठक नहीं बुलाई गई है, लेकिन राज्यों में पांचवीं तथा छठी अनुसूची के प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में विचार-विमर्श राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक बैठकों में किया जाता है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि आदिवासी क्षेत्रों के संसद सदस्यों के साथ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ गठित विभिन्न संसदीय समितियों में नियमित रूप से विचार-विमर्श करते हैं।

गन्ना उत्पादन के लिए सहायता

6033. डा॰ राम विलास वेदान्ती : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) 1986-97 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चीनी यूनिटों से गन्ने के विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के वित्त पोषण हेतु चीनी विकास निधि से दीर्घकालिक ऋण मंजूर करने के लिए कुल 179 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार द्वारा इनकी सिफारिश की गई थी। इनमें से 92 आवेदन-पत्रों के संबंध में 120त्र7 करोड़ रुपये की कुल राशि मंजूर की गई है और 78 आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए गए हैं/वापस ले लिए गए हैं। नौ आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, चीनी विकास के लिए आदानों की खरीदारी करने के लिए लघु अवधि ऋण के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी यूनिटों से सीधे 118 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे (इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की सिफारिश अपेक्षित नहीं होती है)। इनमें से कुल 21.3 करोड़ रुपये की राशि के लिए 38 आवेदन-पत्र मंजूर किए गए हैं और 50 आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए गए हैं/वापस ले लिए गए हैं। 30 आवेदन-पत्र जांच करने के लिए लम्बित पड़े हुए हैं।

लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों पर तीन महीने के अंदर निर्णय ले लिए जाने की आशा।

पेंशन भोगी लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड की अवधि

6034. डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन भोगियों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डों का नवीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो फार्मों और पुराने कार्डों को जमा कराने के पश्चात् नये कार्ड लगभग कितने समय के बाद दिए जाते हैं;

(ग) फरवरी, 1998 में जमा किए गए कार्डों का नवीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्डों का कब तक नवीकरण किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पेंशनरों को नये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने की कोई विशिष्ट समयावधि निश्चित नहीं की गई हैं। तथापि पेंशनरों को उनके पुराने कार्ड के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जाता है।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

6035. श्री जी॰एम॰ बनातवाला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही की है/किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन देश भर में किया जा रहा है। मानीटरिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जानी अपेक्षित है। सरकार चूककर्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को समय-समय पर स्मरण कराती है। कार्यान्वयन की समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है।

सहकारी चीनी मिलों को प्रोत्साहन

6036. श्री अभयसिंह एस॰ भोंसले :

श्री डी॰ एस॰ अहिरे :

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में कहां-कहां चीनी मिलें हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है; और

(ङ) चालू वर्ष हेतु राज्य की सहकारी चीनी मिलों को इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सरकार ने देश में केवल सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई है। तथापि, देश में इस उद्योग के सभी तीन क्षेत्रों यथा सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की चीनी मिलों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समय-समय पर योजनाएं बनाई गई हैं।

(ख) वर्तमान में, प्रोत्साहन कुछ निर्धारित वर्षों के लिए सामान्य पात्रता के अतिरिक्त चीनी के उच्चतर खुली बिक्री के कोटे के रूप में दिया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि फैक्ट्री उच्च वसूली क्षेत्र में स्थित है अथवा निम्न वसूली क्षेत्र में स्थित है।

(ग) महाराष्ट्र में स्थानवार चीनी मिलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) प्रोत्साहन योजनाओं में चीनी मिलों को धनराशि प्रदान करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र में स्थानवार चीनी मिलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1.	श्री पांडुरंग एसएसके लि॰, डाकखाना-श्रीपुर, जिला-शोलापुर	सह॰
2.	दी ससवाडमली शुगर फैक्ट्री लि॰, डाकखाना-मालीनडार, जिला-शोलापुर	निजी
3.	साहाकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एसएसके लि॰, अकलुज, जिला-शोलापुर	सह॰
4.	श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लि॰, सदाशिवनगर, जिला-शोलापुर	सह॰
5.	श्री सिद्धेश्वर एसएसके लि॰, कुगाठे, डाकघर-टिकावाडी, जिला-शोलापुर	सह॰
6.	विठल एसएसके लि॰, गुरसाले, तालुक पंडारपुर, जिला- शोलापुर	सह॰
7.	भीमा एसएसके लि॰, सिकन्दर तकली, तह॰ माहोल, जिला-शोलापुर	सह॰
8.	भोगावती एसएसके लि॰ इरले वैराग तालुका बारती, जिला-शोलापुर	सह॰
9.	श्री संत दामजी एसएसके लि॰ शिरानादागी, तालुक करमाला, जिला-शोलापुर	सह॰
10.	मैसर्स आदीनाथ एसएसके लि॰ लावे भालवानी, तह॰ करमाला, जिला-शोलापुर	सह॰
11.	दी रावलगांव शुगर फार्म लि॰, रावलगांव, जिला-नासिक	निजी
12.	गिरना एसएसके लि॰ डाकघर भावसाहेबनगर, जिला-नासिक	सह॰
13.	कर्मवीर काकासोहेब वाघ एसएसके लि॰, रनवाड, तालुक निफाड, जिला-नासिक	सह॰
14.	गाडवा एसएसके लि॰ मतेरवाडी, तालुका दिनडोरी, जिला-नासिक	
15.	नासिक एसएसके लि॰ पालसे, जिला-नासिक	सह॰
16.	वसन्तराव दादा एसएसके लि॰, विधेवाडी (लोहानेर), जिला-नासिक	सह॰
17.	श्री चांगडे मिल्स लि॰ चांगडेवनगर, जिला-अहमदनगर	निजी
18.	दी कोपरगांव एसएसके लि॰ कोलपेवाडी, जिला-अहमद नगर	सह॰
19.	पिफड एसएसके लि॰, डाकघर भावसाहेबनगर, जिला-नासिक	सह॰
20.	चन्द्रभागा एसएसके लि॰ भलवानी, जिला-शोलापुर	सह॰
21.	दी परावरा एसएसके लि॰, परावरानगर, जिला-अहमदनगर	सह॰
22.	अशोक एसएसके लि॰ अशोकनगर, डाकघर श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर	सह॰
23.	श्री गणेश एसएसके लि॰ गणेशनगर, डाकघर-रंजनगांव खुर्द, जिला-अहमदनगर	सह॰

1	2	3
24.	दी संजीवनी (तकली) एसएसके लि॰ तालुका-कोपरगांव, जिला-अहमदनगर	सह॰
25.	दी राहुरी एसएसके लि॰ डाकघर राहुरी फैक्ट्री, जिला-अहमदनगर	सह॰
26.	दी श्रीगोंडा एसएसके लि॰ डाकघर श्रीगोंडा, जिला-अहमदनगर	सह॰
27.	संगमनेर भाग एसएसके लि॰, अमृतनगर, तालुका-संगमनेर, जिला-अहमदनगर	सह॰
28.	दानेश्वर एसएसके लि॰, तालुका नेवासा, जिला-अहमदनगर	सह॰
29.	श्री जगदम्बा एसएसके लि॰, रशीन, तह॰ करजाट, जिला-अहमदनगर	सह॰
30.	श्री वृद्धेश्वर एसएसके लि॰, डाकघर वृद्धेश्वर साखर कारखाना तालुका बथारडी, जिला-अहमदनगर (पिम्पलगांव)	सह॰
31.	दी गूले एसएसके लि॰, सोनाई तालुका-नेवासा, जिला-अहमदनगर	सह॰
32.	पारनेर तालुका सहकारी साखर कारखाना लि॰, पारनेर, जिला-अहमदनगर	सह॰
33.	मैसर्स भाउसाहेब महादेव हांडे अगस्ती एसएसके लि॰ जामगांव, तह॰ अकोला, जिला-अहमदनगर	सह॰
34.	भोगावती एसएसके लि॰, शाहूनगर, पोस्ट-पराते, जिला-कोल्हापुर	सह॰
35.	दी कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लि॰, कसौडा, भवाडा, जिला-कोल्हापुर	निजी
36.	श्री पंचगंगा एसएसके लि॰ गंगानगर, इचलकरन्जी, जिला-कोल्हापुर	सह॰
37.	श्री वारना एसएसके लि॰, डाकघर वारनानगर, जिला-कोल्हापुर	सह॰
38.	कुंभी केसरी एसएसके लि॰, कुंदीतरे, तालुका-कारवीर, जिला-कोल्हापुर	सह॰
39.	श्री दुधगंगा वेदगंगा एसएसके लि॰, बिदरी, डाकघर-मौनीनगर, तालुका-कागज, जिला-कोल्हापुर	सह॰
40.	श्री दत्तर एसएसके लि॰, असरुले, तालुका-पन्हाला, जिला-कोल्हापुर	सह॰
41.	श्री दत्तर एसएसके लि॰, सिरोल, जिला-कोल्हापुर	सह॰
42.	दौलत सेतकारी एसएसके लि॰, डाकघर-हलकारनी, तालुक-चंडगाड, जिला-कोल्हापुर	सह॰
43.	गांधीगलाज तालुका एसएसके लि॰ तालुका-गांधीगलाज, जिला-कोल्हापुर	सह॰
44.	छत्रपति शाहू एसएसके लि॰, कागल, जिला-कोल्हापुर	सह॰
45.	जवाहर सेतकारी एसएसके लि॰, हुपारी, तालुका-इतकांगले, जिला-कोल्हापुर	सह॰
46.	इंदापुर एसएसके लि॰, बीजावाडी तालुका-इंदापुर, जिला-पुणे	सह॰
47.	श्री छत्रपति एसएसके लि॰, भवानीनगर तालुका-इंदापुर, जिला-पुणे	सह॰
48.	दी मालेगांव एसएसके लि॰, मालेगांव बी॰के॰, जिला-पुणे	सह॰
49.	श्री सोमेश्वर एसएसके लि॰, डाकघर सोमेश्वर नगर, जिला-पुणे	सह॰
50.	यशवंत एसएसके लि॰, चिन्तामणिनगर, डाकघर-थेउर, जिला-पुणे	सह॰
51.	भीमा एसएसके लि॰, पटास, तालुका-डाउंड, जिला-पुणे	सह॰
52.	विघनगर एसएसके लि॰, जूनार, जिला-पुणे	सह॰
53.	रजद एसएसके लि॰, निकाडे, तालुक-भोर, जिला-पुणे	सह॰
54.	गंगेर एसएसके लि॰, डाकघर रघुनाथनगर, जिला-औरंगाबाद	सह॰
55.	सिद्धेश्वर एसएसके लि॰, सिलोड, जिला-औरंगाबाद	सह॰

1	2	3
56.	दी कन्नाड एसएसके लि॰, कन्नाड, जिला–औरंगाबाद	सह॰
57.	दी विनायक एसएसके लि॰, परसोडा, तालुका–वैजापुर, जिला–औरंगाबाद	सह॰
58.	श्री संत एकनाथ एसएसके लि॰, पैथन, जिला–औरंगाबाद	सह॰
59.	श्री नमदेव राव बी॰ गडेकर, देयगिरी एसएसके लि॰, फुलंबरी, ता॰ तथा जिला औरंगाबाद	सह॰
60.	कृष्णा एसएसके लि॰, रेथारे बुडरूक, डाकघर शिवनगर, जिला–सतारा	सह॰
61.	श्रीराम एसएसके लि॰, पलटन, जिला–सितारा	सह॰
62.	न्यू पलथन शुगर्स वर्क्स लि॰, ता॰ पलथन, डाकघर शाखरवाडी, जिला–सतारा	निजी
63.	किसानवीर सतारा एसएसके लि॰, भुंज, ता॰ वाई, जिला–सतारा	सह॰
64.	बालासाहेब देसाई एसएसके लि॰, दौलतनगर, मराली, तालुका पटन, जिला–सतारा	सह॰
65.	सहयाद्री एसएसके लि॰, यशवंतनगर, तालुका–करोड, जिला–सतारा	सह॰
66.	अजिंकयाता एसएसके लि॰, शेन्द्रे, जिला सतारा	सह॰
67.	बसन्तदादा शेतकारी एसएसके लि॰ डाकघर व जिला–सांगली	सह॰
68.	गोदावरी मनार एसएसके लि॰, शंकरनगर डाकघर रामतीर्थ, जिला–नानदेड़	सह॰
69.	मैसर्स शंकर एसएसके लि॰, फूलेनगर, तह॰ भोकर, जिला–नानदेड़	सह॰
70.	श्री पंजारकन एसएसके लि॰, भादने, तालुका सकरी, जिला–धूलिया	सह॰
71.	श्री सतपुडा तापी परिसर एसएसके लि॰ तालुका सहाडा, डाकघर–पुरुषोत्तमनगर, जिला–धूलिया	सह॰
72.	मैसर्स संजय एसएसके, शूले, सिंदखेडा, अमलनेर लि॰, विजयनगर, तालुका और जिला–धूले	सह॰
73.	शीरपुर सेतकारी एसएसके लि॰, डाहीवाड, तालुका–शीरपुर, जिला–धूले	सह॰
74.	जीजामाता एसएसके लि॰, दूसारबिड, तालुका महकर, जिला–बुलडाना	सह॰
75.	वसन्त एसएसके लि॰, पुसाड, जिला–यावतमल	सह॰
76.	मैसर्स जय किसान एसएसके लि॰, बोडेगांव, तह॰ दरवाह, जिला–यावतमल	सह॰
77.	राजाराम बापू पाटिल एसएसके लि॰, राजारामनगर, डाक साखराले, तालुका वालवा, जिला–सांगली	सह॰
78.	विश्वास एसएसके लि॰, यशवतनगर, डाक–चिखाली, तालुका शिराला, जिला–सांगली	सह॰
79.	हुतात्मा किसान अहीर एसएसके लि॰, बालवे, जिला–सांगली	सह॰
80.	यशवंत एसएसके लि॰, नागेवाडी, तालुका खानापुर, जिला–सांगली	सह॰
81.	महाकाली एसएसके लि॰, कवाथे, महाकाल, जिला–सांगली	सह॰
82.	तसगांव तालुका एसएसके लि॰, तसगांव, (भ्रुंग पहाटा) डाक भ्रुघि, तालुका तसगांव, जिला–सांगली	सह॰
83.	धामनगंगा एसएसके लि॰ सोनारसिद्धनगर, जिला–सांगली	सह॰
84.	तेरना शेतकारी एसएसके लि॰, तेरनानगर, तालुका–धोकी, जिला–उस्मानाबाद	सह॰
85.	कलाम्बर विभाग एसएसके लि॰, कलाम्बर, डाक गांधीनगर, जिला–नानदेड़	सह॰
86.	मैसर्स श्री शंकर शेतकारी एसएसके लि॰, गांव मंगरुल, जिला–यावतमल	सह॰
87.	दी अम्बाजगई एसएसके लि॰, डाकघर अम्बासाखर, तालुका अम्बाजगई, जिला–बीड	सह॰

1	2	3
88.	जय भवानी एसएसके लि॰, गोराय, जिला-बीड	सह॰
89.	काडा एसएसके लि॰, काडा, तालुका अशति, जिला-बीड	सह॰
90.	राजन कोप॰ शुगर फैक्ट्री लि॰, स्थान तालुका और जिला-बीड	सह॰
91.	मधुकर एसएसके लि॰, डाकघर फैजपुर, जिला-जलगांव	सह॰
92.	वसन्त एसएसके लि॰, कसोडा, जिला-जलगांव	सह॰
93.	गंगा एसएसके लि॰, तालुका-चालिसगांव, जिला-जलगांव (भोरस)	सह॰
94.	मैसर्स श्री चोपड़ा एसएसके लि॰ मछाले, तह॰--चोपड़ा, जिला-जलगांव	सह॰
95.	झरायवाड़ा एसएसके लि॰ डाकघर डोगरखाडा, तालुका पठारी, जिला-परभानी	सह॰
96.	दी गोदावरी दुधाना एसएसके लि॰, दयोनान्दरा, तालुका पठारी, जिला-परभानी	सह॰
97.	पूरना एसएसके लि॰, बसमाथनगर, जिला-परभानी	सह॰
98.	समर्थ एसएसके लि॰, महाकाला, तालुका-अम्बाड, जिला-जालना	सह॰
99.	जय जवान जय किसान एसएसके लि॰, नालेगांव तालुका अहमपुर, जिला-लातुर	सह॰
100.	शेतकारी एसएसके लि॰, किल्लारी, जिला-लातुर	सह॰
101.	मैसर्स मनजारा शेतकारी एसएसके लि॰, तालुका-चिंचोलीराव, जिला-लातुर	सह॰
102.	मैसर्स तुलजा भवानी शेतकारी एसएसके लि॰, नलदुर्ग, तालुका तुलजापुर, जिला-उस्मानाबाद	सह॰
103.	मैसर्स शेतकारी एसएसके लि॰, धामनगांव, तालुकाचंदूर रेलले, जिला-अमरावती	सह॰
104.	मैसर्स जालना एसएसके लि॰, गांव रामनगर, तह॰ व जिला-जालना	सह॰
105.	मैसर्स श्रीराम एसएसके लि॰, बबदेव, तह॰ मऊदा, जिला-नागपुर	सह॰
106.	मैसर्स महात्मा एसएसके लि॰ जमानी, तालुका-सालु, जिला-वर्धा	सह॰
107.	माजलगांव एसएसके लि॰, निथरूड, तह॰ माजलगांव, जिला-बीड	सह॰
108.	दी पेनगंगा एसएसके लि॰, तह॰ महोली रोड, जिला-भांद्रा	सह॰
109.	मैसर्स बालाजी एसएसके लि॰, मसालापेन, तालुका-रिसोड, जिला-अकोला	सह॰
110.	मैसर्स सिन्दखेडा एसएसके लि॰, स्थान देगांव तह॰ सिन्दखेडा, जिला-धूलिया	सह॰
111.	मैसर्स अकोला जिला एसएसके लि॰, सुकाले, जिला-अकोला	सह॰
112.	मैसर्स जैठ तालुका शेतकारी एसएसके लि॰, स्थान तिप्पेहल्ली जठ, तालुका जठ, जिला-सांगली	सह॰
113.	घोडगंगा एसएसके लि॰, नाहनोर्थ	सह॰
114.	पुष्पावती एसएसके लि॰, चेखाली, जिला-यावतमल	सह॰
115.	नरसिंहा एसएसके लि॰, लोहगांव, जिला-परभानी	सह॰
116.	श्री बागेश्वरी एसएसके लि॰, वारफाल, जिला-जालना	सह॰
117.	पुष्पदंतेश्वर एसएसके लि॰, शमशेरपुर, जिला-धूलिया	सह॰
118.	अजारा शेतकारी एसएसके लि॰, गवेस, जिला-कोल्हापुर	सह॰
119.	केदारेश्वर एसएसके लि॰, बोधगांव, जिला-अहमदनगर	सह॰
120.	श्री भावराव चवन एसएसके लि॰, मानखेड़, जिला-नानदेड	सह॰
121.	शिवाजीराव पाटील निलंगेकर एसएसके लि॰, अम्बुलंगा (बी॰के॰), तालुक निर्लंगा, जिला-लातूर	सह॰

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरूपयोग

6037. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक अनुदानों का दुरूपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) काली सूची में दर्ज किए गए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कल्याणकारी योजनाओं संबंधी कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण पर नियंत्रण के लिए और कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों/संगठनों की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर तथा वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की समीक्षा के पश्चात् निर्मुक्त किए जाते हैं।

(ख) और (ग) ऐसे गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार विवरण संलग्न है जिनके मामले में आगे सहायता अनुदान रोक दिए गए हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, प्रयोग में न लाई गई अनुदान की वसूली तथा सरकारी निधियों में से सृजित सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने के लिए मामले को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया जाता है।

(घ) और (ङ) वर्तमान प्रबंध, गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की मानीटरिंग सुनिश्चित करते हैं।

विवरण

ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की राज्य वार संख्या जिनका सहायता अनुदान रोक दिया गया है

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	बिहार	5
3.	दिल्ली	3
4.	कर्नाटक	1
5.	केरल	1
6.	उड़ीसा	1
7.	राजस्थान	1
8.	तमिलनाडु	2
9.	उत्तर प्रदेश	15
10.	पश्चिम बंगाल	5

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति

6038. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने रसोई गैस वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) को 15 किलोमीटर से अधिक दूरी में रसोई गैस के सिलिंडर वितरित नहीं करने के निर्देश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एल पी जी वितरकों के प्रचालन क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने के समय इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा दूसरी तेल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों के अंतर्गत पहचान की जाती है। इंडियन आयल कार्पोरेशन के एल पी जी वितरकों को उनके संबंधित करारों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रचालन क्षेत्रों का पालन करने के निदेश दिए गए हैं।

तथापि एल पी जी वितरक प्राप्त होने वाले टर्मिनेशन वाउचरों के प्रति कनेक्शन जारी करने, माननीय संसद सदस्यों और मंत्रालय के कूपनों/प्राधिकारों के प्रति प्राथमिकता कनेक्शन और गैर-घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं, चाहे ग्राहक का आवास/परिसर प्रचालन के क्षेत्र से परे हो। ऐसे मामलों में कनेक्शन "भुगतान करो और ले जाओ" आधार पर जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन

6039. श्री अब्दुल हमीद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में 1997-98 में

अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अथवा बाहर से एच॰एफ॰सी॰/एफ॰सी॰आई॰ में कोई परामर्शदाता/रिटेनर तैनात किया गया है/पुनर्नियोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विभाग-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक उनकी तैनाती की क्या शर्तें हैं; और

(घ) उनमें से प्रत्येक को कुल कितनी राशि दी गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰के॰ पटेल) : (क) से (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान विशिष्ट कार्य करने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी) ने दो तथा फर्टिलाजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰ (एफ सी आई) के एक परामर्शदाता नियुक्त किए थे क्योंकि संगठन में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, एच एफ सी और एफ सी आई प्रत्येक द्वारा एक अर्थात् दो व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजित किया गया था।

इनके नाम, निबन्धनों तथा शर्तों, अदा की गई कुल धनराशि आदि से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	नाम	नियुक्ति की शर्तें	दी गई कुल धनराशि (रु॰ में)	नियुक्ति के कारण
I.	परामर्शदाता के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के ब्यौरे			
एचएफसी				
1.	श्री सुशील चन्द्रा	अवधि—13.4.98 से 6 माह शुल्क—10,000/- रु॰ प्रतिमाह	26,000	सतर्कता मैनुअल तैयार करने तथा संबद्ध नियमों तथा नियमों का संशोधन करने के लिए
2.	श्री उज्जल सिंह	अवधि—1.10.1997 से एक वर्ष शुल्क—10,000/-रु॰ प्रतिमाह	90,000	सेवा नियमों तथा कार्मिक मैनुअल के लिए संशोधन
एफसीआई				
1.	श्री ओ॰ पी॰ शर्मा	अवधि—2.6.97 से 6 माह शुल्क—रु॰ 8,600/- प्रति माह+उनकी अधिवार्षिता की आयु के समय टी॰ए॰/डी॰ए॰ देय	52,000	पुनरुद्धार पैकेज का अद्यतन तथा संशोधन करने के लिए।
II.	पुनर्नियोजित व्यक्तियों के ब्यौरे			
एचएफसी				
1.	श्री कृष्ण लाल ठाकुर, ड्राइवर	अवधि—1.5.1998 से 3 माह परिश्रम—6500/- रु॰ प्रति माह	13,000	एचएफसी के अन्य एककों के ड्राइवर जो कारपोरेट कार्यालय में आने के इच्छुक नहीं थे।
एफसीआई				
1.	श्री जे॰सी॰ भार्गवा, कम्पनी	अवधि—2.11.1997 से एक वर्ष वेतन—रु॰ 4900-7100 के वेतनमान में मूल वेतन 5540 रु॰	73,000	1987 से एफसीआई में वेतनमान में संशोधन न होने के कारण प्रतिस्थापन किया नहीं जा सका।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परियोजनाओं का पूरा किया जाना

6040. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वास्थ्य परियोजनाओं को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जा रही स्वास्थ्य परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है।
1.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम *	31 मार्च, 2000
2.	मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम**	2001 ए॰डी
3.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम+	2002 ए॰डी॰
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम++	कार्यक्रम का पहला चरण मार्च, 1999 में पूरा होगा।
5.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम@	
6.	आन्ध्र प्रदेश राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	2001 ए॰डी॰

* राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

** मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना को आन्ध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों में 7 वर्षों की अवधि हेतु अप्रैल, 1994 से विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पूरे देश में 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में डेनिडा की कुछ सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का भाग है।

\+ विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से 30.9.97 से प्रचारित किया है। इस परियोजना में आन्ध्र प्रदेश सहित 7 राज्यों तथा 19 शहरों को सम्मिलित किया गया है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत समग्र देश हेतु प्रारम्भ किए गए मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों के संपूरक बनाएगा।

++ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वाला कार्यक्रम है और यह आन्ध्र प्रदेश सहित समग्र देश में विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

@ संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को आन्ध्र प्रदेश समेत 15 राज्यों के 102 जिलों में 5 वर्षों की अवधि हेतु अगस्त, 1998 से विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। यह समग्र देश में 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को संपूरक बनाएगा।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को मुआवजा

6041. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस त्रासदी मामलों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निपटाये गये मुआवजा मामलों के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के लिए मंजूर की गयी औसत धनराशि क्या है; और

(ख) अभी तक मौत के कितने मामले दर्ज किये गये हैं और उनमें से कितने मामले अभी तक निपटाये गये हैं और मृत्यु हो जाने पर औसतन कितनी धनराशि मंजूर की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) 1985-89 के बीच दायर किए गए लगभग 6.13 लाख दावों में से मृत्यु संबंधी दावों की संख्या 15310 और क्षति/चोट संबंधी दावों की संख्या लगभग 5.97 लाख थी। 30.6.98 तक की स्थिति के अनुसार मृत्यु संबंधी दावों में से 15226 दावों और

क्षति/चोट संबंधी दावों में से 596556 दावों पर निर्णय हो चुका है। दिए गए कुल मुआवजे की राशि 960 करोड़ रुपए थी जिसमें से 948 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

दिसंबर 1996 में जारी अधिसूचना के उत्तर में लगभग 4 लाख दावे प्राप्त हुए थे। ये मामले अधिनिर्णय के लिए भी स्वीकार किए गए थे। 30 जून, 1998 के अनुसार 6821 मृत्यु संबंधी दावों और 4.01 लाख क्षति/चोट संबंधी दावों में से 15 मृत्यु संबंधी दावे और 993 चोट संबंधी दावों का अधिनिर्णय किया जा चुका है। 11 मृत्यु संबंधी मामलों में 3 लाख रुपए के मुआवजे के भुगतान के लिए एवार्ड पास किया गया है और 648 चोट संबंधी दावों में 1.62 करोड़ रुपए का एवार्ड पास किया गया है।

[अनुवाद]

अधिकारियों की विदेश यात्राएं

6042. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओ एन जी सी में कुछ अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी किसी न किसी बहाने विदेश जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किन-किन देशों की यात्रा की गई; और

(ग) इन यात्राओं से हुए लाभ सहित इन पर कितना व्यय हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी लिमिटेड के किसी भी कर्मचारी को तुच्छ आधार पर विदेश नहीं भेजा गया है।

[हिन्दी]

अपराध शाखा में निरीक्षकों की तैनाती

6043. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में कुछ ऐसे निरीक्षक तैनात हैं जिनके खिलाफ न्यायालय ने कटु आलोचनात्मक टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे पुलिस निरीक्षकों को अपराध शाखा में तैनात करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया

6044. श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया के कार्यों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेशपद क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जांच समिति से रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के निम्नलिखित मामलों में तहकीकात करने हेतु एक जांच आयोग का गठन दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 54 के अंतर्गत किया है :—

(1) दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क(क) और (ख), 2(क) और 3(क) और (ख) का उल्लंघन करना।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् ने 1993-94 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनेक दंत-चिकित्सा कालेजों के नामों की सूची दी है जिनसे प्राप्त प्रस्तावों पर परिषद् केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में पत्राचार किए बिना सीधे विचार कर रही थी, जैसाकि इस अधिनियम की धारा 10-क (1) (क) और (ख) के अंतर्गत अपेक्षित है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बगैर बी डी एस पाठ्यक्रम चलाने हेतु छह कालेजों को अनुमति दे दी गई।

(2) अधिनियम की धारा 10(क) (7) के उल्लंघन में गलत सिफारिशें प्रस्तुत करना :—

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार से की गई सिफारिशें अनेक मामलों में घोर कमी वाली पाई गई और एक मामले में तो आशय-पत्र को अभ्यर्थियों को जारी कर दिए जाने के बाद

कमियां उजागर हुई जिसके परिणामस्वरूप आशय-पत्र को वापस लेना पड़ा। अब तक ऐसे 16 मामले ध्यान में आए हैं। इन सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार को अभ्यर्थियों से सूचना एकत्र करनी पड़ी जो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् का सांविधिक दायित्व था।

(3) दंत चिकित्सक अधिनियम की धारा 10-क(1)(क) और (ख) का उल्लंघन करना।

ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जहां भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने दंत चिकित्सा कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु अनुमोदन निर्गत कर दिए हैं। ऐसा उन मामलों में हुआ है जहां केन्द्रीय सरकार ने उन्हें खास तौर पर सलाह दी हो कि उन्हें ऐसा करने के लिए अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के मानक बनाए रखने में नाकामी मिली।

(4) दंत चिकित्सक अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करना।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् ने व्यक्तियों के चुनावों/नाम निर्देशन के ब्यौरे का सत्यापन किए बगैर उन्हें सदस्यों के रूप में काम करने दिया। उनके ब्यौरे बाद में अधिनियम के उपबंधों/विनियमों के खिलाफ पाए गए।

(5) परिषद् के सहायता अनुदान का उपयोग करने में वित्तीय औचित्य का अभाव होगा।

परिषद् को दी गई निधियों का सरकार को सूचित किए बगैर अविवेकपूर्ण इस्तेमाल करने, विदेशी दौरों हेतु भी निधियां देने के मामले में ध्यान में आए हैं।

इसके अतिरिक्त जांच आयोग अनियमितता के ऐसे किसी दूसरे मामले की जांच कर सकता है जो उसके ध्यान में लाए जायें और सरसरी तौर पर छानबीन की कार्रवाई कर सकता है और ऐसे उपायों की अनुशंसा कर सकता है जिन्हें आयोग उचित और अनिवार्य समझता हो।

जांच आयोग में सम्मिलित हैं :—

(1) न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट — अध्यक्ष

(2) डा॰ प्रदीप जयना, सदस्य, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् — सदस्य

(3) निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) — सदस्य-सचिव

आयोग को 2.5.1998 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। चूंकि आयोग ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है अतएव इसकी अवधि बढ़ाने हेतु कदम उठाए गए हैं ताकि रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जा सके।

उत्तर प्रदेश को लेवी चीनी का एकीकरण मूल्य

6045. **श्रीमती कमल रानी :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक लेवी चीनी के एकीकरण मूल्य की आपूर्ति की पुनर्योजना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूर किया जाएगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) "लेवी चीनी के एकीकरण मूल्य की आपूर्ति की पुनर्योजना" के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से अद्यतन तारीख तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एमीगेरेशन काउन्टरों पर धीमी गति से चलता कार्य

6046. **श्री अजीत जोगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमीगेरेशन चीफ प्रोटेक्टर आफिस ने गृह मंत्रालय का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों के एमीगेरेशन काउंटरों पर धीमी गति से हो रहे कार्य की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वाहनों की चोरी

6047. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :**

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों, विशेष रूप से दिल्ली में नए वाहनों की चोरी के मामलों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में चोरी किए गए नए वाहनों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों में इनकी तुलनात्मक संख्या कितनी थी;

(ग) क्या बीमा कम्पनियां वाहन मालिकों को चोरी हुए वाहनों का शत-प्रतिशत मुआवजा देने की बजाए वाहन की खरीद करते समय अदा की गई राशि में से कुछ राशि की कटौती करके भुगतान करती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बीमा कम्पनियों पर चोरी हुए वाहनों के मालिकों को शत-प्रतिशत राशि का भुगतान करने की अनिवार्य शर्त लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या वाहन के बाद में खराब हालत में मिलने की स्थिति में वाहन मालिक द्वारा आपत्ति करने के बावजूद, मुआवजे की राशि कम कर दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो वाहन मालिकों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान 15 जुलाई, 1998 तक सूचित चोरी हुए नये वाहनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1995	1996	1997	1998 (15.7.98 तक)
54	64	70	47

(ग) और (घ) वाहनों के स्वामियों द्वारा घोषित मूल्य पर मोटर-वाहनों का बीमा किया जाता है। तथापि, यदि वाहन चोरी हो जाता है, तो वाहन के "मेक" और उसके निर्मित होने के वर्ष तथा उसके रख-रखाव के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसके मूल्य का सत्यापन किया जाता है। बीमा कम्पनी की देनदारी ऐसे वाहन के बाजार मूल्य अथवा वह मूल्य जिस पर इसका बीमा किया गया है, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः यह संभव है कि किसी वाहन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर, बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान की गई राशि, उस राशि से कम हो जिस पर वाहन खरीदा गया हो। मोटर-वाहन बीमा पालिसी क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित है जिसके अधीन वाहन के स्वामी को उसी स्थिति में रखा जाना होता है जो नुकसान होने से तुरन्त पूर्व थी।

(ङ) और (च) यदि वाहन की स्थिति में किसी प्रकार की गिरावट आती है तो इसकी वजह से हुए नुकसान को बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है, न कि बीमा करवाने वाले द्वारा, बशर्ते कि ऐसे वाहन के बाजार मूल्य की अधिकतम सीमा अथवा वह मूल्य जिस पर वाहन का बीमा करवाया गया है, जो भी कम हो।

[हिन्दी]

विघटनकारी गतिविधियां

6048. श्री दत्ता मेघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सरकार के गठन के पश्चात् उलफा, बोडो और अन्य उग्रवादी गिरोहों द्वारा की गई विघटनकारी गतिविधियों संबंधी घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) गिरफ्तार किए गए दोषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उल्फा, बोडो और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा असम में 18.3.98 से 15.7.98 तक 183 हिंसा की घटनाएं की गई और इन घटनाओं में 141 व्यक्ति मारे गए।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 18.3.98 से 15.7.98 तक असम में 271 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए।

(घ) सरकार ने असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें, राज्य में अर्धसैनिक बलों और सेना की तैनाती, सेना, अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा विद्रोह अभियानों से निबटने के लिए समन्वित कार्रवाई, विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) और बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी एल टी) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करना, सम्मिलित है। स्थिति का राज्य और केन्द्र सरकार दोनों स्तरों पर निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

सर्वसम्मति से शासन किए जाने की अवधारणा

6049. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "होम सेक्रटरीज मिसिव क्रिएट्स ए फ्लटर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित एक अर्द्ध शासकीय पत्र 12 मई, 1998 को भेजा गया था, जिसमें उनका ध्यान "आम सहमति से शासन चलाने के लिए नया मानदण्ड" से संबंधित शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची की मद संख्या 35 की तरफ आकर्षित किया गया था और इस संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे। इस पत्र के विषय के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित परोक्ष संकेत बेबुनियाद और गलत है।

[हिन्दी]

पुलिस चौकियों में तैनाती के लिए भ्रष्ट तरीके

6050. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव** (जहानाबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में पुलिस चौकियों और विभिन्न जिलों में तैनाती करते समय भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च पुलिस अधिकारी ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

परिवार पेंशन

6051. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम संबंधी स्थायी समिति ने परिवार पेंशन संचित निकाय पर ब्याज दर बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थायी श्रम समिति (एस एल सी) ने सिफारिश की है कि लोक लेखा में जमा की गई पेंशन निधि और कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा निधि पर वर्तमान में मिल रहे 8.5 प्रतिशत प्राप्ति की तुलना में 12.5 प्रतिशत से कम ब्याज नहीं मिलना चाहिए। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। तथापि, प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

राजभाषा में प्रशिक्षण

6052. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में राजभाषा प्रशिक्षण के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ख) सरकार ने अनुसूचित भाषा की प्रगति/विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में कई स्थानों पर प्रशिक्षण चला रहा है। मुम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, चेन्नई और हैदराबाद में 5 उप संस्थानों में भी हिन्दी सिखाने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

राजभाषा विभाग ने केन्द्रीय सरकार के अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के लिए भी एक योजना बना ली है। इसके अतिरिक्त गैर-हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को अपने कर्मचारियों को कार्यालयीन हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता अनुदान देने की योजना है।

(ख) अनुसूचित भाषाओं की प्रगति/विकास के लिए सरकार ने वर्ष 1969 में एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की है। इसके तत्वावधान में अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार एवं विकास के लिए अनेक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। विशेषकर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान सुदृढ़ करने के लिए पाठ्य तथा शिक्षण सामग्री का सृजन, क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र की स्वयं-सेवी संस्थाओं और राज्यों की एजेंसियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए लेखन पुरस्कार प्रदान करना, आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से शिक्षण/अध्यापन के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराना, इत्यादि।

कैदियों द्वारा संचालित मसाला उद्योग

6053. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कारागार, जबलपुर, मध्य प्रदेश के कैदियों द्वारा मसाला उद्योग का संचालन किया जा रहा है और वे केन्द्रीय कारागार से रोजगार पा रहे हैं तथा राज्य में सस्ती दरों पर मसाला उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) इस उद्योग में व्याप्त अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ दिन पहले मसालों की बढ़ गई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय कारागार में मसालों के साथ सूखी रोगी और चावल को पीस कर मिला दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) चूंकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 4 राज्य सूची-2 के अनुसार जेलें राज्य का विषय है, इसलिए जेल प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा उनके जेल मैनुअलों में निर्दिष्ट विभिन्न उपबंधों के अनुसार अधिशासित किया जाता है। जेलों में राज्य सरकारों के जेल प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में अनेक जेल उद्योग कैदियों को केवल रोजगार की प्रदान नहीं करते हैं अपितु इन उद्योगों में तैयार की गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को राज्यों को रियायती दरों पर उपलब्ध भी करते हैं। केन्द्र सरकार ऐसे उद्योगों को चलाने में हो रही अनियमितताओं के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप

6054. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विज्ञापन में यह उल्लेख होता है कि केवल वही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके किसी निकट संबंधी का किसी तेल कंपनी में कोई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शर्त को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक से अधिक डीलरशिप के मानकों का प्रावधान जनहित में किया गया है, ताकि एक ही परिवार में पेट्रोलियम उत्पादों की एक से अधिक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के जमाव को रोका जा सके और ग्राहकों को प्रतिस्पर्धात्मक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

[अनुवाद]

पासपोर्ट/वीजा जारी करना

6055. श्री रामशकल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट और वीजा जारी करते समय जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू होने की सम्भावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करते समय अप्राधिकृत एजेंटों द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी संबंधी दृष्टांत ध्यान में आए हैं।

देश में अटारी (अमृतसर) के मुख्य भूमि पोस्ट और वायु चैक पोस्ट पर पासपोर्ट/वीजा में जालसाजी के पता लगाए गए मामलों के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	पासपोर्ट में जालसाजी की संख्या	वीजा में जालसाजी की संख्या	जोड़
1995	1640	219	1859
1996	1724	168	1892
1997	1774	129	1903

अपराध का पंजीकरण, जांच, पता लगाना और रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह भेजने के अलावा केन्द्रीय सरकार उनकी पुलिस संबंधी संरचना स्तरोन्यन हेतु राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अपनी योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

उर्वरक और कीटनाशी दवाओं की दरें

6056. **डा॰ प्रभा ठाकुर :** *क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह* बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं को यथासंभव न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) यूरिया का मूल्य, जिस पर सब्सिडी दी जाती है, सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। यूरिया का वर्तमान मूल्य 3360 रुपए प्रति टन है। यह वही मूल्य है जो 21.2.1997 से 1.6.98 तक चलता रहा।

इसी प्रकार, किसानों को फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरक भी निर्दिष्ट मूल्य पर उपलब्ध हैं क्योंकि भारत सरकार लागत में सब्सिडी देती है। इस निर्दिष्ट मूल्य में 1.4.97 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कीटनाशकों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद

6057. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गेहूं के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिचौलिए बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद करके उसे सरकारी खरीद केन्द्रों पर बेच रहे हैं और अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू रबी विपणन मौसम 1998-99 के दौरान गेहूं की वसूली के लिए दिनांक 4 मई, 1998 को कमीशन एजेंटों की प्रणाली शुरू की थी और कमीशन की दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर निर्धारित की थी। इन कमीशन एजेंटों के माध्यम से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी लेकिन दिनांक 9.5.1998 को अधिसूचना द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कमीशन एजेंट किसानों को दूरस्थ क्षेत्रों की दरों, जोकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थी, पर भुगतान करते थे और इस गेहूं को केन्द्रीय पूल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचते थे।

(ङ) कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों के शोषण संबंधी शिकायतें प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में कमीशन एजेंटों की प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डार

6058. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान वर्षाकाल के लिए आरक्षित रखे गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा कितनी थी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान भी ऐसा कोई आरक्षित भण्डार रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल उद्योग उत्तर पूर्व के अलावा जहां मानसून से पहले अधिकतम भंडार बनाने के प्रयास किए जाते हैं, अखिल भारतीय आधार पर वर्षा ऋतु के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का स्टाक आरक्षित नहीं रखता। तथापि, यह पेट्रोलियम उत्पादों की कम मांग की अवधि होती है, जब कि स्टाक उच्च मांग अवधि अर्थात् अक्तूबर से मई के दौरान की मांग की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं।

प्रथम मई, जून और जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में एमएस/एसकेओ/एचएसडी के स्टाक नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े टी एम टी में)

	1.5.97	1.6.97	1.7.97
एम एस	321.7	300.7	277.9
एस के ओ	719.3	667.9	573.3
एच एस डी	1744.3	1576.0	1694.5

(ख) और (ग) प्रथम मई, जून और जुलाई, 1998 की स्थिति के अनुसार एम एस/एस के ओ/एच एस डी के स्टाक नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े टी एम टी में)

	1.5.98	1.6.98	1.7.98
एम एस	373.6	365.2	391.3
एस के ओ	706.9	566.2	614.2
एच एस डी	2116.2	1934.7	1597.7

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परिसम्पत्तियों की घोषणा

6059. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी :

श्री चिंता मोहन :

प्रो॰ प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मिनिस्टर्स टू डिक्लेयर द एसेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी केन्द्रीय मंत्री अपने परिवार के सदस्यों सहित अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करेंगे;

(ग) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं और क्या उक्त निर्णय को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह घोषणा किस तिथि को की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों की कब तक घोषणा कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) 22.3.1998 को हुई एक बैठक में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने परिवारजनों समेत, अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों और देन-दारियों की घोषणा, सार्वजनिक करने हेतु, अगले 90 दिनों के अंदर प्रधान मंत्री को कर देनी चाहिए। मंत्रिमंडल के इस फैसले की सूचना मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रियों को औपचारिक रूप से दे दी गई थी। अब तक केवल 18 केन्द्रीय मंत्रियों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के विवरण प्राप्त हुए हैं।

खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर प्रतिबंध

6060. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार खाद्यान्नों (गेहूं, धान, लेवी मुक्त चावल, मोटे अनाजों और दालों) के अंतर्राज्य और अतः राज्य संचलन के लिए सम्पूर्ण देश को एकल खाद्य जोन समझा जाता है। सम्पूर्ण देश को एकल जोन समझने की इस राष्ट्रीय नीति के बारे में 26.3.1993 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया था। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि खाद्यान्नों के संचलन में कोई बाधा न हो। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया था कि वे खाद्यान्नों के अंतर्राज्य और अंतः राज्य संचलन में बाधा उत्पन्न करने वाले सांविधिक प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त करें, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव भेजें। इसके प्रत्युत्तर में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्यान्नों के संचलन से सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इन तीनों राज्यों ने चावल/धान की अधिकतम वसूली करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए इनके अंतर्राज्यीय संचलन पर कुछ प्रतिबंध बनाए रखे हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेक प्वाइण्ट्स

6061. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार विशेष रूप से मध्य प्रदेश में कितने रेक प्वाइण्ट्स हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के इतने बड़े क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो अगले खरीफ मौसम से पहले देश में राज्य-वार कितने नए रेक प्वाइण्ट्स खोलने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰के॰ पटेल) : (क) देश में 1354 पूर्ण/अर्ध रैक प्वाइंट हैं। इसमें मध्य प्रदेश राज्य स्थित 56 पूर्ण/अर्ध रैक प्वाइंट्स सम्मिलित हैं। रैक प्वाइंट्स से संबंधित सूचना क्षेत्रीय रेलवे-वार संकलित की जाती है न कि राज्यवार। क्षेत्रीय रेलवे-वार रैक प्वाइंट्स संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की उर्वरक आवश्यकता की मौजूदा रैक प्वाइंट्स से संतोषप्रद रूप से पूरा किया जाता है। रैक प्वाइंट्स की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता सम्भारतंत्र अर्थात् लदान/उतरान, निकासी भण्डारण आदि के कुशल प्रबंध का कार्य है। इस समय, देश में 18 अतिरिक्त रैक प्वाइंट्स का विकास किया जा रहा है और यातायात नियंत्रण हेतु इन्हें वर्ष 1999-2000 तक खोले जाने की सम्भावना है।

विवरण

जोनल रेलवे (अनंतिम) पर रैक प्वाइंट्स

(संख्या)

क्र॰सं॰	रेलवे	फुल रैक प्वाइंट्स	हाफ रैक प्वाइन्ट्स	योग रैक प्वाइण्ट्स
1.	सैन्ट्रल रेलवे	135	73	208
2.	ईस्टर्न रेलवे	136	–	136
3.	नार्दर्न रेलवे	271	32	303
4.	नार्थ ईस्टर्न रेलवे	34	4	38
5.	नार्थ इस्टर्न फरन्टियर रेलवे	90	29	119
6.	सदर्न रेलवे	58	33	91
7.	साऊथ सैन्ट्रल रेलवे	147	43	190
8.	साऊथ ईस्टर्न रेलवे	36	18	54
9.	वेस्टर्न रेलवे	148	67	215
	योग :	1055	299	1354

विज्ञान-विभागों में हिन्दी का प्रयोग

6062. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग इलेक्ट्रानिकी विभाग और विदेश विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनमें राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई पहल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्थिति अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण बहुत ही खराब है और विकसित देशों ने इस क्षेत्र में इसलिये सफलता प्राप्त कर ली है क्योंकि वे अपनी स्वयं की भाषा का प्रयोग करते हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग और विदेश विभागों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है।

(ग) यह कहना सही नहीं है।

[अनुवाद]

दलालों द्वारा पर्यटकों के साथ ठगी

6063. **श्री मोहन रावले :**

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विदेशी पर्यटकों के साथ दलालों द्वारा धोखाधड़ी की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने दलालों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या 8 मई, 1998 को सहारा विमानपत्तन पर धरान और मदुरै के बीच यात्रा कर रहे सऊदी अरब के अनिवासी भारतीय को लूट लिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली पुलिस की जानकारी में ऐसे पांच मामले आए हैं जिनमें इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी पर्यटकों के पहुंचने पर टैक्सी चालकों, दलालों द्वारा उनके साथ कथित रूप से धोखाधड़ी की गई/उन्हें परेशान किया गया।

(ग) इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दलालों के खतरे को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं : व्यस्ततम समय के दौरान पुलिस कार्मिकों को तैनात करना, प्री-पेड टैक्सी बूथों पर निरन्तर चौकसी, यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थानों को ले जा रही टैक्सियों की गहन जांच करना। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान 15 जुलाई, 1998 तक 943 "दलालों" को गिरफ्तार किया है तथा 428 वाहनों को जब्त किया है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात

6064. डा॰ असीम बाला :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस के आयात हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृत्रिम अंग

6065. श्री मुकुल वासनिक :

श्री कान्तिलाल भूरिया :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, जिनको कृत्रिम अंगों की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितने लोगों की सहायता की गई है;

(च) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1998 के "पायनियर" में गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनावटी अंगों से अत्यधिक पैसा कमाने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) कोई ऐसा खास सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या का आकलन उपलब्ध है।

(घ) से (ङ) यह मंत्रालय वर्ष 1981-82 से सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों/कम्पनियों/डी॰आर॰डी॰ए॰/आई॰आर॰सी॰एस॰ अथवा मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त देश में कहीं भी इन एजेंसियों से सम्पर्क करके पात्र विकलांग व्यक्ति सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना से देश में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

1994-95	85,000
1995-96	60,000
1996-97	40,000

(च) जी, हां।

(छ) इस रिपोर्ट में तथ्यात्मक गलतियां हैं। सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत इस योजना के वर्ष 1981-82 में आरम्भ से सहायता अनुदान के रूप में 91.44 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसलिए यह पता नहीं चलता कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित 130.00 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों, पंजीकृत सोसायटियों, न्यासों के द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश तथा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा दी गई तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुदान दिया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है।

जांच एजेंसियों को स्वायत्ता दिया जाना

6066. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार ने जांच एजेंसियों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए कोई कानून बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) उक्त कानून को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। जांच कार्य, उस विषय पर संबंधित कानूनों द्वारा विनियमित किए जाते हैं और इन कार्यों के निष्पादन में जांच एजेन्सियां स्वायत्तशासी हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में सफाई की स्थिति

6067. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सफाई की स्थिति संतोषजनक है और वहां दवाओं की अत्यंत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सफाई की स्थिति में सुधार करने और अस्पतालों में औषधियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में सफाई की स्थिति लगभग संतोषजनक है। औषधों की अत्यधिक कमी सूचित नहीं की गई है। जन स्वच्छता बनाए रखने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा सफाई संबंधी उपायों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी भी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के स्वच्छता संबंधी पहलुओं सहित उनका कार्यकरण देखने के लिए अचानक दौरे करते हैं। तथापि, जब कभी भी कार्य की अधिकता होती है या भीड़-भाड़ होती है तो कभी-कभार स्वच्छता के स्तर में कमी महसूस की जाती है।

[अनुवाद]

भाषा को मान्यता

6068. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में प्राथमिक स्तर पर विष्णु प्रिया मणिपुरी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ख) असम में इस भाषा को मान्यता प्रदान करने में क्या कठिनाईयां हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) शिक्षा के माध्यम के लिए भाषा को मान्यता देना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होने के कारण असम सरकार को मामले को निपटाने की सलाह दी गयी है।

रसोई गैस कनेक्शन

6069. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए पांच वर्षों से भी अधिक समय तक प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ रसोई गैस एजेंसियों ने गत पांच वर्षों के दौरान एक भी गैस कनेक्शन जारी नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी राज्यों में प्रतीक्षासूची के गैस कनेक्शनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जिन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों ने अप्रैल, 1993 से मार्च, 1998 के दौरान कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सामान्यतया अधिकतम सीमा स्तर से ऊपर प्रचालन कर रहे डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से नए गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जाते।

(घ) प्रतीक्षा सूची के प्रति नए कनेक्शनों का जारी किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद उपलब्धता, मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक, नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए वहनीय आबंटन, अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरों आदि पर निर्भर करता है। आयात और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से एल पी जी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता की आशा से भविष्य में और कनेक्शन दिए जाने की योजना है तथा वर्ष 2000-2001 तक सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची निपटा दिए जाने की आशा है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.93 से पहले की प्रतीक्षा सूची
1	2
आन्ध्र प्रदेश	219665
अंडमान और निकोबार	5718
असम	7553
अरुणाचल प्रदेश	0
बिहार	66832
चंडीगढ़	23448

1	2
दादरा और नगर हवेली	493
दमन और दीव	1320
गोवा	11806
गुजरात	109076
हरियाणा	124461
हिमाचल प्रदेश	3222
जम्मू और कश्मीर	18989
कर्नाटक	147320
केरल	109858
लक्षदीप	0
मध्य प्रदेश	110104
महाराष्ट्र	174606
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
नागालैंड	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	76200
उड़ीसा	35923
पांडिचेरी	11206
पंजाब	145831
राजस्थान	198899
सिक्किम	0
तमिलनाडु	338101
त्रिपुरा	9802
उत्तर प्रदेश	223777
पश्चिम बंगाल	262676

विवरण–II

1.4.1998 की स्थिति के अनुसार उन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों का ब्यौरा जिन्होंने अप्रैल, 1993 से मार्च, 1998 के दौरान कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया

क्र॰सं॰	राज्य	डिस्ट्रीब्यूटर	स्थान
1	2	3	4
1.	गुजरात	चेखलिया गैस	सुरेन्द्रनगर
2.	मध्य प्रदेश	महेश ज्योति गैस एजेंसी	इन्दौर
3.	पंजाब	गुलेरी गैस सर्विस	अमृतसर
4.	राजस्थान	देव गैस सर्विस	जयपुर
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ गैस सर्विस	लखनऊ
6.	उत्तर प्रदेश	ब्रह्म गैस सर्विस	औरैया
7.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद गैस सर्विस	इलाहाबाद
8.	उत्तर प्रदेश	खुनूलाल एण्ड सन्स	इलाहाबाद
9.	उत्तर प्रदेश	निशान्त गैस	आगरा
10.	उत्तर प्रदेश	मथुरा ई सी सी एस लि॰	मथुरा
11.	उत्तर प्रदेश	गोस्वामी इंटरप्राईजेज	मेरठ

[हिन्दी]

आयोडीन युक्त नमक

6070. श्री आदित्यनाथ :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घेघा बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिये आयोडीन नमक के उत्पादन के लिये वर्तमान में क्या व्यवस्था की गयी है;

(ख) क्या आयोडीकरण के कारण आयोडीन युक्त नमक बहुत मंहगा हो गया है;

(ग) क्या आयोडीकरण के लिये मशीनें केवल एक देश से ही आयात की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आयोडीनयुक्त नमक की वास्तविक खपत की मात्रा का कोई आकलन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) 795 यूनिटों को आयोडीकृत नमक के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। कुल स्थापित क्षमता 112 लाख टन प्रतिवर्ष है।

(ख) जी, नहीं। आयोडीकृत करने की लागत मुश्किल से 10 पैसे प्रति किलो है जो कि आयोडीकृत नमक प्रयोग करने के सम्पूर्ण लाभों की तुलना में नगण्य लागत है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। साधारणतया नमक को देश में ही विकसित संयंत्रों तथा मशीनरी द्वारा आयोडीकृत किया जाता है।

(ङ) और (च) आयोडीकृत नमक की औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 10 ग्राम है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अपराध जगत की गतिविधियां

6071. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री माधवराव पाटील :

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2.7.1998 के 'दैनिक जागरण' में "दिल्ली एक बार फिर अंडर वर्ल्ड की गिरफ्त में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपराध जगत के सरगनों की सूची तैयार की है; और

(घ) सरकार द्वारा अपराध जगत के सरगनों को पकड़ने हेतु उठाए गए ठोस कदम क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। प्रश्नगत समाचार दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधिक गतिविधियों की योजना और इसे कार्यान्वित करने में कार्यरत संदिग्ध हताश अपराधियों की सूची तैयार किए जाने के बारे में है।

(ग) से (घ) दिल्ली पुलिस ने हताश अपराधियों की एक सूची तैयार की है जिसमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी है, ताकि पुलिस उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी और निगाह रख सके। अन्य उपायों में सम्मिलित है : प्रत्येक पुलिस जिले में विशेष दलों का गठन करना जिनका काम ऐसे दुर्दान्त अपराधियों को ढूंढना है जो उनके ज्ञात पते पर उपलब्ध नहीं है।

सरकारी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें

6072. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीजों का सरकारी अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपयुक्त रूप से इलाज नहीं हो पाता है जिसके कारण उन्हें अपनी शिकायत करने के लिए संसद सदस्यों से सम्पर्क करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में किसी डाक्टर अथवा कर्मचारी को दण्डित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) बाहर से आने वाले रोगियों के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हैं। यदि इस संबंध में संसद सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा सही ढंग से जांच की जाती है और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस का आयात

6073. **श्री चिंता मोहन :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए रसोई गैस के उपयोग की अनुमति के कारण रसोई गैस के आयात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष औसतन कितनी मात्रा में रसोई गैस आयात की आवश्यकता होती है तथा कितनी अतिरिक्त मात्रा में आयात करने की आवश्यकता होगी; और

(ग) इसके अतिरिक्त आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा के वार्षिक व्यय होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नवम्बर, 1995 में सरकार द्वारा घोषित और तदुपरांत आशोधित तरल ईंधन नीति के अनुसार एल पी जी को विद्युत उत्पादन में उपयोग के लिए अनुमत विभिन्न तरल ईंधनों में शामिल नहीं किया गया है।

तेल अर्थ बजट के अनुसार 464.1 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत से 2.119 एमएमटी एलपीजी का आयात चालू

वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने की योजना है। विद्युत उत्पादन के लिए एल पी जी की किसी अतिरिक्त मात्रा का आयात किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

6074. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन अभियान में इस भयानक बीमारी के छिपे हुए मामलों का पता लगाने के उद्देश्य से आठ राज्यों तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण करा कर तेजी लायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) कुष्ठ के छिपे हुए रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से 17 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में आशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया गया है। इन राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या के सभी स्टाफ को कुष्ठ संबंधी अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया है, कुष्ठ की असलियत और निःशुल्क उपचार की सुविधा के बारे में जन जागृति पैदा की गई। ऐसा जनता में कुष्ठ रोगियों की भौतिक खोज करने के बाद किया गया। संदिग्ध रोगियों की पहचान की गई और तब पुष्टि हेतु उनकी जांच पड़ताल की गई। पुष्ट किए गए रोगियों का उपचार किया गया। इन अभियानों में तकरीबन 416301 कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया जिनमें एकल विक्षति वाले 50028 रोगी थे।

संगठित तथा असंगठित क्षेत्र

6075. श्री ए॰एफ॰ गुलाम उस्मानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यूनतम मजदूरी की दर में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था;

(घ) क्या मूल्य वृद्धि को देखते हुए श्रमिकों की मजदूरी दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी को निर्धारित और संशोधित किया जाता है। अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में उपलब्ध सूचना का राज्यवार विवरण संलग्न है। संलग्न विवरण के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दिए गए कोष्ठकों में दी गयी सूचना में कुछ अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछले संशोधन की तारीख के ब्यौरे दिए गए हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ें तथा प्रत्येक दो वर्ष में, अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की वृद्धि होने, जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी में संशोधन करें। जिन राज्यों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान किया है, संलग्न विवरण के स्तम्भ-3 के अंतर्गत उन्हें भी इंगित किया जाता है।

विवरण

अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में अकुशल कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.4.98 को संकलित)

क्र॰सं॰	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नाम	मजदूरी की न्यूनतम दर और पिछले संशोधन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
I.	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.00 रु॰* से 42.40 रु॰ प्रति दिन (9.8.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
2	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु॰ से 23.40 रु॰ प्रति दिन (1.4.94)	रोजगार और क्षेत्रों के अनुसार दरें भिन्न हैं।
3.	असम	32.80 रु॰* से 49.10 रु॰ प्रति दिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
4.	बिहार	27.30 रु॰ से 39.70 रु॰ प्रति दिन (21.12.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।

1	2	3	4
5.	गोवा	21.00 रु॰ से 93.00 रु॰ प्रति दिन (1.4.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
6.	गुजरात	34.00 रु॰* से 77.80 रु॰ प्रति दिन (25.4.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं। (जोन के अनुसार)
7.	हरियाणा	63.12 रु॰* से 64.12 रु॰ प्रति दिन (1.1.95)	कृषि के अलावा सभी रोजगारों के लिए एकल दर
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 रु॰ से	चाय बागान के लिए
		45.75 रु॰ प्रति दिन (1.3.96)	अन्य सभी रोजगारों के लिए
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु॰ प्रति दिन (13.3.95)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
10.	कर्नाटक	26.00 रु॰* से 56.50 रु॰ प्रति दिन (17.12.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं। (जोन के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रु॰* से 114.16 रु॰ प्रति दिन (25.10.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं। (जोन के अनुसार)
12.	मध्य प्रदेश	26.46 रु॰* से 55.19 रु॰ प्रति दिन (6.2.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं।
13.	महाराष्ट्र	9.25 रु॰* से 85.95 रु॰ प्रति दिन (6.12.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं। (जोन के अनुसार)
14.	मणिपुर	44.65 रु॰ प्रति दिन (मैदानी क्षेत्रों के लिए) (8.7.95) 49.50 रु॰ प्रतिदिन (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें
15.	मेघालय	35.00 रु॰ प्रति दिन (1.1.95)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
16.	मिजोरम	45.00 रु॰ प्रति दिन (10.7.97)	-वही-
17.	नागालैंड	25.00 रु॰ प्रति दिन (6.7.92)	-वही-
18.	उड़ीसा	30.00 रु॰* प्रति दिन (15.8.96)	-वही-
19.	पंजाब	58.07 रु॰ से 60.62 रु॰*प्रति दिन (1.7.95)	-वही- (कृषि को छोड़कर)
20.	राजस्थान	44.00 रु॰ प्रति दिन (19.11.97)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
21.	सिक्किम	-शून्य-	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू और प्रवर्तित किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	22.40 रु॰ से 79.00 रु॰ प्रति दिन (1.4.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	17.70 रु॰ से 36.00 रु॰* प्रतिदिन (29.8.96)	-वही-
24.	उत्तर प्रदेश	42.02 रु॰ से 64.21 रु॰* प्रतिदिन (31.10.96)	-वही-
25.	पश्चिम बंगाल	25.47 रु॰ से 72.00 रु॰* प्रतिदिन (25.7.96)	-वही-
26.	अण्डमान और निकोबार	37.00 रु॰ से 40.00 रु॰ प्रतिदिन (15.8.94)	-वही-

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ़	58.06 रु॰ से 60.15 रु॰* प्रतिदिन (4.11.95)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर (कृषि को छोड़कर)
28.	दादर और नगर हवेली	35.00 रु॰ से 40.00 रु॰ प्रति दिन (18.5.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
29.	दमण और दीव	35.00 रु॰ प्रतिदिन (19.5.95)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
30.	दिल्ली	74.50 रु॰ प्रतिदिन (15.2.94)	–वही–
31.	लक्षद्वीप	41.46 रु॰ प्रतिदिन (1.1.96)	–वही–
32.	पांडिचेरी	19.25 रु॰ से 40.20 रु॰ प्रतिदिन (24.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
II.*	केन्द्रीय सरकार	39.51 रु॰ से 71.04 रु॰* प्रति दिन (12.7.94)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार) (कृषि के अलावा)

टिप्पणी :— 1.* न्यूनतम मजदूरी के साथ परवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

2. कॉलम (3) के अंतर्गत कोष्ठक में दी गई तिथि अनुसूचित रोजगार में पिछले संशोधन की तिथि है।

भारत विरोधी गतिविधियां

6076. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1998 के 'पांचजन्य' पत्रिका के अंक में "मदरसों की आड़ में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी की चोरी

6077. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री जोवाकिम बखला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की परमाणु प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों से चुराई हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुप्तचर एजेंसियां पाकिस्तान को ऐसा करने से रोकने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गुप्तचर एजेन्सियों को भविष्य में भारत विरोधी शक्तियों को हतोत्साहित करने योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सरकार को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और विभिन्न देशों से गुप्त रूप से परमाणु तकनालोजी प्राप्त करने के उसके प्रयासों की जानकारी है।

पाकिस्तान के द्वारा गुप्त रूप से परमाणु हथियार क्षमता प्राप्त करने का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत को निशाना बनाना है, इन और साक्ष्यों के रूप में इस बारे में हुई गतिविधियों और परमाणु तकनॉलोजी के गैरकानूनी विस्तार की रोकथाम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार शासन की असफलता के संकेतक के रूप में मुख्य देशों के ध्यान में लाया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन

6078. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मै॰ रिलाएंस रिफाइनरीज लिमिटेड को अपने पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल आदि का सीधे विपणन करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिलाएंस अपने पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए एच पी सी और आई बी पी सरकारी उपक्रमों के अधिग्रहण का प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में चरणों में 1998-99 से प्रकाशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय नवम्बर, 1997 में लिया था। संक्रमण अवधि के दौरान एम एस, एच एस डी, एस के ओ, एल पी जी और ए टी एफ नामक पांच उत्पाद नियंत्रित उत्पाद होंगे। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान सभी निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यम रिफाइनरियों से इन पांच उत्पादों का विपणन केवल उस सीमा तक किया जाएगा, जितनी घरेलू खपत के लिए आवश्यकता है। तथापि, जब 2002-03 में संक्रमण अवधि समाप्त हो जाएगी, तब कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश वाली निजी क्षेत्र/संयुक्त उद्यम की सभी रिफाइनरियां इन पांच उत्पादों सहित अपने सभी उत्पादों का विपणन कर सकती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयल इंडिया लिमिटेड

6079. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1998 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आयल आपरेशंस हैम्पर्ड बाई स्कारसिटी ऑफ मेटीरियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि धमकी, तोड़-फोड़ तथा चोरी की समस्या के अतिरिक्त आयल इंडिया लिमिटेड के उत्तर-पूर्व परिचालन में मूल निर्माण सामग्री की गंभीर कमी भी बाधा उत्पन्न कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं; और

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.96 के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप जिसके अंतर्गत वन उत्पादों आदि पर प्रतिबंध/रोक लगाई गई थी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) की अन्वेषणात्मक और विकास गतिविधियों सहित योजनाबद्ध कार्यक्रम लकड़ी, रेत, कंकरीट आदि जैसी आधारभूत निर्माण सामग्री की कमी के कारण काफी हद तक प्रभावित हुए। नए भवनों, मार्गों, सेतुओं, पुलियों के निर्माण से संबंधित जारी सिविल कार्य और सिविल रखरखाव कार्य सहित भविष्य के वेधन स्थान के सिविल तैयारी कार्य भी प्रभावित हुए हैं। तथापि, गिराए गए वृक्षों के हटाने पर उपर्युक्त प्रतिबंधों को हाल में हटाए जाने और रेत तथा कंकरीट खानों को आंशिक रूप से खोलने के बाद स्थिति सुधर गई है। इसी बीच आयल इंडिया विभिन्न सड़क मरम्मत और कार्यस्थल मरम्मत कार्यों के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करने की संभावना का पता भी लगा रही है।

(ग) चूंकि स्थानीय समस्याएं आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थानीय प्रशासन की मदद से सुलझाई जा रही हैं, इसलिए कंपनी ने इस संबंध में मदद के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क करना आवश्यक नहीं समझा है।

रसायन उद्योगों का विकास

6080. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रसायन उद्योगों के विकास में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारत में रसायन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में रसायन उद्योगों के विकास में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक दवाइयां

6081. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार में आयुर्वेदिक दवाइयों की खपत बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस समय देश में आयुर्वेद के लगभग 3.5 लाख संस्थानिक तौर पर प्रशिक्षित व्यवसायी हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधों का व्यवसाय करने वाले स्थानीय पारंपरिक स्वास्थ्य उपचारकर्ता भी हैं। देश में संबद्ध अस्पतालों वाले 144 आयुर्वेदिक कालेज हैं। आयुर्वेद औषधालयों और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। इन सभी

से आयुर्वेदिक औषधों की ज्यादा मांग पैदा होगी क्योंकि इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोगों ने काफी स्वीकार किया है और कुल मिलाकर ये औषधें विपरीत प्रभावों से मुक्त होती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से सरकार ने 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के एक स्वतन्त्र विभाग की स्थापना की है। इसमें आयुर्वेद शामिल हैं। विभाग ने आयुर्वेदिक औषधों की लोकप्रियता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) आयुर्वेदिक औषधों के विनिर्माण के लिए स्थापित भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड मोहान, उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ किया जा रहा है;

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों की जांच को सुविधाजनक बनाने और औषधों के मानक बनाने के लिए एक भारतीय औषध भेषसंहिता प्रयोगशाला की स्थापना की गई है;

(3) आयुर्वेद औषधों के लिए मानक बनाने के लिए आयुर्वेद भेषज संहिता समिति का गठन किया गया है;

(4) विभाग ने औषधीय पादपों की उपलब्धता की पहचान एक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में की है, ये औषधीय पादप आयुर्वेद औषधियों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं और स्वस्थाने और स्वस्थाने बाह्य खेती (इन सीटू एंड एक्स इन सीटू कल्टीवेशन), जीन बैंक में भण्डारण, टिश्यू कल्चर के विकास ज्यादा मात्रा में खेती आदि के माध्यम से इनकी उपलब्धता बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं। औषधीय पादपों हेतु कृषि तकनीकें विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक मुख्य स्कीम है; और

(5) दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आयुर्वेद का एक विशेषज्ञ क्लीनिक शुरू किया गया है।

इन कारणों से आयुर्वेद औषधियों के गुणों के बारे में ज्यादा जागरूकता हुई है।

[अनुवाद]

मणिपुर में जातीय दंगे

6082. कुमारी किम गंगटे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के चन्द्रचूर जिले में जोयमिस और कुकीज के बीच जातीय दंगों के कारण कितने लोग मारे गए;

(ख) इस क्षेत्र से कितने परिवार पलायन कर गये;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन लोगों को वापस लाने और उनके पुनर्वास के लिए मणिपुर सरकार की सहायता के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में कुकी और पाइट्स के बीच जातीय झगड़ों के कारण 24.6.1997 से 14.7.1998 तक की अवधि के दौरान 267 व्यक्तियों की जानें गई।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि जातीय झगड़ों मे लगभग 13,000 व्यक्ति विस्थापित हुए थे। यह सूचित किया गया है कि लगभग सभी विस्थापित व्यक्ति अपने-अपने गांवों को लौट गए हैं।

(ग) और (घ) इन जातीय झगड़ों के पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के लिए केन्द्र सरकार ने 73.95 लाख रु० की राशि रिलीज की है। मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि उसने, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सहायता देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है।

चावल की खरीद में छूट

6083. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997 के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश से चावल की खरीद में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने छूट की शर्तों पर उड़ीसा से चावल की खरीद के मामले में मूल्य में कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश राज्य से चावल की खरीद के मामले में मूल्य में कटौती न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उड़ीसा से चावल की खरीद के मामले में मूल्य में की गई कटौती को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सितम्बर से दिसम्बर, 1997 के दौरान रुक-रुक कर व्यापक और गैर-मौसमी वर्षा हुई थी जिससे धान पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार वर्षा से प्रभावित धान के स्टाक की मिलिंग के संबंध में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश सहित कुछ चावल उत्पादक राज्यों से एक समान विनिर्दिष्टियों में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। गैर-मौसमी वर्षा के कारण हुई क्षति की गहनता, संबंधित राज्यों में भेजे गए खाद्य और नागरिक

पूर्ति विभाग के गुण नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल के निष्कर्षों, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, नई दिल्ली में विश्लेषित धान/चावल के नमूनों के विश्लेषण संबंधी परिणामों के आधार पर खरीफ विपणन मौसम, 1997-98 के लिए धान/चावल की विनिर्दिष्टियों में उड़ीसा और मध्य प्रदेश सहित राज्यों को कुछ रियायतें प्रदान की गई थीं ताकि किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और सुचारू वसूली प्रचालन सुनिश्चित किए जा सकें।

साधारण चावल के लिए उड़ीसा को अनुमत रियायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अपवर्तन	किस्म	सीमा	टिप्पणी
1. क्षतिग्रस्त/	रॉ	3.5% तक	2% से ऊपर 1/2 कीमत कटौती के साथ
मामूली रूप से क्षतिग्रस्त अनाज	सेला	4.5% तक	1/4% से ऊपर 1/2 कीमत कटौती के साथ
2. बदरंग अनाज		8% तक	रॉ और सेला चावल के लिए क्रमशः 3% और 5% से अधिक पर 1/4 कीमत कटौती के साथ
3. टोटा अनाज	रॉ	3% तक	24% से अधिक के लिए 1/4 कीमत कटौती के साथ

(ङ) राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर 22 अप्रैल, 1998 से चावल की वसूली में किसी कीमत कटौती के बिना रियायत अनुमत की गई थी।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों के लिए भेषज इकाइयां

6084. श्री राम टहल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें औषधि निर्माण के लिए बड़ी और छोटी भेषज इकाइयां स्थापित की गई हैं और उन जड़ी-बूटियों के नाम क्या हैं जिनसे औषधियां बनाई जा रही हैं; और

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी भेषज इकाइयां हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की औषधों का विनिर्माण करने वाली लगभग 9288 फार्मेसियां हैं, राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची-I में बताई गई ए॰एस॰यू॰ क्लासिकल ग्रंथों में उल्लिखित, क्लासिकल ए॰एस॰यू॰ औषधों के विनिर्माण में प्रयुक्त औषधीय पादपों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

1.4.95 को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में लाइसेंसशुदा फार्मेसियों की राज्यवार संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	लाइसेंस शुदा फार्मेसियों की संख्या					लोन लाइसेंस रखने वाले लाइसेंस-शुदा फार्मेसियों की संख्या				
		आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	होमियो-पैथी	कुल	आयु-र्वेद	यूनानी	सिद्ध	होमियो-पैथी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	556	222	-	37	815	4	-	-	-	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-
4.	बिहार	617**	-	-	75	692	1	-	-	-	1
5.	दिल्ली	85	26	-	12	123	5	2	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	गोवा	2	–	–	8	10	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	682	–	–	9	691	45		–	–	45
8.	हरियाणा	158	5	–	–	163	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	54	–	–	–	54	–	–	–	–	–
10.	जम्मू व कश्मीर	10	2	–	–	12	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	231	11	–	11	253	21	1	–	–	22
12.	केरल	962	–	–	19	981	9	–	–	–	9
13.	मध्य प्रदेश	225	12	–	6	243	11	–	–	–	11
14.	महाराष्ट्र	757*	–	–	33	790	243*	–	–	–	243
15.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	93	–	–	33	116	–	–	–	–	–
20.	पंजाब	149	–	–	–	149	2	–	–	–	2
21.	राजस्थान	388	4	–	–	392	–	–	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	166	8	252	6	432	6	3	4	–	13
24.	त्रिपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	1784	154	–	34	1972	7	–	–	–	17
26.	पश्चिम बंगाल	620	22	–	591	1233	21	–	–	–	21
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	चण्डीगढ़	2	–	–	20	22	–	–	–	–	–
29.	दादर व नगर हवेली	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
30.	दमण व दीव	1	–	–	1	2	1	–	–	–	1
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	24	–	94	1	119	1	–	–	–	1
	कुल	7586	466	346	890	9288	377	6	4	–	387

विवरण-II

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध औषधों में प्रयुक्त औषधीय पादपों की सूची

(डेटा बेस की स्थापना हेतु)

क्र॰सं॰	वानस्पतिक नाम
1	2
1.	अबेस बेबिना लिंडी
2.	अब्रूस प्रकेटोरियस लिन्न
3.	अबुटिलन इंडीकम (लिन्न) एस डब्ल्यू
4.	असेसिया केटेचू वाइड
5.	असेसिया ल्यूकोफलिया वाइड
6.	असेसिया निलोटिका एंड स्पेशल इंडिका
7.	एसेसिया पेन्नेटा (लिन्न) वाइड
8.	एलेलिफा फ्रुक्टिकोसा फ्रोस्क
9.	एसेलिफा इंडिका लिन्न
10.	एचेलिया मिलिफोलियम लिन्न
11.	एजिरेन्थस अस्पेरा लिन्न
12	एकोनिटम चास्मान्थम (स्टेपिफ॰ एक्स॰ बोलमेस)
13.	एकोनिटम फेराक्स वाल
14.	एकोनिटम हेटरोफिलम वाल
15.	एकोनिटम नेपेलस लिन्न
16.	एकोनिटम पाल्माटम डी॰ डान
17.	एकोरस कालामस लिन्न
18.	एडेनांथरेरिया पावोमिना लिन्न
19.	अधाटोडा वासिका नीस
20.	अधाटोडा जेलेमिका नीस
21.	एडिएंटम केपिलस वेनेरिस लिन्न
22.	एगले मार्मेलोस कार्र॰
23.	एरेवा लानाता जस
24.	एसुलस हिप्पोकास्टानम लिन्न
25.	अगारिकस एल्बा लिन्न
26.	अगावे अमेरिकन लिन्न

1	2
27.	एलांथस एक्सेलसा राक्स्ब
28.	एलिंगम साल्विफोलियम लिन्न
29.	एल्बिजिया लेबेक्क बेन्थ
30.	अल्हागी प्सुदाहागी (बीब॰) देसव॰
31.	एलियम एस्कालोकिनम लिन्न
32.	एलियम सेपा लिन्न
33.	एलियम सेटिवम लिन्न
34.	एलोकिया इंडिका स्कल्ट
35.	एलोई बार्बडेंसिस मिल
36.	एल्पिनिया गालांगा लिन्न
37.	एल्पिनिया स्पेरियोसा स्कम
38.	एलस्टोनिया स्कोलरिज आर॰बी॰ओर॰
39.	एल्थिया ओफिसिनालिस लिन्न
40.	अमारान्थस पोलिगोनोडेस लिन्न
41.	अमारान्थस त्रिकोलोर लिन्न
42.	अमारांथस ट्रिस्टी वाइड
43.	अमोमम सुबुलेटम राक्स्ब
44.	अमोर्फोलस कॅपानुलारस (राक्स्ब॰) बी एल
45.	अमोर्फोलस सिलाटिकस (राक्स्ब॰) कुंथ
46.	अनासिकलस पाइरेथ्रम डीसी
47.	अनानास कोमोसस मेर॰
48.	एंड्रोग्राफिक्स पेनीकुलाटा नीस
49.	अनेथम सोवा कुर्ज
50.	एंगेलिका अकजिलिका लिन्न
51.	एनोजेसिस लाटिफोलिया वाल
52.	ऐंथेमिस नोबिलिस लिन्न
53.	एंथोसेफालस काडांबा मिक॰
54.	एपियम ग्रावेलेन्स लिन्न
55.	एक्यूलेरिया एगालोपा राक्स्ब॰
56.	एरेका काटेचु लिन्न

1	2
57.	अर्गेमोने मेक्सिकोना लिन्न
58.	अर्गेरिया स्पेसिकासा स्वीट
59.	एरिस्टोलोचिया ब्रेक्टियेटा रेट्ज
60.	एरिस्टोलोचिया इंडिका लिन्न
61.	एरिस्टोलोचिया लोंगा लिन्न
62.	एरिस्टोलोचिया रोटुंडा लिन्न
63.	अर्टेमेसिया एब्सिंथियम लिन्न
64.	एर्टे मेसिया मेरिटिमा लिन्न
65.	अर्टेमेसिया वुल्गारिस लिन्न
66.	अर्टोकार्पस लाकूचा राक्स्ब॰
67.	असारम यूरोपियम लिन्न
68.	अस्पारागस आफिसिनालिस लिन्न
69.	अस्पारागस रेसेमोसस वाइल्ड
70.	अस्फोडोलस टेनुफोलस काव
71.	अस्टेरांथा लोंगीफोलिया नीस
72.	अस्ट्रागालुस हामोसस लिन्न
73.	अस्ट्रागालुस सर्काकोला डाइमोक
74.	अट्रोपा अकुमिनाटा रॉयल
75.	अट्रोपा बेलाडोना लिन्न
76.	अजाडिराचटा इंडिका ए॰ जस्स
77.	अजिमा टेट्राकांथा लाम
78	बाकोपा मोनियरी (लिन्न) पेनल
79.	बालियोस्पेरम मोंटानम म्युल॰ अर्ग॰
80.	बालसामोंडड्रान केंडाटम
81.	बांबुसा बांबोस ड्रुस
82.	बारलेरिया प्रियोनिटिज लिन्न
83.	बेरिंगटोनिया एकुटांगोला गार्टेन
84.	बाहुनिया रेसमोसा लाम
85.	बाहुनिया वेरिएगाटा लिन्न
86.	बेनिनकासा वेरिएगाटा (थंब) काग्न॰

1	2
87.	बर्बेरियस अरिस्टाटा डीसी
88.	बर्गेनिया निगुलाटा (वाल) इंग्ल॰
89.	ब्लेफारिस ईडुलिस लिन्न
90.	ब्लुमिया बाल्सामिफेरा डी॰सी॰
91.	बोरेविया डिफ्फुसा लिन्न
92.	बोरेविया वर्टीकालाटा पोईर
93.	बोरागो आफिसिनालिस लिन्न
94.	बारोसस फ्लेबेलिफर लिन्न
95.	बोस्वेलिया सेराटा राक्स्ब॰
96.	बारासिका निगरा (लिन्न) हूक
97.	ब्रासिका रापा लिन्न
98.	बूसिया सतिवा मिल
99.	ब्रायोनोपिस लासिनिओसा (एल॰) नाउड
100.	बुचानानिया अंगुस्टिफोलिया राक्स्ब॰
101.	बुचानानिया लांजान स्प्रेंग
102.	बुटिया मोनोस्पेरमा (लाम) कुंट्ज
103.	कोडाबा फरिनोसा फोर्स्क
104.	कासाल्पिनिया बोंडुसेला फ्लेम
105.	कासाल्पिनिया क्रिस्टा लिन्न
106.	कासाल्पिनिया सपान लिन्न
107.	काजानस काजन (लिन्न) मिल्लस्प॰
108.	कालामस रोटांग लिन्न
109.	कालीकार्पा माइक्रोफिलिया वाइल॰
110.	कालोट्रिप्स गिगांटिया (लिन्न) आर॰बी॰ऐक्स॰ऐट॰
111.	कालोट्रोपिस प्रोसेरा (ऐट) आर॰बी॰आर॰
112.	काकोप्टेरिस फ्लोरिबुंडा लाम॰
113.	कान्नाबिस सतिवा लिन्न
114.	कापारिस सेपियेरा
115.	कापारिस स्पीनोसा लिन्न
116.	कापारिस जेलेनिका लिन्न

1	2
117.	काप्सीकम एन्नुम लिन्न
118.	कार्डीस्पेरमम हेलीकाकाबम लिन्न
119.	कारेया अर्बोरिया राक्स्ब॰
120.	कारिका पापाया लिन्न
121.	कारिसा कारांडास लिन्न
122.	कार्थामस टिंक्ओरियस लिन्न
123.	कारम कार्वी लिन्न
124.	कासिया एक्सुस लिन्न
125.	कासिया अंगुस्टिकोलिया वाहल॰
126.	कासिया फिस्टुला लिन्न
127.	कासिया आक्सीडेंटालिस लिन्न
128.	कासिया टोरा लिन्न
129.	सेडरेस डियोडार (राक्स्ब॰) लाउड
130.	सेलास्ट्रस पेनीकुलाटस वाइड
131.	सेंटेला ऐशियेटिका (लिन्न) अर्बन
132.	सेंटिपेडा मिनिया (लिन्न) ए॰बी॰आर॰ईटी अस्कोर्स
133.	सेंट्राथेरम एंथेलमिंटीकम (वाइड) कुंट्जे
134.	सेराटोनिया सिलिका लिन्न
135.	चेईरांथस चेईरी लिन्न
136.	चेविका रोक्सबुधिल मिक॰
137.	क्लोरोफ्टिम अरूंडिनाशम बेकर
138.	क्राइसांथेमम इंडिकम लिन्न
139.	सिसर एरियेटिनम लिन्न
140.	सिंकोना आफिसीनालिस लिन्न
141.	सिन्नामोमम कासिया ब्लुम
142.	सिन्नामोमम कांफोरा नीस एंड एबेर्म
143.	सिन्नामोमम टामाला नीस एंड एबेर्म
144.	सिपाडेसा फ्रुटिकोसा बीएल॰
145.	सिसांपेलोस पारेरिया लिन्न
146.	सिसस क्वांड्रांगुलारिस लिन्न

1	2
147.	सिसस सेटोसा राक्स्ब॰
148.	सिट्रुलस कोलोसाइंथस स्क्रेड
149.	सिट्रुलस वुल्गारिस स्क्रेड
150.	सिट्रस औरांट्रिफोनिया (क्रिस्टम) स्विंगल
151.	सिट्रस औरांटियम लिन्न
152.	सिट्रस लिमोन (लिन्न) बर्म॰ एफ॰
153.	सिट्रस मेडिका लिन्न
154.	सिट्रस रेटिकुलाटा ब्लांको
155.	क्लेओमा इकोसांड्रा लिन्न
156.	क्लेरोडेड्रम इमर्म (लिन्न) गेर्थ
157.	क्लेओमा सेराटम लिन्न एफ॰
158.	क्लेडेंड्रम फिलोमिडिस (लिन्न) मून
159.	क्लिटोरिया टेर्नेटिया लिन्न
160.	कोकिनिया कोर्डिफिलिया काग्न॰
161.	कोकिनिया इंडिका डब्ल्यू एंड ए॰
162.	कोचीओस्पेरमम रिलीगोसम (लिन्न) ऐस्टोन
163.	कोकोस नूसिफेरा लिन्न
164.	कोल्चीकम ल्यूटियम बेकर
165.	कोल्डेनिया प्रोकेंबेस लिन्न
166.	कोलेस एंबोनिइकिस लाउर
167.	कोलेस वेटिवेरोडिस के॰सी॰ जेकब॰
168.	कोमिफोरा मुकुल (हूक एक्स स्टोक्स) इंगल॰
169.	कोमीफोरा मिर्रा (नीस) इंगल॰
170.	कोमीफोरा ओपोबालसामुम (लिन्न) इंगल
171.	कोन्वोवुलुस प्लुरिकालीस चोसी
172.	कोन्वोवुलुस स्काओनिया लिन्न
173.	कोप्टीस टीटा वाल
174.	कोर्डिया डिकोटामा फ्रास्ट॰ एफ॰
175.	कोरिआंड्रम सतिवम लिन्न
176.	कोरालोकार्पस ईपीगाएस बेंथ ऐक्स॰ हू॰ एफ॰

1	2
177.	कोरीलस अवेलाना लिन्न
178.	कोक्कीनियम फनेस्ट्राटम कोलेब्र•
179.	क्राटेवा नुर्वाला बच-हाम
180.	क्रोटालारिया जुन्सिया लिन्न
181.	क्रोटोन टिग्लियम लिन्न
182.	क्राइप्टोलेपिस बुचानानी रॉयम एंड स्कल्ट
183.	क्टोनोलेपिस सेरासिफोर्मिस नाउड
184.	कुकुमिस मेलो वार• अटिलिसिमस डूथी एंड फुलर
185.	कुकुमिस सतिवुस लिन्न
186.	कुकुर्बिटा मोस्काटा डुकेस्ने
187.	कमिनम साइमिनम लिन्न
188.	कुर्कुलिगो ऑर्कीओडियम गेरेथ•
189.	कुर्कुमा अमाडा राक्स्ब•
190.	कुर्कुमा एंगुस्टीफोलिया राक्स्ब•
191.	कुर्कुमा एरोमेटिका सालिस्ब•
192.	कुरकुमा लौंगा लिन्न•
193.	कुरकुमा जेडोआरिया रोस्क•
194.	कुसकूटा ईपिथाईमम लिन्न•
195.	कुसकुटा रीफ्लेक्सा रोक्सब•
196.	साइडोनिया ओबलोंगा मिल्ल•
197.	साइमबोपोगोन सिट्रेटस (डी सी) स्टपफ•
198.	साइमबोपोगोन मरटिनी (रोक्स्ब•) वट्स
199.	साइमबोपोगोन ज्वारनकूसा स्चुल्ट•
200.	साइनोडोन डकटाइलोन लिन्न• पेरस•
201.	साइपेरस रोटुंडुस लिन्न•
202.	दलबेरगिया सिससो रोक्सब•
203.	दतुरा मेटल लिन्न•
204.	दतुरा स्ट्रेमोनियम लिन्न•
205.	डुकुस करोटा लिन्न• वर• सतीवा डी सी•
206.	डेलफिनियम डेनुडेटम वल्ल•
207.	डियोसकोरीया बूलबिफेरा लिन्न•
208.	डियोसपाइरोड टोमेंटोसा रोक्सब•
209.	डिप्टेरोकरपुस अलातुस रोक्सब•
210.	डोलिचोस बिफ्लोरूस लिन्न•
211.	डोलिचोस लैब-लैब लिन्न•
212.	डोरेमा अम्मोनिकम डी• डोन•
213.	डोरोनिकम हुकेरी हुक• एफ•
214.	ड्रासीयेना सिन्नेबरी बल्फ• एफ•
215.	ड्राकोसेफ्लुम मलदाविका लिन्न•
216.	ड्राइओपटेरिस फिलिक्स-मास (लिन्न•) स्काट•
217.	ईक्लिप्टा अल्बा हास्क•
218.	ईलावकारपस गानिट्रस लिन्न•
219.	इलेटेरिया कारडामोमम मैटोन•
220.	इम्बेलिया रिबस बर्म एफ•
221.	इम्बलिका ओफिससिनालिस गैर्थ•
222.	इनीकोस्टेमा लिक्टोरैल ब्लूम•
223.	इरयोडेंड्रोन एनफ्राक्टुकोसम बी•सी•
224.	इरीथ्रीना इंडीका लैम•
225.	इयुफोबिया इंटीक्वारम लिन्न•
226.	इनफोर्बिया हीरटा लिन्न•
227.	इयुफोर्बिया नैरीफोलिया लिन्न•
228.	इयुफोर्बिया निवुलिया बच्च/हम्म•
229.	इयुफोर्बिया रैसिनीफेरा बर्ग•
230.	इयुफोर्बिया रोयलीयना बोइस•
231.	इयुफोर्बिया थोमसोनीयना बोइस•
232.	इयुफोर्बिया थाइमीफोलिया लिन्न•
233.	इयुफोर्बिया तिरूकौली लिन्न•
234.	इयुरोयल फैरोक्स सालिस्ब•
235.	इवोलबुलस अल्सीनोइडेस लिन्न•
236.	इवोलबुलस इमरजीनैटस बर्म
237.	फागोनिया केटिका लिन्न•
238.	फैरोनिया केटिका लिन्न•

1	2
239.	फेरूला असाफोयटिडा बोईस॰
240.	फेरूला फोएटिडा रीगल॰
241.	पेरूला गाल्बानिफ्लुआ बोईस एक्ट बुहसें
242.	फेरूला जेशचकीना वटके
243.	फिकुश अरनोटटियना मिक॰
244.	फिकुश बेंगलेंसिस लिन्न॰
245.	फिकुश गिब्बोसा ब्लूमे॰
246.	फिकुश हिस्पिडा लिन्न॰ एफ॰
247.	फिकुश लकोर बुष॰ हम॰
248.	फिकुश ओप्पोसिटिफोलिया विल्लड॰
249.	फिकुश रसेमोसा लिन्न॰
250.	फिकुश रेलिजिओसा लिन्न॰
251.	फ्लेकोर्टिया केटेफ्राक्टा रोक्सब॰
252.	फीनिकुलूम बूल्गारे मिल्ल॰
253.	फमारिया परविफ्लोरा लम॰
254.	गरसिनिया हनबुरी हस्क॰
255.	गरसिनिया इंडिका चोइस॰
256.	गरसिनिया पेडूंकूलाटा रोक्सब॰
257.	गरडेनिया गुम्मिफेर्रा लिन्न॰एफ॰
258.	जेंटियना कुर्रो रोयले॰
259.	गलीनूस लोटोइडेस लिन्न॰
260.	ग्लाइररहीजा ग्लेब्रा लिन्न॰
261.	ग्मेलिना अरबोरिया लिन्न॰
262.	ग्मेलिना असियाटिका लिन्न॰
263.	गोस्साइपलूम हर्बसेयूम लिन्न॰
264.	ग्रासिसिलारिया कोनफेरवोडियस
265.	ग्रेविया असियाटिका लिन्न॰
266.	ग्रेविया पोपूलिफोलिया वह्ल॰
267.	गुरूगा पिन्नाटा रोक्सब॰
268.	गाइनेंनड्रोपसिस गाइनेंनड्रा (लिन्न॰) ब्रिकूयेट॰
269.	गाइंमेमा साइलवेस्ट्रे आर॰ब्र॰

1	2
270.	हबेनेरिया इंटरमेडिया डी॰ डोन॰
271.	हमेलोमेना अरोमेटिका
272.	हेडाइचियूम स्पीकेटूम हम॰ ईएक्क॰ स्मिथ॰
273.	हेलिस्टेरेस इसोरा लिन्न॰
274.	हेल्लेबोरूस निगर लिन्न॰
275.	हेमिडेसमुस इंडिकुस आर॰ब्र॰
276.	हिबिसकुस रोसा-सिनेंसिस लिन्न॰
277.	हिबिसकुस सबदारिफ्फा लिन्न॰
278.	होलररहेना एंटीडाइसेंटेरिका वल्ल॰
279.	होलोप्टेलीया इंटेग्रिफोलिया प्लांच॰
280.	होरडेयुम वूलगारे लिन्न॰
281.	हाइडनोकेरपस लोरीफोलिया लिन्न॰ (डेन्नस्ट) स्ल्यूमर
282.	हाइडनोकेरपस वेनेनेटा गैरटन॰
283.	हाइग्रोफिला ओरिकुलेटा (एस सी एच) हीने॰
284.	हायोस्कीमस निगर लिम॰
285.	हीसोपस ओफिसिनेलिस लिन्न॰
286.	ईलिसयम वैरम हुक॰ एफ॰
287.	उपेरेटा सिलिंड्रिका बीव॰
288.	इंडीगोफेरा एसपैले थोड्स वाल॰ एक्स॰ डी॰ सी॰
289.	इंडीगोफेरा टिंकटोरिया लिन्न॰
290.	इनुला रेसीमोसा हुक॰ जिंग॰
291.	आयोंडियम सफुटीकोसम जिंग॰
292.	इफोमिडीजीटेटा लिन्न॰
293.	इफोमिहीड्रेसिया जैक॰
294.	आईरिस एनसिटा हम्ब॰
295.	जैसमिनम ग्रेंडिफ्लोरम लिन्न॰
296.	जैसमिनम ओफिसीनेल लिन्न॰
297.	जैट्रोफा करकस लिन्न॰
298.	जैट्रोफागेलेंडुलीफेरा रोक्स॰
299.	जग्लांस रेगिया लिन्न॰
300.	जुनीपरस कोम्युनिस लिन्न॰

1	2
301.	जुसीया सिफ्रोटीकोसा लिन्न•
302.	लैक्टुका सटिवा लिन्न•
303.	लेजीनेरिया सिसेनिरया (मूल) स्टैंड•
304.	लैलेमैंटिया रोयलिना बैन्थ•
305.	लैमप्रैकेनियम माइक्रोसेफालम बैन्थ•
306.	लेनिया ग्रैंडिस (डेनिस्ट) इंगल•
307.	लैप्रोर्टी क्रिनुलेटा गोड•
308.	लेसिया एकुलेटा लिन्न•
309.	लोरस नोबिलिस लिन्न•
310.	लेवेंडुला स्टोकस लिन्न•
311.	लोसोनिया एल्वालेम•
312.	लासोनिया ईनरमिस लिन्न•
313.	लैंसकीनरीस मेडिस
314.	लीयोनोटिस नेबेटा फुलिया आर•
315.	लीयोनर्स कार्डियाका लिन्न•
316.	लिपीडियम सेटीवम लिन्न•
317.	लैपटाडेनिया रेटिकुलेटा डब्ल्यू एंड ए•
318.	लीयूक्स एसपेरा स्प्रेंग•
319.	लीलियम पोलिफिलयम डी डीन
320.	लीमोना एसीडिसिमा डब्ल्यू एंड एम•
321.	लीनियम असीपैटीसियम लिन्न•
322.	लिपीया नोडीफ्लोरा मिक्क•
323.	लिक्वीडेमबर ओरयनटेलिस मिलर•
324.	लिटसीचिनेंसिस फ्लैम•
325.	लोडोसी मालदीवी का पर्स•
326.	लूफा एक्युटेंगुला (लिन्न•) राक्स•
327.	लूपीनस एल्बस लिन्न•
328.	लिसीयम बारबैरम लिन्न•
329.	मदूका लोंगीफोलिया (कैनिंग) मैक्बर•
330.	मदूका इंडिका जे•एफ

1	2
331.	मैलोटस फ्लीपिनेनीसिस मूल्ल• अर्ग•
332.	मैल्लस सिल्वेसट्रिस मिल्ल•
333.	मालवा सिल्वैसर्ट्रिस लिन्न•
334.	मैंगिफेरा इंडिका लिन्न•
335.	मैनिलकारा काठकी डब•
336.	मैरेंटा एरूनडीनेसी लिन्न•
337.	मार्सडेनिया टेनेसीसिमा वेट एंड अर्न•
338.	मैफियोला कैमोमीला लिन्न•
339.	मैट्रीकेरीया इनकेना•
340.	मीलिाय एजेडेरेक लिन्न•
341.	मैलीलोटस अल्बा डेस्व•
342.	मैलीसा परवीफ्लोरा बैन्थ•
343.	मैलोथ्रिया मैडर्सपेटाना (लिन्न•) कागं•
344.	मैलोर्थ्रिया परपुसिला कांग•
345.	मैन्था अरवेंसिस लिन्न•
346.	मेरिमिया ट्रीडेंनटाटा हैलीअर एफ•
347.	मेसुआ फेरिया लिन्न•
348.	माइक्रोस्टाइलिस मुसीफेरा रीडल•
349.	माइकेलिया कैमपेका लिन्न•
350.	माइक्रोस्टालिस वैलीची लिंडल•
351.	मीमोसा पुदीका लिन्न•
352.	मीमोसोपस एलिंगी लिन्न•
353.	मीरेबिलिस जलपा लिन्न•
354.	मोल्लुगो करवियाना सर•
355.	मामोरडिका चरेंटिया लिन्न•
356.	मोरिंगा ओलीयाफेरा लिन्न•
357.	मोरूस एकेडोसा ग्रिफ•
358.	मुकूना पूरिटा हूक•
359.	मुरैया कोइनिगि स्प्रेंग•
360.	मुसा पराडिसियाका लिन्न•

1	2
361.	माईरिका नगी थम्ब•
362.	माईरिस्टिका फ्राग्रेंस होयूट•
363.	मायरटुस कम्युनिस लिन्न•
364.	नरसिससुसतजेट्टा लिन्न•
365.	नरडोस्टचाइस जटमानसी डी•सी•
366.	नसटुरटियम ओफिसिमले आर•ब्र•
367.	नेलूम्बो नसिफेरा गीरटं•
368.	नेपेटा कटेरिया लिन्न•
369.	नेपेटा हिंडोस्टेना (रोथ) हैनेस•
370.	नेरियम इंडिकम लिन्न•
371.	निकोटिना टबाकुम लिन्न•
372.	निगेल्ला सतीवा लिन्न•
373.	नाईमफेईया अल्बा लिन्न•
374.	नाईमफेईया लोटस लिन्न•
375.	नाईमफेईया स्टेल्लटा विल्लड•
376.	ओसीमुम बेसिल्लीकुम लिन्न•
377.	ओसीमम ग्रेटिससिमम लिन्न•
378.	ओसीमम संक्टुम लिन्न•
379.	ओल्डेंलांडिया अम्बेल्लटा लिम्न•
380.	ओलीया यूरोपीया लिन्न•
381.	ओनोसमा ब्राक्टीयेटम वल्ल•
382.	ओपेरकूलिना दूरपेथम (लिन्न•) सिल्वा मंसो•
383.	ओरचिस लक्टीफोलिया लिन्न•
384.	ओरचिस लक्सीफ्लोरा लिम्न•
385.	ओरीगेनम वूल्गारे लिन्न•
386.	ओरोक्सीलूम इंडिकम वेंट•
387.	ओरीजा सतीवा लिम्न•
388.	ओसमंथूस फ्राग्रेंस लोअर•
389.	ओक्सालिस कोरनिकूलाटा लिन्न•
390.	पीडेरिया फोइटिडा लिन्न•

1	2
391.	पेंडानुस ओडोरेटीसिमुस लिन्न•
392.	पैंडिनुयस टैटुरियस सोलैंड ई एक्स• पारकिन्सन
393.	पापविर सोमानीफिरम लिन्न•
394.	परमिलया पेरलता एसीएच
395.	पासपालुम सकारोबायकुलटम लिन्न•
396.	पेस्टीनिका सैसुल लिन्न•
397.	पविता इंडिका लिनन
398.	पोविमा ओडेरटा वाइल्ड
399.	पैडिलियम मुरैक्स लिनन
400.	पैगनुम हारमिला लिमन
401.	पेनिनसैटुम ग्लुकोमा आर बी आर
402.	पेंटिट्रोपिस माइक्रोफेलिया डब्ल्यू एंड ए•
403.	पेरिगुकेरिया एक्सटेंसा एन•ई•बी•आर•
404.	पैरटीट्रोपी बायकुलेटिया नीस
405.	पैट्रोसेलियुम क्रिसपम मिल एनवाईएम ईएक्स• एक्यूट कोईडब्ल्यू•
406.	प्युसीडैनियुम गैरिएलोनिस लिनन
407.	फैसीलुस ट्रिलोबस आल्ट•
408.	फेसियुलिस डेक्टिस लिनन
409.	फिनिक्स डैक्टीफिल्येर लिनन
410.	फाइला नोडीफलोरा (एल) ग्रीनी
411.	फाइलाथुंयस निरुरी लिनन
412.	फिलाथुसस मेडिरनेटिसस लिमन
413.	पिंम्पनीला एनसुम लिनन
414.	पिकरोरीजा कुसूररायल एक्स बैंथ
415.	पिंपीनेला एनीसमलिन
416.	पाइनस ग्रेडाइना वाल
417.	पाइनस रॉक्स बर्गिल सारजेंट
418.	पाइनस सुकनीथेरा लिमन
419.	पाइपर एटैन्यूटम हेम
420.	पाइपर पेटल लिन

1	2
421.	पाइपर छापा हंटर
422.	पाइपर कुबेबा लिन
423.	पाइपर सागम लिन
424.	पाइपर निगरम लिन
425.	पाइपर रेट्रोफ्रैक्टम
426.	पिस्टीशिया इंटीग्रेमिया स्टयूएक्सब्रांडीस
427.	पिस्टीशियालैंटीक्स लिन
428.	पिस्टीशिया बीरा लिन
429.	पिस्टीशिया स्ट्रैटियोटोस लिन
430.	पिस्टम सैटीव्युम लिन
431.	प्लांटागो लैसियोलेटा लिन
432.	प्लांटोगो मेजर लिन
433.	प्लांटागो ओविटा फोर्सक
434.	प्लोघा लैंसोलता ओलीवर एंड हिरण
435.	प्लमबागो इंडिका लिन
436.	प्लमबागो जायलिका लिन
437.	प्लामुरिया अल्बा लिन
438.	पॉलिगोनअम घिरुफोलियम रायल
439.	पोलिगोनअम बैस्टोरेटा लिन
440.	पालिपोडियम वुलगारे लिन
441.	पोनगामिया पिनाता (एल) मैर॰
442.	पॉटिडेरिया बैगनिलस बुरन एफ॰
443.	पोतुलका ओलरिसया लिन
444.	प्रिमुल्लस बुलगारियस हुडस॰
445.	पैरीनुस एवियम लिन
446.	पैरिनस एम्गीडुयल्स बैठसैक
447.	पैरीनुस चिरासोडियस डी डान॰
448.	पिसोरैलिया कोलीफोलिया लिन
449.	पैट्रोकारपस मारसुपियम एक्सब॰
450.	पैट्रोकारपस सेंटीलिनयुस लिन एफ॰
451.	पाईलोसिस ओजोवन डीसी॰

1	2
452.	पिरुरिया ट्युबरोसा डीसी॰
453.	पैनिका गैरिटियम लिन
454.	पाइगमकोररिमना हारबिसिया (एक्सबि) मोलिडनन
455.	रेनिडिला ड्रुमस्टेडरम लैम
456.	रैफनुस स्टीवुस लिन
457.	रैफनसु बुलगारियस
458.	रियुम एमोडी वाल
459.	रियुम आफिसनोली बेलुन
460.	रिपयुम पाल्मीगुम लिन
461.	रस कोरिरियालिन
462.	रस परवीफलोरा रक्सब॰
463.	रस सक्सीडियन लिन
464.	रिसोनस कम्युनिसस लिन
465.	रोजा अल्बा लिन
466.	रोसा सैंटाफोलिया लिन
467.	रोजा डेमिसेना मिल
468.	रोजा गालिका लिन
469.	रुबिया कार्डिफोलिया लिन
470.	रुबिया टिनकटोरियम लिन
471.	रुहिलया स्ट्रोपैनस लिन
472.	रुमैक्स मैरिटीमुस लिन
473.	रुमैक्स वैसीकेयरस लिन
474.	रूटा ग्वारेलैंस लिन
475.	सैक्कुरम मुंजा राक्सब॰
476.	सैक्कुरम आफिसनेरियम लिन
477.	सैलिक्स अल्बा लिन
478.	सैलिक्स कापेरिया लिन
479.	सालमेलिया मालब्रिका स्काट॰ एंड एंडल॰
480.	सालवेडोरा पैरिसका लिन
481.	साल्विया हैमैटोडिय लिन॰
482.	साल्विया एजिपटिका लिन

1	2
483.	सैंटिलुम एलबम लिनन
484.	सरेका इंडिका लिन॰
485.	सरकोस्टमम् ब्रविस्टीगम डब्ल्यू॰ एंड एं॰
486.	सतुरजा होर्टनेसिस लिन॰
487.	सुसरिया हाइपरेका स्पैंरग
488.	सुसरिया लापा सी॰बी॰ क्लर्की
489.	सच्चीजैकुरम एक्सल (आक्स) स्टफ॰
490.	सक्रीबेरा स्वीटनुयस राक्सब॰
491.	सैक्लीनुयम टैनयुफोलियम वाल॰
492.	सेगीकारपस एनाकार्डियम लिन॰ एफ॰
493.	सैसीमम इंडिकैम लिन॰
494.	सैसबानिया ग्राडिफलोरा (लिन॰) पैरस॰
495.	ससबेनिया रैंटीफोलिया
496.	संसबेनिया सैसबैन (लिन॰) मैर॰
497.	सोरिया रोबुस्ट गारटेन॰ एफ॰
498.	सिद्धा एक्युट बुरम॰
499.	सिद्धा कोर्डिफोलिया लिन॰
500.	सिद्धा रोबिफोलिया लिन॰
501.	सिद्धा वैरोनिकफोलिया लैम॰
502.	स्माइलैक्स चाइना लिन॰
503.	सोलानुम निग्रुम लिन॰
504.	सोलानुम बोरबुमस्विट॰
505.	सोलानम इंडिकैम लिन॰
506.	सोलानुम एक्सटोकारपुम सैकरड एंड वैंडल॰
507.	स्पैरेंटदुस अमरैंटोटास बुरम॰
508.	स्पैरेंटदुस डिंडिसस लिन॰
509.	स्पैकोसफुरमम स्वुयरलैंस डी सी॰
510.	स्टैबुल्स एक्पर लोर॰
511.	स्टाइकॉस इंगनपटी बरग॰
512.	स्टाइकॉस नुक–बोमिका लिन॰
513.	स्टाइकॉस पोटावोरम लिन॰ एफ॰

1	2
514.	स्टाइरैक्स बेनजाइन ड्राइंड॰
515.	स्वेरिटिया चिराटा बुक॰ हैम॰
516.	साइफॉलकॉस रैक्मुसस राक्सब॰
517.	साइगुम आरमीटिकम मैर॰ एंड एल॰एम॰ पैरी॰
518.	साइजुगम चुमनी (लिन॰) स्कीलस
519.	टैमरैंडिमस इंडिका लिन॰
520.	टैमिरिक्स आर्टीकुलेटा वैल॰
521.	टैमिरिक्स गलीका लिन॰
522.	टारगोटिगैनुसस कुरजील किंग
523.	बैक्सस बकेटा लिन॰
524.	टोकेमेला एंडीयुलेट (जी॰ डान) सीम
525.	टैफोरिसिया परक्युरिया (एल) परस॰
526.	टैफोरिसिया स्पिनुसिया पर्स
527.	टर्मिनालिया आरजुना डब्ल्यू एंड ए॰
528.	टर्मिनालिया बेलिरिका रैक्स॰
529.	टर्मिनालिया केबुला रिडीज॰
530.	ट्रिक्युरियम चेमेड्राइस लिन॰
531.	टैलीकट्रम फोलियोलोसम डी॰सी॰
532.	थेसपेसिया पोपुलिनिया सोलैंड एक्स॰ कोरिया
533.	थाइमस सरफाइलम लिन॰
534.	टिनोपोरा कोरडीफोलिया (वाइल्ड) माइरस॰
535.	टोडालिया एसियेटिका लैम्ब॰
536.	ट्रक्सीसपेरमम एमी (लिन॰) स्पैरग्यू॰
537.	ट्रैक्सीसपरेमम राक्सबुरगियमम (डी॰सी॰) स्पेरग॰
538.	ट्रेगिया इनवोलुक्रेटा लिन॰
539.	ट्रापा बिसपीनोसा राक्सब॰
540.	ट्रियमथेमा प्रोटुलाकास्ट्रम लिन॰
541.	ट्रियमथेमा डिकोड्रा लिन॰
542.	ट्रिबुलस ट्रेसिट्रिस लिन॰
543.	ट्रिकोलेपिस एग्युसिटीफोलिया डी॰सी॰

1	2
544.	ट्रिकोसेंथेस ब्रैक्ट्रेटा (लैम) वोग॰
545.	ट्रिकोसेंथेस कुकमेरिना लिन॰
546.	ट्रिकोसेंथेस डायोक राक्स॰
547.	ट्रिफोलियम एलक्सएंड्रिकम लिन
548.	ट्रिगोनेला फोऐनम-ग्रैकुम लिन॰
549.	ट्रिगोनेला एन्केटा बायस
550.	ट्रिटीकम एस्टीवम लिन॰
551.	टाइफोनियम ट्रिमोवेटम (लिन) स्काट॰
552.	उरारिया पिकटा बेसब॰
553.	उसनिया लांगीसीमा एसक॰
554.	वेलियरीना वैलिची डी॰सी॰
555.	वैटिरिया इंडिका लिन॰
556.	वैरोनिमया सीनिरेया लैस॰
557.	वैट्रीवेरिया जिजेनियोडैस (लिन॰) नाश
558.	वाइया फेबा लिन॰
559.	विगना म्युगो (एल) हेप्पर
560.	वायलो ओडोरेटा लिन॰
561.	वीटेक्स लिगुडो लिन॰
562.	विटीश विनीफेरा लिन॰
563.	विटनानिया सोमनीफेरा डुनल
564.	उटफोर्डिया फ्रुटीकोसा कुर्ज॰
565.	रिगटीया ट्रिंगटोरिया आर॰बी॰आर॰
566.	जैंथोकसाइलम एल्टम राक्सब॰
567.	जैतेरिया मुल्टीफोलिया वायस॰
568.	जिंजीबर आफिसीनेल राक्स॰
569.	जिंजीबेर आफिसीनेरम
570.	जिंजीबेर जेरुमबेट राक्स॰ एक्स॰ स्मिथ
571.	जिजाफस जुजुबा लिन॰
572.	जिजाइफस स्टीवा गैरथ॰
573.	जिजाईफेस लाइलोफाइरा वाइल्ड

[अनुवाद]

हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी

6085. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के मार्ग से हथियारों तथा नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को सावधान कर दिया गया है और उन्हें शस्त्रों एवं नशीली दवाईयों की तस्करी की किन्हीं रिपोर्टों के बारे में अवगत रखा जाता है। मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो ने पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ निकट समन्वय रखते हुए नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के अलावा, हथियारों एवं नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए उचित कदम उठाने हेतु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी राज्य सरकारों के साथ बांटी जाती है। उठाए गए अन्य कदम हैं—सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना, प्रेक्षण चौकी टावर खड़े करना, नाकों की संख्या में वृद्धि करना, नाईट विजन डिवाइस सहित अत्याधुनिक यंत्रों, जीपों, ट्रैक्टरों, मोटर साईकिलों और मोटर बोटों की आपूर्ति के साथ-साथ सुभेद्य क्षेत्रों में सीमा जांच चौकियों के बीच की दूरी कम करना।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में अवधि समाप्त हुई औषधियां

6086. श्री माधवराव पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के भंडार में अवधि समाप्त हुई औषधियों की जांच करने के लिए कोई निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औषधालयवार कितने निरीक्षण किए गए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान औषधालयवार अवधि समाप्त हुई पाई गई औषधियों का मूल्य और उनकी प्रमात्रा कितनी थी;

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में

अवधि समाप्त हुई औषधियों की इतनी बड़ी प्रमात्रा रखने का क्या कारण है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन औषधियों को लाभार्थियों को न दिया जाए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले शहर में प्रतिवर्ष 4-6 अचानक निरीक्षणों के अलावा एक वर्ष में 10-4 निरीक्षण किए जाते हैं।

(ग) शून्य

(घ) शून्य

(ङ) औषधालयों के प्रभारियों को ये स्थायी निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि वे औषधालयों में मियाद खत्म हुई औषधें लाभार्थियों को जारी न करें।

उड़ीसा को धनराशि जारी करना

6087. श्री अर्जुन सेठी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए बुक बैंक, अनुसंधान फैलोशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि की योजना हेतु उड़ीसा को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1997-98 के अंतर्गत धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि निर्मुक्त की गई है :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5.00 लाख रु॰
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (अनुसंधान फैलोशिप) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	2.01 लाख रु॰
(वर्ष 1997-98 हेतु फैलोशिप पुरस्कार के संबंध में, राशि उड़ीसा राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निर्मुक्त की जाएगी)	
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)	40.00 लाख रु॰
गैर सरकारी संगठनों को अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	52.60 लाख रु॰

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं।

सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक

6088. श्री एच॰जी॰ रामुलू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सीमा सुरक्षा बल के कितने अवकाश प्राप्त कार्मिक हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने अवकाश प्राप्त सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में घोषित किया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इन्हें कतिपय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सीमा सुरक्षा बल विभिन्न राज्यों में रह रहे सेवा निवृत्त कर्मचारियों का रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक राज्य ने सीमा सुरक्षा बल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिक घोषित नहीं किया है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जनस्वास्थ्य रक्षक योजना

6089. श्री अशोक अर्गल :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आगरा से प्रकाशित 'अमर उजाला' में "जन स्वास्थ्य रक्षक योजना" शीर्षक से प्रकाशित शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अत्यल्प धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन कार्यकर्ताओं के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने के लिए क्या कादम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) आगरा से प्रकाशित दिनांक 14.3.1984 के अमर उजाला में छपे समाचार को सरकार के ध्यान में लाया गया है। इस समाचार के अनुसार श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य सभा में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवायें प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड योजना के सुदृढ़ीकरण के बारे में कहा था।

(ग) से (ङ) ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड योजना के अंतर्गत एक ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड जो समुदाय की स्वैच्छिक आधार पर सेवा करता है, को 50/- रुपये प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस स्कीम की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है जो स्कीम के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार उसकी जांच करेगी और उचित कदम उठायेगी।

[अनुवाद]

विदेशों से धन मिलना

6090. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों तथा संगठनों के नाम क्या हैं जो अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) जम्मू और कश्मीर में दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार और अभियोजित किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में कानून का उल्लंघन करते हुए विभिन्न चैनलों से अनेक पृथकतावादी नेताओं और संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने संबंधी रिपोर्टें मिली हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत तीन मामले दर्ज किए हैं तथा इन सभी मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों के माध्यम से उग्रवादियों को धन उपलब्ध कराने के संबंध में 5 मामले भी दर्ज किए हैं जिनमें 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन

6091. श्री विकास चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ठेका श्रम संबंधी अधिनियम संशोधित करने वाला विधेयक कब तक लाया जायेगा?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्षों के दौरान ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 के कार्यान्वयन के दौरान हासिल अनुभवों तथा आर्थिक उदारीकरण से संबद्ध न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत पैदा हो गई है।

(ग) चूंकि प्रस्ताव पर अभी मशविरा चल रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विधेयक के कब पेश किए जाने की संभावना है।

पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियां

6092. श्रीमती सुखदा मिश्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से 1997 के दौरान दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितनी गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प स्वीकृत किये गये हैं;

(ख) क्या ये आबंटन सुपात्र उम्मीदवारों को ही किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे कितने आबंटनों को रद्द कर दिया गया और उनमें से कितने अभी भी चल रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) 1993 से 1997 की अवधि के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार हैं :

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
दिल्ली	130	60
उत्तर प्रदेश	349	154

इन खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित और विवेकाधीन कोटे के अधीन आबंटित दोनों शामिल हैं। विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत किए गए आबंटनों के संबंध में काम-न-काज द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं॰ 26/95 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.9.96 के अपने आदेश के तहत 15 बिक्री डीलरशिप खुदरा प्रचालन रद्द कर दी थी और तेल कंपनियों को 31.10.1996 तक चालू किए गए पेट्रोल पंपों का प्रचालन बंद करने तथा तदुपरांत दस दिन के भीतर इन व्यक्तियों से पेट्रोल पंप परिसरों को अपने हाथ में लेने के निदेश दिए थे। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों में से 8 दिल्ली में और 4 उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसी प्रकार विवेकाधीन कोटे के प्रति आबंटनों को चुनौती देने वाले सैंटर फार पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर रिट याचिका सं॰ 4003/95 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 29.8.97 के अपने आदेश द्वारा 72 डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द कर दी हैं और तेल कंपनियों को न्यायालय द्वारा रद्द की गई उन डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को अपने हाथ में लेने के निदेश दिए जो 1.12.297 तक प्रचालन में थीं। इन 72 डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 17 दिल्ली की और 22 उत्तर प्रदेश की थीं। सभी चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तेल कंपनियों द्वारा अपने हाथ में ले ली गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अगली कार्रवाई की जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 और 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 और 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1389/98]

बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1390/98]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1391/98]

(ग) (एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1392/98]

(3) (एक) सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, मद्रास के वर्ष, 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, मद्रास के वर्ष, 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1393/98]

(5) (एक) सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, चेन्नई के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, चेन्नई के वर्ष, 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1394/98]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष, 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1395/98]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली, के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1396/98]

रेल परियोजनाओं पर श्वेत पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं श्री नीतीश कुमार की ओर से रेल परियोजनाओं पर श्वेत पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1397/98]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का वर्ष 1989-91 के लिए तीसवां प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन आदि

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वर्ष 1989-91 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का तीसवां प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1398/98]

(दो) 12 मार्च, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1399/98]

(तीन) वर्ष 1993-94 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1400/98]

(चार) वर्ष 1998 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का विशेष प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1401/98]

(2) वर्ष 1989-91 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के तीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1402/98]

(3) 12 मार्च, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1403/98]

(4) वर्ष 1993-94 के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1404/98]

(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1405/98]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1406/98]

(3) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1407/98]

(5) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰1408/98]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1409/98]

(9) (एक) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1410/98]

(11) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष, 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1411/98]

(13) (एक) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उपचार्या परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1412/98]

(15) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष, 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1413/98]

(17) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1414/98]

(19) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखावर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित नौ महीनों की अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1415/98]

(20) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1416/98]

स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा• ए• के• पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1417/98]

(ख) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1418/98]

(3) (एक) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, वदोदरा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, वदोदरा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल•टी•1419/98]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 16 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में सम्मिलित हो गई है और सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करेगी।"

मुझे लोक सभा को सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्न लिखित सदस्यों को उक्त समिति के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित किया गया है :

1. श्री गांधी आजाद
2. श्री रामनाथ कोविन्द
3. श्री सनातन बिसी
4. श्री मोहम्मद आज़म खान
5. श्री गोविन्द राम मिरी
6. श्री राजू भाई ए• परमार
7. श्रीमती जयप्रदा नाहटा
8. श्री सी•पी• तिरुनावुक्कारासु
9. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा
10. श्री झुमुक लाल भेंदिया

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं—एक आकलन के अंतर्गत भू-अभिलेखों को तैयार करने, उनका

रखरखाव करने, उन्हें अद्यतन बनाने तथा उनका कम्प्यूटरीकरण करने के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन; और

(दो) परती भूमि विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की समेकित परती भूमि विकास परियोजना स्कीम संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्री जुआल उराम (सुन्दरगढ़) : मैं सुन्दरगढ़, उड़ीसा में दो औद्योगिक एककों द्वारा फैलाये जा रहे खतरनाक प्रदूषण के बारे में बोलानी पोस्टआफिस/बरास्ता लाठीकटा के श्री विजय उराम तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा 27 जुलाई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं इससे सहमत नहीं हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 27 जुलाई 1998 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि जैसा कि आज 28 जुलाई, 1998 को हुई नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया है, आवश्यक सरकारी और अन्य कार्य को पूरा करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के लिए सभा की बैठक बुधवार, 5 अगस्त 1998 तक होगी।

इन दिनों कोई 'प्रश्न काल' नहीं होगा। शुक्रवार, 31 जुलाई, 1998 को गैर-सरकारी सदस्यों का भी कोई कार्य नहीं होगा।"

मैं समझता हूं कि सभा सहमत हुई।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए सभा की बैठक 5 अगस्त, 1998 तक बढ़ाई जाती है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति जी, इस सदन में पिछले कई दिनों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। आपको याद होगा कि इस सदन में मंहगाई के सवाल पर पूरे एक दिन डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था। आम जनता की जो परिस्थिति है, वह इस सदन और सरकार के सामने लाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी। सरकार की तरफ से एक विश्वास दिलाया गया था कि हम जल्द ही सख्त कदम उठायेंगे और जो ब्लैकमार्केटियर्स हैं, होर्डर्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए कोशिश करेंगे मगर पिछले कुछ दिनों में सभी बाजारों की परिस्थिति देखने के बाद इस महंगाई से खास तौर पर गरीब तबके के लोगों की, मध्यम वर्ग के लोगों की, छोटे किसानों की, मजदूरों की परिस्थिति और भी खराब हुई है। सरकार ने जो वायदे किये थे, उसमें से एक भी वायदा पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। महंगाई की परिस्थिति की तरह कानून व्यवस्था की परिस्थिति पर भी इस सदन में बहुत कुछ चर्चा हुई थी। आज गृह मंत्री जी ने दिल्ली की परिस्थिति सदन के सामने रखी, उसे देखने के बाद, महिलाओं के अत्याचार की बात हो, व्यक्तिगत हमला हो, डकैती हो आदि सभी क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हुई है।...*(व्यवधान)* आज की परिस्थिति में पूरे देश की कानून व्यवस्था खराब हुई है। आम जनता को कम से कम एक विश्वास देने की जिम्मेदारी सरकार की है...*(व्यवधान)* उसमें भी इसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। दिन ब दिन परिस्थिति और खराब होती जा रही है। जहां तक किसानों की स्थिति है।...*(व्यवधान)* इस सदन में कई बार किसानों की परिस्थिति के बारे में बहस हुई। आज किसानों की जो पीड़ा है...*(व्यवधान)* इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए इस

सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी लेकिन कुछ नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* किसानों के पानी के बारे में जिस तरह से सरकार करती है, उससे किसानों को खुदकुशी का रास्ता अपनाना ही ठीक लग रहा है इसलिए कई राज्यों में किसानों ने खुदकुशी की है। जहां तक किसानों की, मंहगाई की, कानून व्यवस्था की परिस्थिति है, वह सब देखने के बाद इस सरकार का एप्रोच एटीट्यूड बिल्कुल केलस एटीट्यूड है।...*(व्यवधान)* जो सरकार लोगों के आम सवाल में ध्यान देने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाती, ऐसी सरकार को सरकार चलाने का अधिकार कहां तक हैं, यह पूछने के लिए पूरे देश के लाखों लोग आज दिल्ली आये हैं। उनका स्वागत करने के लिए, उन लोगों में शामिल होने के लिए इस सरकार का बहिष्कार करके हम बहिर्गमन करना चाहते हैं। इस सरकार के बारे में जनता की जो भावना है, उसे हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं।

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय श्री शरद पवार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह से नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इधर नहीं, उधर देखें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने काफी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि इस समय देश की स्थिति क्या है। हम भी उस बात से काफी हद तक सहमत हैं जिसमें कहा गया है कि यह सरकार बिल्कुल असफल साबित हुई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई डिस्कशन है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं। जब वरिष्ठ नेता बोल रहे हों, तो आपको उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। आप थोड़ा धैर्य रखें।

[हिन्दी]

यह अच्छा नहीं है, प्लीज।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बाहर चले गए हैं। हम सभा छोड़कर नहीं गए, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस सरकार के आचरण एवं कार्य-निष्पादन का समर्थन कर रहे हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि यह सरकार जितनी जल्दी चली जाए, इस देश के लोगों के लिए उतना ही हितकर होगा।

अतः सिद्धांततः, हम यह स्वीकार करते हैं कि जैसाकि उन्होंने कहा है और हम भी कह रहे हैं कि इस सरकार को कार्य करना चाहिए। आप राजधानी में लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। बिजली नहीं है...*(व्यवधान)* लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। यहां क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है, इस प्रकार का गठजोड़ नहीं है...*(व्यवधान)* इसलिए, हम विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे टाइम दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। श्री राम विलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हम भी समर्थन करते हैं। पहले हमारी बात सुनें।

[हिन्दी]

पहले हम लोगों को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : हम लोगों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम (बडागरा) : हमें सभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई महत्वपूर्ण मामला होता है, सामान्यतया वरिष्ठ नेता बोलना चाहते हैं। यही इस सभा की प्रथा है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि कि किस नियम के अन्तर्गत, यह चर्चा हो रही है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : *मैं आपको बाद में अनुमति करूंगा।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जी॰एम॰ बनातवाला, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री पासवान का नाम लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, कृपया शुरु करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब को अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान के बाद।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह जीरो आवर है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, क्या यह जीरो आवर है?.. *(व्यवधान)* किस नियम के अन्तर्गत यह चर्चा हो रही है?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात को समझें, मैं आप सबको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सूची है। मैं आप सबको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, हमें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : *अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि महंगाई से ट्रेजरी बैंच के लोग परेशान नहीं हैं। इन लोगों को पता चलेगा जब ये अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएंगे कि महंगाई की क्या हालत है। सब लोग बम नहीं खाएंगे, लोग आलू और टमाटर खाएंगे और टमाटर इस समय बाजार में 42 रुपये किलो मिल रहा है।* लोग बम खाने वाले नहीं हैं, पिछले उप चुनावों में इनको पता चल ही गया है इसलिए होश सम्भाल कर बात करें और ध्यान रखें... *(व्यवधान)* महंगाई के सवाल के ऊपर यह सरकार आई थी और इसने भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था, लेकिन जब से यह सरकार आई है, इन तीनों में वृद्धि हो रही है। महंगाई आसमान छू रही है। मंत्री जी बैठे हुए हैं। दिल्ली के लोग इनके वोटर हैं, वे सबसे ज्यादा परेशान हैं। मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। सरकार मंहगाई के फ्रंट पर फेल हो चुकी है। यह निकम्मी सरकार है, इसको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि मुझे अवसर दिया जाएगा।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा...*(व्यवधान)* मैं विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों को नहीं दुहराऊंगा। हम उन सभी मुद्दों का समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)*। यह सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। कीमतों के मोर्चे पर असफल रही है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। हर एक मोर्चे पर, वे असफल रहे हैं। हम विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)* मुस्लिम लीग भी विरोधस्वरूप बहिर्गमन करती है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री बनातवाला और श्री ई॰ अहमद सभा-भवन से बाहर चले गए)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि कमर तोड़ महंगाई हो गई है। दिल्ली के लोग खासकर पानी, बिजली और कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के चलते बेहाल हो गए हैं। इसी कारण इनके खिलाफ पटना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की रैली हो रही है। इस सरकार को एक धक्का दिया जाए, इस सरकार को चकनाचूर कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय सदस्यगण विपक्ष के नेता को सपोर्ट देकर सदन चलाने की अनुमति न दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा इतना कहना है कि आज जो कांग्रेस वालों ने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰सी॰ थामस, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाएं। मैंने केवल श्री मदन लाल खुराना का नाम बोला है। श्री पी॰सी॰ थामस जो भी कहते हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कांग्रेस वालों ने आज जो वॉक-आउट किया, उनका अधिकार है लेकिन हमारे लेफ्टिस्ट, जब कांग्रेस यहां थी, तब भी वे ताली बजाते थे, आज भी ताली बजाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰सी॰ थामस, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। मैंने केवल माननीय मंत्री श्री मदनलाल खुराना को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जो उन्होंने आज सदन के अंदर मुद्दे उठाए, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे ला एंड ऑर्डर की बात हो.. *(व्यवधान)* मुझे बोलने की अनुमति दी है, आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)* प्राइस-राइज के बारे में यहां डिसकशन हो चुका, ला एंड ऑर्डर के बारे में यहां डिसकशन हो चुका।...*(व्यवधान)* पार्लियामेंट है, यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कि जहां इस तरह के नारे लगाए जाएं।...*(व्यवधान)* जब इन्होंने महंगाई का मामला उठाया।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰सी॰ थामस। कृपया बैठ जाएं। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री मदन लाल खुराना द्वारा कही गई बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इस सदन में हमेशा इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई लेकिन इस समय ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे यह सरकार ही इस सबके लिए जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)* मुझे एक कहानी याद आ रही है एक बाबू जी दफ्तर से घर वापस आए और उनकी पत्नी चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। वहीं स्कूल की रिपोर्ट-बुक पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि उनके बेटे के अंग्रेजी, हिन्दी, मैथमेटिक्स इत्यादि में किसी में दस में से एक नम्बर है तो किसी में दस में से जीरो है। बेटा उस समय बाहर खेल रहा था, वह जब अंदर आया तो पापा की गोद में आकर बैठ गया। पापा ने तीन-चार चांटे उसको मारे कि इतना नालायक है, इतना बुद्धू है, कुछ पढ़ता नहीं है। पत्नी देख रही थी। उन्होंने पति से पूछा कि आपने इसे क्यों मारा? यह रिपोर्ट-बुक आप ही की है। इसी प्रकार से हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो देश में महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, यह किसकी रिपोर्ट है? यह आप ही की रिपोर्ट है। आपने पचास साल इस देश के अंदर शासन किया। आज आप मंहगाई की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह देश की सर्वोच्च संस्था है। यहां पर आप चर्चा करिए। देश का कोई भी इश्यू है, चाहे महंगाई या लॉ एंड आर्डर या शेड्यूल्ड कास्ट या किसानों अथवा बाढ़ का मामला है, हमने हर इश्यू को यहां पर डिस्कस किया है। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया बैठ जाएं। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.24 बजे

(इस समय श्री पी॰सी॰ थामस आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰ सी॰ थामस, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप अपनी सीट पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी। हमने उत्तर सुन लिया है। यह तो बड़ी अजीब बात है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, अपनी सीट पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय श्री थामस अपने स्थान पर वापस चले गए)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय विपक्ष द्वारा अति गंभीर मसले उठाए गए हैं। आज माननीय मंत्री ने जिस प्रकार उत्तर दिया है, वैसा मैंने आज तक नहीं सुना है, यह एक हास्यास्पद उत्तर है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने अपना उत्तर अभी पूरा नहीं किया है। उन्हें पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्हें पूरा करने की अनुमति दी जाए। कृपया आप अपने सदस्यों को उन्हें सुनने के लिए कहें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मुझे इतना ही कहना है, जैसा मैंने पहले कहा...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उस कहानी का क्या हुआ?

श्री मदन लाल खुराना : मैं उसी को बता रहा हूं। अध्यक्ष जी, यह सरकार...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, यह ठीक नहीं है। मंत्री बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। जब मैंने मंत्री का नाम लिया है फिर आप क्यों बाधा खड़ी कर रहे हैं? आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : मंत्री मसलों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मसले मूल्य-वृद्धि और कानून-व्यवस्था की स्थिति से संबंधित हैं। उन्हें इनका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहा है कि कांग्रेस ने जो-जो इशूज उठाए हैं और आपने जो-जो इशूज उठाए हैं, उन पर इस सदन के अन्दर बहस हुई है। इस सदन के अन्दर महंगाई के बारे में पूरी बहस हुई है। इस सदन के अन्दर ला-एंड-आर्डर के बारे में पूरी बहस हुई है। इस सदन के अन्दर हर प्रकार की बहस हो चुकी है। इसके अलावा जिन-जिन इशूज पर ये बहस करना चाहें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इन्होंने कहा कि यहां शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें, पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री वैको : उन्हें मंत्री की बात सुननी चाहिए। वे उपदेश दे रहे हैं। जब वे उपदेश दे रहे हैं, तो उन्हें उनकी बात भी सुननी चाहिए।. ..*(व्यवधान)*

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में नहीं बोलें। अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मुझे इतना ही कहना है कि इस सदन के अन्दर महंगाई के बारे में चर्चा हुई, लॉ-एंड-आर्डर के बारे में चर्चा हुई...*(व्यवधान)* इस सदन के अन्दर चर्चा ही होगी और नहीं तो क्या कुश्ती होगी। इस सदन के अन्दर चर्चा होगी, बहस होगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन्हें पूरा करने दें। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : देश की जनता ने आपको पचास साल दिए, हमें साल-दो साल तो दीजिए। आप दोनों को पचास साल दिए हैं और इन पचास सालों में आपने देश की यह हालत कर दी। महंगाई क्या केवल पिछले सौ दिनों के अन्दर पैदा हुई है और लॉ-एंड-आर्डर की स्थिति क्या पिछले सौ दिनों के अन्दर पैदा हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, कृपया आप अपने सदस्यों को बैठने के लिए कहें। यह क्या है? जब आप बोल रहे हैं, तब वे बहुत शोर मचा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां आकर हम देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें। तब आपको अवसर मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी पहले से बोल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इस सदन में जिन-जिन विषयों के बारे में अपोजीशन ने कहा, कांग्रेस ने कहा, उन-उन विषयों पर यहां चर्चा हुई।

यहां उसका जवाब दिया गया, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। आज आपने वाक-आउट किया, यह आपका अधिकार है, इसका मुझे अफसोस नहीं है। जिस तरह इसको राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनीति का हथियार न बनाएं। अगर आप चर्चा चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, आप लिख कर दे दें, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, मेरा इतना ही कहना है। लेकिन आज जो देश की हालत है उसके लिए कांग्रेस ओर दूसरी पार्टियां जिम्मेदार हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? उन्हें बोलने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें इस सरकार के मंत्री जी से बहुत ही आश्चर्यजनक उत्तर सुनने को मिला है, जो न केवल बेकार है, बल्कि जन-विरोधी भी है। इस सरकार के कारण देश प्रत्येक क्षण खतरे में पड़ रहा है। सरकार के इस दृष्टिकोण का तथा जिस तरीके से मंत्री जी गंभीर मामलों का उत्तर दे रहे हैं और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है तथा पर्याप्त चर्चा भी नहीं हुई है। हम इसका विरोध करते हैं और इससे हम खुश नहीं हैं। उनके इस दृष्टिकोण को देखते हुए हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि यह सरकार जाए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.32 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो मुद्दे उठाए गए, उनमें से किसी समस्या का समाधान मंत्री जी के उत्तर से नहीं होता है। मंहगाई, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हालत और किसानों की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए इसके विरोध में हमारी पार्टी वाक-आउट करती है।

अपराह्न 12.32 ¼ बजे

(इस समय श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, यह सरकार महंगाई रोकने में असमर्थ है और दिल्ली का कानून-व्यवस्था चौपट है, सरकार इसका उत्तर ठीक से नहीं दे पाई, इसलिए इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं।

अपराह्न 12.32 ½ बजे

(इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू।

श्री पी॰ सी॰ थामस : मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री पी॰सी॰ थामस : मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आमतौर पर सदन के बीच जाता है। मैं सदन के बीच बिल्कुल नहीं जाता हूं। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मुझे अफसोस है; यह वांछनीय नहीं है। मैं आपका पूरा आदर करता हूं और अध्यक्षपीठ के प्रति पूरा आदर भाव है। किंतु मुझे इस संबंध में प्रबल विरोध दर्ज करवाने के लिए सदन के बीच में जाना पड़ा था।

यह मामला बहुत गंभीर है। यह छोटा मामला नहीं है। इसका जिस ढंग से श्री खुराना जी ने उत्तर दिया है, वह उत्तर नहीं हो सकता। खुराना जी ने कहा है कि सभी कदम कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए हैं और यह भी कि मूल्यों पर नियंत्रण पा लिया गया है और उन्होंने कहा कि वह एक और चर्चा के लिए तैयार थे। हमें विश्वास है कि वह इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। किन्तु किस दिशा में कार्यवाही की गयी है? टमाटर का भाव क्या है? यह 32 रुपये प्रति किलो ग्राम है?

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप ये सभी बातें पहले भी कह चुके हैं। आप इन सभी बातों को दोहरा नहीं सकते। आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री पी॰ सी॰ थामस : मैं अपना प्रबल विरोध दर्ज कराता हूं और अन्य दल जो बहिर्गमन कर चुके हैं उनके साथ में भी बहिर्गमन करता हूं। मैं भी केरल कांग्रेस दल की ओर से बहिगर्मन करता हूं।

अपराह्न 12.33 बजे

(इस समय श्री पी॰सी॰ थामस सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू। मैंने श्री येरननायडू को बुलाया है। मैं सभी सदस्यों से बैठ जाने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री येरननायडू को बुलाया है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सभा से विनम्र निवेदन है कि हमने इस सभा में मूल्य वृद्धि के मामले पर चर्चा की है। मूल्य वृद्धि हर जगह हुई है। इस मामले पर कांग्रेस के सदस्यों और अन्य दलों के सदस्यों ने बहिर्गमन किया है।

मूल्य वृद्धि पर *इंडिया टुडे* ने एक लेख प्रकाशित किया है। मूल्य वृद्धि तो कांग्रेस शासित अन्य राज्यों और सी॰पी॰एम॰ शासित पश्चिम बंगाल में भी है। यह एक आम बात है। आंध्र प्रदेश विधान सभा में इस पर चर्चा की गई है।

मेरा कांग्रेस पार्टी और अन्यों से विनम्र निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल्य वृद्धि कैसे रोकी जाए। चाहे हम किसी भी राजनैतिक दल के हों हमारे सामने यही मुद्दा है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह मूल्यों को कम करने के लिए कठोर कदम उठाए। हमारे सामने यही मुद्दा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करे।...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : मेरे पास एक अन्य मुद्दा है। ..*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, उनका अलग मुद्दा है।... *(व्यवधान)*

श्री आर॰ मुथैया (पेरियाकुलम) : कांग्रेस, सी॰पी॰आई॰ (एम॰), सी॰पी॰आई॰ के सदस्य और बहुत से डी॰एम॰के॰ के हमारे मित्रों ने मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर बहिर्गमन किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है.. .*(व्यवधान)* मैं इस पर आ रहा हूं।

हमने सदन में मूल्य वृद्धि, कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य बातों पर चर्चा की है। उस दिन भी उन्होंने सदन से बहिगर्मन किया था। पुनः वे आज सदन के बाहर अपनी रैली में भाग लेने के लिए बहिर्गमन कर रहे हैं। किन्तु, हम, ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ और हमारे सहयोगी दल मूल्य वृद्धि के इसी मुद्दे पर और तमिलनाडु में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर रैली और धरने का आयोजन कर रहे हैं, विशेषकर उस राज्य में आई॰एस॰आई॰ के साथ स्वयं सरकार के निकट संबंधों के विरोध में। किंतु न तो वामपंथी दलों और न ही कांग्रेस की ओर से उन बातों पर कुछ कहा गया है। किन्तु, अब, वे सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में अकेले यही सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में, सी॰पी॰आई॰ (एम) सरकार है, तमिलनाडु में डी॰एम॰के॰ सरकार है; केरल में पुनः सी॰पी॰आई॰(एम) की सरकार है।...*(व्यवधान)*

श्री बसु देव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वे पहले ही इस मुद्दे पर बहिर्गमन कर चुके हैं।... *(व्यवधान)* ये माननीय सदस्य पहले ही बहिर्गमन कर चुके हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' में, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री आर॰ मुथैया : इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मूल्य वृद्धि पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए और जहां तक तमिलनाडु में कानून व्यवस्था का संबंध है, विशेषकर उनके आई॰ एस॰आई॰ के साथ निकट संबंधों के बारे में प्रभावशाली कदम उठाएं।

यही मेरा अनुरोध है।

इसलिए मैं सरकार से इन बातों पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वैको : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप पहले ही बहिर्गमन कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वैको : यह दुखदायी विरोधाभास वाली स्थिति है। ये माननीय सदस्य विशेषकर हमारे साम्यवादी मित्र और अन्य सदस्य इस मुद्दे पर बहिर्गमन कर चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे के पूरा होने से पहले कैसे सभा के अन्दर आ सकते हैं और कार्यवाही में व्यवधान डाल सकते हैं?. ..*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बहिर्गमन का मामला वापिस ले लिया है।...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें प्रतीक्षा करने दें। मैं मुद्दे पर आऊंगा...*(व्यवधान)* पचास वर्षों तक पांच दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया। मूल्य वृद्धि के लिए, कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए, वर्तमान में सभी मामलों के लिए और जो कुछ भी आज हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी और उसके बाद की राष्ट्रीय मोर्चा सरकारें पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष रैली में भाग ले रही हैं... *(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰बालू (मद्रास दक्षिणी) **:** उन्हें श्री येरननायडू से पूछना चाहिए। वह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में थे...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.41 बजे

***(श्री बसुदेव आचार्य** पीठासीन हुए)*

श्री वैको : महोदय, जब मैं रैली के संदर्भ में कह रहा हूं, तो मेरे मित्र श्री बालू क्यों परेशान करते हैं, मैं नहीं जानता...*(व्यवधान)* अतः विपक्ष के नेता श्री शरद पवार को अपने हिसाब से आरोप लगाना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ घटनाएं घटीं थीं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को खुश करने के लिए उन्होंने मजबूर होकर यहां आज एक वक्तव्य दिया था।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वामपंथी मित्र विशेषकर हमारे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने जोशपूर्ण ढंग से प्रार्थना की थी और सरकार को निकम्मा ठहराया था वह एक आधारभूत बात भूल गए कि संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य सभी वस्तुओं की तरह दो बार बढ़े थे। मैं जानना चाहता हूं कि ये वामपंथी मित्र उस समय क्या कर रहे थे। वे सरकार को समर्थन दे रहे थे...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : आप श्री राममूर्ति से पूछिए...*(व्यवधान)* आप स्थायी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया आप अब अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्रीमती संगीता सिंह देव को बुला रहा हूं।

श्री वैको : महोदय, उनके लिए यह एक कड़वा सच है। वे सरकार को समर्थन देते हुए धरना दे रहे हैं और बाहर जुलूस निकाल रहे हैं।

महोदय जहां तक कानून व्यवस्था की स्थिति का संबंध है, श्री करुणानिधि के शासन के दौरान स्वयं कोयम्बतूर शहर में कानून व्यवस्था खराब थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अब आप बैठ जाइए। मैंने श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, यह* अपराधीय लापरवाही के कारण हुआ है...कि कोयम्बटूर में 60 लोग...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, कृपया मुझे समाप्त करने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : तो समाप्त करें। समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री वैको : जब वे बोले तो मैंने पूरे ध्यान से सुना। यह लोकतंत्र है। उन्हें दूसरों के विचारों को सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) **:** महोदय, वह मंत्री नहीं हैं, और न ही कभी बनेगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आप कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)***

सभापति महोदय : श्री तोपदार कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वैको : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : नहीं आपने पहले ही काफी समय ले लिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री वैको कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : सभापति महोदय, यह इस महान सदन में महिलाओं पर अत्याचार का ज्वलंत उदाहरण है। मैं पिछले पन्द्रह मिनट से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की प्रतीक्षा कर रही हूं और मुझे सुना नहीं जा रहा है। यह भेदभाव क्यों है? मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं।

25 जुलाई को—आप आज के इंडियन एक्सप्रैस में देख सकते हैं उड़ीसा में पटनागढ़ विधान सभा क्षेत्र, जो बोलनपुर है, का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो मेरे पति भी हैं, पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। उनके सर पर चोट लगी है। उन्हें गहरा आघात लगा है। उड़ीसा में विशेषकर बोलनपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह असफल हो गयी है। मैं अनुरोध करती हूं कि उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है, जब हमने कष्ट उठाया है। 1992 से ही हम इस सरकार के विभिन्न कुकर्मों को झेलते रहे हैं। हम अब तक केवल भगवान की दया पर जिंदा हैं। मैं चाहती हूं कि इस मामले की जांच करने के लिए उड़ीसा में तथ्यों का पता लगाने वाला दल भेजा जाए और वहां के भारतीय जनता पार्टी विधायक को समुचित संरक्षा और सुरक्षा प्रदान की जाए।

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी

(व्यवधान)

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : सभापति महोदय, मैंने सूचना दी है। मुझे पहले ही अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाया गया है। चूंकि अन्य मुद्दा चल रहा था और मुझे नया मुद्दा उठाना पड़ा था, मैं नहीं बोला।

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पहले ही श्रीमती गीता मुखर्जी को बुला चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह मामला माननीय सदस्या के पति से संबंधित है और उड़ीसा विधान सभा के सदस्य हैं, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके जो भी उचित कार्यवाही हो, करें।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे पहले ही अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी को बुलाया है। मैं आपको इसके बाद बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ (गढ़वाल) : सभापति महोदय, क्या आप सूची के हिसाब से चल रहे हैं... *(व्यवधान)* आप सूची के बिना कैसे चल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, क्या उन्होंने सूचना दी है?... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उन्होंने मुझे अनुमति दी है.. *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जैन, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ : महोदय, इस तरह कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जैन, मैंने उन्हें अनुमति दी है। यह अध्यक्षपीठ का विवेकाधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : सभापति महोदय, जिन्होंने नोटिस दिया है, उनका नम्बर नहीं आ रहा है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, जिन्होंने नोटिस नहीं दिया, उनको बुलाया जा रहा है और जिन्होंने नोटिस दिया उनको चांस नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, मैं उन्हें बता सकती हूं कि मैंने उन्हें यहां सभी परेशानियों के बावजूद सुना है, किंतु मैं यह बात पसन्द नहीं करती। मैं न तो किसी को परेशान करती हूं और न ही मैं चाहती हूं कि मुझे परेशान किया जाए।

सर्वप्रथम मैं उस मुद्दे के बारे में कहना चाहूंगी जो अभी मेरी बहन ने उठाया है। मेरा विश्वास है कि ऐसे सभी मामलों में, और न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मामले में, सरकार को निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए। न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बल्कि अन्य लोगों पर भी हमला किया जा रहा है। इस पर भी अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

मैं यहां दो अथवा तीन प्रश्नों पर जोर देना चाहती हूं, जो कांग्रेस ने उठाए थे और तत्पश्चात् वे बहिर्गमन कर गए थे। मैं स्वयं तीन कारणों से इन मुद्दों से जुड़ी हूं...*(व्यवधान)* कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। क्या खत्म हुआ है? जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है, पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। क्या हुआ है? क्या इस चर्चा के बाद किसी वस्तु के मूल्य में कमी आई है? नहीं। जहां तक महिला विधेयक का संबंध है, बावजूद इसके जो कुछ वे कह रहे हैं, क्या उन्होंने किया है? नहीं, यदि ऐसा है, तो मैं स्वयं अपने दल की ओर से उन मुद्दों के साथ जुड़ी हूं जो उन्होंने उठाए हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये ।

[अनुवाद]

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, इस सदन में साथ ही दूसरे सदन में समय-समय पर, पिछले पांच वर्षों से लिट्टे नेता प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के मामले को उठाया गया है। प्रधानमंत्री कल कोलंबो में होंगे। मैं कुछ प्रचार माध्यमों में यह देखकर परेशान हूं कि वह श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के मामले को नहीं उठाने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह समाचार सही नहीं है और सरकार द्वारा इस संबंध में आश्वासन दिया जाना चाहिए—यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है—वह सुनवाई न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र में अभियुक्त नम्बर एक है—कि वह श्रीलंका सरकार से इस संबंध में तुरंत कदम उठाने के लिए कहेगी। वे इसको काफी दिनों से लम्बित रख रहे हैं। उसके लिए इंटरपोल नोटिस पर रेड कार्नर हैं। सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वह इस मामले को उठाएगी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या का आदेश देने वाले व्यक्ति को पकड़वाने का प्रत्यन करेगी। उसे प्रत्यर्पण के जरिए देश में लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक बहुत ही अहम मामला मैं उठाना चाहता हूं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में महरौली के अंदर एक कनाती मस्जिद सोन बुर्जी खसरा नं॰ 1151/3 (1665) दर्ज है जो कि 11 बीघे और 13 बिसवे गैजेटेड वक्फ है और यह वक्फ आला है जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है और बहुत बड़ी इमारत शामिल है, लेकिन अफसोस है कि एक शख्स जिसका नाम** है, उसने इस 200 करोड़ रुपये की जायदाद पर बहैसियत केयरटैकर कब्जा कर रखा है। 19 मार्च, 1993 को उसने वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी** से मिलकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया और आज भी उसी का कब्जा है, जबकि इस वक्त जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस सिलसिले में उस नोटिफिकेशन को कैन्सल करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इसमें सियासी हाथ है।** उनका लेटर जो कि उन्होंने... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए।

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : वे इसको खाली नहीं होने दे रहे हैं। यह 200 करोड़ रुपये की जायदाद हैं। सरकार देखे.. .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, परंपरानुसार, यदि किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगाना है तो उसे सूचित किया जाना चाहिए। चूंकि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है इसलिए उनका नाम हटा दिया जाना चाहिए। उसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति जी, मैंने भी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, हमारा भी नोटिस है।

सभापति महोदय : प्रभुनाथ जी, आप बैठिये। सबका नोटिस है। 1 बजे तक जितना होगा, करेंगे। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदय, भारत आस्था का एक देश है। इस देश में 33 करोड़ देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना होती है। इतना ही नहीं इस देश में बहुत सी नदियां हैं, जिनको लोग बड़ी महत्ता से देखते हैं और उनमें स्नान करते हैं। उनके जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगाजी, आदि गंगा, गोमती के जल को जहां छिड़क दिया जाता है, जहां डाल दिया जाता है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है। इधर 8-10 सालों से जल के अभाव में बरसात की कमी के कारण इनका पानी कम होता जा रहा है तथा प्रदूषित भी होता जा रहा है। भारत सरकार ने गंगाजी के प्रदूषण को रोकने के लिए, जल की सफाई के लिए एक योजना बनाई थी। आदि गंगा, गोमती जो मेरे जनपद जौनपुर से होकर गुजरती है, उसकी सफाई के लिए भी एक योजना बनाई गई थी और 1993 में उत्तर प्रदेश जल निगम को भारत सरकार ने आठ करोड़ रुपया दिया था। 1993 में

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया।

[श्री पारसनाथ यादव]

सफाई हेतु दिये गये पैसे से आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ है। योजना इस तरह बनाई गई थी कि गोमती जो जौनपुर नगर से गुजरती है, उसकी सफाई के लिए गोमती की धारा को दस किलोमीटर बाहर से किया जायेगा और उसमें मिलने वाले नालों की सफाई की जायेगी। लेकिन वहां सफाई का कुछ कार्य नहीं किया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल निगम जो आज तक इतने वर्षों से आठ करोड़ रुपये का गोलमाल करता रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।...*(व्यवधान)*

श्री पारसनाथ यादव : सभापति जी, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप बैठिये, मैंने प्रभुनाथ सिंह जी को बुलाया है।

श्री पारसनाथ यादव : सभापति महोदय, जो कार्य अभी तक नहीं किया गया है, उसकी जांच कराई जाए तथा जो इस पैसे का दुरुपयोग करने वाला अधिकारी है, जो गोलमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए और इस कार्य को तुरंत पूरा कराया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जो पैसे का आबंटन राज्यों में खर्च करने के लिए होता है, इस पर बिहार के संबंध में यहां कई बार प्रतिवेदन आ चुके हैं और सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, सुबह साढ़े आठ बजे आकर हम लोग सीरियल पर अपना नाम बोलने के लिए लगाते हैं, सदस्यों को बड़ी तकलीफ होती है...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना का पैसा यहां से जाता है। मैं खासकर बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि बिहार में जो कलक्टर हैं वे अपनी कलक्टर की भूमिका न निभाकर जो पार्टी सत्ता में है, उसके जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं और जो भी उनकी राज्य सरकार के विरोधी सदस्य हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से मीटिंग्स में डिस्टर्ब किया जाता है। सदन में मैंने एक बार एक सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा था, जिस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी थी और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसे गंभीरता से लेंगे। लेकिन आज तक केन्द्र की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सुनिश्चित रोजगार को जो पैसा है, उसे खर्च करने की सही व्यवस्था की जाए। यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप उन्हें कहिये कि वे इस पर कुछ कहें। चूंकि यह संसद सदस्यों के अधिकार का मामला है, आपने हमें अधिकार दिये हैं और बिहार में हमें उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, संसद सदस्यों को वहां अपमानित किया जा रहा है। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मामले में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, कलक्टर्स को क्या निर्देश देने जा रहे हैं? संसद सदस्यों की इसमें क्या भूमिका होगी, वह निश्चित की जाए। माननीय मंत्री जी इस पर जवाब दें ताकि हम लोग संतुष्ट हो सकें। शायद मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

श्री राम नाईक : सभापति जी, यह विषय इसके पहले भी यहां दो–तीन दफा उठाया गया था और बिहार के बारे में सांसदों की विशेष शिकायतें हैं। इसके बारे में प्रोग्राम इम्प्लीमेन्टेशन मिनिस्टर के नाते मैंने यह तय किया है कि मैं अगले महीने बिहार में जाऊंगा और वहां सभी एम॰पीज॰ तथा कलक्टर्स के साथ मीटिंग करूंगा तथा इस बारे में जो भी शिकायतें हैं उन्हें इनडिविजुअली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अगले महीने ही मैं यह मीटिंग करूंगा और इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना का पैसा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हमने जो कहा था कि माननीय मंत्री जी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं, अब आप बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिस चीज को छोड़ दिया है, हम वह याद दिलाने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मित्रसेन यादव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बोलने में जो छोड़ दिया है, उसे मैं याद कराने जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं श्री मित्रसेन यादव को बोलने के लिए पहले ही बुला चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहता हूं कि छपरा का कलैक्टर जो मीटिंग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में तय हुआ है, उसके विपरीत काम कर रहा है, उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय उठा गए हैं वे मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं और बिहार के सभी सांसदों को वहां बुलाऊंगा और एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी रास्ता निकालूंगा।... *(व्यवधान)*

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम प्रैस आयोग की 40 संस्तुतियों के बाद 40 वर्षों से हमारे लोक तंत्र में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने की पूरी आजादी है। लोक तंत्र के चार खम्भे हैं–न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रैस। फैजाबाद–उ॰प्र॰ में हिन्दी दैनिक "जन मोर्चा" समाचार पत्र विगत 40 वर्षों से लगातार हमारे देश की और प्रदेश की सेवा करता चला आ रहा है और सर्व धर्म समभाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता चला आ रहा है। सहकारिता के आधार पर यह एकमात्र समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रायबरेली, फैजाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़ आदि तमाम क्षेत्रों में प्रकाशित होकर संदेश देता रहता है। आज जन मोर्चा के ऊपर सहकारिता के आधार पर रिसीवर बैठा दिया गया है। सारे हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव के आधार पर चलने वाला केवल एकमात्र हिन्दी दैनिक जन मोर्चा है जो पूरे हिन्दुस्तान में सफलता पूर्वक काम कर रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। बैठ जाइए।

श्री मित्रसेन यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हिन्दी दैनिक समाचार पत्र सरकार से किसी प्रकार की ग्रांट, अनुदान या सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने चाहिए कि सहकारिता के आधार पर इस समाचार पत्र पर जो रिसीवर बैठाया गया है, वह समाचार पत्र और प्रैस की आजादी पर प्रतिबंध है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसे रोका जाना चाहिए और रिसीवर को हटाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। आपकी बात हो गई। अब कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा म॰प॰ 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछेक लोगों को प्रत्यावर्तित किए जाने के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कतिपय लोगों का निर्वासन

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र से बंगलादेशी राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के बारे में समाचार-पत्रों में अनेक रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उसने 20, 21 और 22 जुलाई को क्रमशः 24, 34 और 38 विवासितों के तीन दल पश्चिम बंगाल भेजे थे। क्रमशः 24 और 38 विवासितों का पहला और तीसरा दल स्थानीय जिला प्रशासन के कहने पर पश्चिम बंगाल पुलिस के सुपुर्द किया गया था। 34 विवासितों वाला दूसरा दल 22.7.98 को हावड़ा जिले में चंगाईल रेलवे स्टेशन पर लगभग 9000 लोगों की भीड़ ने रोका और विवासितों का छुड़ा लिया।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना के अनुसार, अवैध बंगलादेशी प्रवासियों का पता लगाने, उनकी शिनाख्त करने और उन्हें वापस भेजने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनायी गयी थी। संदिग्ध विदेशियों को जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र इत्यादि के जरिए अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰एम॰बनातवाला (पोन्नानी) : ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया।...*(व्यवधान)*...आप सभा को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने पर, संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ, पारपत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम/नियम और विदेशियों विषयक अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत आरोपित किया गया और उन्हें मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों को अपनी राष्ट्रीयता के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया। केवल उन्हीं मामलों, जिनमें न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को अनुमति दी। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ने विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3(2) (ग) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के आदेश जारी किए।

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 258/329 के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, उनकी पूर्व अनुमति से, सौंपी गई हैं। इन शक्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उनका प्रत्यावर्तित करना शामिल है।

अवैध बंगलादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने हेतु उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्रक्रिया का महाराष्ट्र और अन्य राज्यों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, जिसके आधार पर ऐसे अवैध आप्रवासियों का नियमित रूप से प्रत्यावर्तन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आगे सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेशी सीमा से जिन अवैध आप्रवासियों को प्रत्यावर्तन के लिए ले जाया जा रहा है, उनकी पहचान उपरिलिखित प्रक्रिया के अनुसार अवैध आप्रवासियों के रूप में की गई थी। यह भी बताया गया है इन विवासितों के साथ गई पुलिस पार्टियों के पास, पुलिस उपायुक्त, स्पेशल ब्रांच-1, सी॰आई॰डी॰ मुम्बई, द्वारा जारी किए प्रत्यावर्तन आदेश थे।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि प्रथम दृष्टया यह मालूम हुआ है कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लाए गए कुछ विवासित भारतीय नागरिक थे, जो पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के रहने वाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को परामर्श दिया है कि प्रत्यावर्तित करते समय, वे पश्चिम बंगाल पुलिस को पहले सूचना दे दें और उनके साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करें।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आगे सूचित किया है कि कुछ विवासितों द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्यों पर उन्हें 28 अगस्त, 1998 तक प्रत्यवर्तित करने पर रोक लगा दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायालय में है, कृपया समझने का प्रयास कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई स्पष्टीकरण न पूछें। श्री रामेश्वर पाटीदार अब अपना वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 14.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। प्रदेश के अधिकांश जिले आदिवासी बहुल हैं। आजादी के वर्षों बाद भी इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। बड़े गांवों तक भी सड़कें नहीं बनी जहां वर्षों से सड़कें बन गई हैं वहां सड़कों के बीच में पुल व पुलिएं नहीं बनाई गई, जिससे वर्षा के दिनों में पूरा क्षेत्र शेष भाग से कट जाता है। न दवाखाने, न स्कूल भवन, न पीने के पानी का प्रबन्ध, न कूप, न नलकूप हैं, जो थोड़े बहुत हैं वे सूखे पड़े हैं। राज्य सरकार राजस्व की कमी के कारण उक्त विकास कार्य करने में असमर्थ रही है, व लोग भयंकर गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आदिवासी विकास खंडों में उक्त विकास कार्य अब तक नाम मात्र के हो पाए हैं। सैकड़ों गांवों में सड़कें, पुल-पुलियों, स्कूल, दवाखाने, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य के राजस्व की हालत को देखते हुए उन्हें पूरा कर पाना सम्भव नहीं, इसलिए राज्य सरकार ने धनराशि

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की मांग की है। मैं संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में अनुसूचित जनजाति के कल्याण की अभिवृद्धि करने, जीवन स्तर सुधारने के लिए भारत की संचित निधि से राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि देने के लिए मांग करता हूं। संसद यह अवधारित करे कि मध्य प्रदेश को इस सहायता की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर हमें कोई स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं है। परन्तु यही तथ्य कि माननीय गृह मंत्री ने वक्तव्य देना स्वीकार किया है, इस मामले की महत्ता दर्शाता है और मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी पक्ष मुझसे सहमत होंगे।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मुझे वक्तव्य देने का निर्देश दिया गया था और इसीलिए जो कुछ भी सूचना मैं महाराष्ट्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त कर सका वही मैंने सभा को उपलब्ध कराई है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे दुःख है कि मुझे थोड़ी देर हो गयी। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से भी अत्यंत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि हम सभा की कार्यावधि बढ़ा रहे हैं अतः एक अल्प अवधि चर्चा की अनुमति दी जाये। हम सोमवार, 3 अगस्त, 1998 को इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह निर्णय आपको करना होगा किन्तु जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार इस इस मामले पर चर्चा करना चाहेगी। परन्तु आज सुबह हमने पहले ही फैसला कर लिया है कि 3 अगस्त को हम विदेशी मामलों पर चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब हम यह चर्चा 4 अगस्त को कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस पर अध्यक्ष महोदय और सभा को निर्णय लेना है। जहां तक सरकार का संबंध है सरकार को चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए मैं इस वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका दायर की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका समाधान किया जा सकता है।

(दो) 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सेनानियों के वंशजों की पहचान करने तथा उनकी सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : महोदय, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शहीदों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की बलिवेदी पर अपनी संपत्ति और जान गंवा दी, के वंशज पूर्णतः उपेक्षित हैं। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें असहनीय कष्ट उठाना पड़ रहा है।

स्वाधीनता के बाद पचास वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है किन्तु किसी भी सरकार ने 1857 के हमारे युवनायकों के वंशजों की दयनीय दशा की तरफ दृष्टि डालने के अभी तक भी प्रयास नहीं किया है। इस संबंध में बिहार के श्री जुल्फिकार अली, बिहार के ही बाबू वीर कुंअर सिंह और उत्तर प्रदेश के तात्या टोपे तथा नाना साहेब जैसों के कुछ नामों का उल्लेख किया जा सकता है जिनके वंशज कंगालों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति का निर्माण नहीं किया है।

सरकार को 1857 के युद्धनायकों के वंशजों का जीवन संवारने की एक योजना तैयार करनी चाहिए।

मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे वंशजों की पहचान करे और उन्हें जीविका के साधन प्रदान करे।

(तीन) उत्तरी गुजरात में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के उत्तरी इलाके विशेषकर मेहसाणा और पाटन जैसे क्षेत्रों में पेयजल की अत्यंत विकट समस्यायें हैं जिनके कारण इन क्षेत्रों में गंभीर बीमारी हो जाती है। गर्मियों की यह समस्या अत्यंत चिंताजनक हो जाती है। सरकार ने पेयजल के लिए कई योजनाओं को चला रखा है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों को कोई विशेष फायदा नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दे और पेयजल की योजनाओं की समीक्षा करवाए।

(चार) सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बमहेड़ी बीका फील्ड फायरिंग रेंज द्वारा अधिकृत कृषि भूमि को किसानों को वापस दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश में स्थित बम्होरी बीका फील्ड फायरिंग रेंज में ग्राम बम्होरी, बेरखेरी, लड़ैयापुर, सुल्तानपुरा, महाबुवा अहीर, मझगुवा ग्रांट, तालचिरी, पथरिया जाट, बाबूपुरा, सिरोंजा आदि ग्रामों के कृषक अपने

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

पूर्वजों के समय से कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। सुरक्षा विभाग द्वारा उक्त ग्रामों की जमीन को फील्ड फायरिंग रेंज हेतु सन् 1974 में अर्जित कर लिया गया था। ग्रामवासियों द्वारा अपील करने पर कृषकों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन काल से खेती करते आये हैं, उसी प्रकार सुरक्षा विभाग को देने पर भी करते रहेंगे।

इस आश्वासन के पश्चात् उसी समय से इन सभी ग्रामों के किसान अपने सभी प्रकार के विस्तार व खेती करते चले आ रहे थे कि सन् 1992 से एकाएक सुरक्षा विभाग ने सभी उपयोग बंद करा दिया जिससे इन 10 ग्रामों के लगभग तीस हजार लोगों के भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई हैं। फील्ड फायरिंग रेंज कृषि भूमि से तीन कि॰मी॰ दूर है तथा सुरक्षा विभाग ने अपने उपयोग से 25 प्रतिशत ज्यादा कृषि योग्य जमीन अर्जित की है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन दस ग्रामों के ग्रामवासियों एवं कृषकों के भरण-पोषण हेतु मानवीय आधार पर बम्होरी बीका फील्ड फायरिंग रेंज की कृषि योग्य उपयोगी जमीन जो सुरक्षा विभाग को जरूरी नहीं है, वह किसानों के उपयोग करने हेतु पूर्व की भांति अनुमति दी जाये।

(पांच) सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : मैं सभा और संघ सरकार का ध्यान सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारिया आयोग को दिनांक 28 मई, 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। अन्त-राज्य परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर, 1993 को हुई थी। परिषद् की इस बैठक में एक उप समिति बनाई गई थी जिसकी सितम्बर, 1991 और अप्रैल, 1993 के बीच छः बैठकें हुई। अन्तर-राज्य परिषद् की द्वितीय बैठक 15 अक्टूबर, 1996 को हुई थी। परिषद् की इस बैठक में एक स्थायी समिति का गठन किया गया जिसकी दिनांक 5 दिसम्बर, 1996 को अधिसूचना जारी की गयी। स्थायी समिति की जनवरी, 1997 और नवम्बर, 1997 के बीच पांच बैठकें हुई। सरकारिया आयोग की सिफारिशों की कुल संख्या 247 थी। परिषद ने 91 सिफारिशों पर निर्णय लिया है।

अतः मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सिफारिशों को बहुत शीघ्र क्रियान्वित करें ताकि राज्यों को इस प्रकार से विकसित किया जाये कि उनमें विद्रोह, शोषण, अशिक्षा, जातीयता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय असंतुलनों को किसी तरह दूर कर दिया जाये तथा राज्यों को अस्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। राज्य अपने पैरों पर खड़े होंगे और इस प्रकार, भारत एक होगा। अतः भारत अन्य देशों द्वारा किसी भी मुद्दे पर दिए जाने वाले दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि वह सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

[हिन्दी]

(छह) बिहार में नुनिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में नुनिया जाति अति पिछड़ी जाति है और इसकी बड़ी आबादी बिहार में है। उस जाति के लोग सामाजिक, शैक्षिणिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े हैं। कई समाज अध्ययन संस्थानों ने सर्वेक्षण करा करके यह अनुशंसा की है कि नुनिया जाति की हालत इतनी खराब है कि उसे अनुसूचित जाति की सूची में रखा जाना चाहिए। इस आशय की अनुशंसा बिहार में अवस्थित पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अनुशंसा दी गई थी। उस आयोग की अनुशंसा के आधार पर बिहार की राज्य सरकार ने भी केन्द्र सरकार को यह अनुशंसा भेजी है कि नुनिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाए लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देश के कई अन्य राज्यों में नुनिया जाति अनुसूचित जाति की सूची में है।

अतः मैं मांग करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र बिहार की नुनिया जाति को अति पिछड़ी जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नयन हो सके।

[अनुवाद]

(सात) रामगुंडम, आंध्र प्रदेश में भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता

डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली) : रामगुंडम में भारतीय उर्वरक निगम का कारखाना लगभग ढाई दशक पूर्व बनाया गया था। दक्षिण भारत में कोयला प्रौद्योगिकी पर आधारित यह एकमात्र उर्वरक कारखाना है। विद्युत की कमी और वैकल्पिक मशीनरी के अभाव में अब यह प्रत्येक वर्ष उत्पादन में कमी का सामना कर रहा है। लगभग 8000 के आसपास कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं। यहां कार्य कर रहे लगभग 800-900 अधिकारी पिछले 45 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगें इस प्रकार हैं :

(एक) वेतन संशोधन जिसका पिछले दस वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है।

(दो) समय से अधिक ठहरने का भत्ता, और

(तीन) पदों को मिलाना।

कई अभ्यावेदन दिए गए हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकला है।

मैं आपके माध्यम से माननीय उर्वरक मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और मांगों को पूरा करें।

[हिन्दी]

(आठ) सड़क परिवहन यानों की लदाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1939 में यथोचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, देश में परिवहन यातायात क मुख्यतः दो ही प्रमुख साधन हैं–रेल और सड़क तथा सड़क यातायात में मुख्य भूमिका ट्रक वाहनों द्वारा माल ढोना है। रेल परिवहन की अनिश्चित, अकुशल और असुरक्षित कार्य दक्षता ने अपनी व्यापारिक विश्वसनीयता गंवाई है और यही कारण है कि रेलवे द्वारा माल ढुलाई का अंश लगातार कम होता चला गया है। इसके विपरीत सड़क परिवहन ने अपनी विश्वसनीयता को बनाये रखा है। फलतः जहां रेल माल ढुलाई अंश में कमी आयी है वहां सड़क परिवहन के समक्ष जाने या अनजाने संकट पैदा किये जा रहे हैं। पैट्रोल, डीजल की कीमतें बिना विचार किये गत वर्षों में निरंतर बढ़ायी गयी, जिनके कारण सड़क यातायात महंगा हो गया है और उसका असर आज फल, सब्जी आदि जैसी वस्तुओं की आसमान चूमती कीमतों पर साफ दिख रहा है। सर्विस टैक्स भी लगाने के लिए सरकार ने इसी क्षेत्र को चुना।

महोदय, ऑल इण्डिया व्हीकल एक्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का बना है, जब ट्रक की ढुलाई क्षमता मात्र 9 टन हुआ करती थीं पर आज ट्रक की क्षमता 15 टन तक है, पर एक्ट आज भी 9 टन माल ढोने की ही इजाजत देता है। क्षमता को भरपूर उपयोग न कर पाने के कारण माल ढुलाई स्वतः ही मंहगी हो गयी। नेशनल हाईवे एक है, पर उस पर पड़ने वाले राज्यों ने अलग–अलग दर से अलग–अलग कर लगा रखे हैं। जिससे यातायात में विलम्ब तो होता ही है, साथ ही भ्रष्टाचार की भी पूरी गुजांइश बनी हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल उपयुक्त कार्यवाही करें ताकि उपरोक्त सभी कमियों को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब मैं नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने के लिए सूचनाएं दे रहा हूं और मैं अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृपया कम से कम कल के लिए तो इस पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन सभी माननीय सदस्यों का नाम पुकारा है जिनका नाम आज की सूची में था।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : कृपया कम से कम कल के लिए इस पर विचार कीजिए। पिछले दो सप्ताह से मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृपया इस पर विचार कीजिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। कृपया इसे समझने का प्रयास कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो मालूम ही है कि नामों का बैलट किया जाता है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मैं आपका आभार मानूंगा यदि आप इस पर विचार करेंगे।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ (गढ़वाल) : आप दो सप्ताह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं पांच सप्ताह से प्रतीक्षा कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्ना मोल्लाह (उलूबेरिया) : आप हर बात पर चिल्लाने लगते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ : मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मैं सभा के नियम बता रहा हूं। यह अनुचित है। हम नई प्रक्रिया कैसे शुरू करें?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खण्डूड़ी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या कोई भी जब बोलने के लिए उठेगा तो आप बीच में बोलेंगे?...*(व्यवधान)* हर माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ : उसमें मेरा नाम भी है। आप एक सदस्य वरिष्ठ हैं किन्तु आपको प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री खण्डूड़ी, कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 2.29 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के संबंध में मद सं॰ 14 पर चर्चा आरंभ करेगी। श्रीमती कमल रानी।

[हिन्दी]

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं और साथ में अपनी बहन गीता मुखर्जी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। इन्होंने महिलाओं के संबंध में समय-समय पर इस संसद में अनेक प्रश्नों को उठाया है। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वे अपना वक्तव्य देती रही हैं और आज भी उन्होंने इस विषय को यहां उठा कर हम सब लोगों के महत्व को बढ़ाने की कोशिश की है।

अध्यक्ष जी, भारत के गौरवपूर्ण अतीत के निर्माण में नारी का बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में नारी को देवी और जननी के रूप में पूजा जाता था और समाज में उसको सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, कला और कौशल हो या आत्मज्ञान की ही बात क्यों न हो, नारी का स्थान सदा आगे रहा है।

जिस समाज में नारी को समुचित स्थान और महत्व दिया गया है वह समाज अपने चरमोत्कर्ष को छूता रहा है। गायत्री, अनुसुईया, लक्ष्मीबाई, सावित्री, जीजाबाई जैसी महान् महिलाओं ने अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए देश के गौरव को बढ़ाया है।

आज हमारे समाज में नारी की स्थिति प्राचीन काल से अलग है। आज हमारे यहां पाश्चात्य संस्कृति ने महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय बना दिया है। हर क्षेत्र में वह अपनी अस्मिता की ही लड़ाई लड़ती रहती है ताकि उसे समता और स्वतंत्रता होते हुए उचित स्थान मिल सके। हमारे समाज में 48 प्रतिशत महिलाएं हैं लेकिन 50 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी उसकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। आज भी वह कार्यालयों और विश्वविद्यालयों में पीड़ा और प्रताड़ना से गुजर रही है। आज भी उसे पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम वेतन दिया जाता है और उसका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाता है।

जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं उनकी दशा हमारे देश में और भी खराब है। उसको न तो घर में और न बाहर ही सम्मान मिल पाता है। आज देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और दहेज हत्या इस तरह से बढ़ रही है कि लड़की के माता-पिता तो लड़की की शादी के लिए परेशान रहते हैं और शादी के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहते हैं।

अध्यक्ष जी, सुबह जब हम कोई अखबार या मैगजीन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कहीं किसी पुलिस वाले ने महिला को प्रताड़ित किया और कहीं उसको निर्वस्त्र घुमाया गया या कहीं अपनों ने या फिर समाज के लोगों ने उसको प्रताड़ित किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस-जिस समाज में नारी का अपमान हुआ है और उसके शारीरिक, मानसिक, भौतिक आत्मविश्वास की व्यवस्था नहीं की गयी है उस समाज का हमेशा पतन हुआ है। जिस समाज में नारी को महत्व दिया गया है, उसकी मान-मर्यादा की रक्षा हुई है वह समाज हमेशा आगे बढ़ा है। आज हमारे समाज में नारी की अधिकतम समस्याएं सामाजिक और आर्थिक हैं, इसलिए अगर हम उनकी दशा में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आज के कानून में संशोधन करना चाहिए तथा महिला शिक्षा की ओर सरकार को अपना अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। बिना शिक्षा के महिलाओं का विकास संभव नहीं है। कहा जाता है कि माता बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है। जब मां ही शिक्षित नहीं होगी तो समाज कैसे शिक्षित होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। महिलाओं को उद्योगों में व अन्य नौकरियों में भी उचित स्थान मिलना चाहिए।

जिस देश की संस्कृति में नारी एक प्रतीक रही हो वहां मीडिया, विज्ञापनों, फिल्मों के द्वारा उसकी देह को निर्वस्त्र करने के बराबर प्रयास चल रहे हैं, मनमाने ढंग से उसको नचाया जा रहा है और उसकी मुक्ति के नाम पर आज भी षडयंत्र ही हो रहा है।

अध्यक्ष जी, नारी आदिकाल से पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है लेकिन आज क्या कारण है कि 100 महिलाओं को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और एक पुरुष को वहां भेज दिया जाए तो भी महिलाएं भयभीत हो जाती हैं लेकिन 100 पुरुषों में एक महिला को भेज दिया जाए तो महिला में कार्य करने की कुशलता और इच्छा-प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसमें कार्य के प्रति प्रसन्नता की लहर आती है। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में दोष है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

नारी तो दिव्य-स्वरूपा है, उसमें तो त्याग की अपूर्व भावना विद्यमान है। वह कहीं भाई के लिए, कहीं पिता के लिए तो कहीं अपने बच्चे के लिए त्याग करके अपनी ममता लुटाती है। लेकिन आज नारी की स्थिति ऐसी हो गयी है कि वह प्रत्येक पुरुष में एक अविश्वास सा देखती है।

वह किसी पर विश्वास नहीं करता। वह कहीं जाती है तो यह सोचती है कि वह सुरक्षित नहीं है। वह कहां है, कैसे रहे, वह आज कुछ अपने आप सोच नहीं पाती है। उसे हर जगह धोखा और आशंका नजर आता है। जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो समझने लगती है कि दहेज अभिशाप बन कर आया है, वह कहीं उसको डस न ले। यह सोच कर चिंतित हो जाती है।

आज महिलाओं को आनन्द के साधन के रूप में माना जाता है। कोई भी व्यक्ति यह समझता है कि वह उसके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। ऐसा सोच कर वह क्लबों, जुआघरों और शराबखानों में

उसको लेकर जाता है। वह जब उनका पूरी तरह उपयोग कर लेता है तब उसे छोड़ देता है और कलंकनी कह कर अपने से अलग कर देता है। यही कारण है कि आज हमारी महिलाएं दुखी हैं। पुरुष कहता है कि स्त्री मेरे अधीन है, मैं कमाता हूं, मैं उसे खिलाता हूं, वह सिर्फ बच्चा जन्म करने की एक मशीन है। क्या यह सच है? मैं यह बात आप लोगों से पूछना चाहती हूं। अगर ऐसी मानसिकता बनेगी तो देश का किसी हालत में कभी कल्याण नहीं हो सकता। नारी समान अधिकार की मांग करती है लेकिन पुरुष ऐसा नहीं चाहता। वह अपने आप को दासी के बराबर नहीं लाएगा। वह जानता है कि उसका समाज में जो सर्वोच्च स्थान है, वह पुरुष का रूप पाने के बाद है। वह अगर नारी को अपनी बगल में बैठा लेगा और कहेगा कि वह दासी नहीं, उसके बराबर है तो उसका अपना कहीं स्थान समाप्त न हो जाए, इस डर की वजह से वह उसे अपने बराबर बैठने नहीं देता। साधु, सन्यासी की भी यही स्थिति है। वह गुलाम को अपने बराबर नहीं बैठाते। ये तो फिर इन्सान हैं।

भारतीय संस्कृति में नारी का उच्चतम स्थान हमेशा रहा है। पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह नारी के इस रूप को हमेशा अक्षुण्ण रखें। हम यहां शासन की हर गिरी हरकत देख चुके हैं। हमने 50 वर्षों में नारी को सम्मान नहीं दिया। मैं इस बात को दो लाइनों में प्रकट करना चाहती हूं।

"शासन की हर गिरी हुई हरकत हम देख चुके हैं,
अब खत्म हुई, इस घर की बरकत हम देख चुके हैं,
आसन पर धूल जमीं सिंहासन की करतूतों से,
विषधर काले सांपों की निराक हम देख चुके हैं।"

इससे ज्यादा बदतर स्थिति हमारे देश में और क्या होगी? पुराने कवियों ने नारी के बारे में कहा था "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी" मैं उन लाइनों को अब झुठलाना चाहती हूं :

"नारी हर युग की तू एक नई कहानी,
तेरे आंचल की क्या बात जिस में राम,
ऋषि-मुनि जन्मे हों,
फिर आंखों में क्यों पानी।"

यहां जो 33 परसैंट आरक्षण के विरोधी हैं, ऐसे सांसदों को जिन्होंने जन्म दिया हो, जिन के आंचल मं वे पले हों, ऐसे आंचल की क्या बात, अरे महिला फिर तेरी आंखों में क्यों पानी? मैं यही प्रश्न कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, इस सदन में चार दिनों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, अनाचार और जुल्म के विषय में चर्चा चल रही है। सदन इस बारे में काफी चिंतित भी है। यह बात सत्य है कि देश की महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म होते हैं।

इस देश में नारी प्रधानता बराबर रही है। मानव जीवन में यदि शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम देवी दुर्गा की अराधना मां के रूप में करते हैं, दुर्गा पिता के रूप में कभी नहीं करते। हमें जब धन की जरूरत होती है तो लक्ष्मी की पूजा मां के रूप में करते हैं, लक्ष्मी पिता के रूप में कभी नहीं करते हैं। हमें बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है तो हम सरस्वती की पूजा मां के रूप में करते हैं, पिता के रूप में कभी नहीं करते हैं।

इतना ही नहीं इन आराधनाओं के अलावा हमारे देश का नाम भारत है जिसे भारत माता के नाम से जानते हैं, भारत पिता के नाम से कभी नहीं जानते। इस देश में जो महान् नदियां-गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी हैं, उन्हें मां के रूप में देखते हैं। इस सब के बावजूद देश में जो घटनाएं घट रही हैं, वे दुर्भाग्य के सिवाय और कुछ नहीं हैं। इन घटनाओं पर गंभीरता से चिन्तन और विचार करने की जरूरत है। इस सदन में जो बहस चल रही है, मुझे लगता है कि कई माननीय सदस्यों और माननीय सदस्याओं ने लिंग के आधार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है जबकि मैं कहना चाहता हूं कि नारी पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं-चाहे दहेज के लिये उनकी हत्या की घटना हों या महिला उत्पीड़न की घटना हों, उन सब घटनाओं में 75-80 प्रतिशत महिलाओं का हाथ होता है। हर घर में सास और ननद होती हैं। ननद एक दिन बहू भी बनती है और ननद किसी तीसरे घर में सास भी बनती है। लेकिन बहू के साथ अगर उत्पीड़न की घटना घटती है तो हम मानकर चलते हैं कि उसके लिये पुरुष वर्ग कम दोषी है, उसकी दोषी महिलायें ही हैं। महिला पर जुल्म महिला ही करती है, पुरुष नहीं करता है। इसलिये हम यहां माननीय सदस्याओं से अनुरोध करते हैं कि लिंग के आधार पर इस विषय पर विवाद नहीं करना चाहिये। इसमें जो लोग दोषी पाये जाएं उनके प्रति कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यह विषय चिन्ता का जरूर है कि इस तरह का वातावरण कैसे बनता जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, भारत देश की एक सभ्यता और संस्कृति है। जब-जब भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला होगा, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सामाजिक कुरीतियां फैलेंगी। इस देश में हम सीता को मां के रूप में मानते हैं सावित्री का नाम उदाहरण के रूप में देते हैं लेकिन जिस त्रेता युग में सीता पैदा हुई उसी युग में ताड़का ने भी जन्म लिया। इसलिये केवल नारी, नारी और नारी का हौवा खड़ा करके समाज में विषाक्त वातावरण खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसमें दोषी को ढूंढने की जरूरत है। इसमें जो लोग अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार में शामिल हैं, उनको कैसे कठोर से कठोर दंड दे सकें और कैसे कठोर कार्यवाही कर सकें, यह सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में देश में जो घटनायें घटी हैं, वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने रिकार्ड कायम किये हैं। मध्य प्रदेश में रेप की 3411 घटनायें हैं अपहरण की 6767 हुई जबकि उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनायें 2417 और दहेज हत्या की घटनायें 1811 हुई हैं। हमें इन सब घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यहां दहेज और तिलक की चर्चा करके सामाजिक वातावरण विषाक्त करने की बात होती है। निश्चित तौर पर दहेज

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

और तिलक बहुत बुरी चीज है। मैं आपको शहर की नहीं, गांव की बात बताना चाहता हूं। गांव का वातावरण बहुत शुद्ध है और बहुत सभ्य समाज हैं। यदि एक घर में बच्ची पैदा होती है तो शादी करके दूसरे घर में जाती हैं। यदि उस घर के पुरुष की सम्पत्ति 50 लाख की है तो वह उस घर की मालकिन बन जाती है। कुछ पैसा उसे दहेज में खुशी से दे देते हैं तो कोई अपराध की बात नहीं हो सकती। क्योंकि एक घर से दूसरे घर जाकर वह उसकी सम्पत्ति की हकदार बनती है। इसमें अपराध की बात कहां उठती है? इसलिये यह अपराध की बात हो ही नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सदन में चर्चा चली है कि हरदम कन्याओं का कन्यादान होता है, यह कितनी उत्तम बात है? यहां दान शब्द का अर्थ मतदान नहीं है हमें कन्यादान शब्द का अर्थ समझना होगा। दान शब्द का अनर्थ लगाकर, अर्थ का अनर्थ लगाना, कहीं मुनासिब नहीं हो सकता है।

जो घटनाएं घटती हैं, खासकर नयी बहुएं जलायी जाती हैं, हम यह मानते हैं कि जितनी घटनाएं घटती हैं और मुकदमें दर्ज होते हैं, हमारे कानून में त्रुटि है। क्योंकि जब घटनाएं घट जाती हैं, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे दहेज के कारण किसी बहू को जलाकर मारने की घटना हो तो उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती। यह कहा जाता है कि बलात्कार की घटना है, इसमें मैडिकल रिपोर्ट आ गई है। हम गंभीरता से कहना चाहते हैं कि आज चलकर अस्पतालों में जांच करवाइए कि वैसी भी महिलाएं बाजार में घूमती हैं जो पैसा लेकर दूसरों पर झूठे मुकदमे करती हैं और पुरुष उनसे परेशान होते हैं। ऐसे एक नहीं, पचासों उदाहरण मैं दे सकता हूं। जो दहेज की घटनाएं घटती हैं, उनके कारण आज समाज में वातावरण विषाक्त हो चुका है। हम यह बात इसलिए कहना चाहते हैं कि लड़की वाले उसके मरने के बाद, भले ही लड़की बीमारी से भी मरी है तो मुकदमा कर देते हैं और कहते हैं कि मुकदमे का कंप्रोमाइज हो.जाएगा, लेकिन उसके बदले में इतना रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। जहां इस तरह से भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला होने का काम होगा, वहां हम मानकर चलते हैं कि कहीं न कहीं सामाजिक वातावरण विषाक्त होगा और इसका अंजाम समाज के हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि सामाजिक वातावरण को दुरुस्त करें। और जब तक सामाजिक वातावरण दुरुस्त नहीं होगा, यहां की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकेगी। इसके लिए यहां का सिनेमा भी दोषी है। इसमें नये-नये अश्लील गानों में अश्लील प्रदर्शन दिखाया जाता है जो गांव-गांव में, घर-घर में देखा जाता है। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पता नहीं सेंसर बोर्ड क्या करता है? महिलाओं को प्रदर्शन की वस्तु समझकर जिस तरह से टीवी पर प्रदर्शित किया जा रहा है, वह दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं है। इस पर निश्चित तौर पर रोक लगानी चाहिए। परसों के जनसत्ता में लिखा था कि पुरुषों ने एक संगठन बनाया है। उसमें लिखा था कि पुरुषों का शोषण महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हमें पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जनसत्ता का यह समाचार है।...*(व्यवधान)* रघुवंश बाबू हंसिये नहीं, यह गंभीर चिन्तन का विषय बना हुआ है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दीजिए। हम जनसत्ता का हवाला दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम पिछले चार दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब हमें इसे समाप्त करना होगा। पांच या छः और सदस्यों को अभी बोलना है। कुछ महिला सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मात्र दो मिनट दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपके आदेश से सारी बात समाप्त करते हुए हम सिर्फ महिला आरक्षण पर दो शब्द बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत चर्चा की गई है कि आरक्षण का विरोध कुछ पुरुषों ने किया है। मुझे नहीं पता किसने किया है, किसने नहीं किया है, लेकिन मैं अपने विषय में कहता हूं कि मैं मानसिक रूप से इसका विरोधी हूं और मैं क्यों विरोधी हूं इसके कारण हैं। मैं विरोधी इसलिए हूं कि हम नारी को मां के रूप में देखते हैं। जहां मां के आंचल से ममता पाते हैं, वहीं बहिन से प्यार और मोहब्बत पाते हैं, पत्नी के रूप में उसे विपत्ती के दिनों का सच्चा साथी और मित्र पाते हैं। इस रिश्ते में कहीं हकदारी और हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती है। हकदारी और हिस्सेदारी में जहां भी कमी होगी, वहीं मां का मातृत्व कहीं न कहीं सूना हो जाएगा, मां के आंचल से जो ममता मिलती है, उसकी शक्ति घट जाएगी, बहिन के हाथ से जो प्यार और मोहब्बत मिलती है, वह समाप्त हो जाएगी और विपत्ति के दिनों की जो सहभागिनी बनती है, उसका भी महत्व घट जाएगा। इस देश में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में महिलाओं ने बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठने का काम किया है। बंगलादेश में सत्ता और विपक्ष दोनों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति के पद पर महिला बैठी हैं। इसी देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री के पद पर बैठी थीं। अभी राज्य सभा में नजमा हेपतुल्ला जी बैठी हुई हैं। यहां वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज जी बैठी हुई हैं। यहीं हमारे बगल में ममता बनर्जी जी बैठी हैं। यहीं पर गीता मुखर्जी जी बैठी हैं। क्या ये किसी आरक्षण पर आई हैं? इसलिए प्रतिस्पर्द्धा और कंपीटीशन को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। अगर किसी दल में आरक्षण की राजनैतिक व्यवस्था हो, हालांकि जिस दल ने जब भी आरक्षण की

बात उठाई है, कुछ दिनों बाद उसका सफाया हो गया है। इतिहास साक्षी है कि यहां पर वी॰पी॰ सिंह जी ने यह बात उठाई जिनके नाम पर इस देश में कोई रोने वाला नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सदन को सतर्क करना चाहते हैं कि कोई गलत डिसीजन इस सदन से न जाए। इसलिए सोचकर, विचारकर जहां मां और पुत्र का रिश्ता है, जहां भाई-बहिन का रिश्ता है, इस रिश्ते पर कुठाराघात न हो जाए। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को आरक्षण देना बहुत अनिवार्य दिखाई देता है तो वह पहले अपनी पार्टी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करें, 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करें, लेकिन किसी सीट को आरक्षित करना अन्याय होगा ओर माता और बहिनों के रिश्तों पर कुठाराघात होगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर हमला होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम समाप्त कर रहे हैं। इसी बात के साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि समाज में महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन यह मामला सिर्फ कानून से नहीं निबट सकता है। जब तक सामाजिक वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा, सामाजिक सौहार्द का वातावरण नही बनाया जाएगा, समाज सेवी संस्थाओं को लगाकर इन कुरीतियों पर हमला नहीं कराया जाएगा, भारत की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल (रोपड़) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बहिन गीता मुखर्जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने स्त्रियों से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है।

भारत नानक, बुद्ध, राम की भूमि है। यहां की भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में इसलिए मान्य है क्योंकि यहां पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। यहां धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि जहां स्त्रियों का मान सम्मान किया जाता है, वहां पर देवता वास करते हैं। क्या अब हम कह सकते हैं कि इस देश में देवता वास करते हैं जहां औरतों पर अत्याचार होते हैं? अखबार देखिये तो आये दिन इन बातों से भरे होते हैं कि कहां किसको जला दिया गया, कहां बलात्कार किया गया और कहां किसी को मारा गया । ये बातें ही नहीं, हम कहते हैं कि किसी देश की संस्कृति छिपी होती है वहां के लोकगीतों में, वहां की फिल्मों में, उपन्यासों में और कहानियों में। आज की तस्वीरें, कहानियां या उपन्यास देखिये तो उनमें ज्यादातर कहानियां स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में होती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमें देखनी है कि स्त्रियों पर अत्याचार की बात हम कर रहे हैं और यहां पर बहुत सारी पार्टियां हैं जो यह दावा करती हैं कि वे स्त्रियों के हकों की रक्षा करती हैं या स्त्रियों की भलाई के बारे में सोचती हैं। मगर मैं बता देना चाहती हूं कि क्या हम नैना साहनी को भूल गए जिसे यहां पर नौकरी देने का झांसा देकर लाया गया था और फिर उसे तंदूर में जिन्दा जला दिया गया? क्या यह स्त्रियों पर अत्याचार रोकने की बात है?

मैं आपको पंजाब की एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। यहां पर करोड़ों रुपये के घोटाले हुए और जो घोटालों में लिप्त लोग थे, उन्हें कचहरियों में पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाता है, परंतु पंजाब में दो गरीब जेबकतरियों ने जेब काटी उसमें 50 रुपये निकले या फिर 100 रुपये निकले, परंतु पुरुष प्रधान समाज के अफसरों ने उनके माथों पर लिख दिया कि ये जेबकतरी हैं। क्या यही कानून है? क्या यही स्त्री के प्रति हमारा मान-सम्मान है? न्याय तो यह मांग करता है कि उन लोगों के माथों पर भी लिख दिया जाए जिन्होंने इतने बड़े-बड़े अत्याचार किये, इतने जुल्म किये? इससे भी आगे देखिये तो केतिया कांड के बारे में आपने सुना होगा। एक विदेशी लड़की भारत में आई थी। हमारी संस्कृति कहती है कि स्त्री चाहे वह विदेशी हो या देश की हो, हम उसका मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं।

परंतु एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे ने उसकी बेइज्जती की, उसकी इज्जत को रोला। लेकिन बाद में क्या हुआ,? उसे डरा-धमकाकर वापस भेज दिया गया, ताकि उस पर कोई केस न बन सके। स्त्रियों के प्रति क्या यही हमारा रवैया है?

किसी भी व्यक्ति का मरना, जबकि वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो या देश का मुखिया हो, बहुत बुरी बात हैं परंतु उसके बाद जो कुछ हुआ, वह उससे भी बुरी बात है। मैं 1984 के दंगों की बात करना चाहती हूं। उन दंगों में जो कुछ हुआ, लोगों को जिंदा जलाया गया, बच्चों को मां की गोद से छीनकर कत्ल किया गया, उसके बाद बेटियों, बहनों और माताओं की बेइज्जती की गई और चौराहों पर लाकर उन्हें नंगा किया गया—क्या यही हमारी संस्कृति है, क्या यही हमारा सदाचार है। अग यही हमारा सदाचार है तो हमें शर्म आनी चाहिए और हमें यह कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि हम औरतों को प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं या उनका सम्मान करते हैं। भारत की इस भूमि पर स्त्री को सम्मान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिरोमणि अकाली दल से संबंध रखती हूं। मैं सिख धर्म से संबंधित हूं। हमारे धर्म में गुरू नानक देव जी ने बहुत पहले कहा था—'सो क्यों मंदा आखिये, जित जमें राजन', अर्थात जिस स्त्री की कोख से बड़े-बड़े ऋषि, मुनि पैदा होते हैं, उसे हम बुरा क्यों कहें, क्योंकि वह तो राजाओं की जननी है। इसलिए अगर हम उस शिक्षा को लेकर चलें, सीता, झांसी की रानी, या दुर्गावती की बात लेकर चलें, तभी हम अपनी संस्कृति पर मान कर सकते हैं, उनकी इज्जत-आबरू को बढ़ावा दे सकते हैं।

[श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल]

अभी हमारे एक सांसद भाई बोल रहे थे कि स्त्री के प्रति अत्याचार स्त्री ही करती हैं। मैं मानती हूं कि अगर एक स्त्री को जलाया जाता है तो उसकी ननद और सास उसमें शामिल होती हैं। मगर उसमें सबसे बड़ा दोषी उसका पति होता है। कोई भी स्त्री अपनी ससुराल में सुरक्षित होती है, यदि उसका पति उसके साथ रहता है। यदि वह पति ही धोखा कर जाए या अपनी मां, बहनों के साथ मिल जाए तो वह औरत कहां बचेगी, जो अपना घर छोड़कर उसके साथ रहने के लिए आई है। यह हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता है, जो यह नहीं चाहती कि स्त्री हमारे बराबर आये, हमारे मुकाबले में आये या हमारे से आगे बढ़े। वे कभी नहीं चाहेंगे कि स्त्रियों के लिए हम कुछ करें।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि औरतों पर अत्याचार के संबंध में जो बिल सदन में लाया गया है, उसमें नियमों को इतना कठोर बनाया जाए कि कोई यह सोच भी न सके कि किसी स्त्री से बलात्कार किया जाए। बलात्कारों की घटनाएं रोज होती है, बलात्कार नाबालिक लड़कियों तथा स्त्रियों के साथ होती हैं, परंतु उससे भी बुरी बात तब होती है जब वह कचहरी में जाती है। पहले तो समाज ने उसे दुत्कार दिया, समाज उसे स्वीकार नहीं करता, दूसरे कचहरी में वकील उससे जो प्रश्न करते हैं वे हमेशा के लिए उसे जिंदा जमीन में गाढ़ देने के समान होते हैं। इसलिए ऐसे कानून बनाये जाएं जिससे कि कोई भी पुरुष या व्यक्ति स्त्री पर अत्याचार न कर सके। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महिलाओं को भीख नहीं, महिलाओं को हक दो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं महिलाओं को न्याय दो।

माननीय अटल बिहारी, अटल बिहारी,
सुरक्षित नहीं देश की नारी,
जाग रही हैं महिला सारी,
चली जायेगी तुम्हारी बारी।
अटल बिहारी-अटल बिहारी,
महिला एकता पड़ गई भारी।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में आदरणीय गीता मुखर्जी ने जो चर्चा हाउस में शुरू की है और उन्होंने जो बात यहां उठाई है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को बंद कराने के लिए इस हाउस में चर्चा हो रही है इस विषय पर हम सभी लोगों का गंभीर होना बहुत जरूरी है। हमारे देश का इतिहास ही ऐसा है जिसमें रामायण में उल्लेख है कि सीता पर राम द्वारा अन्याय हुआ है। सीता की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी सीता को घर से निकालने का प्रयत्न हुआ है।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, महाभारत में भी नारी पर अत्याचार का उल्लेख है। महाभारत में द्रोपदी पर अन्याय होने का उल्लेख मिलता है। अपने देश में बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में पूरा न्याय देने की बात कही है, लेकिन गांव और शहरों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इनमें वासना के नाम पर, जाति के नाम पर और अनेक प्रकार से महिलाओं पर आज भी अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि वह कानूनों में फेर बदल करे ताकि महिलाओं पर हो रहे अन्याय रुकें। पुलिस द्वारा भी महिलाओं पर बहुत अन्याय होते हैं। इसलिए पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी मांग है कि थाने में एक एस-आई-महिला भी होनी चाहिए। यदि सीनियर आफीसर महिला होगी, तो पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों में कमी आएगी क्योंकि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं को शिक्षा भी ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार को महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के संबंध में दायर केसेस का निपटारा शीघ्र करने के लिए सैशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग जजों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनके लिए एक अलग बैंच की स्थापना हो जहां उनके केसेस की सुनवाई होनी चाहिए, तब कहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के केसों का निपटारा जल्दी हो सकता है और इस प्रकार से हम महिलाओं को न्याय प्रदान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दहेज प्रथा पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। अभी हमारे समता पार्टी के एक मित्र दहेज प्रथा के पक्ष में बात कर रहे थे। हमारी रिपब्लिकन पार्टी दहेज प्रथा के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। पहले लोग अपनी लड़की की शादी मे दान देते थे। दान के रूप में यह प्रथा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन अब समय आ गया है जब इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू होना चाहिए। आज हमारे समाज में इक्वैलिटी नहीं है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा धन है, वह दहेज देता है, तो ठीक है, लेकिन जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, उससे एक लाख या दो लाख रुपए मांगना, मोटर साइकिल या कार मांगना, कतई ठीक नहीं है और यह प्रथा बंद होनी चाहिए। जब इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगेगा, तो जो भी दहेज लेने का प्रयत्न करें उन्हें जेलों में डालना चाहिए और उनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रहें जिससे दूसरे लोगों को सबक मिले।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में हर जगह दहेज प्रथा ने अपने पांव जमा लिए हैं। इसमें कन्या को दान किया जाता है। सबसे बड़ा दान, कन्यादान है। फिर धन आदि देने की कहां जरूरत है और जिनके पास संपत्ति है, वे दें, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास साधन नहीं हैं, जो गरीब हैं, उससे जबर्दस्ती धन की मांग करना अपराध है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर हम सबको विचार करने की

आवश्यकता है। हमारे देश के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत में महिलाओं के साथ अन्याय किया गया जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के संविधान में महिलाओं के लिए समान अधिकार देनी की बात का उल्लेख कराया और 1947 में जब वे कानून मंत्री थे, तो वे सदन में हिन्दू कोड बिल लाए थे ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिलें व रिजर्वेशन मिलनी चाहिए क्योंकि मां अगर शिक्षित होती है, तो पूरा देश शिक्षित होता है और महिलाएं यदि इकनौमीकली साउंड होंगी, तो पूरा देश तरक्की करेगा। हिन्दू कोड बिल का इस सदन में उस समय विरोध हुआ जिससे क्षुब्ध होकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें समानता लानी है, तो हमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जरूर देना चाहिए। यह रिपब्लिकन पार्टी की मांग है और हम चाहते हैं यह विधेयक जल्दी से जल्दी सदन में प्रस्तुत होना चाहिए। जब यह विधेयक सदन में आए तब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मायनीरिटी तथा बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को जितना रिजर्वेशन देना है, उसका समावेश भी इस कानून में करना चाहिए। यदि आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो आपको इस विधेयक को जल्दी से जल्दी सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आप इसे सदन में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि यह सरकार महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं करना चाहती है क्योंकि यह सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण करने वाले कानून को प्रस्तुत ही नहीं कर रही है।

नाटक तो आपने किया है, यदि हम भी नाटक शुरू कर देंगे तो आपका नाटक बंद हो जायेगा। लेकिन हम ऐसा नाटक नहीं करना चाहते हैं। इस बिल को जल्द से जल्द लाना होगा। महिलाओं के वोटों से ही आप सत्ता में आये हैं किन्तु महिलाओं का बिल लाने के लिए आप आगे-पीछे देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल जल्द से जल्द आना चाहिए और इसी अधिवेशन में आप उसे रीड्राफ्ट करके ला सकते हैं। यह सरकार बोलती है कि हम रिजर्वेशन देने को तैयार हैं लेकिन उधर के लोगों का विरोध है। मेरा कहना है कि इधर के लोगों का कोई विरोध नहीं है। वहां के लोगों का ही विरोध है, समता पार्टी का विरोध है। महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए हमारा सपोर्ट है। इसको रीड्राफ्ट करते हुए जल्द से जल्द लाना चाहिए। अगर यहां हमारी मां-बहनें आ जायेंगी तो इस समाज का परिवर्तन हो जायेगा और समाज का परिवर्तन केवल महिलायें ही कर सकती हैं, दूसरे समाज का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है...*(व्यवधान)* महिलाओं के बिल को हमारा सपोर्ट है। यह बिल जल्द से जल्द आना चाहिए। अगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब भी आप यह बिल न लायें तो हम उधर आकर फौरन इसको लाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह यह सवाल हल होने वाला है।...*(व्यवधान)*

अंत में, हमारी बहन गीता मुखर्जी ने जो सवाल उठाया है कि महिलाओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। जब तक उनको 33 प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं मिलता है तब तक महिलाओं पर अत्याचार बंद होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं गीता मुखर्जी को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप मुझे पां मिनट बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से केवल एक ही मैम्बर बोले हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर नियम 193 के अधीन हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

यह वास्तव में एक अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे देश में जिसकी धरोहर समृद्ध एवं गौरवशाली है, जहां देवियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता हैं और जहां प्राचीन काल में महिलाओं को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था, आज समाज इतना बर्बर तथा पतनोन्मुख हो गया है और इस हद तक गिर चुका है कि अब हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार एक ऐसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके द्वारा उन्हें मातहत स्थिति पर रहने के लिए मजबूर किया गया।

अब तक हमने आए दिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या हिंसात्मक कार्य या दुर्व्यवहार के तरीकों के विभिन्न प्रकारों यथा अपहरण, बलात्कार, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्याएं इत्यादि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है।

मैं इस विषय के एक भिन्न पहलू पर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। प्रथमतः जब महिलाओं के विरूद्ध कोई अत्याचार होता है तो अपराध किए जाने और सुनवाई के परिणाम के बीच की अवधि काफी लंबी होती है। यह बस अंतहीन रूप से चलता रहता है। मैं अनुरोध करूंगी कि जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए विशेष-न्यायालयों की स्थापना की जाये।

द्वितीयतः न्यायालय कक्ष विशेषकर परिवार न्यायालय का परिवेश पूर्णतः निंदनीय होता है क्योंकि यह अत्यंत खराब बात है कि पीड़ित व्यक्ति को अपराध का संताप सहना और उठाना पड़ता है। तत्पश्चात्, अपने चेहरे पर कुदृष्टि वाले भाव लिए भरे हुए न्यायालय कक्ष में बैठे मर्दों के समक्ष खड़ा कराना और पूछताछ करना बहुत ज्यादती है और भयभीत करने वाला है। इसीलिए, बहुत सारे मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती है। अतः मैं ममता बनर्जी जी की कुल कही बात से सहमत हूं कि इसकी सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए।

तृतीयतः हम अत्याचारों के बारे में बातें तो बहुत करते हैं किन्तु पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बहुत थोड़ा किया जाता है। मैं महसूस करती हूं कि हमारे पास अधिक लघु अवधि तक ठहरने वाले घर होने चाहिए। ताकि महिला पूर्णतः निरुद्देश्य न हो जाए तथा उसके पास अपनी दिशा ढूंढने के लिए उसे समय मिल सके।

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

साथ ही, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित कानूनों का कोई अभाव नहीं है किन्तु वास्तविक समस्या कानूनों के सही अनुपालन की है। हमें लगातार उपदेश दिए जाते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है किन्तु वास्तव में ऐसा ही कुछ हो जाता है कि हममें से कुछ अन्यों की तुलना में ज्यादा समान बन जाते हैं।

उदाहरण स्वरूप उड़ीसा में पिछले वर्ष पूरा राज्य अंजना मिश्र मामले से कंपायमान हो रहा था जिसमें उक्त महिला ने आरोप लगाया था कि महाधिवक्ता श्री इन्द्रजीत राय ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। इस बारे में एक मामला दर्ज कराया गया था किन्तु कुछ भी नहीं हुआ। प्रचार माध्यमों द्वारा ध्यान आकर्षित किए जाने और महिला संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बावजूद वह सज्जन अपने उसी पद पर अभी भी आसीन हैं जिस पर वह यह मामला सामने आने से पहले थे। अतः उड़ीसा जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए क्या आशा है जहां कानून के रक्षक ही कभी-कभी कथित रूप से भक्षक बन जाते हैं?

महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं राजनीति शास्त्र की विद्यार्थी हूं और मैंने महाविद्यालय में पढ़ा था कि संसद का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण है। तथापि, यहां पहुंचने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हमारे कुछ वरिष्ठ साथी पूर्णतः भ्रमित हैं। उनके विचार में संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बाधा खड़ी करना है। क्योंकि वे नियमों का हवाला देकर नए सदस्यों, विशेषकर महिला सदस्यों को बोलने से रोकते हैं और मैं यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने ही महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने से रोका है और मैं यह महसूस करती हूं कि यह महिला जाति के साथ घोर अन्याय है।

अब, आरक्षण क्यों लाया जाता है? यह समाज के उन वर्गों को योग्य बनाने के लिए है जो सुविधाओं से वंचित हैं और जिनके पास सही अवसर नहीं है। हम हमारे जैसे लोगों के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। हम तो आम चुनावों के नियमित प्रक्रिया से चुनकर आए हैं। किन्तु हम उन वंचित महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं जो उतनी भाग्यशाली नहीं रही हैं कि उनके पास वैसा अवसर उपलब्ध हो जैसा हमें उपलब्ध है।

एक अन्य बात जो मैं सभा के ध्यान में लाना चाहती हूं वह यह है कि बच्चों के चरित्र निर्माण में महिलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरे शब्दों में जब एक महिला बच्चे का चरित्र निर्माण करती है तो वह भावी पीढ़ी, भावी नागरिकों का भी चरित्र निर्माण करती है और इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में परोक्षरूप में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अतः, यदि वे उस पहलू में भूमिका निभाने हेतु सक्षम हैं, तो वे संसद में बैठने और अन्य सदस्यों की तरह भाग लेने में सक्षम क्यों नहीं हो सकती? मैं उन महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हूं जो यहां नहीं आ पातीं।

दूसरे, यह कहा जाता है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। क्या हमें पुरुषों को धक्का लगाते लगाते ही अपनी कब्रों में जाना पड़ेगा? क्या हमें स्वयं के लिए जीने का कोई अधिकार नहीं है और क्या हमारे लिए इस खुले आकाश के नीचे कोई स्थान नहीं है। क्या अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने पुरुषों को शिखर पर पहुंचाना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है? और पुरुषों को यह कहने का अधिकार किसने दिया कि हमारी भूमिका रसोई या घर की बैठक में या संसद भवन में है? यह एक लोकतांत्रिक देश है और मैं समझती हूं कि हम अपना निर्णय स्वयं करने के लिए पर्याप्त शिक्षित और शक्ति संपन्न हैं। जब भी महिला आरक्षण विधेयक के बारे में चर्चा होती है तभी पुरुषों में इस उद्विग्नता, असुरक्षा, यह व्यामोह, यह मनःसंताप पैदा होने के पीछे क्या कारण है और एक गंभीर चिंतन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जो चीज उनकी सोच को वास्तव में आक्रांत कर रही है वह है, मैं 'जोन आफआर्क' से उद्धृत कर रही हूं "जो हाथ पालना हिलाते हैं, वह विश्व को भी हिला सकते हैं।" यही मेरे विचार से मनःसंताप के पीछे की मूल समस्या है जो महिला आरक्षण विधेयक का विषय आने पर सामने आ जाता है।

हम महिलायें पुरुषों से यह नहीं कह रही हैं कि "जो कुछ आप कर सकते हैं वह हम आपसे बेहतर कर सकती हैं"। लेकिन हम निश्चित रूप से यह कह रही हैं कि "जियो और जीने दो" और एक व्यक्ति जिसे अपने पर पूरा विश्वास है और जो अपने जीवन में सफल है वह किसी महिला के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकायेगा। मैं एक विवाहित महिला हूं। मेरे पति को मुझकर बहुत गर्व है और वह मुझे अपना पूरा समर्थन देते हैं। तो फिर समस्या ही कहां उत्पन्न होती है? लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपने पर विश्वास नहीं है और जो असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है वह बेचारी पत्नी पर अपमा गुस्सा निकालता है।

निष्कर्षतः महोदय, इस सामाजिक बीमारी का एकमात्र इलाज शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने, शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु बन्द कमरे में विचारण विशेष न्यायालय स्थापित करने और देश के कानूनों को कड़ाई से पालन किए जाने में निहित है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव लाने अर्थात् नियम 193 के अधीन महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के संबंध में चर्चा करने के लिए कॉमरेड श्रीमती गीता मुखर्जी को बधाई देता हूं।

महोदय, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने इस सम्माननीय सभा में चर्चा हेतु इस प्रस्ताव को लाने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष जी, यह बात क्लियर हो जाये कि इस पर पुरुष मैम्बरों को बुलाया जायेगा। कुछ लोग कहते हैं कि केवल महिलाएं बोलेंगी। मेरा नाम सूची में है कि नहीं? मैं भी अपने

विचार रखना चाहता हूं। मैं तीन दिन से लगातार खड़ा हो रहा हूं और बार-बार कोई न कोई महिला सदस्य बोलने लगती है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी यहां है।

श्री रामानन्द सिंह : लेकिन हम लोगों के भी कुछ अच्छे विचार हो सकते हैं।...*(व्यवधान)* आप लोग ही कोई होशियार नहीं हैं। इस पर हमारे भी विचार हैं, कुछ थिंकिंग है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम अपनी पार्टी से उनका नाम देंगे।

श्री रामानन्द सिंह : महात्मा गांधी ने एक रुपये चार आने में अपने लड़के की शादी की थी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारी पार्टी का समय उनको दिलवाया जाये।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : हम सभी के लिए यह बड़े दुख और शर्म की बात है कि केवल भारत में ही प्रतिवर्ष दस लाख महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के अपराध हो रहे हैं। इन अपराधों में से अपहरण और भगा ले जाने के 15.2 प्रतिशत, दहेज हत्या के 6.2 प्रतिशत, अत्याचार के 24.8 प्रतिशत, दुर्व्यवहार के 25.6 प्रतिशत, छेड़छाड़ के 13.5 प्रतिशत और बलात्कार के 14.7 प्रतिशत मामले हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में तीन वर्ष की बच्ची से लेकर 90 वर्ष तक की वृद्ध महिला के साथ बलात्कार होता है। क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं? मैं नहीं जानता कि मैं इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराऊं।...*(व्यवधान)* प्रत्येक वर्ष दहेज के कारण मौतें होती हैं। सतीदाह प्रथा की अब भी काफी प्रशंसा की जाती है, विशेषकर राजस्थान में। यहां दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और सती (निवारण) अधिनियम, 1987 जैसे कानून विद्यमान हैं।

एक महिला, रूपकंवर को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसे वर्ष 1987 में अपने पति की चिता पर फेंक दिया गया। इस सम्मानीय सभा में उस समय इस विषय पर चर्चा की गई थी और हमने भी इसमें भाग लिया था।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने इस सतीदाह प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था। यदि वे आज जीवित होते तो वे इन सब बातों को देखने के बाद आत्महत्या कर लेते।

मैं श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव और कुमारी ममता बनर्जी के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं कि बलात्कार के मामलों में मुकदमें की कार्यवाही बन्द कमरे में होनी चाहिए ताकि महिलाएं अपनी बात निर्भीक होकर साफ-साफ कह सकें। अतः, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बलात्कार के सभी मामलों में कार्यवाही बन्द कमरे में होनी चाहिए।

मैंने 'विमिन एंड मैन इन इंडिया-1995' नामक पुस्तक पढ़ी है। मैं यह देखकर चकित रह गया कि इस देश में पुरुषों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है।

दूरदर्शन अथवा रेडियो पर अथवा इलैक्ट्रानिक मीडिया में चाहे जो भी विज्ञापन दिए जाएं, कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। यदि हम भारत के महापंजीकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से जन्म लिंग अनुपात पर नजर डालें तो हम पुरुष महिला अनुपात इस प्रकार पाते है :

1951	100 : 100.8
1961	100 : 102.5
1971	100 : 106.4
1981	100 : 108.9
1991	100 : 110.1

इसका अर्थ यह है कि कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं तथा लैंगिक दुर्व्यवहार और अधिक बढ़ेंगे। अतः हमें इस संबंध में कुछ कठोर उपाय करने चाहिए। आवश्यकतानुसार, इस सबंध में और अधिक कार्य किये जाने चाहिए।

पहली बात जिसने मुझपर प्रहार किया है, वह है सांस्कृतिक विरासत। आज भारत में पौराणिक संस्कृति विद्यमान है अर्थात् 'पुत्रार्थे क्रियते भार्या' जिसका अर्थ है कि पत्नी की आवश्यकता पुत्र उत्पन्न करने के लिए है और किसी कार्य के लिए नहीं। हमारे पुराण यही शिक्षा देते हैं। यह हमारी संस्कृति—'पुत्रार्थे क्रियते भार्या' की शिक्षा है। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं?

श्री सी॰पी॰ राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : जी हां, हम इस बात से इंकार कर रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : आप इस बात से इंकार कर सकते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। आज जो कुछ विद्यमान है, वह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वह हमारी पौराणिक संस्कृति ही है।

श्री सी॰ पी॰ राधा कृष्णन : केवल इसी संस्कृति में महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान मिला है। आप इसकी विश्व की सभी पुरानी संस्कृतियों के साथ तुलना आसानी से कर सकते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमें इस सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक संस्कृति का विरोध करना होगा। सांस्कृतिक क्रांति आवश्यक है और उसके लिए, मेरे विचार से न केवल सरकार को अपितु हमें, संसद सदस्यों और महोदय, आपको भी, इस बात का ध्यान रखना होगा ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि इसका किस प्रकार समाधान किया जाये।

[श्री अमर राय प्रधान]

जहां तक महिला विधेयक का संबंध है, संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करना महिलाओं का अधिकार है। मैं जानता हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के विचारों में इस संबंध में मतभेद है। कुछ दल इस संबंध में काफी उत्तेजित हैं। सत्तारूढ़ दल में भी मतभेद है। कुछ दिन पहले जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, तो माननीय गृह मंत्री जी ने वहां खड़े होकर कहा था कि वे *विधेयक पुरःस्थापित* नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे हंगामा हो जायेगा और सभा में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। यदि हम सोचें कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो प्रश्न यह नहीं है कि हंगामा कौन खड़ा करेगा अथवा कौन सभा को अव्यवस्थित करेगा। मैं गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से यह विधेयक यथाशीघ्र लाने और देश में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का पुनः अनुरोध करता हूं। यह संपूर्ण सभा और देश का कार्य और नैतिक कर्तव्य है कि इस विधेयक को पारित कराया जाये क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, तीन-चार दिनों से इस सदन में महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में चर्चा चल रही है। श्रीमती गीता मुखर्जी जी ने यहां यह बात उठाई तथा साथ ही अन्य बहुत सारी बातें उन्होंने इस सदन में रखीं।

उसके बाद विपक्ष के नेता, श्री शरद पवार जी, ने कुछ बातें कहीं। अन्य सभी वक्ताओं को भी मैंने बड़े गौर से सुना। मैंने महिलाओं को भी पूरे ध्यान से सुना। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको कानूनी व्यवस्था करनी होगी और कानूनी व्यवस्था करके सजा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्के का दूसरा पक्ष भी होता है ओर उसको पेश करना मेरा फर्ज है। यह हकीकत है कि हमारे देश में महिलाओं पर जो कुछ भी अन्याय होते हैं, उनके लिए मर्दों को क्लेम किया जाता है। हमारे एक साथी, सोमनाथ जी, ने कहा कि मर्दों के ऊपर भी अत्याचार होता है। सैक्शन 498 को यदि आप देखेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा और इससे संबंधित मेरे पास एक बयान भी आया हुआ है। होम मिनिस्टर इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, मैं उस बयान को मंत्रीजी को देने वाला हूं। यह बयान एक संस्था का है, जो मुम्बई में है और इस संस्था की प्रैजीडेंट एक महिला एडवोकेट है। ये महिला कह रही हैं कि मर्दों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार किस किस्म के हो रहे हैं, मैं इस बारे में सदन में महिलाओं को बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सदन को इस बारे में नोट करना चाहिए।

[अनुवाद]

पुरुष हक संरक्षण समिति (पी॰एच॰एस॰एस॰) एक पंजीकृत संगठन है। इसका गठन 1996 में उस समय किया गया था जब अधिवक्ता डी॰ चव्हाण ने नासिक जिले में यह पाया कि धारा 498(क) के अंतर्गत विवाहित महिलाओं द्वारा दायर किये गये लगभग 90 प्रतिशत मामले झूठे और बेबुनियाद थे। पी एच एस एस अब भारत में सभी अन्य राज्यों में फैल रहा है और इसका लिंग न्याय के माध्यम से और "महिलाओं द्वारा पुरुषों के प्रति क्रूरता का" उल्लेख करके धारा 498(क) की कठोरता को कम करके और धारा 419(ख) शामिल करके विवाह, परिवारों और संपत्ति को बचाने में दृढ़ विश्वास है। यह पुरुषों की ओर से उनकी पहली मांग है। अन्य कई मांगें भी हैं, लेकिन मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : क्या यह एक पंजीकृत समिति है?

श्री मधुकर सरपोतदार : जी हां, यह एक पंजीकृत समिति है।

[हिन्दी]

यह मेरी ओपीनियन नहीं है। जो मेरे पास शिकायत आई है, वह मैं आपको बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, क्या वह इसका अनुमोदन कर रहे हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : जी हां, क्योंकि मुझे इसकी पूरी जानकारी है। मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है क्योंकि मुम्बई में कई लोग मेरे पास आये और उन्होंने यह शिकायत दर्ज करायी। पुलिस पार्टियों से रिश्वत और फिरौती लेकर मामले को बिगाड़ने में लगी हैं। यह भी एक सच है।

[हिन्दी]

लेकिन मानसिकता यह है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी सदन में माननीय सदस्य रामदास जी ने एक बात कही, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब पूरी बात का ज्ञान न हो, तब उस पर कोई बहस नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। एक सीतामाई के लिए कितने मर्दों ने अपनी जान गवाई-यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एक द्रौपदी के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें गवाई, यह भी एक सवाल है।...*(व्यवधान)* एक द्रौपदी के लिए कितने लाख लोगों ने अपनी जानें गवाई। मेरे विचार से सदन को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद रानीलक्ष्मी बाई, जिन पर हमें गर्व है, जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया। अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध कर दुश्मनों से लड़ाई की और अपनी जान गवाई। ऐसे लोगों को भी साथ करने का काम यहां मर्दों ने किया।

यह कभी नहीं भूलना चाहिए, समाज के अंदर मर्द और औरत दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों की समान जिम्मेदारी है। हमारे देश में करीब सौ करोड़ की आबादी है। अगर हम अत्याचार का प्रतिशत निकालें।

[अनुवाद]

हमें सभी पार्टियों द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों द्वारा किये गये अपराधों की प्रतिशतता को समझने का प्रयास करना चाहिए यदि आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो निःसंदेह यह ध्यान देने लायक बात है लेकिन ज्यादा बल दिये जाने लायक नहीं है। मैं इसे सही नहीं बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसमें हमें एक बात और देखनी है कि हमारा मीडिया कौन से मोड़ पर चलता है। मैं एक अखबार लाया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि रोज हम अखबारों में क्या देखते हैं, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी उम्र 15-20-25 साल की है, क्या वह आंखें बंद करके बैठेगा। हमारी मीडिया में क्या हो रहा है। हमारे देश में जितनी ब्लू फिल्में दिखाई जाती हैं, क्या हमारे देश के बच्चे आंखें बंद करके बैठें। यदि भावनावश उनसे कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो हम उन्हें सजा देते हैं लेकिन इन ब्लू फिल्म दिखाने वाले लोगों को, अखबार वालों को हम कोई सजा क्यों नहीं देते। क्या यही हमारे देश का कल्चर है? मैं इस बारे में महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस बारे में सदन में आवाज उठाई? क्या कभी कहा कि किसी भी हालत में अखबारों में ऐसा नहीं आना चाहिए। क्या हम लोग इस बारे में कभी सोचते हैं? हमारे देश की संस्कृति नंगी नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं आई है बल्कि हमारे देश की अपनी संस्कृति है और अपनी संस्कृति की इज्जत करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। इसलिए इस फर्ज को हमें सबसे पहले निभाना चाहिए। इसको निभाने के बाद अगर किसी के ऊपर कोई अन्याय होता है तो उसके ऊपर हम जुट पड़ेंगे।...*(व्यवधान)*

महोदय, अगर किसी का पति शराबी है, मैं मानता हूं कि वे अपनी पत्नियों के ऊपर बहुत अन्याय करते हैं। लेकिन उन्हें शराब कहां से मिलती है? जहां आप शराब पर पाबंदी लगाते हैं वहां ज्यादा शराब की दुकानें मिलती हैं। दिल्ली और मुंबई में अनेक गेस्ट हाउस हैं। जब पुलिस को पता चलता है तब जाकर कोई ढूंढ़ता है कि यहां क्या धंधे चल रहे हैं। आफिस में जाने वाले मर्द या औरत ऐसे गेस्ट हाउस में जाते हैं और हमारी संस्कृति को बर्बाद करते हैं। क्या इस ओर किसी का ध्यान है? यदि यहां गृह मंत्री जी होते तो मैं उनको बोलता कि जितने ऐसे गेस्ट हाउस हैं उन सब की तलाश करो। आप जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है।

महोदय, मैं एक बात सभी मर्दों और औरतों से कहूंगा कि किसी के ऊपर ऐसी टीका-टिप्पणी करने से पहले अपने आप में जरा झांक कर देखो कि हम क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र विधानसभा में हमारी बात चल रही थी, रामदास जी भी वहां मौजूद थे, मैंने उस समय पूछा था। सदन में बैठने वाले जितने हमारे विधायक हैं उनकी तरफ अगर मैं अंगुली उठा दूं तो उनके लिए मुंह ऊपर करके बात करना मुश्किल हो जाएगा कि शाम को जब छुट्टी होती है तो ये क्या करते हैं, इसे भी देखने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने आप में झांक कर नहीं देखेंगे, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक यहां किसी भी बीमारी के ऊपर केवल चर्चा करने से उसका इलाज हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। हम लोग बेकार में सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।, ऐसी मेरी भावना है। यहां बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। यहां बहुत से माननीय सदस्य बोले। सभी पुरुषों पर एकतरफा हमला हुआ है। जैसे इस देश के अंदर अगर कोई गुनाहगार है तो वह सिर्फ मर्द है और अन्य किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है।

यह सही है कि इसमें कसूर मर्दों का है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारे माननीय सदस्य सोमनाथ जी ने भी कहा है। मैं सुमित्रा बहन से पूछता हूं आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्या खुशी नहीं होती है। यदि घर में लड़कियां पैदा होंगी, तो क्या आप खुश होंगी? मुझे बताइए, ऐसा कौन सा घर है, जहां 5-6-7 बच्चियां पैदा होती हैं, वह खुश होता है। हर परिवार चाहता है कि उसके घर में एक बच्चा पैदा हो, चार बच्चियां पैदा हो गई, तो हर्ज नहीं है। मैंने एक औरत को देखा है, जिसके दो बच्चियां पैदा हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। यह भी एक मानसिकता है, जिसको बदलना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिस परिवार में औलाद नहीं होती है, उस परिवार की औरत का जीना मुश्किल हो जाता है। यह काम कोई मर्द नहीं करता है, बल्कि पूरी सोसायटी करती है। कहा जाता है कि शादी को चार साल हो गए और तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हुआ। यह हमला कौन करते हैं? यह हमला कोई मर्द नहीं करते हैं, बल्कि औरतें करती हैं। औरतें जलाई जाती हैं। इस बारे में सदन में एक माननीय सदस्य ने भी कहा, लेकिन इस काम को करने में भी औरत का हाथ होता है और औरत ही अपने ऊपर अंगारे डालती है। इस मानसिकता को भी बदलना होगा। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि समाज में औरत और मर्द बराबरी के हकदार हैं तथा एक दूसरे को साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जुआ खानों में कैब्रे डांस के एडवर्टिजमेंट अखबारों में ओपनली आते हैं। क्या ये कैब्रे डांस मर्द करते हैं? लेकिन क्या कभी किसी महिला ने कहा है कि ये डांस नहीं होने चाहिए। मैं मानता हूं कि यह मर्दों की जरूरत है, लेकिन ऐसी मानसिकता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है कि ये डांस नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत सारे देशों में जाकर देखा है, वहां एजेंट सबसे पहले यही पूछता है कि यदि आपको किसी ऐसे घर में

[श्री मधुकर सरपोतदार]

जाना हो, तो बताइए, मैं आपको बढ़िया-बढ़िया लड़कियां बताता हूं। यदि हम इस प्रकार की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, यह सोचने की बात है। गैस्ट हाउसेस, ब्रोथल्स को लाइसैंस देने का काम पुलिस द्वारा किया जाता है। इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

मेरे पास बहुत से मुद्दे हैं। यदि आपने मुझे बोलने के लिए आधा घंटा दिया होता, तो मैं सभी पहलुओं का ध्यान रखता। इसलिए हो यह रहा है कि हम बार-बार एक ही मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। इसलिए, मैंने उन मामलों पर चर्चा नहीं की है जहां महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं महसूस करता हूं और जोर देता हूं कि ऐसे सभी अत्याचारों को रोका जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए जो कुछ इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है, वे संशोधन करने चाहिए। किन्तु मैं जानता हूं कि कानून में संशोधन करके हम महिलाओं को शांतिमय जीवन नहीं दे सकेंगे। हम इन समस्याओं पर खुले दिल से विचार करें और सुधारात्मक उपाय करें। एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई लाभ नहीं है। आखिर, हम सब एक ही समाज के सदस्य हैं। हमें समान अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।

जहां तक महिला आरक्षण विधेयक का संबंध है, पिछले वर्ष, मैंने उस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध केवल इसलिए किया था, क्योंकि वह बिना किसी बहस के पास किया जाने वाला था। मैंने कहा कि बिना बहस किए कोई विधेयक पास नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद यह सब प्रगति हुई है। उस समय भी, मैंने सुझाव दिया था कि 33 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण करके कुल कार्यनिष्पादन शून्य होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी दलों को अपने 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने चाहिए और जो इस प्रावधान का पालन नहीं करते हैं उनकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष जी, आज आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और माननीय गीता मुखर्जी भी धन्यवाद की पात्र हैं जिन्होंने एक ज्वलंत समस्या की ओर हम सभी का ध्यान खींचा है और एक नतीजे पर पहुंचने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति जी, हम जब सभा भवन में घुसते हैं तो वहां एक श्लोक लिखा हुआ है। "न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम्। धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति"।

माननीय अध्यक्ष जी, यह श्लोक, ये शब्द द्रोपदी के मुंह से निकले थे जब इसी आसमान के नीचे, इसी सरजमीन पर, ऐसे ही किसी सभा भवन में एक मौका ऐसा आकर खड़ा हो गया था जिसमें उसने यह सवाल किया था कि मुझे बताया जाये कि मैं अपने पति की सहचरी हूं या सम्पत्ति हूं। आज ही की तरह बड़े-बड़े योद्धा, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े-बड़े संत-महात्मा उस सभा के अंदर बैठे हुए थे लेकिन वह सवाल बिना उत्तर के रह गया। हजारों सालों की इस काल यात्रा में हमारा समाज इसी यक्ष प्रश्न को लेकर भटकता रहा है और आज भी हम उसी प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ रहा है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। मानव की विकास-यात्रा में, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक नारियों और पुरुषों में जो सहयोग था उस सहयोग की बदौलत ही हमारी सभ्यता और संस्कृति यहां तक पहुंची है और आगे भी विकास की ओर अग्रसर रहेगी। आज जो विचार हो रहा है और हमारे भाइयों और बहनों ने जो बातें कहीं हैं उसमें और भी विचार करने की जरूरत है। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं।

आज से कई वर्ष पहले मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश के अपने ही क्षेत्र खीरी में एक रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें एक महिला औरतों की बिक्री कर रही है। मैंने पुलिस की मदद से उस महिला को पकड़वाया। जो लड़की बिकने आई थी उसने मुझसे चंद सवाल किए। उसने कहा कि आपको लग रहा होगा कि आपने कोई महान कार्य कर दिया है, आपने मेरा उद्धार कर दिया है। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे मां-बाप ने मुझे बेचा है लेकिन गरीबी की इंतहा है, इस गरीबी में मैं इन बेदर्द लोगों के साथ चलते-चलते यहां तक चली आई हूं कि कहीं तो ठिकाना मिलेगा जहां हम इज्जत की एक रोटी पा सकेंगे। मुझे महसूस हुआ कि हमारे समाज के सामने जो प्रश्न है वह पुनः खड़ा हो गया है और समझदारी के अंदर जो एक कायरता भी निहित रहती है, उसका अहसास मुझे हुआ।

एक और उदाहरण मैं लखनऊ का देना चाहता हूं। एक पंसारी की दुकान पर मैं बैठा हुआ था तो एक रिक्शे पर एक महिला पर्दे में एक शातिर आदमी के साथ जा रही थी। वह आदमी उस पंसारी की दुकान पर आया और पंसारी से कहा कि मैं एक साल से प्रयास कर चुका हूं, सफल नहीं हुआ, अब तुम भी प्रयास करो। मैंने जानकारी लेने के लिए पता किया तो मुझे पता चला कि अल्पसंख्यक समुदाय की वो महिला थी जिसके कोई बच्चा नहीं हुआ था, इस कारण उसका पति उसको छोड़ देना चाहता था। परिवार की किसी महिला ने उसे सलाह दी और हकीम-मौलवियों के हवाले उसे कर दिया था और कहा था कि कहीं से भी एक बच्चा लाओ वरना तुम्हारा पूरा भविष्य खतरे में है। इस तरह से वह भद्र महिला एक वर्ष से उस ठग के हाथों ठगी जा रही थी। उस महिला ने इस उम्मीद में कि परिवार में उसे सम्मान मिले पता नहीं कितने समझौते किये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जब वर्तमान स्थिति में इसकी गहराई को देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है।

लेकिन हमारे जो साथी लोग उसको बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं, उसको मात्र एक राजनैतिक समस्या के रूप में ले रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि वे ऐसा न करें, नहीं तो यह मानवता के प्रति एक अपराध होगा।

एक नया ट्रेंड पैदा हुआ है कि महिला उत्पीड़न को पुरुषों के नाम से संबोधित किया जा रहा है और यह एक बहुत बड़ी भूल है। निश्चित रूप से नारी और पुरुष हमारे समाज की सभ्यता और संस्कृति के मुख्य अंग हैं और उनका बराबर का सहयोग है। जहां तक उत्पीड़न की स्थिति है, जैसाकि हमारे कई भाई लोग बता चुके हैं, उत्पीड़न नारियों का हुआ है लेकिन उसमें दोनों का हाथ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उत्पीड़न मात्र नारी का नहीं है वरन यह उत्पीड़न हर कमजोर और विवश आदमी का उत्पीड़न है, बेबस आदमी का उत्पीड़न है जिसे हम अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में रोज देखते हैं।

जहां तक महिलाओं के विकास की बात आई, भारतीय संस्कृति के अंदर महिलाओं का विकास किसी से छिपा नहीं है। इसमें दोनों का बराबर का सहयोग है। आज हमारे मुल्क की एक बेटी अंतरिक्ष में घूम रही है और हमारे देश की कई बेटियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नाम पैदा किया है। राजनीति में, समाज सेवा में, नौकरी में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और उन्होंने नाम पैदा किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। महिला उत्पीड़न के ऊपर एक संकीर्ण नजरिया न अपनाया जाए और समस्या के सामाजिक स्वरूप को समझते हुए उसमें विकास की उम्मीद की जाए और विशेष रूप से हमें मानवीय मूल्यों के विकास के प्रति अधिक सजग रहने की आवश्यकता है।

एक बात हमें बहुत परेशान कर रही है और वह यह है कि मध्य-युगीन मानसिकता हमारे लोगों के दिमागों में अभी भी भरी हुई है। जैसा कि इस बात की ओर इशारा किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर मध्य-युग में जब बाहर से आक्रांता आए, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में एक प्रदूषण फैला और इस तरह की विचारधारा पनपी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि भाई आठवले जी ने कहा कि इसी मुल्क में, इसी आसमान के नीचे महिलाओं को अधिकार-विहीन किया गया, सार्वजनिक रूप से उनको अपमानित किया गया, उनका अपहरण किया गया, उनका परीक्षण किया गया, उनको छल से बनवास दिया गया लेकिन आज हम उन्हें माननीय-सम्माननीय मानते हैं, माता कहकर पुकारते हैं। निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता है कि हमारा समाज सबके सहयोग से आगे उन्नति करेगा।...*(व्यवधान)* बहुत से कानून पास हुए हैं जिन्होंने निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति को बदला है। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो आज तक नजर-अंदाज होती रही है, और वह यह है कि हमारी महिलाएं जो हमारे घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, और क्षेत्रों में लगी हुई हैं उनका आर्थिक मूल्यांकन आज तक नहीं हो सका है। जबकि परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर उनके इस कार्य का महत्व आज तक उनको मिल जाना चाहिए था जिसकी वे हकदार हैं। आज जब हमारी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होता है, सर्विसेज और जी॰डी॰पी॰ का असैसमेंट होता है तो उसके अंदर यह कमी बहुत खटकती है कि हमारी महिलाओं के काम का आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है। महिला बिल की बात आई तो यह स्पष्ट है कि मीडिया ने हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष के बीच में एक संघर्ष को जबरदस्ती चिन्हित करने की कोशिश की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दल के दूसरे नेता हैं। आपको भाषण के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री एन॰टी॰ षणमुगम का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

****श्री एन॰टी॰ षणमुगम (वेल्लौर) :** माननीय अध्यक्ष, मैं महिलाओं पर अत्याचार पर बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका आभारी हूं। मैं इस महान सदन में श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा बहस हेतु प्रस्तुत इस चर्चा में भाग ले रहे सदस्यों द्वारा प्रकट की गई चिंता से सहभागी हूं।

महाकवि सुब्रहम्ण्यम भारती, जो इट्टायापुरम के निवासी थे, उन्होंने अपने को स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था और अपनी सामान्य कविताओं के माध्यम से आजादी और देश भक्ति की भावना फैलाई। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति की भी कविताएं रची। उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की निन्दा की। उन्होंने स्वयं को महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच बनाया। उन्होंने शिक्षा दी "हम पराधीनता और महिलाओं के अपमान को जड़ से समाप्त कर देंगे।"

इसी तरह इलांगो एडीगल ने 'सिलप्पाधिकरम' लिखकर महिलाओं की मर्यादा को बढ़ाया। उन्होंने कन्नगी को निरभिमानता और शालीनता के मूर्त रूप में चित्रित किया है। उसने अपने पति के विरूद्ध लगे आरोपों को असत्य सिद्ध करने के लिए सत्य को स्थापित किया। उसने अपने कंगन को टुकड़ों में तोड़कर सिद्ध किया कि उसका पति चोर नहीं है। उसने पांडया राजा के दरबार में न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ी। यह इतिहास में लिखा है कि वह उस साम्राज्य के विनाश का कारण भी बनी।

हम अपने देश को 'भारत माता' कहते हैं। हम अपनी भूमि को 'मातृभूमि' कह कर गर्व महसूस करते हैं। हमने देश को एक महिला के रूप में देखा है और वह महिला है माता। हम प्रकृति में माता का रूप देखते हैं। सभी नारियों जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि के नाम महिलाओं और माताओं के नाम पर हैं। हम माता कावेरी को मानते

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एन॰टी॰ षणमुगम]

हैं, क्योंकि वह बहुतों को जीवन देती हैं। वास्तव में इस देश की महिलाओं पर अत्याचार देख कर हृदय रो पड़ता है, क्योंकि यह देश महिलाओं को देवी और माता के रूप में पूजता है। हम माता के पेट से जन्म लेते हैं और उनकी गोद में पलकर बड़े होते हैं। इसीलिए हम माता, पिता और गुरू को ईश्वर के तुल्य समझते हैं। इस श्रेणी में हम माता को प्रथम स्थान देते हैं।

किन्तु आज क्या हो रहा है? यदि इस बात की पुष्टि होती है कि गर्भाशय में पल रहा बच्चा लड़की है, तो उस लड़की के पैदा होने से पहले गर्भपात कराने का प्रयत्न किया जाता है। यदि लड़की का जन्म हो ही जाता है, तो प्रसव मृत्यु बता कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी हत्याओं को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ बता कर छिपाया जाता है।

तमिलनाडु में डा॰ पुराची थलाइवी ने "क्रेडल बेबी स्कीम" के नाम से अवांछित बालिकाओं को बचाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कई जानें बचाई जा चुकी हैं।

देश महिलाओं की दरिद्रता और उन पर किये गये अत्याचारों का साक्षी रहा है दहेज प्रथा उनमें से एक है। यहां दहेज हत्याएं बढ़ी है। जब महिला मांगा गया दहेज नहीं लाती है, तो उस पर मिट्टी का तेल उडेल कर और जलाकर मार दिया जाता है। इस हत्या को स्टोव फटने के कारण हुई हत्या बता कर छिपाया जाता है। किन्तु कटु सत्य यह है कि केवल महिलाएं ही इस स्टोव फटने की घटना की शिकार होती हैं। पति और ससुराल वाले या तो बहू को जलाकर मार देते हैं अथवा आत्महत्या करने के लिए विवश कर देते हैं। यह निरंतर चलने वाली दुखद कहानी बन गई है। महिलाओं की कोई सुरक्षा और संरक्षा नहीं है। उनसे केवल भोग की वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है।

दो सप्ताह पहले की बात है। एक महिला जो अपने पति से अलग होकर अकेली रह रही थी, वह यौन हिंसा की शिकार बनी, जब सात व्यक्तियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

इसी तरह, इस महीने की 17 तारीख को इथिरान कालेज की एक छात्रा बर्बरतापूर्ण छेड़छाड़ की शिकार बनी। छात्रा सारिका जब कालेज से बाहर आ रही थी, तब उसका दिन-दहाड़े रास्ता रोक लिया। उसका गुंडों द्वारा आटो-रिक्शा से पीछा किया गया था। उन्होंने उसे पिचकारियों से भिगो दिया। उसे हिंसक तरीके से ऐसे घसीटा और धक्का दिया कि उसके सिर में भारी चोट आई, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अस्पताल में इस छेड़छाड़ के कारण दर्दनाक मौत हो गई।

श्री टी॰ आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, यह अकारण है। यह राज्य सरकार का विषय है। स्थिति यह है कि नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरूद्ध मामला चल रहा है...*(व्यवधान)*

श्री एन॰टी॰ षणमुगम : आपको इस तरह व्यवधान नहीं डालना चाहिए। मैं केवल उस घटना को उद्धृत कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री सी॰पी॰ राधाकृष्णन (कोयम्बतूर) : उस घटना को उद्धृत करने में क्या बुराई है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एन॰ टी॰ षणमुगम : मैं कहना चाहता हूं कि आज तमिलनाडु में महिला सुरक्षित नहीं है। कम से कम आठ दिन तक यह मामला दुर्घटना के रूप में मामूली धाराओं के साथ दर्ज रहा। केवल युवती सारिका की मौत के बाद ही यह आपराधिक हत्या के मामले में बदला गया। इन सब बातों के बाद ही उन नौ गुंडों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु में आज यही हो रहा है। इस तरह की स्थिति तमिलनाडु में विद्यमान है। यह शर्मनाक कृत्य युवा कांग्रेस के स्वयं-सेवकों द्वारा किया गया बताया गया है। यह निन्दनीय और जघन्य कृत्य है। भारत के अनेक भागों तथा तमिलनाडु में भी हमें महिलाओं के विरूद्ध पुलिस की कस्टडी में हो रहे यौन शोषण के मामले देखने को मिलते हैं। थानों में भी महिलाओं के शील की कोई सुरक्षा नहीं है। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि सरकारी कार्यालयों में कुछ अधिकारी, महिला कर्मचारियों का यौन शोषण करते हैं।

27.7.98 के एक समाचार पत्र में जो हमने पढ़ा, वह एक चेतावनी है। आधी रात को गुंडों ने एक लड़की का पीछा किया। उसे एक परोपकारी व्यक्ति ने उसे बचाया। उसे सुरक्षा गृह में शरण लेनी पड़ी। उस अनाथ लड़की की कहानी करूणाजनक है। उसके चाचा ने उसकी शादी एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दी थी। इस प्रकार वह अपने पालक गृह से भाग गई।

आजादी के 50 वर्षों के बाद भी भारत में महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार जो कहा था वह मैं यहां कह रहा हूं "जब इस देश में कोई स्त्री सारे आभूषण पहन कर आधी रात को स्वछंद निर्भीकता से विचरण करेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली है।" यही महात्मा गांधी जी ने कहा था मैं नहीं जानता कि हम कब इस सपने को मूर्त रूप में देख सकेंगे।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कड़ी से कड़ी सजा के साथ उपयुक्त कानून बनाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

जोवाचिम बक्सला (अलीपुरदुआर्स) : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम श्रीमती गीता मुखर्जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस सदन में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिये रखा है।

इस देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ की समाप्ति के अवसर पर इस देश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक शोषण किया जा रहा है, इस विषय

को लेकर हम आज इस सदन में चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि आज हमारे देश में हर 54 मिनट में एक बलात्कार और हर 102 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है। आज हमें सदन में यह सुनकर दुख होता है कि जो माननीय सदस्य इस बहस में भाग ले रहे हैं, आज हमें सदन में यह सुनकर दुख होता है कि दहेज के कारण जो घटनायें होती हैं, उनमें पुरुषों का दोष है। स्त्रियों पर जितने भी अत्याचार होते हैं, जो उत्पीड़न और शोषण होता है, उसके लिये पुरुषों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारा अपना अनुभव यह है कि हमारे देश में दहेज की जो घटनायें होती हैं, उनमें महिलाओं का भी सहयोग रहता है। यह बड़े दुःख की बात है। हमारे देश के समाज मे जो प्रक्रिया और व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन लाना चाहिये। हमारी दृष्टि में यह परिवर्तन लाना इसलिये आवश्यक है क्योंकि नारी जिसे हमने संविधान में समानता का अधिकार दिया हुआ है, जिनका हम सम्मान करते हैं और बस में भी महिलाओं के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे हुये हैं, यदि कोई महिला बस में खड़ी होती है तो हम लोग उसके लिये स्थान छोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारे अंधविश्वासी समाज की संस्कृति ऐसी है कि बाल-विवाह के कारण यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसका दोष बालिका को दिया जाता है। यहां यह भी देखा गया है कि 12 वर्ष से लेकर 80-85 वर्ष की महिलाओं को मथुरा, वृन्दावन और वाराणसी में आश्रय लेना पड़ रहा है। किसी 12 वर्ष की बच्ची का विवाह होने पर यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दोष लड़की को दिया जाता है। जिनकी उम्र ज्यादा होती है, वे भीख मांगकर अपना जीवन-यापन करती हैं। मंदिर से जो प्रसाद मिलता है, उसे खाकर अपना पेट भरती हैं। जो नौजवान लड़कियां विधवा हो जाती हैं, उनको दैहिक व्यवसाय भी करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को तीन बातें बताई थीं कि महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की महिलाओ शिक्षित बनो, संगठित बनो, और संघर्ष करो। मैं इन महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइये, संगठित होइये, शिक्षित होइये और संघर्ष के लिए तैयार होइये, दुर्गा का रूप धारण करो, रणचंडी का रूप धारण करो और तुम लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिये संघर्ष करो। हम पुरुष लोग आपका सहयोग करेंगे क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के अभिन्न अंग हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इस समाज में आपको अगर महिलाओं के उत्पीड़न की बेड़ी को तोड़ना है तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की सरकार को महिलाओं के लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो। हमारे देश में महिलाओं की बराबरी की संख्या है और उन्नति के पथ पर जिस तरह से वे पुरुषों के साथ हाथ बंटाती हैं, सरकार के इस कदम से देश उसी तरह से उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

जहां तक महिला आरक्षण की बात है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन यह भी देखना चाहते हैं कि महिला आरक्षण के साथ-साथ जितने पिछड़े हुए वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग हैं, जितनी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। आरक्षण द्वारा महिलाओं को अपने विकास का पूरा मौका मिलेगा। इतनी बात कहकर मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की अत्यंत वरिष्ठ तथा इस सदन और देश में बहुत ही सम्मानित आदरणीय गीता जी ने नियम 193 के अधीन महिला उत्पीड़न पर जो चर्चा उठाई है, वह बहुत ही सामयिक है। अध्यक्ष महोदय, यथार्थ यह है कि चाहे हम अतीत की भारतीय नारियों के कितने ही गुणगान करें, यह सत्य है कि यहां गार्गी हुई, मैत्रेयी हुई, सीता, सावित्री, अहल्या हुई, झांसी की रानी, पद्मावती, दुर्गावती हुई। भारतीय इतिहास नारियों की गौरव गाथा से भरा पड़ा है। उनकी विदुषी होने की, उनकी विद्वता की स्वरगाथाएं हैं लेकिन यह सत्य है कि प्रकाश के साथ अंधकार का युग भी हमेशा रहा और मध्य युग में जो पर्दा प्रथा का चलन हुआ और जिस तरह से नारियों को उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए घरों की चारदीवारी में बंद किया गया, मध्य युग से जो चलन चला है, वह आजादी के 50 वर्ष बाद भी समाप्त नहीं हुआ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा संघर्ष करने के साथ-साथ भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया था।

सभापति महोदय, आज इस सदन में दहेज की चर्चा हुई। दहेज का दानव आज इस समाज को निगलता जा रहा है। हर व्यक्ति परेशान है चाहे वह कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने बेटे रामदास गांधी की शादी सिर्फ एक रुपये चार आने में की थी। यह एक उदाहरण था। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे कितने सांसद, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, कितने विधायक बिना दहेज की सस्ती शादी के लिए तैयार हैं? अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता बापू ने एक और उदाहरण रखा था जब उनसे कहा गया कि आप अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देते हैं। गांधी जी ने कहा कि बहुत दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि प्रतिलोम विवाह हो, यानी ऊंचे वर्ण की लड़की हो और छोटे वर्ण का लड़का हो तो मैं आशीर्वाद दूंगा। तब गांधी जी के छोटे बेटे देवदास गांधी की शादी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के गवर्नर जनरल बने और जो ब्राह्मण थे, उनकी बेटी लक्ष्मी से हुई और इस प्रकार अंतर्जातीय विवाह शुरू किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम यह चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं। हम केवल उथली चर्चाओं से इस बहस को समाप्त करना चाहते हैं। किसी एक महिला के साथ अन्याय हो गया। अन्याय तो निश्चित रूप से बुरा है, लेकिन इस समाज में कितनी अभागिनें हैं जो सारी जिन्दगी रो-रो कर अपने भाई या बूढ़े मां-बाप के यहां बिता रही हैं। क्या विधवा विवाह के लिए यह लोक सभा प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्री कोई फैसला करेंगे कि अगर कोई विधवा का विवाह करेगा

[श्री रामानन्द सिंह]

तो उन पुनर्विवाह में जो खर्च आएगा, उसको भारत सरकार या राज्य सरकार उठाएगी? मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं जो बहुत मौलिक सवाल है। मैं मध्य प्रदेश शासन में स्वायत्त शासन मंत्री था। मैंने इंदौर में उन लोगों को बुलाया जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया।

उन्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अपमान का जीवन जीना पड़ता है कि तुमने अंतर्जातीय विवाह किया है। एक ब्राह्मण की लड़की ने हरिजन डाक्टर के लड़के से शादी की, लड़की के मां-बाप ने उसका तिरस्कार कर दिया। मैंने वह अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें पुरस्कृत किया और यह फैसला भी किया कि मध्य प्रदेश की नगरपालिकाओं में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े में से एक को हम नौकरी देंगे। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह भी इस संबंध में कुछ करेगी? मैं चाहता हूं कि अंतरधार्मिक संबंध भी हों। श्रीमती इंदिरा गांधी से मेरे अनेक मतभेद थे, उनकी इमरजेंसी का मैं बहुत कटु आलोचक रहा हूं, इमरजेंसी पर एक महीने बाद मेरी एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने बेटों का अंतरधार्मिक संबंध स्थापित करके एक उदाहरण देश के सामने पेश किया। लेकिन आजादी के 50 वर्षों के बाद भी क्या हम आज इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं या वही पुराने अतीत को दोहराते जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में यह बिल आया है, जिससे महिलाएं बहुत व्यथित हुई हैं। यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। भारतीय समाज को यह मंजूर करना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति आज चूल्हे-चौके में है। संसद में आज कितनी महिला सांसद हैं। हमारी पत्नी बेचारी खेती संभालती है, लेकिन हम यहां संसद में पहुंच गये, लेकिन ऐसे कितने सांसद हैं। आज लालू प्रसाद जी की पत्नी मुख्य मंत्री बन गई। भले ही पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन शानदार काम कर रही हैं। आप आलोचना करिये। वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं लेकिन बड़ी दमदार महिला हैं। जो पढ़ी-लिखी नहीं होती, लेकिन दमदार महिला होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। शादी के बारे में शारदा एक्ट बना। मैं विंध्य प्रदेश में विद्यार्थी था, वहां गवर्नर के बंगले की बगल से तीन साल के बच्चे की शादी की पालकी जा रही थी। यह सब कैसे रुकेगा। इन विवाहों को हम देखते हैं, इनमें पार्टीसिपेट भी करते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। बाल-विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट में क्या सुधार किया जाए? विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जाए? दहेज विरोधी कानून को बहुत सख्त बनाने की जरूरत है। पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि दहेज मांगने और लेने वाला आदमी लोक सभा या विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता दहेज लेने और देने वाला व्यक्ति कदापि सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है। इस तरह के फैसले अब सरकार को करने पड़ेंगे, खाली चर्चा करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

उत्तराधिकार कानून को ही लें। जब मैं मंत्री था, मेरे पास विधवाएं रोती थीं कि हमारे ससुर ने हमें निकाल दिया, हमारे पति के बड़े भाई ज्येष्ठ ने हमें निकाल दिया, हमारी ननद हमें तंग करती हैं। भारत में जितनी बाल-विधवाएं हैं उतनी विश्व में कहीं नहीं हैं। क्या इन बाल विधवाओं के लिए अपने समाज को बदलने के बारे में हम सोचेंगे। बलात्कार की घटनाएं अतीत में भी होती रही हैं, लेकिन इस समय तो स्थिति और भी भयावह हो गई है, बलात्कार के बाद जला देना, मार देना आम बात हो गई है। इस बारे में बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। सी॰आर॰पी॰सी॰ में अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। इन कानूनों को नये संदर्भ में देखने की जरूरत है। महिलाओं को पति छोड़ देते हैं। हमारे देश में बहुत परित्यक्ताएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, बस्तर में एक कलक्टर थे। वहां जितने अधिकारी जाते थे, आदिवासी लड़कियों से बर्तन मंजवाते थे, उन्हें फिर रखैल बना लिया, बच्चे पैदा करे और फिर छोड़कर भाग आये। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनकी माताएं पापड़ बेलती हैं, उनके बच्चे पापड़ बेचते हैं, लाटरी बेचते हैं, इन सब पर एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर देश तथा सदन में इस पर चर्चा करने का हम सभी को मौका दिया। ऐसी चर्चाएं लोक शिक्षण का काम करती हैं, देश को एक दिशा देती हैं। भले ही उनका फल आज न निकले, लेकिन इन चर्चाओं से कल का अच्छा भारत जरूर बनेगा। इसका एक उजला पक्ष जरूर निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सानशुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना नाम दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने पहले ही माननीय गृह मंत्री जी को बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री सानशुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : तब का बोडो लैंड क्षेत्र में बोडो लड़कियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करने में हमारी रुचि नहीं है?

4.10 बजे म॰प॰

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, संसद के पिछले सत्र और इस सत्र में कई विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विषय पर जो चर्चा इस सदन में हुई है, मैं समझता हूं कि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुत परिणामकारक

रही है। मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं श्रीमती गीता जी, जिन्होंने इस विषय को उठाया उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। यद्यपि यह शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन है और इसके लिए केवल दो घंटे का समय नियत किया गया था, लेकिन इस विषय की गंभीरता को देखकर और सदन की दिलचस्पी को देखकर यह चर्चा दो घंटे की बजाय साढ़े छः या पौने सात घंटे तक हुई, चार दिनों तक यह चर्चा लगातार चलती रही। आज जब मैं इस बहस का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो इतना ही कह सकता हूं कि जितनी बातें कही गई हैं, उन्होंने इस बात को उजागर किया है कि जिस देश में गार्गी, मैत्रेयी, सीता, सावित्री और जिन-जिन देवियों का नाम लेकर हम गर्व का अनुभव करते हैं उस देश में अधःपतन इतना हुआ कि 90 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार हो, तीन-चार साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार हो, यह शोचनीय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन सुनकर दंग रह गया जब किसी ने बताया कि किसी एक महिला ने चूंकि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी की थी या उसके साथ चली गई थी इसलिए पंचायत ने तय किया कि उसका पति और उसके रिश्तेदार उसके साथ सामूहिक बलात्कार करें और पंचायत के निर्णय के अनुसार वह सामूहिक बलात्कार हुआ। देश में इतना अधःपतन हो जाए, निश्चित रूप से यह पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। चिन्ता का विषय केवल शासन के लिए नहीं, केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा—यहां पर सभी सदस्यों ने बहुत सहज रूप से कहा कि यदि कोई अपराधी पाया जाए, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन शायद मैं और गीता जी भी उसी समिति की सदस्य थीं, जिसने इस बलात्कार के मामले पर विचार किया था। हमने कस्टोडियल रेप को सीरियसली लेकर यह निर्णय किया कि जो कस्टोडियल रेप का दोषी पाया जाए, उसे आजन्म कैद दी जाए और यदि कोई बलात्कार का दोषी पाया जाए, तो उसे 10 साल की सजा दी जाए। यदि कोई जज उसे दोषी पाए, तो कम से कम इतनी सजा तो देनी ही पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बलात्कार के मामले को अतिगंभीर अपराध मानती है। एक महिला की हत्या करने से भी बड़ा अपराध बलात्कार को मानती है क्योंकि महिला की हत्या करने के बाद तो वह लाश हो जाती है, लेकिन बलात्कार के बाद वह जिन्दा लाश बनकर जीवित रहती है। हम यह भी मानते हैं कि हिन्दुस्तान में या तो मृत्युदंड हो ही नहीं, वह अलग बात है, लेकिन यदि हो, और हत्या के लिए धारा 302 के तहत मृत्यु दंड दिया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि यदि बलात्कार प्रमाणित हो जाए, हालांकि वह आसानी से प्रमाणित नही होता क्योंकि जिस प्रकार के हमारे कानून हैं उनमें उस प्रकार से गवाही होती है, जिसमें महिला को बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ती है, इसलिए वह प्रमाणित नहीं होता, लेकिन यदि प्रमाणित हो जाए, तो उसे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारा मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा। अलबत्ता यह बात सही है कि क्रिमिनल लॉ कनकरंट सब्जैक्ट है और इसके लिए हमें स्टेट से भी सलाह करनी होगी। मैं अपनी तरफ से अपनी सरकार की इच्छा प्रकट कर रहा हूं, अगर सदन सहमत होगा तो मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान भर में जितने राज्य हैं, उनकी सरकारें भी इस बात की गंभीरता को स्वीकार करके बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान क्रिमिनल लॉ में करने की हमको इजाजत देगी। मैं इस कारण भी इस बहस से प्रसन्न हूं कि इसे गीता जी ने शुरू किया और इस बात पर बल दिया कि यह विषय ऐसा नहीं है जिसमें हम राजनीति लायें। इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें और गीता जी ने उसी लहजे में अपनी बातें कहीं। उसके बाद विपक्ष के नेता खड़े हुए। उन्होंने भी इसी बात पर बल दिया। यहां तक कि मैं देख रहा था कि जब उन्होंने राज्यों का नाम लिया कि किन-किन राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार की बड़ी दुखद घटनायें हुई हैं तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शासित राज्य को छोड़ दो और गैर कांग्रेसी राज्य ले लो, उन्होंने ऐसा नहीं किया और सबका नाम लिया। जहां-जहां भी घटनायें होती हैं चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उड़ीसा में हो या कहीं भी हो, उन्होंने सबका उल्लेख किया। मैं भी चाहूंगा कि इन मामलों में हम दलगत राजनीति से नहीं सोचेंगे।

महिलाओं के साथ अत्याचार के बारे में श्री रामानंद सिंह जी ने ठीक ही कहा कि यह केवल अत्याचार का ही सवाल नहीं है, यह मूलतः अन्याय का सवाल है, असमानता का सवाल है। हमको अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि यहां हमेशा यही होता रहा है, मैं इसे नहीं मानता हूं। हां, इन्होंने सही कहा कि हर समय दोनों पक्ष रहे हैं, सब प्रकार की बातें रही हैं, जहां तक वूमैन रिजर्वेशन बिल का सवाल है, तो इस बिल का संबंध पोलिटिकल एम्पावरमैंट से है। उसका संबंध अन्याय, अत्याचार से नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि पोलिटिकल एम्पावरमैंट भी जाये तो भी बलात्कार शायद नहीं रुकेगा। उसके बाद भी नहीं रुकेगा क्योंकि मूलतः अन्याय समाज में निहित है, असमानता समाज में निहित है। यदि 8 परसेंट की बजाय 20 परसेंट, 33 परसेंट महिलायें भी आ जायें तो उसके कारण भी बलात्कार नहीं रुकेगा। हां, उससे महिलायें निर्णय की व्यवस्था में अधिक योगदान देंगी। अगर उनका योगदान अधिक होगा तो मैं मानता हूं कि व्यवस्था अधिक अच्छी बनेगी।...*(व्यवधान)* आवाज तो आज भी उठती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि पोलिटिकल एम्पावरमैंट के संदर्भ में मैंने चुनाव सुधार का बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए पाया कि पश्चिम जिसको बहुत आगे बढ़ा हुआ माना जाता है और जहां महिलाओं के बहुत अधिकार माने जाते हैं वहां महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें मतदान का अधिकार सहज रूप से नहीं मिला। इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बलिदान करना पड़ा। इस कारण बहुत सारी महिलायें भी मरीं। पहली बार शायद 1917-18 में बड़ी मुश्किल से हाउस ऑफ कामन्स ने कहा

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

कि वोट देने का अधिकार चार महिलाओं को दे दो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो कानून पेश किया गया उसमें पुरुषों के मतदान की उम्र 21 साल थी। पहले 21 साल थी, बाद में चलकर इसे 18 साल किया गया लेकिन उसमें महिलाओं के लिए लिखा गया कि 30 साल की उम्र होनी चाहिए क्योंकि उनमें तब कुछ अक्ल आती है, समझ आती है कि वह वोट दे सकें। आगे चलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें बराबरी का अधिकार दिया गया। यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जिनमें आज से कुछ साल पहले तक यह अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिन्दुस्तान में इस प्रकार का रवैया कभी नहीं रहा। अगर कभी रहा तो उसके खिलाफ संघर्ष किया गया। धार्मिक नेताओं ने संघर्ष किया। स्वामी दयानंद जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र में महर्षि कार्वे हुए थे जिनके खिलाफ बहुत आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को पढ़ाऊंगा, शिक्षित करूंगा और गांधी जी ने कहा कि यदि एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम एक शिक्षित व्यक्ति और पैदा करते हैं लेकिन जिस समय लड़की को पढ़ाते हैं तो एक शिक्षित परिवार पैदा करते हैं, यह सारी बातें कहीं।

हिन्दुस्तान में महिला के प्रति यह दृष्टिकोण सदैव से रहा है और उस देश में यह स्थिति जो आज आई है, मैं इसको समाज के चारों ओर से पतन का लक्षण मानता हूं। किसी एक पार्टी को दोष देने की जरूरत नहीं है कि यहां पर उसकी सरकार है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यह सरासर गलत बात है। मूलतः समाज में अगर ऐसी बात हो तो उसका प्रतिकार सब तरफ से होगा और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ सब मिलकर संघर्ष करें। सरकार का जितना दायित्व है, हम संभालेंगे, पुलिस को इसके बारे में जितना सचेत करना पड़ेगा, हम करेंगे। अलबत्ता मैं जानता हूं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी पुलिस में महिलाएं भर्ती नहीं होतीं। देशभर में उनका परसेंटेज बहुत कम है, मैंने हर स्टेट में देखा है, वे बहुत कम हैं। चाहते हुए भी कि पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित थाने हों, कम प्रदेशों में यह संभव हो सका है और कुछ प्रदेशों में इस प्रयोग के कई दुष्परिणाम भी निकले हैं, उनको बहुत परेशान किया जाता है। मैं फिर भी चाहता हूं कि इस दिशा में बढ़ा जाए। मैं इस बारे में हरेक स्टेट से जानकारी करता रहता हूं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले मैंने हैदराबाद जाकर, जिन 4-5 प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या है, उन प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की और उसी समय निर्णय किया था कि संसद के इस अधिवेशन के बाद कम से कम हिन्दुस्तानभर के गृह मंत्रियों और हिन्दुस्तानभर के डी॰जी॰ पुलिस का एक सम्मेलन आयोजित करूंगा जिसमें महिलाओं के विरूद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि यह एक कसौटी है कि हिन्दुस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्योंकि यह समाज का कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग ही नहीं लेकिन यदि उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वह समाज के सारे मूल्यों को प्रभावित करता है, खराब करता है।

मेरे मित्र श्री शरद पवार जी ने कानून के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि यदि आज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन किसी महिला का तलाक हो जाए तो उसे 500 रुपये एलाउंस मिलता है। 1994 में एक विधेयक यहां पेश किया गया था जिसके अनुसार 500 रुपये को बढ़ा कर 1500 रुपये किया गया। वह बिल पेश तो हुआ लेकिन पारित नहीं हुआ, लैप्स हो गया। इस सरकार का मत है कि अब उस बिल में 500 रुपये की बजाए 5000 रुपये का प्रावधान किया जाए। ऐसा हम करने वाले हैं। उसी प्रकार अनेक सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का उल्लेख किया जिसमें कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में अधिकारी परेशान न करें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, उनका शोषण न करें, सैक्सुअल ऐक्सप्लॉयटेशन न करें, इस दृष्टि से गाइडलाइन दी गई थी। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस संबंध में सारे दफ्तरों में केवल गाइडलाइन ही नहीं भेजी गई है बल्कि कंडक्ट रूल फार सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाइज को भी अमैंड किया गया है यौन उत्पीड़न को एक विशिष्ट दुराचार के रूप में परिभाषित करने के लिए उसे भी किया गया है।

[अनुवाद]

जहां तक शिकायत समितियां स्थापित करने का संबंध है, कई केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों से ऐसी समितियां स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

इसी प्रकार पुलिस में भी इसके प्रति जागृति और सावधानी पैदा करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

लॉ कमीशन ने महिलाओं के संदर्भ में एक रिकमैंडेशन दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बलात्कार का कोई मुकदमा आता है तो उस मुकदमे को जहां तक संभव हो और जहां तक व्यवहार्य हो, यह महिलाओं द्वारा ही किया जाना चाहिए।

उनकी दूसरी सिफारिश है—

[अनुवाद]

बलात्कार के साक्ष्य में, जांच एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा केवल उस महिला के निवास पर ही की जाएगी, यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उससे पूछताछ केवल उसके माता-पिता और संबंधियों की उपस्थिति में ही की जाये। तीसरी चीज उन्होंने कही है—

बलात्कार के पीड़ित की चिकित्सा जांच जहां तक हो सके महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाये।

[हिन्दी]

हम चाहेंगे कि इन तीनों बातों को हम कानून का हिस्सा बना दें। लेकिन जो बात मैंने पहले आपसे कही कि क्रिमिनल लॉ में कन्करेंट सबजैक्ट होने के कारण हमारे ऊपर एक ऑब्लीगेशन है कि हम राज्य सरकारों से सलाह करें और राज्य सरकारों से इस संदर्भ में सलाह करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे।

अनेक और बातें कही गई हैं, मैं एक-एक बात का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जितने सुझाव दिये गये हैं, उन पर हम पूरी गम्भीरता से विचार करेंगे। साथ-साथ होम मिनिस्ट्री का यह दायित्व होगा कि हर राज्य सरकार से इस संदर्भ में पूरी जानकारी करते रहें और मोनीटर करते रहे कि वे इस संदर्भ में क्या-क्या करती हैं, क्योंकि सैण्ट्रल गवर्नमैंट का काम तो वैसे लिमिटेड है।

[अनुवाद]

यह संघ राज्य क्षेत्रों तक ही सीमित है, हम देखेंगे कि ये सारी चीजें कार्यान्वित हों। किन्तु, अन्य मामलों में भी, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें सामने आएंगी और हमें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपको सुनिश्चित करना होगा कि संपूर्ण सभा इस मुद्दे पर एक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे विश्वास है कि संपूर्ण सभा मेरे साथ है। मैं चाहूंगा कि न्यायपालिका सहित प्रशासन के सभी भाग इस सभा की भावनाओं को नोट करें। आखिर यदि किसी महिला पर अत्याचार किया जाता है और वह मामला वर्षों तक उम्र भर घिसटता रहता है तो वास्तव में यह उस महिला पर दूसरी चोट है। ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने यह अपराध किया है एक अपराधी हो सकता है। न्यायपालिका को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों से संबंधित दीर्घकालीन मुकदमा महिलाओं पर एक दूसरा आघात बन जाता है।

[हिन्दी]

और इसीलिए ज्युडिशियरी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, सब का इस मामले में जो दायित्व है, मुझे विश्वास है कि वे उसे निभाएंगे।

अनेक सदस्यों ने वूमेन रिजर्वेशन बिल की बात कही है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मन पर इस का उतना बोझ नहीं है कि सदन में कन्सेंसस नहीं है। वह इतनी बड़ी बात नहीं है। यह ठीक है कि कन्सेंसस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस समय इस सदन में पहले ही दिन यह बिल पेश किया जाने वाला था, तब प्रधान मंत्री जी के पास एक दल के नेता गये और कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आज इसे पेश न करें, सब दलों की एक बैठक बुलायें और उनसे राय करके उसके बाद पेश करें। वैसे उस समय हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं, पेश हो जाना चाहिए, लेकिन प्रधान मंत्री ने उनकी राय मान ली और कहा कि अध्यक्ष जी को कह दीजिए कि इसे आज पेश नहीं करते हैं, मैं सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा और अगले ही सप्ताह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिस सर्वदलीय बैठक में यद्यपि अलग-अलग मत दिये गये, लेकिन अलग-अलग मत दिये जाने के बाद भी प्रमुख 5-6 पार्टियों ने कहा कि पहले इस विधेयक को इसी रूप में पेश किया जाये, जिस पर कह सकते हैं कि कन्सेंसस था,

[अनुवाद]

कि यह विधेयक इसके वर्तमान स्वरूप में पेश कर दिया जाना चाहिए। इस पर विस्तृत मतैक्य था कि हम जानते थे कि यह ऐसा मामला था जिस पर दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी क्योंकि यह एक संविधान संशोधन था। यह दो-तिहाई से अधिक था। उन दलों की संख्या और उन प्रवक्ताओं की संख्या को देखते हुए यह सभा का लगभग तीन-चौथाई था।

[हिन्दी]

लेकिन सदन को पता है कि उसक बाद क्या हुआ जो कुछ हुआ, उसमें मैं मानता हूं कि संसद की गरिमा दुनिया के सामने जिस रूप में गई, हमको लगा कि हम अपराधी हैं, हम इसके लिए दोषी हैं। उसके बाद हमने सोचा कि शायद स्थिति में परिवर्तन आये, कुछ लोगों ने कहा कि हमसे गलती हुई, नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में जिस प्रकार से लगा लेकिन हमारे सामने महिला आरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कम नहीं हुई, लेकिन उस प्रतिबद्धता साथ-साथ इस संसद की गरिमा, इस संसद की महिमा यहां पर ठीक प्रकार से हो, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कम नहीं है और हमारे सामने डिलेमा हो गया, क्योंकि कहा गया अभी आपने कुछ नहीं देखा है, अगर आप फिर से लाएंगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।

इसी कारण हमारे कदम कुछ ठिठक गए। मैं आज भी कहता हूं और चाहता हूं, हमारी सरकार भी चाहती है कि विधेयक को प्रस्तुत किया जाए, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि यह पारित किया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लेकिन नेशनल एजेंडा में तय हुआ था कि पारित होना चाहिए। अगर कंसेंसेस नहीं है, तो महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कंसेंसेस की क्या जरूरत है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन वह दृश्य फिर से खड़ा न हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इंट्रोड्यूस कर दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री आडवाणी जी, विभिन्न राजनैतिक दलों के कड़े रुख को देखते हुए और हमारी शुभकामानाओं के

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

बावजूद, हम इस मुद्दे पर सर्वसम्मति की आशा नहीं कर रहे थे। अतएव, एक अलग विधेयक प्रस्तुत करने के संबंध में बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है जिसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। किन्तु मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। इसे प्रस्तुत करना ही होगा। अन्यथा कुछ माननीय सदस्य— चाहे वे अपने इरादों में कितने ही सम्मानीय क्यों न हों—अपनी इच्छानुसार इस सभा की संपूर्ण कार्यवाही और यहां तक कि महत्वपूर्ण विधायी कार्य को रोक सकते हैं। हम इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अपनी कठिनाइयों का ब्यौरा स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने केवल कठिनाई का उल्लेख किया। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं। कंसेंसेस या युनेनिमिटी जब तक न हो तब तक नहीं करना चाहिए।

आखिर उस बैठक में भी सर्वसम्मति नहीं थी। लेकिन यह एक आमराय थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझता हूं कि श्री शरद पवार भी वहां थे जिन्हें इस उपाय के समर्थक के रूप में जाना जाता था। हमने कहा कि यदि दुर्भाग्य से गड़बड़ियां हो भी जाती हैं तो भी हमें इससे उबरना होगा। यह हमारा अनुरोध था। कृपया उसे याद कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जैसा कि मैंने कहा आप इस बात की सराहना करेंगे कि मैं इन ब्यौरों में क्यों नहीं जा सकता मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मैंने केवल यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सरकार की क्या सीमाएं हैं। सरकार अभी भी उसी विचार पर कायम है।

मैं अपनी मूल विषय वस्तु से केवल इसलिए भटक गया था कि इसका उल्लेख कई सदस्यों द्वारा किया गया था। लगभग सभी महिला सदस्यों ने इसका उल्लेख अवश्य किया था। अतः, जहां तक मूल मुद्दे का संबंध है, मैंने सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए यह सरकार किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे आज के अवसर पर बहुत खुशी है कि सदन के सभी सदस्यों ने और सभी वर्गों ने इस मामले में सरकार का साथ देने का संकल्प प्रकट किया है।

अपराह्न 4.33 बजे

[अनुवाद]

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं॰ 15 पर विचार करेंगे। श्री सिकन्दर बख्त।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लघु और अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

> "कि लघु और अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह संशोधन बिल यहां पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में लगभग 30 लाख से अधिक स्माल स्केल इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स लगभग 150 लाख के करीब लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। इस देश में संसाधन कम हैं, आबादी ज्यादा है। इसलिए हमें इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में ज्यादा उद्योगों की जरूरत है जो ज्यादा रोजगार दे और ज्यादा लोगों को काम मिले। यह बात सही है कि बड़े उद्योगों में प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वे बड़ी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारे देश में उसका इसलिए अधिक महत्व नहीं बनता, क्योंकि हमारे यहां संसाधन कम होने के कारण आबादी ज्यादा होने के कारण छोटे यूनिट्स की आवश्यकता है जो अधिक लोगों को काम दे सकें।

अपराह्न 4.34 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री इस सम्बन्ध में इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ती है और ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। स्माल स्केल इंडस्ट्री के लोगों के पास ज्यादा धन नहीं होता। वे छोटे स्केल पर अपना काम करते हैं। जहां-तहां से पैसे का इंतजाम करके अपनी यूनिट चलाते हैं। कई स्थानों पर देखा गया है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि ब्याज बढ़ता जाता है। ब्याज बढ़ने के साथ-साथ जो यूनिट अच्छा काम करती है उसको पेमेंट समय पर न मिले, उसका ब्याज

समय पर न मिले तो यह अच्छा काम करने वाली यूनिट भी धीरे-धीरे सिक यूनिट बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि जो स्माल स्केल यूनिट्स हैं, उनको पेमेंट समय पर मिले और ब्याज समय पर मिले। यह बात सही है कि ब्याज की राशि अधिक नहीं होती।

लेकिन ब्याज के डर से पेमेंट समय पर आए, यह इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को इस में सदन लघु और अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज का एक्ट 1993 में पास किया था। दो, तीन या पांच साल के दौर में ऐसा महसूस हुआ कि इस एक्ट को ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस एक्ट के अंदर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में इस दौरान बहुत से लोगों से जो इसके साथ जुड़े हुए थे, विचार-विमर्श किया। लोगों के सुझाव आए, जो विभिन्न उद्योगों की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उन सबका मत था कि इसे प्रभावी बनाने के लिए इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है, हमारे एक्ट में ऐसे प्रावधान थे, जो स्माल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रहे थे, आज सारे के सारे प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है।

जो सेक्शन 2 एफ है। उसको संशोधित करने का विचार है। इससे पहले स्पलायर की डेफिनेशन में कुछ कमजोरियां और खामियां थीं। उनको दूर करने के लिए सेक्शन 2 एफ में संशोधन लाया गया है।

[अनुवाद]

अब, इन शब्दों की परिभाषा में कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कम्पनी के कारण, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

यह एड करने का प्रावधान किया गया है।

"किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का लघु उद्योग विकास निगम, जिस किसी नाम से पुकारा जाये, कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।"

[हिन्दी]

यह सप्लायर की डेफिनेशन में एड करने का जो काम किया गया है, इससे थोड़ा बहुत जो लैकुना था, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही सेक्शन 3 में पेमेंट की कोई सीमा नहीं थी। आज उसे कानून से 120 दिन का अधिकतम दिन करने का प्रावधान किया गया है। कई बार लेनदेन के मामले में जो देने वाला है, सप्लायर है, उसकी मजदूरी होती है, उसका लाभ उठाकर जो बायर है, वह एग्रीमेंट के अंदर कभी 240 या 300 या 360 दिन का प्रावधान एड कर देता था। इस सेक्शन में संशोधन करके उसके अंदर कानून से प्रावधान किया गया है कि अधिक से अधिक समय पेमेंट में 120 दिन का होगा। यह कानून बहुत आवश्यक है। जैसे मकान मालिक और किराएदार के झगड़े में हमारे कानून से प्रोवाइड किया कि भले ही मकान मालिक और किराएदार दोनों अपने एग्रीमेंट में इस बात पर सहमत हो जाएं कि छः महीने या एक साल के बाद मकान खाली कर दिया जाएगा, लेकिन लॉ ने कहा कि इस एग्रीमेंट को मान्यता नहीं देंगे। ऐसे ही सेक्शन 3 में जो प्रावधान किया जा रहा है, जो संशोधन प्रोवाइड किया गया है, उसमें 120 दिन की सीमा लगा दी गई है। इसलिए अब जो भी कोई पेमेंट होगी, वह 120 दिन के अंदर नहीं की जाती तो उसके अंदर उनको ब्याज देना पड़ेगा।

ऐसे ही सेक्शन 4 है, जो नया एड किया जा रहा है—

[अनुवाद]

मैं संशोधन पढ़ूंगा, वह संशोधन जो मूल अधिनियम की धारा 4 के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसका पाठ है—"जहां कोई क्रेता आपूर्तिकर्ता को धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, जैसा कि धारा 3 के अंतर्गत आवश्यक है, तो क्रेता, क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते या उस समय प्रचलित किसी भी कानून में किसी भी अंतर्विष्टि के बावजूद निर्धारित तिथि से या जैसा भी मामला हो, समझौते की तारीख से तत्काल बाद की तारीख से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली मुख्य ऋण दर के डेढ़ गुने की दर से इस धन राशि पर आपूर्तिकर्ता को ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।"

यह भी अच्छी बात है कि प्राइम लैंडिंग रेट की परिभाषा भी इसके अंदर दे दी गई है।

"प्राईम लैंडिंग रेट" का अर्थ है बैंक के सर्वोत्तम ऋणकर्ताओं के लिए उपलब्ध भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण दर।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। इस प्रावधान में, इस अमेंडमेंट में, जो सरकार ने इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउन्सिल बनाने का प्रस्ताव किया है, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव कई दृष्टियों से बहुत लाभदायक और बहुत जरूरी है। मेरा अब तक का अनुभव यह बताता है कि किसी भी दो पार्टी में जब झगड़ा होता है, चाहे वह लेनदेन का मामला हो, जैसा अभी आडवाणी जी क्रिमिनल केस का जिक्र कर रहे थे, चाहे फौजदारी का मामला हो, चाहे सिविल का मामला हो। कचहरी के अंदर जब मामला चला गया तो इसका मतलब है दस-पन्द्रह-बीस साल के लिए मामला चला गया। भले ही आपने इंटरेस्ट रिकवर करना हो, भले ही आपने अमाउन्ट रिकवर करना हो। आपको अगर केस डालना है तो पहले उस अमाउन्ट की कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने पल्ले से आपको वकील का खर्चा पे करना पड़ेगा। कोर्ट फी कोई कम अमाउन्ट नहीं है। अगर पांच लाख, दस लाख की पेमेंट है तो पचास-साठ हजार सिर्फ कचहरी की फी होती थी, वह आपको पे करनी होती थी। उसके बाद वकील की फी लगेगी और इतना भारी अमाउन्ट पे करने के बावजूद भी अगर आप सिविल सूट

[श्री सत्य पाल जैन]

रिकवरी के लिए डालते हैं तो पता नहीं कितने वर्ष उसमें लगेंगे? आप पहले वहां सारी लैजर बुक्स प्रोड्यूस करिए, एवीडेंस लीड करिए, इश्यूज फ्रेम करवाइए और सालों साल तक केस का फैसला नहीं होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करिए, हाई कोर्ट में अपील करिए और फिर स्पेशल लीव पैटीशन सुप्रीम कोर्ट में करने में वर्षों बीत जाते थे। आज जो नया फोरम इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउन्सिल बनाने का प्रावधान इसके अंदर किया है, मैं समझता हूं कि इस मामले में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत राहत मिलेगी, अब जो निर्णय है, वह समय पर होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आपने इसका प्रावधान किया है, उसके अंदर जैसे इलेक्शन लॉ में समय-सीमा निर्धारित की है, इसी तरह काउन्सिल के लिए अगर हम समय सीमा निर्धारित कर दें कि जितने भी ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स आते हैं, उनको छः महीने में या नौ महीने में या साल के अंदर उनका निर्णय करें। यह काउन्सिल टाइम बाउन्ड निर्णय करेगी, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको मालूम है कि एक प्रावधान यह है कि अगर किसी सांसद या विधायक के चुनाव को चुनौती मिलती है तो लॉ कहता है कि छः महीने के अंदर उसका निर्णय करेंगे। मैं यह मानता हूं कि शायद छः महीने में निर्णय करना संभव नहीं हो पाता है। कई बार तो छः-छः साल में भी निर्णय नहीं होता। लेकिन अगर हम यह प्रावधान या एक क्लॉज उसमें रखते हैं कि उस कचहरी पर, जो केस का ट्रायल कर रही है, उस पर एक साइक्लॉजिकल प्रैशर होगा कि मुझे समय पर निर्णय करना है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस बारे में विचार करें। आपने जो अंतिम सैक्शन एड किया है, जो रूल का जिक्र किया है, उस रूल के अंदर जिक्र किया जा सकता है कि कोर्ट समय पर अपना निर्णय देगी। इसके साथ-साथ इस काउन्सिल के गठन के संबंध में जो 7 बी(1 आई) क्लॉज आपने एड की है :-

[अनुवाद]

उद्योग सरलीकरण परिषद् में निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक सदस्य नियुक्त हो सकेंगे :-

[हिन्दी]

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो चार क्लॉज आपने सजेस्ट की हैं,

[अनुवाद]

"(एक) राज्य सरकार के उद्योग निदेशक, जिस नाम से भी पुकारा जाता हो, या कोई अन्य अधिकारी जो ऐसे निदेशक स्तर से नीचे का न हो;

(दो) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि;

(तीन) राज्य उद्योग संघों के पदाधिकारी या प्रतिनिधि; और

(चार) उद्योग, वित्त, विधि, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति"

[हिन्दी]

मेरा मंत्री जी से एक निवेदन है कि आप इसके अंदर कम से कम एक व्यक्ति हर कैटेगरी से जरूर लेने का प्रावधान करें। आपने इसमें लिखा है :-

[अनुवाद]

"परिषद् में निम्नलिखित श्रेणियों में से नियुक्त किए जाने वाले एक या अधिक सदस्य होंगे।" मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। परिषद् में चार या पांच सदस्य रहने दीजिए ताकि इसमें वे विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हों।"

[हिन्दी]

मेरा एक सुझाव आपसे यह है। दूसरा सुझाव है कि आपने इसके अंदर चेयरमैन का प्रावधान किया है। आपने इसमें लिखा है कि इस काउन्सिल का चेयरमैन डायरेक्टर इंडस्ट्रीज या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा। इसका मतलब यह होता है कि चेयरमैन अगर आप डायरेक्टर को बनाने की बजाय अगर आप कोई रिटायर्ड जज या ज्यूडिशियल ऑफिसर बनाएंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो झगड़ा आएगा, वह लॉ का इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसके अंदर लॉ का मामला भी आएगा। इसलिए अगर चेयरमैन, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की बजाए आप किसी हाई-कोर्ट का रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर अपॉइन्ट करते हैं तो उससे आपको झगड़ों को निपटाने में ज्यादा आसानी रहेगी। जिस व्यक्ति को लॉ की नॉलेज होगी, वह व्यक्ति जल्दी डिस्प्यूट्स हल कर सकता है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा योगदान कर रही है। नौकरियां देने में भी योगदान कर रही है और प्रोडक्शन के मामले में भी कर रही है। देश को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी वह बहुत बड़ा योगदान कर रही है। सारे प्रदेश में हजारों की तादाद में सारे देश में जो बीस लाख से ऊपर यूनिट काम कर रहे हैं, उनको मजबूत करने तथा उनकी मदद करने की आवश्यकता है।

हमारी भारती जनता पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनकी सरकार ने जो चार्टर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया है, उसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को राहत देने का प्रयास किया गया है।

मैं महसूस करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार का यह काम उस दिशा में एक कदम होगा और माननीय मंत्री जी हमारी सरकार और भी कदम उठाएगी, ताकि स्माल स्केल सैक्टर में जो समस्यायें हैं, उनका समाधान हो सके और वे देश की सेवा कर सकें।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.45 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) अमरीकी सरकार द्वारा कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को अमरीका छोड़ने के लिए नोटिस जारी करने की कार्यवाही किया जाना

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : सभापति महोदय, सरकार, सदन के माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा सदन के बाहर कई प्रमुख व्यक्तियों द्वारा संयुक्त अमेरिका सरकार द्वारा वहां कार्य कर रहे कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ने के लिए नोटिस जारी करने की अघोषित कार्रवाई पर व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रकार के नोटिस उन भारतीय वैज्ञानिकों को जारी किए गए हैं, जो वहां व्यक्तिगत तौर पर रह रहे हैं, चाहे उन्हें भारत की संस्थाओं और विभागों से लियन मिला हुआ हो। फिर, उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल एक भारतीय वैज्ञानिक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डस एण्ड टेक्नोलाजी (निस्ट) में पोस्ट डाक्टोरल फेलो के रूप में कार्य कर रहा था, भारत वापस लौटा है और अपने पूर्व के संगठन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बी॰ए॰आर॰सी॰ में कार्य कर रहा है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी है। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका की इस कार्रवाई का प्रश्न है, सरकार ने वैज्ञानिकों को, यदि वे वास्तव में स्वदेश प्रत्यावर्तित कर दिए जाते है, तो उन्हें सहयोग और प्रोत्साहन देकर तथा उन्हें हमारे अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थानों, विभागों, उद्योग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध अवसर मुहैय्या कर उनकी विशेषज्ञता का देश के अन्दर कर के भी इस स्थिति से निपटने का फैसला किया है। इस दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विभाग के सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक कोष्ठ यानी एक सैल की स्थापना की जा रही है। यह कोष्ठ निम्न प्रकार से कार्य करेगा :

(क) कोष्ठ यानी सैल विदेशों में भारतीय मिशनों को कोष्ठ स्थापित करने के बारे में सुझाव देगा। वैसे देशों, जिन्होंने भारत विरूद्ध कार्रवाई की घोषणा की है, में स्थिति मिशनों से प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क किया जाएगा।

(ख) मिशनों को आगे यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें ऐसी किसी भी कार्रवाई जो उन सरकारों द्वारा अपेक्षित है, जिन पर ये प्रत्यायित हैं, के प्रति सतर्क रहना चाहिए तथा इस प्रकार की गई अथवा अपेक्षित कार्रवाईयों से कोष्ठ को अवगत करा दिया जाए।

(ग) मिशनों को आगे यह सुझाव दिया जाए कि वे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलाजी (डी॰एस॰टी॰) में इस कोष्ठ के मौजूद रहने की सूचना प्रसारित करे तथा प्रभावित वैज्ञानिकों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपने बायोडाटा देते हुए कोष्ठ के साथ तुरन्त सम्पर्क करें। यदि आवश्यक हो तो मिशनों को भी उनका बायोडाटा भेजने में सहयोग करना चाहिए।

(घ) मिशन या किसी प्रभावित वैज्ञानिक के संदर्भ प्राप्त होने पर कोष्ठ निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :

(I) यदि संबंधित वैज्ञानिक सरकार के किसी संस्थान/विभाग में लियन पर हों, तो उन्हें वापस बुलाने के लिए उस विभाग से सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।

(II) यदि कोई वैज्ञानिक किसी विभाग/संस्थान में लियन पर न हो तो उसका मामला वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए डी॰जी॰सी॰एस॰आई॰आर॰ को भेज दिया जाएगा।

(III) यदि उक्त दोनों मामलों के अलावा कोई मामला सामने आता है, तो भी उस मुद्दे पर देश के अन्दर संस्थानों से बातचीत की जाएगी, ताकि यथा साध्य स्थानन संभव हो सके और ऐसी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसे उम्मीदवारों को आमेलित करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

आरम्भ में कोष्ठ छः महीनों की अवधि के लिए प्रचालन में होगा, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के सचिवों के साथ स्थिति की पुनरीक्षा की है। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि वैज्ञानिकों का आत्मबल ऊंचा है और वैज्ञानिक विभागों के सचिवों को विश्वास है कि विदेशी प्रशासन की ऐसी कार्रवाइयों का उनकी अनुसंधानवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत को जब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उसके अवसरों और प्रौद्योगिकियों को नकारा गया है। ऐसे में वह हमेशा और मजबूत होकर उभरा है। सचिवों ने विश्वास दिलाया है कि वापस आ रहे वैज्ञानिकों को देश के भीतर वैज्ञानिक प्रयासों के लिए योगदान देने के लिए समुचित अवसर मिलेंगे।

मैं, सरकार की ओर से सदन और प्रभावित वैज्ञानिकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अवसर उनकी प्रतीक्षा घर पर कर रहे हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं में सहभागिता कर सकते हैं, जहां पर उनकी प्रतिभा का लाभकारी उपयोग हो सकेगा। इस सदन ने हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर पहले भी अनेक अवसरों पर सराहना और प्रशंसा की है और आज भी मुझे विश्वास है कि सदन,

[डा॰ मुरली मनोहर जोशी]

विदेश प्रशासन द्वारा अनुचित कार्रवाई किए जाने के कारण वापस आ रहे वैज्ञानिकों को असंदिग्ध रूप से अपना सहयोग देगा। हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद आपकी सहायता और उद्योग, शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों के सहयोग से यह देश और अधिक मजबूत होकर उभरेगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियम में स्पष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है।...*(व्यवधान)* अमरीका ने हमारे वैज्ञानिकों के विरूद्ध एक संकल्प पारित किया है कि उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। जब संसद का सत्र चल रहा है, तो हम एक सर्वसम्मत संकल्प पारित क्यों नहीं करते? हमें भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा नैतिक समर्थन देना चाहिए। हमें एक संकल्प पारित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी से सहमत हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमारा कहना यह है कि जो एक्शन संयुक्त राष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ युनाइटेड स्टेट्स ने ले लिया है।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ उठाया है। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा ऐसी दंडात्मक कार्यवाही क्यों की जा रही है? हम अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का पुनर्वास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं बताया है कि क्या भारत सरकार ने इस मामले को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ उठाया है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, वैसे तो इसने स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत पहले कहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी वैज्ञानिक गए हैं वे सरकार की तरफ से नहीं भेजे गए हैं। वे विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के बीच आपसी संबंधों के कारण वहां गए हुए हैं। वे भारतीय वैज्ञानिक हैं और हमारा फर्ज है कि हम अपने वैज्ञानिकों की हर संभव सहायता और रक्षा करें। इसलिए हमने हर मिशन को संदेश दिया है और आदेश दिया है कि ऐसे तमाम वैज्ञानिकों से वह सम्पर्क करें और उनकी जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनकी मदद करें। अगर कोई सरकार से सरकार में की जाने वाली बात आती है, उसमें हम गवर्नमैंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से दूसरे ढंग से बात करते हैं लेकिन यह जो निजी संस्था और दूसरी संस्थाओं के बीच की बात है उन संस्थाओं के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम स्थिति पर पूरी निगाह रखे हुए हैं।

मैं आपको यह बता दूं कि हमने जो स्टैंड लिया है उसकी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने बहुत सराहना की है कि भारत ने बहुत गंभीरता के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत एक परिपक्व, प्राचीन देश है। हम छोटी-मोटी बातों से परेशान नहीं होते हैं और सारी दुनिया हंस रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक स्वयं हंस रहे हैं, जिस तरह से वहां किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह छोटी बात नहीं है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : यह छोटी बात इसलिए है क्योंकि अगर सरकार में कुछ होता है, जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लागू किए हैं, आप देखिए कि चार महीने से वह सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, आज उसका क्या परिणाम हुआ है। हमारे पास केवल एक वैज्ञानिक भारत में आया है, बाकी जो लिस्ट इन्होंने बनाई है उसमें यह है कि 50 प्रयोगशालाओं को आप प्रतिबंधित कर दो। मैंने देश के वैज्ञानिकों से बात की है। उनकी सलाह लेने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमारे वैज्ञानिक और सलाहकार हमें इस मामले में जो सलाह देंगे हम उसके आधार पर भारत सरकार की ओर से कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। इस मामले में हमें वैज्ञानिकों की सलाह पर चलना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। सारे वैज्ञानिकों, सलाहकारों, सैक्रेट्रीज और विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों से हम रोज सम्पर्क कर रहे हैं। जैसी परिस्थिति आएगी उसके अनुसार हम पूरी प्रतिक्रिया और पूरे कदम उठाएंगे।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी वैज्ञानिक का अपमान नहीं होने देंगे, किसी वैज्ञानिक को परेशान नहीं होने देंगे और भारत में हर प्रकार की उन्हें सहायता उपलब्ध कराएंगे। हमने प्रबंध कर दिया है कि कोई भी वैज्ञानिक जो इस दृष्टि से वापस लाया जाएगा उसे पहले से अच्छे अवसर प्रदान किये जाएंगे और और वे भारत में सुरक्षा के साथ काम करेंगे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : जब संसद का सत्र चल रहा है, तो इस संबंध में सदन को एक संकल्प पारित करना चाहिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति महोदय, ममता जी ने जो बात कही है, मैं किन शब्दों में कहूं जिस तरह का यह वक्तव्य है।

जिन वैज्ञानिकों को अमरीका ने निष्कासित किया है यह सदन ...(*व्यवधान*) उन वैज्ञानिकों के पूरी तरह से साथ है और जब वे भारत में आएं तो उनका साथ दिया जाए और जैसा कि माननीय जोशी जी ने वक्तव्य दिया है उसी भावना के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आप डैमोक्रेसी की बात कर रहे हैं...(*व्यवधान*) उनको निकाला जा रहा है जिनका टैक्नोलॉजी से कोई संबंध भी नहीं है।...(*व्यवधान*) निंदा शब्द आना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : निंदा शब्द रहना चाहिए।...(*व्यवधान*) सदन को अमेरिका की इस कार्यवाही की निंदा करनी चाहिए।... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 4.56 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(तीन) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किया जाना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : सभापति महोदय, सदन को याद होगा कि मैंने 23 जुलाई को सदन को सूचित किया था कि केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों/औषधालयों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारी 20.7.98 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मुख्य मांगों में ये शामिल थी : (एक) सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को तीन समयबद्ध पदोन्नतियां, (दो) समूह 'ग' और 'घ' के सभी कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान देना, (तीन) उन्हें रात्रि वेटेज भत्ते, जोखिम और खतरा भत्ते, धुलाई भत्ते का भुगतान करना (चार) सभी वंचित स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभिन्न अस्पतालों/संस्थाओं में दिया जा रहा समान रोगी परिचर्या भत्ता देना और रोगी परिचर्या भत्ता मूल वेतन का 25 प्रतिशत होना चाहिए, (पांच) चौथे और पांचवें वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने से उत्पन्न सभी विसंगतियों/असमानताओं को दूर किया जाए, भर्ती नियमों में एकरूपता लाई जाए और (छह) दिनांक 23.9.1997 को अस्पताल कर्मचारी यूनियन की संयुक्त कार्रवाई समिति और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के बीच, हस्ताक्षर किए गए करार को कार्यान्वित करना।

हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने हेतु, हड़ताली कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा निर्मित संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधियों के साथ 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई और 22 जुलाई, 1998 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा बैठकें की गई। कर्मचारियों के 26, 27 और 28 जुलाई, 1998 को स्वास्थ्य सचिव द्वारा बातचीत की गई। मैंने भी उनके साथ 19 जुलाई, 26 जुलाई और 28 जुलाई, 1998 को बैठकें की।

साथ ही साथ, सरकार ने 2.7.1998 को इन मांगों की जांच हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। इस समूह में (एक) श्री यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री, (दो) श्री दलित एजिलमलाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और (तीन) श्री के॰ आर॰ जनार्दन, कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व व बीमा) में राज्य मंत्री शामिल हैं।

मंत्रियों के समूह द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की गई और कर्मचारियों की सभी मांगों की विस्तृत जांच की गई।

मुझे अब सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार समूह 'घ' कर्मचारियों को अस्पताल रोगी परिचर्या भत्ते को 75 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 695 रुपये प्रति माह और समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए 80 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति माह करने पर सहमत हो गई है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के सभी समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए रोगी परिचर्या भत्ते को 70 रुपये से बढ़ाकर 690 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग कालेज, लेडी रीडिंग हैल्थ और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ में रोगी परिचर्या से जुड़े कर्मचारियों को भी रोगी परिचर्या भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की असामान्य श्रेणी को 60 रुपये प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा धुलाई भत्ता उपर्युक्त पांच संस्थानों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कर्मचारियों के अस्पताल और संबद्ध तकनीकी समूहों/श्रेणियों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विस्तृत आधार वाली समिति का गठन किया है ताकि वहां पर कार्यरत समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के स्टाफिंग पैटर्न को तर्कसंगत बनया जा सके और उनके जीवन वृत्ति संभावना (कैरियर प्रोस्पैक्टीव) में सुधार किया जा सके।

मुझे एक बार फिर सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हड़ताल समाप्त हो गई है और सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आ गये हैं।

अपराह्न 5 बजे

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : इससे पता चलता है कि आपने सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं।...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : वे समस्या हल करने में इतना अधिक समय क्यों लेते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : उन मरीजों के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने इस हड़ताल के कारण परेशानियां उठाई? उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सरकार को इस हड़ताल से बचना चाहिए। हमें समाचार पत्रों में सभी अस्पतालों की दयनीय स्थिति की तस्वीर नजर आती हैं। इससे बचा जा सकता था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : खुशी की बात यह है कि हड़ताल समाप्त हो गई है। अब हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स बिल पर बहस करना आरम्भ करते हैं।

अपराह्न 5.01 बजे

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर (संशोधन) विधेयक जारी

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सदन के समक्ष संशोधन बिल पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इससे देश के लाखों छोटे उद्योगों और एनसिल्लरी उद्योगों को सुविधा और मदद मिलेगी। हालांकि इससे पहले 1990 में यह बिल बना था। उसके माध्यम से छोटे उद्योगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वह उन तक पहुंच नहीं पाया। हम सांसद कमेटी के काम से देश के कोने-कोने में जाते हैं। उस समय छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग हमें मैमोरंडम देते हैं और उनमें अपनी तकलीफों को बताते है। अगर उद्योग मंत्रालय इसकी जांच करें और सारे मैमोरंडम को कोलैक्ट करे, तब उसे देखने को मिलेगा कि बहुत से छोटे उद्योग समाप्त या बंद हो गए हैं। वहां पर काम करने वाले मजदूरों को पैसा भी देर से मिलता है। कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जिस ने इस बारे में दो-चार पत्र न लिखे हों। आज कई छोटे-छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। इससे रोजगार के अवसर बंद हो गए। आज छोटे-छोटे उद्योगपति कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते हैं। ऐसे में वे खुदकुशी करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं।

इस संशोधन बिल का बहुत सीमित रूप है। इस पर बहुत ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इसमें जब तक कॉनसिलिएशन का प्रस्ताव और आर्बिट्रेशन का प्रोग्राम समयबद्ध नहीं होगा तब तक वही सब होता रहेगा जो आज तक होता रहा। इससे बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें समयबद्ध व्यवस्था करना आवश्यक है।

हमने इस बात को पहले भी देखा है कि यहां जो कानून पास किए जाते हैं, उनको राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसके सैक्शन 7(ए, बी और सी) पर जाने की जरूरत है। इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

> राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के जरिए ऐसे स्थानों पर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए इन क्षेत्रों के लिए जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, एक या अधिक उद्योग सरलीकरण परिषद् स्थापित कर सकती हैं।

इसमें जो चपला होता है, उसको दूर करने की जरूरत है। मैं किसी राज्य सरकार पर अविश्वास नहीं करता। जब तक इस संशोधन बिल का सही ढंग से इम्पलीमैंटेशन नहीं होगा, तब तक कानून कागज पर रह जायेगा, उससे क्या फायदा होगा? आप जो काम करना चाहते हैं, यदि उससे किसी को फायदा नहीं पहुंचा तो वह बेकार प्रयत्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इसको इम्पलीमैंट करना चाहते हैं और जो प्रस्ताव आपने रखा है, यदि इम्पलीमेंट नहीं हुआ तो क्या करने वाले हैं? क्या मानिटरिंग के लिये कोई साधन रहेगा? आपने प्रस्ताव अच्छा रखा है लेकिन प्रश्न यह है कि इस देश के पब्लिक सैक्टर आर्गनाईजेशन्स हैं, वे डिफाल्टर्स हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को पेमेंट नहीं मिलता है। पब्लि सैक्टर को बोलने के बाद भी उनके कान में बात नहीं जाती है। उन्हें तकलीफ भी होगी। वे ऐसी मनमानी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी मजबूरी है कि मानिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस बात की मानिटरिंग करने के लिये सभी राज्यों के उद्योग मंत्रियों की मीटिंग करके एक टाइम बाउंड प्रोग्राम आपके मंत्रालय के पास रहे ताकि आगे पता रहे कि इस विधेयक के पास और लागू होने के बादहम कितनी तरक्की कर पाये हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहकर यही कहूंगा कि अच्छी चीज बुरी होती है यदि उसका सही इम्पलीमेंटेशन न हो, उससे लोगों को फायदा न पहुंचे। यदि इस काम में कमी रहेगी तो मैं समझता हूं कि हम अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : माननीय महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया।

आज हमारे देश में कुल 2 लाख 62 हजार 376 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आज जो संशोधन पेश हुआ है, सन् 1993 में पहले पेश हुआ था। मैं समझता हूं कि इन उद्योगों के सामने 2-3 तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं। एक तो यह है कि लघु उद्योग चलाने

के लिये हमेशा रॉ-मैटीरियल का हमेशा अभाव रहा है और अगर मिल भी गया तो उत्पादन के बाद सेल नहीं हुआ। प्राब्लम यह रही कि पैसा आता नहीं है। इसलिये 1993 में जो विधेयक आया, उस पर विचार किया गया था और विचार करने के बाद 1993 में ही उद्योग-धंधों की समस्याओं का समाधान करने के लिये यह विधेयक पारित किया गया। जो सोचा गया, वह हुआ नहीं। उनके सामने मूलभूल समस्यायें उलझी रहीं। हमारी सरकार को उन समस्याओं के कारण यह संशोधन विधेयक आज सदन में लाना पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता मगर दो-तीन जरूरी बातों की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस संशोधन विधेयक में चार चीजों पर संशोधन पेश किया गया है। पहला यह था कि हमारे लघु उद्योगों की परिधि में कौन-कौन से उद्योग आने चाहियें और कौन से नहीं आने चाहिये। अभी तक लघु उद्योगों की परिभाषा में राज्यों के विकास निगम या राष्ट्रीय निगम सम्मिलित नहीं थे। हमारी सरकार ने इस विधेयक में संशोधन के जरिये इन्हें शामिल करके अद्वितीय कदम उठाया है। इसका कारण यह है कि ये संगठन हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं। इसलिये इनको सम्मिलित किया गया था। दूसरा, क्रेता और उद्योग के बीच में हमेशा एक समस्या सामने आयी कि इंडस्ट्रीज चाहती है कि उनका माल जल्दी बिक जाये ताकि उन्हें तुरंत पैसा प्राप्त हो जाये।

लेकिन बिजनेस एक ऐसा काम नहीं है कि तुरंत ही पैसा मिल जाए। यहां तो एक रुपये के सौदे पर करोड़ों का सौदा होता है, इसलिए उधार भी दिया जाता है। इसलिए इनका माल जब क्रेता खरीदता था तो फिर उद्योगपतियों को यह आवश्यक हो जाता था कि उनका पैसा जल्दी मिले, लेकिन उनका पैसा जब समय पर नहीं मिला, तब उनको एक करार करना पड़ा और जो पहले करार दिया गया था, उसमें इस बात को निश्चित नहीं किया गया था कि वह कब उसका पैसा अदा करेंगे, टाइम बाउंड नहीं किया गया था, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा। हमारे संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया है और यह सरकार की सूझ-बूझ है।

इन्होंने इसको टाइम बाउंड कर दिया है और 1 से 28 दिन का जो समय होता है, अब चार महीने का समय दिया है कि चार महीने में वह अदा कर दे और अगर चार महीने में अदा नहीं कर सकता तो उसमें यह भी संशोधन है कि बैंक की दर का जो ब्याज है, स्टेट बैंक हमें जो ब्याज देता है, उसका डेढ़ गुना भुगतान करना पड़ेगा। यह उद्योगपतियों के संबंध में बहुत प्रशंसनीय कदम सरकार का है। सबसे बड़ी बात यह है कि केता और उद्योगपतियों के बीच में जब मामला समय से नहीं सुलझता अथवा उनमें इस प्रकार का विवाद पैदा हो जाता है कि जो किसी प्रकार से हल नहीं होता है तो आप जानते हैं कि समाज में आदमी जब चारों तरफ से यह समझ लेता है कि हम असफल हो रहे हैं तो उसके लिए अदालत का दरवाजा खुलता है। हमारे यहां सिविल कोर्ट का क्या प्रोसीजर है यह सभी जानते हैं। सिविल कोर्ट में केस ले जाइए तो एक-दो साल नहीं, मामला बीसियों साल तक चलता है। एक लघु उद्योगपति की रकम इस तरह से डूबी रहे और न्यायालय दस वर्ष में उसका कोई जजमेंट न दे तो इसके लिए सरकार ने बड़ी सूझ-बूझ का काम किया है कि एक परिषद् को जन्म दिया है। एक सुकरणीकरण परिषद् बनाने के लिए एक संशोधन दिया है और उसमें यह होगा कि उसकी मध्यस्थता करने के लिए राज्य सुकरणी परिषद् होगी। जब इस तरह का विवाद हो तो केता भी जा सकता है और विक्रेता भी जा सकता है। दोनों के लिए समान रूप से दरवाजा खुला हुआ है जब दोनों वहां पहुंचेंगे, दोनों की मध्यस्थता कर मामला सुलझा दिया जाएगा, इस तरह के तीन-चार प्रोविजन्स हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज का संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ठीक मौके पर लाया गया है। हम यह चाहते थे कि यह संशोधन और पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। इससे उद्योगपतियों का लाभ होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों का लाभ होगा, उनका पैसा मिलेगा, उद्योग-धंधे चलेंगे। यह संशोधन अद्वितीय है, प्रशंसनीय है और सरकार का पहला कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मैं विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हूं। किन्तु विधेयक में दिए गए सुझाव पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि इसका उद्देश्य विलंब को रोकना है। यदि ऐसा है तो हमें विलंब से बचने के लिए उपाय सुझाने में सतर्कता बरतनी चाहिए।

अब पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए हमारे अनुभवों के आधार पर सरकार को यह विधेयक लाने के लिये मजबूर होना पड़ा। मूल अधिनियम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एसएसआईडीसी) जैसे सरकारी उपक्रमों को शामिल नहीं किया गया था। इन दोनों संगठनों को मूल अधिनियम की परिधि से बाहर रख दिया गया था। अब यह वर्तमान अधिनियम इन दोनों संस्थानों को इस विधेयक की परिधि में लाने का एक प्रयास है। यह तो हुआ एक पहलू।

दूसरा पहलू जो मैं सुझाना चाहता हूं वह ब्याज के विलंबित भुगतान की वसूली के बारे में है।

सुझाया गया तरीका विवाचन संबंधी का है। विवाचन संबंधी कार्यवाही का हमारा बहुत कटु अनुभव है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ ही साथ राज्य लोक निर्माण विभागों के कार्यचालन में संविदाएं प्रदान करने के लिए हमारे पास विवाचन अधिनियम है। वहां, न्यायिक अधिकारी या राज्य न्यायिक अधिकारी विवाचक होते हैं और धनराशि को वसूल करने में कम से कम दो या तीन वर्ष लग जाते हैं। यहां भी हमने विवाचन संबंधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया है और हमने विवाचक होने के लिए तीन या चार प्रकार के व्यक्तियों का सुझाव दिया है। आखिर यह ब्याज वसूली का मामला है।

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

विवाचक बनने के लिए वहां आधे दर्जन व्यक्ति क्यों होने चाहिए? मामला बहुत सरल है अर्थात् ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाये। ब्याज पूर्व निर्धारित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही निर्देश दे रखा है। अधिनियम स्वयं में बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि मुख्य ऋण दर का डेढ़ गुना इसका आधार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए लंबे विवाचन की आवश्यकता हो। अतः मेरा सुझाव है कि यदि आप विवाचक रखने का प्रस्ताव करते ही हैं तो केवल एक व्यक्ति ही होना चाहिए और उस व्यक्ति का न्यायिक अधिकारी होना आवश्यक नहीं है। अन्यथा इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। अतः, मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह कोई ऐसी प्रक्रिया ढूंढें जिसके द्वारा विवाचक कार्यवाही आसान बनाई जा सके।

सर्वप्रथम, मैं यह सुझाव दूंगा कि मामले पर विवाचन प्रारंभ करने से पूर्व, संबंधित पक्ष को स्वीकार किए गए ब्याज को जमा करने के लिए कहा जाये। ब्याज की राशि के संबंध में भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं किन्तु वह व्यक्ति जिसने भुगतान करना है कम से कम इस बात से सहमत होगा कि उसे कुछ राशि का भुगतान करना है और वही ब्याज की स्वीकार की गई राशि होगी। अतः विवाचन संबंधी कार्यवाही शुरू करने से पूर्व संबंधित पक्ष को स्वीकार किए गए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उसे यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि उसे कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एक आपूर्तिकर्ता है और एक क्रेता है और यह स्वीकार किया गया है कि क्रेता ने आपूर्तिकर्ता से कतिपय सामग्री खरीदी है। उस बारे में कोई विवाद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके बगैर, आपूर्तिकर्ताओं और क्रेता के बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता। अतः, एक बार जहां आपूर्तिकर्ता और क्रेता इकट्ठे होते हैं तो क्रेता को यह मानना पड़ेगा कि उसने समय-बद्ध आधार पर कुछ सामग्रियां खरीदी हैं। वर्तमान अधिनियम में यह अवधि 240 दिनों की है, जिससे अब हमने कम करके 120 दिन कर दिया है। अतः, यह भी विलंब रोकने का एक उपाय है यदि ऐसा होता है तो एक स्वीकार की गई राशि होगी जिसमें क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता को कतिपय धनराशि का भुगतान करना है जिसे स्वीकार किया गया है। अतः विवाचन संबंधी कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व क्रेता को वह राशि देने का निदेश दिया जाना चाहिए जो उसने स्वीकार की है और तत्पश्चात् ही कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए।

मैं यह कहूंगा कि विवाचन संबंधी कार्यवाही हमेशा ही जटिल होती है। यह विलंब करने वाली प्रक्रिया है। निश्चय ही सरकार ने नेक इरादे से यह विधेयक प्रस्तुत किया है किन्तु यह मेरी स्वयं की आशंका है कि यह विलंब रोकने के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। यदि हम विलंब रोकना चाहते हैं तो संक्षिप्त कार्यवाही की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बगैर हम ब्याज वसूल नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे पास वसूली का तरीका है अर्थात् दीवानी मुकदमें के माध्यम से। धनराशि की संलिप्तता के आधार पर मामले को न्यायालय को भेजना पड़ता है। यदि यह राशि कम है तो यह मुन्सिफ न्यायालय में जाएगा और यदि यह एक बड़ी धनराशि है तो यह दीवानी न्यायालय में जायेगा और इन सभी पर पंचाट प्राप्त करने में वर्षों लग जायेंगे। अतः इस विशिष्ट मामले में, संक्षिप्त कार्यवाही की प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही साथ विवाचक बनाने के लिए हमें बहुत से सदस्यों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनमें कई चीजों पर मतभेद हो सकते हैं। इसके लिये एक ही न्यायाधीश पर्याप्त होगा। किन्तु उससे पहले इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भुगतान पहले किया जाये, इससे पहले कि विवाचक कार्यवाही शुरू हो। इसके अतिरिक्त बैंक अब अपनी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके पास ब्याज दरों की निर्धारित सारणी होती है।

आखिर इसमें विवाचन का सवाल नहीं है। निर्णय के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। साक्ष्य के रूप में इसमें कुछ भी नहीं लेना होता। विवाचन अधिनियम में शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्ष्य अंकित करने और तब पक्षों की सुनवाई करने का प्रावधान है। इससे लघु उद्योगों को राशि वसूल करने में लंबी अवधि लग जाएगी। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि इन विवाचन संबंधी कार्यवाहियों के बदले इस उपाय को अपनाया जा सकता है। यह अच्छा रहेगा। अन्यथा मंत्री महोदय को एक दूसरे संशोधन के साथ दुबारा आना होगा। दो या तीन वर्षों के बाद हो सकता है आप वहां न हों और मैं भी हो सकता है न होऊं किन्तु बात यह है कि ब्याज के भुगतान में विलंब की कठिनाई से बचने के लिए हमारे उत्तराधिकारी को एक नया संशोधन लाना होगा। किसी प्रकार से हम पांच साल बाद आए हैं। अगले पांच वर्षों में हम पुनः दूसरे प्रस्ताव के साथ आएंगे कि विवाचन संबंधी कार्यवाही व्यवहार्य नहीं पाई गई और इसलिए हमें कोई अन्य तरीका ढूंढना होगा जिसके द्वारा ब्याज की वसूली की जा सके। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। आखिर विवाचन संबंधी कार्यवाही जटिल हैं। इससे मामलों में विलंब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उनके इस प्रयास में सफल होने की कामना भी करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं अपने उद्योग मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करती हूं। हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। यह विधेयक एक बहुत सामान्य विधेयक है। यह पूर्णतः छोटे आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित है। हम इस विधेयक का सच्चे दिल से समर्थन करते हैं। हम इस विधेयक का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आजकल हमने देखा है कि विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की इकाइयां और निजी क्षेत्र की इकाइयां कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं तो हमारे स्वदेशी उद्योग, विशेष रूप से ग्राम उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतः हमें अपने *स्वदेशी* उद्योगों को भी आगे बढ़ाना होगा।

हमने देखा है कि सरकार ने औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की हुई है। लेकिन लोगों को इस

बोर्ड से कोई राहत नहीं मिलती। आप यह जानेंगे कि हजारों कंपनियों के मामले, यहां तक कि एन टी सी जैसी बड़ी कंपनियां अभी तक बी आई एफ आर के समक्ष पड़ी हुई हैं। एन टी सी की मिलें गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा देश के अन्य भागों में हैं। कर्मचारियों को समय पर अपना वेतन और मजदूरी नहीं मिल रही है। यहां तक कि ये एन टी सी मिलें भी रुग्ण हो रही हैं क्योंकि उन्हें केन्द्र सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं कि निधियों का अभाव है। इसके साथ ही हमें श्रमिकों और श्रमजीवी वर्ग की स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। क्या यह सच नहीं है? ऐसा श्रमिकों के कारण नहीं अपितु अनुचित कार्ययोजना के कारण है कि ये उद्योग अब पिछड़ रहे हैं। एन टी सी मिलों, एन जे एम सी मिलों और यहां तक कि मेटल बाक्स कंपनी के संबंध में प्रस्ताव 1985 से बी आई एफ आर के समक्ष लंबित पड़े हैं और अब 1998 आ गया है। आई आई एस सी ओ की आधुनिकीकरण योजना भी कई वर्षों से इसके पास लंबित पड़ी हैं लेकिन इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा गया है। मैं नहीं जानती कि सरकार इन समस्याओं और निजी क्षेत्र की समस्याओं का हल कब निकालेंगी। बजट भाषण में सरकार ने सरकारी क्षेत्र से लगभग 26 प्रतिशत विनिवेश के संबंध में कहा है। मैं नहीं जानती कि क्या यह संदेश प्राप्त करने के बाद सरकारी क्षेत्र की इकाइयां कार्यक्षम हो सकेंगी अथवा नहीं।

निःसंदेह, हमें आर्थिक विकास के प्रयोजनार्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत करना होगा लेकिन साथ ही हमें अपने उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा। आज हमें बेरोजगारी की समस्या के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो पहले नौकरी करते थे लेकिन आज बेरोजगार हो गये हैं। उद्योगों की रुग्णता के कारण हम उन्हें बंद करने जा रहे हैं। आज लाखों मजदूर भूखे मर रहे हैं। मैंने यह मामला कई बार उठाया है। अब सरकार की ओर से भी इस पर जोर डाला जाना चाहिए। हमें लघु उद्योगों, विशेष रूप से रोजगारोन्मुखी उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। हमें विशेष रूप से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना होगा।

छोटे आपूर्तिकर्ताओं को बिचौलियों के कारण अपना पैसा समय पर नहीं मिलता। श्री वारकला राधाकृष्णन और अन्य सदस्यों ने भी यह वैध मुद्दा उठाया है।

महोदय, किसी ने कहा था कि न्यायिक लोगों की नियुक्ति की जाये। ऐसा कहा गया है कि 'विलंब से मिला न्याय, न्याय नहीं होता।' मैं नहीं जानती कि सरकार हर समय न्यायिक लोगों की बात क्यों कर रही है। हम इस मामले को ज्यादा समय तक लंबित नहीं रखना चाहते। इस मामले का समयबद्ध रूप में समाधान किया जाना चाहिए। यह विधेयक बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या पंच और प्राविधिक बारीकियों के कारण उत्पन्न होती है। हालांकि मंत्री जी काफी अच्छे इंसान हैं, तथापि मैं नहीं जानती कि क्या यह विधेयक उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिए यह लाया गया है। मेरे विचार से उनके इस अच्छे कदम से इसका लाभ अवश्य मिलेगा।

मेरा यह सुझाव है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छोटा हमेशा सुंदर होता है। लघु उद्योग बड़े उद्योगों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लघु उद्योग आर्थिक विकास कर सकते हैं और वे रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। अतः सरकार को लघु उद्योगों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए जहां रोजगार सृजन से लोगों को और देश को सहायता मिलेगी। हमारे लोग लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने चाहिए।

महोदय, मैं एक बार फिर मांग करती हूं कि छोटे आपूर्तिकर्ताओं को उनका पैसा समय पर मिलना चाहिए। यदि बिचौलिये बीच में नहीं आयें और यदि लघु उद्योगों को कमीशन न देनी पड़े तो वे आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम छोटे आपूर्तिकर्त्ताओं की सहायता करें तो वे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। आज, हमारे देश में युवाओं को नौकरी की जरूरत है और बेरोजगारी की समस्या कैंसर की भांति बढ़ रही है।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगी। मैं नहीं जानती कि क्या यह इस विधेयक से संबंधित है अथवा नहीं। लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि सरकार को लघु उद्योगों और छोटे आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए एक पृथक वित्तीय संस्था की स्थापना करनी चाहिए ताकि उन्हें भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास न जाना पड़े क्योंकि बैंक के लोग हमेशा बड़े लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। वे हमेशा बड़े अफसर की भांति व्यवहार करते हैं। यदि आप उन्हें धन नहीं देते हैं तो वे आपकी परियोजना को स्वीकृति नहीं देंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भी यदि आप उन्हें कमीशन नहीं देते हैं तो वे आपकी परियोजना को मंजूरी नहीं देंगे। बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्य बड़ी मछलियों की भांति बर्ताव करते हैं और वे छोटी मछलियों को खा जाना चाहते हैं। अतः जब सरकार नेक इरादे से विधेयक ला रही है, तो मेरे विचार से उन्हें लघु उद्योगों की सहायता करने के लिए एक पृथक वित्तीय संस्था का गठन भी करना चाहिए।

महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का पूर्णतः समर्थन करती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक लाये हैं, वह समय के लिहाज से बड़ा अच्छा है और कुछ राहत प्रदान करेगा। मंत्री जी ने इसमें दो-चार बातों का संशोधित करने की कोशिश की है। इसके पीछे उद्देश्य मुझे लगता है कि औद्योगिक इकाइयों और उनके क्रेता विक्रेताओं के बीच में जो परेशानियां पैदा होती हैं, उनको हल करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम ज्यों-ज्यों इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं त्यों-त्यों बीमारी बढ़ती जा रही है। जब तक हम कानून बनाकर उन उद्योगों को समय

[श्री मित्रसेन यादव]

से पैसे भुगतान करने की कोशिश करेंगे तब तक मुझे लगता है कि विदेशी कंपनियां देश में आ जायेंगी, जो इनको खा जायेंगी, जिनको आप कानून बनाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से विदेशी कम्पनियां देश में प्रवेश कर रही हैं, जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आप स्वागत भी करते रहे हैं, वे आपके देश के लघु उद्योग और औद्योगिक इकाइयों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इधर से तो आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उधर से भी उनको बचाने की कोशिश कीजिए। अभी ममता बनर्जी जी ठीक कह रही थीं कि अगर हमारे देश में लोगों की बेकारी की समस्या हल करनी है, बेरोजगारी की समस्या को हल करना है तो हमारे यहां जो रॉ-मैटीरियल है, उन पर आधारित उद्योगों को बढ़ाना है। अपने उत्पादित माल को दूसरे देशों में बेचकर लोगों को लाभ पहुंचाना है, इसके साथ आपको अपनी औद्योगिक इकाइयों को बचाना भी पड़ेगा।

उसे बचाने के लिए आपने कौन सा रास्ता निकाला है या आपके पास कौन से सुझाव हैं, सरकार क्या सोचती है, अभी तक इस प्रकार का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं आया। इससे पहले जो सरकार थी, उसने भी इस बारे में कोई रास्ता नहीं सुझाया। इससे देश के पढ़े-लिखे उद्यमियों को बहुत परेशानी है कि क्या आने वाले दिनों में हमारे हाथ को काम मिलेगा या नहीं, पेट को रोटी मिलेगी या नहीं।

पब्लिक सैक्टर घाटे में हैं। वह अपने लोगों को वेतन नहीं दे पा रहा है, जो सामान बिक्री होता है, उसका पैसा उसे समय से नहीं मिल पाता इसलिए वह और घाटे में जा रहा है। उसे बचाने के लिए आपने ब्याज का प्रावधान किया है। वह भी नियमतः समय से मिल जाना चाहिए। उसे आप पंचायत के जरिए दिलाने की बात कर रहे हैं। शायद इसे पंचायत के जरिए दिलाना मुश्किल होगा। आप किस तरह की पंचायत बनाएंगे, उसमें कौन लोग होंगे, वह किसकी मर्जी पर रहेगा, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है ताकि लोगों को समय से पैसा मिल जाए।

छोटे उद्योग बहुत से पार्ट्स बड़े उद्योगों को सप्लाई करते हैं। बहुत से साईकिलों के कारखाने हैं, दूसरे कारखाने हैं, साईकिल कोई एक कारखाना बनाता है लेकिन उसके और पार्ट्स दूसरे कारखाने बनाते हैं। ये छोटे उद्योग समय से पैसा न मिल पाने के कारण मर जाते हैं, दब जाते हैं, घाटे में हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है। लेकिन वह सफल हो पाएगा या नहीं, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, आप इसमें जो दो-तीन प्रावधान कर रहे हैं, उन्हें समय के मुताबिक लागू करने में ही सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इस नियम की सफलता होगी। जो विदेशी कम्पनियां यहां आ रही हैं, इनको उनसे बचाने के लिए आपकी कोई दूरगामी योजना होनी चाहिए जिससे हम देश के कच्चे माल को उत्पादित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बचा सकें और बेरोजगारी को रोक सकें। इस काम के लिए भी कहीं न कहीं दिशा-निर्देश देना चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय एजेंडा की मूलभूत भावना के तहत और भारतीय जनता पार्टी की औद्योगिक नीति के दृष्टिकोण से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को एक ऐसा इंजैक्शन दिया गया है, जो इंटरस्ट या बकाये के कारण मर रहा था। इससे उसमें फिर से नई जान आएगी। इस समय 30 लाख से अधिक इंडस्ट्रीज हैं, बकाये के कारण लगभग तीन लाख लघु उद्योग बीमार हो रहे हैं और करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये क्रेता के पास बकाया हैं। उसकी वसूली के अभाव में ये उद्योग दिन-ब-दिन खतरनाक स्थिति से गुजर रहे थे और बेरोजगार लोगों को नया काम पाने का अवसर भी खत्म हो रहा था, निराशा के बादल छा रहे थे। उस दृष्टि से मंत्री महोदय ने लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक, 1998 पेश किया है, जिसमें 3,4 और 6 की जगह नए संशोधन के द्वारा एक ऐसी कार्यवाही की है जिससे मैं समझता हूं कि जो भी लघु उद्योग बीमार पड़े हैं, वे फिर से जिंदा होने की दशा में हो जाएंगे। इन्होंने राज्य सरकार को भी पावर दी है। जो सिविल सूट वसूली के लिए वर्षों पड़े रहते थे, वहां पर इंडस्ट्री फैसिलीटेशन काउंसिल की रचना की है जिसमें हर तरह के एक्सपर्ट्स भाग लेंगे और पंचायत की बैठक द्वारा उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा।

साथ ही जहां तक बकाया की वसूली का सवाल होता था, उसमें जितने क्रेता लोग हैं, वे प्रदायकर्ता का उधार 300 दिन तक या इससे भी ज्यादा समय तक रखते थे, जिसके कारण बहुत से लघु उद्योग उपक्रम, आनुषंगिक क्षेत्र के उपक्रम बैठ जाते थे। इन्होंने अच्छा प्रावधान किया है कि 300 दिन से घटाकर इस अवधि को 120 दिन कर दिया है, अब जिसके अन्दर भुगतान करना होगा। यदि भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसी हालत में बैंक का जो इण्टरैस्ट रेट है, जो भारतीय स्टेट बैंक का प्राइम लैंडिंग रेट है, उससे डेढ़ गुना पीनल इण्टरैस्ट के रूप में वसूल किया जायेगा। इससे एक भय का वातावरण भी प्रदायकर्ता को होगा और केता को डर होगा कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया जायेगा तो वैसी स्थिति में उसे डेढ़ गुना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। यह बिल समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत ही अच्छा है।

मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, इस लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक को लाना एक सराहनीय कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

27 लाख लघु औद्योगिक एककों से 1.6 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और इनमें से 42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। निर्यात किया जाने वाला लगभग 45 प्रतिशत विनिर्मित सामान लघु उद्योग क्षेत्र में बनाया जाता है। विशेषकर रोजगार की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

आज सुबह श्रम मंत्री ने हमें सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्रों में रोजगार 2.73 करोड़ से 2.82 करोड़ बढ़ा है, जो कि तीन प्रतिशत से कम है। इसका अर्थ है संगठित क्षेत्र में वृद्धि दर एक प्रतिशत से कम है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर लगभग दो प्रतिशत है। इसलिए हमें बेरोजगार लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ये आंकड़े 1995, 1996 और 1997 के हैं, जब अर्थव्यवस्था की विकास की दर सात प्रतिशत से अधिक थी और औद्योगिक विकास दर दो अंकों में अर्थात् 15 प्रतिशत थी। मैं नहीं जानता कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के संबंध में वर्तमान आंकड़े क्या हैं, किन्तु मैं नहीं समझता कि यह तस्वीर बहुत अच्छी है। हम प्रत्येक जगह मंदी की बात ही सुन रहे हैं। संगठित क्षेत्रों में रोजगार घट रहा है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो अपने साथ स्वचालित यंत्र और नवीनतम प्रौद्योगिकी लेकर आ रही हैं; बड़े पैमाने पर रोजगार देने के पक्षधर नहीं हैं। इसलिए लघु उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन्तु आज लगभग 2.18 लाख एकक रुग्ण है तथा इनमें लगभग 3500 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। कुमारी ममता बनर्जी यहां नहीं हैं, किन्तु यह नोट करके बहुत दुख हुआ है कि इन 2.80 लाख एककों में 20 प्रतिशत एकक अकेले पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। मेरे पश्चिम बंगाल के मित्रों को इसकी जांच करनी चाहिए। किन्तु इसी कारण से 1993 में सरकार ने यह अति महत्वपूर्ण कानून बनाया ताकि लघु उद्योगों को समय पर भुगतान हो सके। यह कानून तीन अथवा चार वर्षों से चल रहा है लेकिन हमने पाया कि यह बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। इसलिए सरकार ने यह विधेयक पेश किया है और इसमें कुछ संशोधन करने की बात भी की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य उद्योग विकास निगम, जो लघु उद्योगों की विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन्हें 'विक्रेता' की परिभाषा के अंदर लाया जा रहा है।

इससे ये लघु उद्योगों की ओर से इस विधेयक के लाभों और प्रतिलाभों पर दावा कर सकेंगे। मैं संशोधनों का स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा सुझाव है कि सरकार के पास संसद में प्रस्ताव लाए बगैर ही अधिसूचना के माध्यम से किसी भी अन्य कम्पनियों को शामिल करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य औद्योगिक विकास निगम ही अकेले लघु उद्योगों के सामान का विपणन कर रहा है। विभिन्न राज्यों में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ कम्पनियां, इन वस्तुओं का विपणन कर रही हैं। हो सकता है आज आपको उनके बारे में पता नहीं हो। किंतु आप देख सकते हैं कि कुछ राज्य सरकारें और कुछ केन्द्रीय उपक्रम, लघु उद्योगों के लिए माल के विपणन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपको इस बात को समझनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि आपको इस कानून में संशोधन के लिए वापस संसद में आना पड़ेगा।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन जिसे आप लाए हैं वह ठेका देने संबंधी समय अवधि के बारे में है जिसके लिए ठेका दिया जाता है जैसे कि दो, छह, आठ अथवा नौ माह की लम्बी अवधि के लिए दिए जाने वाले ठेके। एक लघु उद्योग अथवा अनुषंगिक इकाई अपने मुख्य क्रेता को अप्रसन्न नहीं कर सकते। वे ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन क्रयादेशों को प्राप्त करने के लिए उन्हे इसे स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए आपने चार माह की सांविधिक अवधि रखी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस अवधि को तीन माह करने की आवश्यकता है। चार माह की अवधि बहुत अधिक है। बैंकिंग प्रणाली को ही लें, यदि आप तीन माह तक ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका वर्गीकरण, आपकी क्रेडिट रेटिंग, घट जाती है। कृपया आप समय को तीन माह कम करने पर विचार करें।

मैं स्टेट बैंक के साथ ब्याज दर पर किए जा रहे समझौते का स्वागत करता हूं, क्योंकि अब स्थिति बदल रही है और स्टेट बैंक के साथ डेढ़ गुना प्राइम लेंडिंग दर एक अच्छा सुझाव है।

जहां तक इंडस्ट्री फैसिलेटेशन काउन्सिल की बातें हैं, मैं इस पहल के बारे में बहुत खुश नहीं हूं। मेरे विचार से इसे अधिकरण होना चाहिए। पंचाट से वांछित परिणाम मिलने वाला नहीं है। वास्तव में मुझे खुशी होती यदि बहुत से अन्य अधिकरणों की तरह आप उपयुक्त न्यायिक अधिकरण बनाते। कृपया इस पर विचार करें। माननीय मंत्री जी जब इस विधेयक को 1993 में लेकर आए थे, तो वे इस सुझाव पर सहमत थे किंतु आपने ऐसा नहीं किया है।

संविधान के बारे में, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 'निदेशक' उद्योग को इस परिषद् की अध्यक्षता करनी चाहिए। मेरे विचार से इस परिषद् की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को करनी चाहिए। यह सांविधिक अधिकरण की तरह का निकाय होना चाहिए। आपने कहा, आप इसे अधिसूचित करेंगे। मैं इस बात को जानता हूं कि औद्योगिक कर्जों और किरायों के लिए अन्य अधिकरणों का गठन कितना कठिन हैं।

आपने यह परिभाषित नहीं किया है कि राज्य उद्योग एसोसिएशन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ किसी राज्य में कुछ भी हो सकता है। कृपया इस विधेयक में कर्मचारी संघ और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

लघु उद्योगों के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि आपको लघु उद्योग और बड़े उद्योग के बीच में हुए करार अथवा बड़े उद्योग अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा दिए गए क्रयादेश के संबंध में एक सांविधिक नोटिस पर विचार करना चाहिए जहां यह विशेष उल्लेख होना चाहिए कि यह करार अथवा क्रयादेश लघु उद्योगों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम के उपबंधों के अधीन है। क्रयादेश में यह विशेष उल्लेख होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि जो

[श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण]

व्यक्ति क्रयादेश दे रहा है अथवा करार कर रहा है वह यह जान ले कि यह विधेयक क्या कहता है। लघु उद्योग इसको लागू करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि लघु उद्योग और बड़े उद्योग बड़े केता के बीच विशेष संबंध होते हैं। मैं महसूस करता हूं कि लघु उद्योगों की परिभाषा पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों की पूरी परिभाषा जो निवेश सीमा पर आधारित है, की जरा भी प्रासंगकिता नहीं है। हम जानते हैं कि बड़े उद्योग अथवा बहुराष्ट्रीय निगम रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, जबकि लघु उद्योग बहुत रोजगार पैदा कर रहे हैं। कृपया परिभाषा रोजगार संबंधी लोच के आधार पर बनाएं, निवेश के आधार पर नहीं। मान लीजिए आप एक लाख रुपये निवेश करते हैं, तो कितनी नौकरियां पैदा की जा सकती हैं? परिभाषा रोजगाराभिमुख लघु उद्योग पर आधारित होनी चाहिए, न कि कृत्रिम निवेश की मनमानी सीमा पर।

श्री सिकंदर बख्त : मैं समझता हूं कि निवेश का पहलू इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर की बात है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं जानता हूं। किन्तु मैं लघु उद्योगों के कल्याणार्थ कई सुझाव दे रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि एस॰आई॰डी॰बी॰आई॰, आई॰डी॰बी॰आई॰ से अलग हो रही है। लघु उद्योग संबंधी आबिद हुसैन समिति ने मुख्य रूप से इन 830 शेष मदों और विशेष मूल्य अधिमान योजना वाली 4000 मदों का भी अनारक्षण करने की सिफारिश की है।

मैं समझता हूं जो वे कह रहे हैं, उसमें दम है। कृपया इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि लघु उद्योग और बड़े उद्योगों के बीच कठिन प्रतियोगिता है।

मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं अपना भाषण एक और सुझाव के साथ समाप्त करता हूं। ये मदें जो लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं, वे मदें हैं जिन्हें वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। यदि आप ताइवान और चीन पर नजर डालें, तो वे भारत की तुलना में सौ गुणा अधिक निर्यात करते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर गौर किया जाना चाहिए। आबिद हुसैन समिति की यह सिफारिश की 70 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लघु औद्योगिक एककों के लिए आरक्षित किया जाए, को लागू किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्य से बजट में आयातित मदों पर विशेष सीमा शुल्क लगाया गया है। यह अच्छा है। यह राजस्व अर्जन का उपाय है। सरकार को राजस्व की आवश्यकता है। आप व्यापार को क्यों अलग रखा जाये। इसका क्या प्रभाव है? यह विनिर्माण क्षेत्र को विकृत कर रहा है। यह विनिर्माण क्षेत्र विरोधी है। यदि आप रुपये के गिरते मूल्य पर गौर करें, पिछले एक वर्ष में, रुपया 19 प्रतिशत तक गिर गया है। इस शीर्ष पर, यदि आप आठ प्रतिशत विशेष आयात शुल्क और जोड़ दें, तो लघु उद्योग, जो आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं, आयातित कच्चे माल के लिए 27 प्रतिशत भुगतान कर रहा है। मैं महसूस करता हूं कि यह शुल्क लगाने का गलत समय है। किंतु यह शुल्क लगाया गया है, तो मैं आपसे वित्त मंत्री को यह प्रतीति करने का अनुरोध करता हूं कि इससे व्यापार को अलग न रखा जाए क्योंकि इसे विरूपित किया जा रहा है। लोग जाली व्यापार एकक स्थापित कर रहे हैं। वे निर्माण कार्य से दूर हटते जा रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है।

अब मैं अपना अंतिम सुझाव देता हूं। कृपया लघु उद्योगों के लिए सीमित भागीदारी अधिनियम पर विचार करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा की जा रही पहल का समर्थन करता हूं। मैं सम‌झता हूं कि हमें वह सब सहायता देनी चाहिए जिसकी आवश्यकता है।

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इसे राष्ट्रीय महत्व का इसलिए कहता हूं कि क्योंकि यदि आप विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से पिछले आठ वर्षों के कार्यनिष्पादन और इन एककों की वृद्धि पर गौर करें तो 1991 में यह संख्या लगभग बीस लाख थी। यह संख्या अब बढ़कर लगभग तीस लाख हो गई है। यदि आप उत्पादन को देखें तो 1990–91 में यह लगभग 155,340 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 340,564 करोड़ रुपये हो गई है। यदि आप रोजगार सृजन के पहलू को देखें तो यह 1990–91 में 125 लाख था, जो अब बढ़कर 160 लाख हो गया है। यदि आप निर्यात को देखें तो 1990–91 में यह लगभग 10,000 करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये का हो गया है। यह केवल रोजगार सृजन का ही क्षेत्र नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्रीय विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए देश में कुल औद्योगिक एककों में कार्यरत श्रमिकों में से लगभग 80 प्रतिशत श्रमिक लघु औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कृषि के बाद यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें देश के लगभग 95 प्रतिशत औद्योगिक एकक आते हैं। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत का निर्यात भी इसी क्षेत्र से किया जाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि लघु उद्योगों के हितों की समुचित सुरक्षा की जाए। मैं संशोधनों के उपायों का स्वागत करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए संशोधनों विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने वाले संशोधनों की प्रशंसा करता हूं।

वास्तव में जो संशोधन सुझाए गए हैं, वे चार हैं। इन लघु उद्योगों के विपणन में एन॰एस॰आई॰सी॰ और एस॰एस॰आई॰डी॰सी॰ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनको संशोधन में शामिल करने का विचार प्रशंसनीय है।

दूसरे, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने बताया है कि विलम्बित भुगतान को वर्षों से अथवा दिनों से कम करके 120 दिन कर दिया जाए। इसी प्रकार का मामला दण्डात्मक ब्याज के संबंध में है और दण्डात्मक ब्याज देर से भुगतान करने वाले लोगों पर लागू होता है।

जहां तक लघु उद्योगों के विकास और कार्यकरण का संबंध है, ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही जैसा कि बताया गया है, मैंने देखा है कि 2,80,000 से भी अधिक लघु उद्योग रुग्ण हैं। वे रुग्ण क्यों हैं? वे रुग्ण हैं, क्योंकि उन्हें समुचित समय पर धनराशि नहीं मिल रही है। कभी-कभी ऐसा इस कारण भी होता है कि वे लोग राजसहायता और प्रोत्साहनों जैसे कतिपय आकर्षणों के कारण सही ढंग से योजन नहीं बना पाते। कभी-कभी वे लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन नहीं कर पाते हैं।

जैसा कि कहा गया है कि छोटी चीज सुंदर होती है यह परिभाषा विश्व के अन्य देशों जैसे ताईवान, जापान आदि की तरह भारत पर भी लागू होती है। यही उद्योग है, जो राष्ट्र के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं से उसे बचा सकती है। अतः, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में, मैं कहूंगा कि मंत्री जी लघु उद्योगों और लघु उद्यमों के सामने आ रही कठिनाइयों को हल करने के लिए बहुत ही सुधारात्मक उपाय लाए हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक कुछ उद्देश्यों के साथ पुरःस्थापित किया गया है, जो संशोधित विधेयक में सम्मिलित किए जाने हैं। मैं उन उद्देश्यों की प्रशंसा करता हूं जो विधेयक में सम्मिलित किए जाते हैं।

देश के विकास और प्रगति में लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। किंतु, आज लघु उद्योगों की स्थिति बहुत ही खराब है। वे उन बड़ी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ नहीं हैं, जो एकाधिकार प्राप्त हैं और बड़े उद्योग हैं। ये लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा में मात खाते हैं। उनकी स्थिति जरा भी संतोषजनक नहीं है।

लघु उद्योग हमारे देश में गैर-परम्परागत सामान और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस संशोधन विधेयक में सिविल सूट के स्थान पर मध्यस्थता और समझौते के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। यह उद्देश्य अच्छा और संतोषजनक है। हमारे देश में मध्यस्थता की नीति से विलम्ब होता है। इसलिए अत्यधिक विलंब न होने देने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ताकि निर्णायक द्वारा यथसंभ्व शीघ्र निर्णय हो और विवादों का शीघ्र निपटारा हो।

मैं महसूस करता हूं कि न्यायिक क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जिसे व्यावहारिक अनुभव हो, निर्णायक नियुक्त किया जाना चाहिए। निर्णायक पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ताकि वह यथासंभव शीघ्र निपटारा कर सके।

हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास नौकरी नहीं है। उनके पास रोजगार के अवसर नहीं हैं। यहां तक कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करते हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले बड़ी संख्या में औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिए गए हैं। वे औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास काफी दिनों से लम्बित पड़े हैं। चूंकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां बंद हो रही हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वे बिना किसी सुविधा के भूखे रहकर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं।

इस संबंध में आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। उसने कुछ सिफारिशें की हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उन सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के प्रति गंभीर होंगे।

मैं नहीं जानता कि यह सरकार लघु उद्योगों के बारे में गंभीर है अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि वे लघु उद्योगों का नहीं, बल्कि बड़े उद्योगों और एकाधिकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

खैर, जब उन्होंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है, तो मैं आशा करता हूं कि सरकार और माननीय मंत्री जी लघु उद्योगों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के प्रति गंभीर होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से गंभीरता पूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों का कार्यान्वयन यथाशीघ्र किया जाए ताकि लघु उद्योग और उनके कर्मचारियों को बरबाद होने से बचाया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं इस प्रकार के विधान को बहुत प्रगतिशील मानता हूं क्योंकि यह एक अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने अब लघु उद्योगों पर ध्यान दिया है।

मेरे बायीं तरफ के साथियों ने कहा है कि 'लघु सुंदर है'। किन्तु इस देश में लघु उद्योग क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे निवेश के प्रश्न से लीजिए जो संपूर्ण भारत में बांटा जाता है, रोजगार और लाभ जो सारे देश को प्राप्त होता है। यह लघु उद्योगों को इस राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है।

यह संशोधन कानून और अधिनियम को अद्यतन बनाता है और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम को आपूर्तिकर्ता की परिधि में लाना एक अत्यंत प्रगतिशील कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

जहां तक विलंबित भुगतान का प्रश्न है, 120 दिनों की अवधि तक करना और उसके पश्चात् ब्याज लेना भी अत्यंत प्रगतिशील है। किन्तु मैं सोचता हूं कि इन 120 दिनों को घटाया जा सकता है जैसे कि 90 दिन/तीन महीने की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए। यह मंत्री महोदय के लिए अत्यन्त अल्प सूचना हो सकती है और वह संक्षिप्त संशोधन के लिए तैयार नहीं भी हो सकते हैं परंतु बाद में वह इसे 90 दिन तक घटा सकते हैं।

जहां तक विवाचन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि विवाचन एक विलंबित प्रक्रिया है। यह घिसीपिटी प्रक्रिया है और यह लंबा समय लेती है। हमारे मित्र श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण ने सुझाव दिया था कि

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज]

वह न्यायाधिकरणों के माध्यम से किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण भी काफी लंबा समय ले लेते हैं। न्यायाधिकरणों में खामियां भी होती हैं। परंतु मैं समझता हूं कि सरलीकरण परिषद् के माध्यम से होने वाला विवाचन ज्यादा समय लेगा और वह एक दीर्घ प्रक्रिया होगी तथा हो सकता है न्याय में विलंब हो। अतः मंत्री महोदय, कृपया इस पर भी विचार करें कि यह न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, यह एक अत्यंत प्रगतिशील कदम है और इसे मेरा समर्थन प्राप्त है।

बहुत से लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए जिनका इस विधेयक से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं था और मंत्री महोदय ने उनका उत्तर दिया। मैं उनके ध्यान में ला रहा हूं कि कश्मीर में हमारे पास कोई उद्योग नहीं है—न तो बड़े उद्योग न ही लघु उद्योग वहां केवल एचएमटी की एक इकाई है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को लिखा था। आखिरकार मेरे अर्धसरकारी पत्र का उत्तर दिया गया। लेकिन मैंने मामला सभापति महोदय के पास उठाया। शोरूम को श्रीनगर से बाहर स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। इससे श्रीनगर में काफी गलतफहमी पैदा हो गई है।

अपराह्न 6.00 बजे

इस इकाई का एक हिस्सा जम्मू स्थानांतरित किया जा रहा है। यदि वहां और इकाईया स्थापित की जाती तो हम श्रीनगर में इस पर आपत्ति नहीं करते। जम्मू में एक दूसरी स्थपित की जा सकती हैं। किन्तु यह कहना कि हम कुछ कर्मचारियों को एचएमटी श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित करेंगे और तब वहां एक इकाई स्थापित करेंगे, मान्य नहीं है। इससे विशेषकर मेरे मन में ऐसी धारणा बनी है कि आप श्रीनगर स्थित एचएमटी की इकाई को ध्वस्त कर रहे हैं। यह एक लघु इकाई है। लेकिन यह एक सरकारी क्षेत्र की इकाई है। हमारे लिए यह एक बड़ी इकाई है क्योंकि वहां यही एक मात्र इकाई है। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय, से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि श्रीनगर से एचएमटी के शोरूम को हटाया नहीं जाना चाहिए।

दूसरे, श्रीनगर में उस इकाई को ध्वस्त करना और इसके एक हिस्से का निर्माण जम्मू में करना नैतिक रूप से गलत है। जम्मू में एक दूसरी इकाई स्थापित करना ठीक है। इसके लिए मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसके कुछ हिस्से को काटना और कर्मचारियों को जम्मू स्थानांतरित करना, चाहे वे पहले से ही वहां हैं या वे श्रीनगर में हैं, गलत है। मैंने मंत्री महोदय को लिखा है कि एचएमटी की इकाई को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। यह एक ऐसी इकाई है जो विद्रोह के समय में भी कार्य करती रही है। इसके कर्मचारियों की पीठ थपथपायी जानी चाहिए। इसके स्थान पर एचएमटी को किसी-न-किसी रूप से अक्षम बना देना स्वीकार्य नहीं है। अतः, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कृपया इस पर विचार करें। शोरूम को वहीं रहने दिया जाये यदि कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है तो उन्हें वापस लाया जाये और इस इकाई का एक हिस्सा जम्मू नहीं जाना चाहिए। वहां एचएमटी की दूसरी इकाई खोली जा सकती है।

श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो सदन का समय एक घंटा बढ़ा लें। आठ माननीय सदस्य अभी बोलने शेष हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आधा घंटा कल बहुत रहेगा।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को (इदुक्की) : इसमें जल्दबाजी क्या है? हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : एक घंटा बढ़ा दीजिए, कल दूसरा बिल लेना है, इसको आज ही खत्म करेंगे। जो घंटे इसके लिए रखे थे वे पूरे हो गये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कल होगा, आज नहीं। हम सहमत नहीं हैं। आप सभा स्थगित कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को : क्या मैं एक बात कह सकता हूं? संसदीय कार्य मंत्री के पास कोई कार्य नहीं है। वह किसी प्रकार सत्र को खींचना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : दो बिल तो अभी बाकी हैं।

सभापति महोदय : यहां से पास होंगे तो राज्य सभा में भी जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : छः या सात विधेयक लंबित हैं जिन्हें हमें 3 तारीख से पहले पारित करना है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम इससे सहमत नहीं हैं। प्रत्येक दिन सभा का विस्तार किया जा रहा है। यह क्या है? कल होंगे आज नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, इनको नियम 193 के अन्तर्गत डिस्कशन भी चाहिए। बीमैन पर अत्याचार के बारे में

लगातार तीन दिन डिस्कशन हुआ है, उसमें भी ज्यादा टाइम इनको चाहिए, इसमें भी इनको ज्यादा टाइम चाहिए, तो हाउस कैसे चलेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : अब आपके पास कोई बिजनैस नहीं है, यह कल होगा।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चक्को : उनके पास कार्य मंत्रणा समिति के लिए भी आदर नहीं है। सरकार एक तरफा निर्णय ले रही है। वे हमें देर तक बैठने के लिए क्यों कहते हैं? सभा को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। किसी कार्य को निपटाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने के विरूद्ध हम नहीं हैं। किन्तु सत्य बात यह है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि देर तक बैठना आवश्यक है। यह सभा में रोज ही हो रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : देखिए, मेरा अनुरोध यह है कि कार्य सूची में दो विधेयक हैं, आप एक विधेयक पारिक हो जाने दीजिए.. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आप अभी हाउस एडजर्न कीजिए।

सभापति महोदय : यह बिल राज्य सभा में भी जाना है। इस पर 6-7 सदस्यों ने अभी बोलना है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे पक्ष से दो माननीय सदस्यों को बोलना है। कई माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के॰ राममूर्ति) : महोदय, इस विधेयक को पारित करने में उनको सहयोग करना चाहिए। अगले विधेयक पर कल चर्चा हो सकती है।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : समय के विस्तार के लिए सभा की सहमति की आवश्यकता होती है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि सारी सभा सहमत हो तो हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इनको दो घंटे जीरो आवर के लिए चाहिए और नियम 193 के अन्तर्गत भी डिस्कशन करना है। ऐसे में हाउस का समय नहीं बढ़ेगा तो कैसे हाउस का बिजनस पूरा होगा?. ..*(व्यवधान)*

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : यह माननीय सदस्यों का अधिकार है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : यह सभा का विशेषाधिकार है। नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हमें गलत क्यों ठहरा रहे हैं? यह सभा के माननीय सदस्यों का अधिकार है।. ..*(व्यवधान)* यह अपमान है। हम नियम 193 के अंतर्गत अन्य मुद्दे उठाने का भी प्रस्ताव करेंगे। उन्हें आपत्ति क्यों है? संसदीय कार्य मंत्री हमारे अधिकार को समझें।

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : यह अध्यक्ष महोदय, के निर्णय पर निर्भर करता है, उनके निर्णय पर नहीं।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : मंत्री महोदय, यह शिकायत क्यों कर रहे हैं कि हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा उठा रहे हैं।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : यह पहला मौका है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल मुझे राज्य सभा में रहना है। वहां इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सिलसिले में डिसकशन है। मैं इस पर लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता। मैं अपनी स्पीच पांच मिनट में खत्म कर सकता हूं। इस बिल के प्रति तमाम माननीय सदस्यों का ऐटिट्यूड बहुत अच्छा रहा। उन्होंने इस बिल को पसन्द किया। अगर बाकी के ऑनरेबल मैम्बर्स बोलना न चाहें तो मैं पांच मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : इस बिल पर बोलने वाले कुल सात-आठ माननीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती : हम इस पर सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कई माननीय सदस्यों का बोलना बाकी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम समय बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हैं। प्रत्येक दिन सभा के समय को बढ़ाया जा रहा है।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : यदि कैबिनेट सभा के समय को बढ़ाने का एकतरफा निर्णय ले रही है, तो हमसे परामर्श करने की क्या आवश्यकता है? हमें अपने चुनाव क्षेत्रों में कई कार्य करने हैं। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के पश्चात् सरकार ने सभा को 5 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया था। वास्तव में शुक्रवार को हम सभा को केवल 30 जुलाई तक बढ़ाने के लिए ही सहमत हुए थे।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : इस सरकार के पास अनुभव नहीं है। हम इस बात को समझते हैं। लेकिन सत्य यह है कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों की अवहेलना की जा रही है और कैबिनेट दमनकारी रवैया अपना रही है। जब ऐसा हो रहा है तो वे हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। कार्य मंत्रणा समिति कोई फैसला करती है और वह इन चीजों का दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमारा सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : हम उनसे पूर्णतः असहमत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस पर सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही 29 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[अनुवाद]

अपराह्न 6.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 29 जुलाई, 1998/7 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.—48/5/31/98 (एन.)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि., जनक पुरी, नई दिल्ली—58 द्वारा मुद्रित।